II माला, खंड 21, अंक 11

मंगलवार, 4 दिसम्बर, 2001

13 अग्रहायण, 1923 (शक)

NOT TO BE ISSUED

FOR REFERENCE ONLY.

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(तेरहवी लोक सभा)



PARLIAMENT LIBRARY
No. D...52
Date...23/9/2002

(खण्ड 21 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 21, आठवां सत्र, 2001/1923 (शक)
अंक 11, मंगलवार, 4 दिसम्बर, 2001/13 अग्रहायण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 201 और 204	4-26
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 205 से 220	26-137
अतारांकित प्रश्न संख्या 2265 से 2410	137-361
सभा पटल पर रखे गए पत्र	361-365
राज्य सभा से संदेश	365-366
लोक लेखा समिति	
पच्चीसवां प्रतिवेदन	366
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
बानवेवां, तिरानवेवां, चौरानवेवां और पचानवेवां प्रतिवेदन	366-367
याचिका का प्रस्तुतीकरण	367-368
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	368-381
बांग्लादेश से भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का आगमन	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	368
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	368-373
श्री अधीर चौधरी	373-375
श्री शिवराज वि. पाटील	375-377
डा. विजय कुमार मल्होत्रा	377-378
श्री बसुदेव आचार्य	378-381
देश में विशेष रूप से बिहार में धान की खरीद न किए जाने के कारण किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में	381-386

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले	386-393
(एक) गुजरात के बी.टी. कपास उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य देना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रेश पटेल	386-387
(दो) गुजरात में धुलिया और सूरत के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री मानसिंह पटेल	387
(तीन) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों की सूची में शामिल करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पुन्नू लाल मोहले	387-388
(चार) राजस्थान में जयपुर में एफ.एम. चैनल सुविधा शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	388
(पांच) बंगलौर स्थित अशोक होटल के विनिवेश के कथित प्रस्ताव को वापस लिए जाने की आवश्यकता	
श्री के. एच. मुनियप्पा	388-389
(छह) नागालैण्ड में मरियानी–मोकोकचुंग त्यूयेनसांग मार्ग को इस क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए दो लेन वाला मार्ग बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री के. एस. सांगतम	389-390
(सात) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की सहायता से निर्माण किए जा रहे स्कूलों/पंजीकृत सोसायटियों के लिए रजिस्ट्रीकृत करार की शर्त को समाप्त किए जाने की आवश्यकता	
श्री धर्म राज सिंह पटेल	390
(आठ) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उर्वरक कारखाने के पुनरुज्जीवन के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री बालकृष्ण चौहान	390-391
(नौ) तमिलनाडु के करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे समपार पर उपरिपुल का निर्माण शीघ्र किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम. चिन्नासामी	391-392
(दस) बिहार के पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम प्रसाद सिंह	392

विषय कॉलम

(ग्यारह) तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में फलों और सब्जियों के लिए और अधिक शीतागार बनाये जाने की आवश्यकता

श्री वी. वेत्रिसेलवन 392-393

(बारह) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा केरल में कुछ ग्राम पंचायतों को 'शहरी' श्रेणी में रखने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

प्रो. ए. के. प्रेमाजम 393

विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक 393-427

विचार करने के लिए प्रस्ताव

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक 393-397

श्री अनादि साहू 397-403

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 403-406

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय 406-408

श्री रामजीलाल सुमन 408-410

श्री गिरधारी लाल भार्गव 410-411

श्री सीएच. विद्यासागर राव 411-417

खंड 2 से 6 और 1 417-427

पारित करने के लिए प्रस्ताव

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2001-2002

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1998-99 427-516

प्रो. ए. के. प्रेमाजम 430-436

श्री गिरधारी लाल भार्गव 436-438

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 438-446

श्री कालवा श्रीनिवासुलु 446-448

कुंवर अखिलेश सिंह 448-450

श्री शिवाजी माने 450-452

डा. वी. सरोजा 452-454

श्री प्रहलाद सिंह पटेल 454-457

विषय	कॉलम
श्री सी. के. जाफर शरीफ	458-462
श्री वी. वेत्रिसेलवन	462-465
श्री दलित इजिलमलाई	465-466
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	466-469
श्री अरूण कुमार	469-471
श्री प्रभुनाथ सिंह	471
श्री भान सिंह भौरा	471-472
श्री राम पाल सिंह	472-473
श्री के. एच. मुनियप्पा	473-475
श्री पी. डी. एलानगोवन	475-478
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	478-481
श्री के. पी. सिंह देव	481-485
श्री दिनेश चन्द्र यादव	486-489
श्री जी. गंगा रेड्डी	489-490
श्री रवि प्रकाश वर्मा	490-492
श्री हरिभाई चौधरी	492-493
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	493-494
श्री ब्रह्मानन्द मंडल	494-496
श्री वरकला राधाकृष्णन	496-499
श्री नीतीश कुमार	499-516
विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2001	516-518
विचार करने के लिए प्रस्ताव	517
खंड 2, 3 और 1	517
पारित करने के लिए प्रस्ताव	517
विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2001	518-520
विचार करने के लिए प्रस्ताव	519
खंड 2, 3 और 1	520
पारित करने के लिए प्रस्ताव	520

लोक सभा

मंगलवार, 4 दिसम्बर, 2001/13 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे बड़े दुख के साथ सभा को अपने पूर्व सहयोगी चौधरी निहाल सिंह तक्षक के निधन की सूचना देनी है।

चौधरी निहाल सिंह तक्षक संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने 13 जुलाई, 1947 से 15 मई, 1948 तक तत्कालीन पंजाब राज्य समूह के जींद राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

चौधरी तक्षक 1934, 1937 और 1942 में तत्कालीन जींद रियासत की प्रतिनिधि सभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1947 में जींद राज्य प्रतिनिधि सरकार में स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 'पेप्सू' सरकार में 1949–51 में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री तथा 1951–52 में वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

चौधरी तक्षक जाने–माने स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए अनथक कार्य किया।

चौधरी तक्षक का शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय योगदान रहा और उन्होंने अपने राज्य में अनेक स्कूलों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

चौधरी तक्षक ने ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए बड़ी लगन से कार्य किया।

चौधरी निहाल सिंह तक्षक का निधन थोड़े समय बीमार रहने के पश्चात 90 वर्ष की आयु में 8 अक्तूबर, 2001 को रोहतक, हरियाणा में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवार को सभा की संवेदनाएं प्रेषित करते हैं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने नियम 56 के तहत एक नोटिस दिया है...*(व्यवधान)* हम सभी माननीय सांसदों ने कार्य संचालन नियमावली के नियम 56 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि आज किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, किसानों की बहुत बुरी हालत है, उनकी खरीद नहीं हो रही है...*(व्यवधान)* किसानों के बच्चों के लिए किताबें नहीं हैं, वे कपड़ा तक नहीं खरीद सकते...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमने किसानों के मामले पर सभा में चर्चा की है। कार्य मंत्रणा समिति ने भी इसी सत्र में खरीद नीति पर विचार–विमर्श करने का निर्णय लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव अभी नहीं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में किसान आज भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने नियम 56 के तहत एक नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए पहले ही अनुमति देने से मना किया जा चुका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस मामले को उठाना चाहते हैं तो "शून्यकाल" में उठा सकते हैं। आपके स्थगन प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। क्या कर रहे हैं आप?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसे "शून्य काल" में उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। कृपया "प्रश्न काल" में बाधा न डालिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग क्या कर रहे हैं? ये डिस्टर्बेन्स नहीं तो क्या कर रहे हैं? क्या यह डिस्टर्बेन्स नहीं है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हम नियमन चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम आपको जीरो आवर में मौका देंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव, कार्य मंत्रणा समिति ने भी खरीद नीति पर इसी सत्र में विचार–विमर्श करने का निर्णय लिया है। कृपया बात को समझने की कोशिश कीजिए।

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय एकता परिषद

+

***201. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री अम्बरीश :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक काफी समय से नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अफगान युद्ध के कारण देश में व्याप्त अत्यधिक तनावपूर्ण वातावरण के मद्देनजर, राष्ट्रीय एकता परिषद को पुनरूज्जीवित करने का है; और,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) राष्ट्रीय एकता सम्मेलन तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा बुलाया गया था जिसकी बैठक 28.9.1961 से 1.10.1961 तक हुई थी। इस बैठक में राष्ट्रीय एकता से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करने और उन पर सिफारिशें देने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना होने के बाद से जून 1962, जून 1968, नवम्बर 1980, जनवरी 1984, अप्रैल 1986, सितम्बर 1986, अप्रैल 1990, सितम्बर 1990, नवम्बर 1991, दिसम्बर 1991, जुलाई 1992 और नवम्बर 1992 में अब तक इसकी 12 बैठकें हुई हैं।

राष्ट्रीय एकता परिषद की पहले जो भी बैठकें हुईं वे या तो किसी स्थिति अथवा घटना का पूर्वाभास होने या उसके जवाब में, जो भी स्थिति रही हो, आयोजित की गईं। आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में भी इसकी बैठकें होती रहेंगी।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय एकता परिषद एक निरंतर चलने वाली संस्था है, अतः इसको पुनर्जीवित करने का प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, परिषद का समय-समय पर पुनर्गठन किया जाता है और पिछली बार 1991 में इसका पुनर्गठन किया गया था।

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : महोदय, सरकार के उत्तर में यह बताया गया है कि दस वर्षों से राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई है। जम्मू और कश्मीर में अभी भी हत्याएं हो रही हैं। वास्तव में मुझे बताया गया था कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों यथा-उधमपुर इत्यादि में बाड़ लगाने का निर्णय पहले ही ले लिया गया है। हत्याएं प्रतिदिन हो रही हैं परंतु फिर भी राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई है। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि इन हत्याओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, जहां तक जम्मू और कश्मीर में हत्याओं का संबंध है तो सभी संभव कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। इसका राष्ट्रीय एकता परिषद से कोई सरोकार नहीं है जिसकी नवम्बर, 1992 के पश्चात बैठक नहीं बुलाई गई है। परंतु राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया जा रहा है। बहुत शीघ्र यह गठित हो जाएगी। इसके पश्चात बैठक बुलाई जाएगी। जम्मू और कश्मीर सरकार अथवा सीमा पर स्थिति अथवा उग्रवाद या आतंकवाद से संबंधित जो भी पहलू होंगे उन पर विचार किया जाएगा। परंतु इस समय जहां तक उग्रवाद अथवा सीमा-पार से आतंकवाद और परोक्ष युद्ध का प्रश्न है तो पूरा विश्व जानता है कि सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है और अब स्थिति बहुत बेहतर है। वह नियंत्रण में है। परंतु सीमाओं पर अभी भी पूरी सतर्कता रखी जा रही है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, वह प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह आपसे अच्छा प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : महोदय, अभी भी प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। यदि आप उचित कदम उठाएं तो क्या ये हत्याएं रुक नहीं सकेंगी?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, जम्मू और कश्मीर में संयुक्त कमान मुख्यालय है। ऐसा एक मुख्यालय जम्मू में है और एक कश्मीर में है। चूंकि ये नीचे हैं इसलिए वे निर्णय आतंकवादियों द्वारा अपनाई गई रणनीति के हिसाब से लेते हैं। नीचे तैनात कमांडर भी अपनी स्थितियां बदलते हैं। जहां तक आसूचना का प्रश्न है, उसे भी मजबूत किया गया है। वे सभी कदम उठाए गए हैं। परंतु छद्म युद्ध में कई बार ऐसा होता है और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि आतंकवादी हमें चकित करने, अपने घटनास्थल, समय और लक्ष्य को भी चुनने में लाभ की स्थिति में होते हैं। इसलिए कभी-कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे आम जनता को लगता है कि शायद कुछ भी नहीं किया जा रहा है अथवा आतंकवादी हम पर हावी हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सुरक्षा बल और सेना आतंकवादियों पर हावी हैं और स्थिति नियंत्रण में है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : यह मुख्यतया राष्ट्रीय एकता परिषद से संबंधित प्रश्न है। उत्तर से यह स्पष्ट है कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के पश्चात राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक नहीं हुई है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : सही बात मैं आपको बताऊं? इसकी बैठक नवम्बर, 1992 में हुई थी। उसके पश्चात इसकी बैठक नहीं हुई है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : आप मेरी बात की पुष्टि ही कर रहे हैं। 6 दिसम्बर, 1992 को उन्होंने केवल बाबरी मस्जिद ही नहीं गिराई बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद भी समाप्त कर दी। उन्होंने तब से राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाना उचित नहीं समझा।

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह : आप पहले सरकार में थे, आपने मीटिंग क्यों नहीं बुलाई?

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राष्ट्रीय एकता परिषद की इस संस्था को विशेषकर 6 दिसम्बर, 1992 को जो उन्होंने किया उसके पश्चात असंगत समझती है। सरकार का वास्तविक विचार क्या है? इतने वर्षों से इसकी बैठक क्यों नहीं हुई? यह सरकार तीन वर्षों से शासन कर रही है। इससे केवल उनकी राष्ट्रीय एकता के मकसद के प्रति वचनबद्धता में कमी प्रदर्शित होती है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : 1992 से 1995 तक भिन्न सरकार थी। तब से 1996, 1998 और 1999 में तीन चुनाव हुए। तत्कालीन सरकारें राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन नहीं कर सकीं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : यह कोई उत्तर नहीं हुआ। महोदय, आप मानेंगे कि यह कोई उत्तर नहीं हो सकता।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : कृपया मुझे समय दीजिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। अन्यथा, वह आपको अवश्य संतुष्ट कर देंगे।

मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि 1995 तक स्थिति भिन्न थी। उसके पश्चात 1996, 1998 और 1999 में परिषद का गठन करने हेतु कदम उठाए गए क्योंकि मुख्य मंत्रीगण बदले और कुछ विपक्ष के नेता भी बदले। परिषद की संरचना है—केंद्रीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतागण आदि। अब, राष्ट्रीय एकता परिषद के गठन की प्रक्रिया चल रही है और सरकार इस विषय में बहुत गंभीर है। मैं इतना ही कह सकता हूं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : उत्तर में मेरे प्रश्न की बात नहीं की गई। मैं चाहता हूं कि वरिष्ठ मंत्री यह बताएं कि सरकार राष्ट्रीय एकता परिषद की संस्था के बारे में क्या सोचती है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : राष्ट्रीय एकता परिषद एक निरंतर चलने वाली संस्था है। ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है कि अब राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया है और इसमें अमुक–अमुक शामिल हैं। परंतु इसे आवधिक रूप से पुनर्गठित किया जाता है। इसे पहली बार 1962 में बनाया गया था। 1962 से 1992 तक इसकी ग्यारह या बारह बैठकें हुईं। वार्षिक रूप से भी इसकी बैठक नहीं हुई। इसकी बैठक तभी हुई जब इसकी आवश्यकता महसूस की गई, जब सरकार अथवा विपक्ष ने महसूस किया अथवा जब यह सुझाव दिया गया कि बैठक बुलाई जाए। 1992 से आज तक कोई बैठक नहीं हुई है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्रीय एकता परिषद को ही समाप्त करने का निर्णय ले लिया। यदि हमारे खिलाफ यह आरोप है तो 1992 से 1998 के बीच शासन करने वाले लोगों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जो कि सही नहीं है।

आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस समय प्रक्रिया चल रही है। आवश्यक फाइलों पर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि कतिपय परिवर्तन हुए हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो अपने पद के कारण पदेन सदस्य हैं। सभी मुख्यमंत्री इसमें हैं, प्रधान मंत्री हैं संसद के भीतर अथवा इसके बाहर विभिन्न दलों के नेतागण भी इसमें हैं। परंतु ये बदलते रहते हैं। अतः राष्ट्रीय एकता परिषद के पुनर्गठन की प्रक्रिया इस समय जारी है।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय विकास परिषद तथा राष्ट्रीय एकता परिषद का निर्णय किया था। उन्होंने ये दोनों संस्थाएं इस वजह से बनाईं, क्योंकि संविधान में ऐसे किसी मंच का प्रावधान नहीं किया गया था जहां केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तथा देश में अन्य संगठनों के प्रतिनिधि नीतिगत निर्णय लेने हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक कर सकें। इसी उद्देश्य से इन संस्थाओं का निर्माण किया गया था; संविधान के द्वारा नहीं, संविधि के द्वारा नहीं अपितु पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक प्रशासनिक आदेश के द्वारा।

महोदय, इन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठकें जितनी हुईं उससे अधिक होनी चाहिए थीं। यदि उनकी बैठकें नहीं होती हैं तो उनकी कार्यकुशलता समाप्त हो जाती है, उनकी प्रभावोत्पादकता में कमी आती है। इसीलिए हमारी यह जानने में रुचि है कि क्या सरकार के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाना संभव होगा ताकि जब महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आते हैं तो संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की ही नहीं बल्कि संसद से बाहर के लोगों को लेकर सर्वसम्मति बनाई जा सके जिससे प्रभावी कार्यवाही की जा सके। हमारी दलील यह है कि इसकी बैठकें जितनी अभी हो रही हैं उससे अधिक बार होनी चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इन संस्थाओं के प्रयोजन तथा उद्देश्य समझेगी और संरचनात्मक रूप में उसकी बैठकें अधिक बार बुलाएगी तथा इन परिषदों का कार्यवाही सारांश रिकार्ड करते हुए, उसके पश्चात कार्यवाही सारांश पर कार्यवाही करेगी एवं मंत्रिपरिषद में किए गए निर्णयों पर विचार करेगी?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के सुझाव और सिफारिश को स्वीकार करता हूं। जैसा कि मैंने कहा पुनर्गठन अनिवार्य है जो कि इस समय किया जा रहा है और उसके पश्चात शीघ्र ही हम राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाएंगे।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया : अध्यक्ष महोदय, सीमा पर, लगातार आतंकवादियों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और अफगानिस्तान की अमरीका के साथ जो लड़ाई चल रही है, उसके बाद से लगातार सीमा पर दबाव बढ़ रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस विषय में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : इस सवाल से आपके प्रश्न का कोई संबंध नहीं है।

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष जी, नैशनल इंटीग्रेशन कौंसिल का मकसद देश के सैकुलर फैब्रिक को मजबूत करने और कम्युनल हारमनी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर के बाकी रखने का होता है। इस गर्ज से उसकी मीटिंग की जरूरत जितनी 1992 के बाद थी उतनी 1992 से पहले नहीं थी। 1992 के बाद बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, उसके बाद देश के हालात खराब हुए और जैसा कि सवाल के अंदर है अफगानिस्तान को लेकर अमरीका के हमले हुए थे, उसका भी असर पड़ा, सिम्मी पर आपने पाबंदी लगाई क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि जो लोग आस्ट्रेलिया के अंदर जहाज को लेकर गए, उनमें भी सिम्मी के लोग शामिल थे। बहुत सफाई से तो नहीं कहा, लेकिन जो बात उन्होंने कही, उससे यही अंदाजा होता है कि शायद सिम्मी के लोग उसमें शामिल थे। ऐसे हालत में शक और शुबह का माहौल पैदा हो रहा है और कल खासकर इजरायल ने यासर अराफात के घर पर हमला किया, उसके आफिस पर हमला किया, जो हिन्दुस्तान का पुराना दोस्त है और युनाइटेड स्टेट, जो टैररिज्म के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा देश माना जा रहा है और पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा है कि शायद 11 सितम्बर के बाद ही दुनिया में टैररिज्म पैदा हुआ है, उन हालात में नैशनल इंटीग्रेशन कौंसिल की बैठक करने की ज्यादा जरूरत पैदा हो रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आलवी जी, आपका प्रश्न क्या है?

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष जी, मेरा सवाल यह है कि नैशनल इंटीग्रेशन कौंसिल की मीटिंग कब बुलाएंगे, हाउस को स्पेसिफिक यह बताया जाए क्योंकि लीडर्स व चीफ मिनिस्टर्स तो बदलते रहेंगे, लेकिन मीटिंग कब बुलाएंगे, कितने दिन के अंदर बुलाएंगे, इसको कब तक मुकम्मल रूप से कांस्टीट्यूट करेंगे, यह बात पूरे हाउस को बताने का कष्ट करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मैं पूर्व प्रश्नों के उत्तर में कह चुका हूं कि इस समय नैशनल इंटीग्रेशन कौंसिल रीकौंस्टीट्यूट हो रही है और उसके रीकौंस्टीट्यूट होने के तुरंत बात बुलाई जाएगी।

श्री राशिद अलवी : मेरा सवाल था कब तक होगी, क्या इसके लिए कोई टाइम बताएंगे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जल्दी होगी।

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, नैशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का ऑब्जैक्टिव था कि माननीय मुख्य मंत्री विभिन्न राजकीय पक्षों के नेताओं को विश्वास में लेंगे तो क्या सरकार आतंकवाद या तालिबान, ऐसे विषयों पर मुख्य मंत्री और राजकीय पक्षों के नेताओं को अन्य पद्धति अथवा मार्गों से विश्वास में लेती है? मुख्य मंत्रियों की परिषद बुलाना और ऐसे विशेष महत्व के प्रश्नों में वह उनको किस प्रकार विश्वास में लेती है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आतंकवाद के सवाल को साम्प्रदायिकता से न मिलाएं। आतंकवाद का सवाल अलग है, वह साम्प्रदायिकता से जुड़ा हुआ नहीं है। साम्प्रदायिकता का सवाल, जातिवाद का सवाल, क्षेत्रवाद का सवाल, ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में नैशनल काऊंसिल चिंता करती रहती है, यहां तक कि एक समय पर क्षेत्रवाद पर भी एक समिति बनाई गई लेकिन बाद में नैशनल इंटीग्रेशन काऊंसिल ने तय किया कि इसकी जरूरत नहीं है। साम्प्रदायिकता पर बनाई गई, फिर भी कहा गया कि अब इसकी जरूरत नहीं है। अब चीन के समय में सब सम्प्रदाय एक हो गए, इसलिए अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने अलग-अलग फेजेज में ऐसा भी देखा है। मैं इस संदर्भ में इतना कह सकता हूं कि पिछले दस सालों में अलग-अलग पार्टियों की सरकारों ने अगर आवश्यकता महसूस नहीं की और नहीं किया तो शायद इसलिए क्योंकि उनको लगता होगा कि साम्प्रदायिकता घटती जा रही है। मैं इतना कह सकता हूं कि मुझे इसी सवाल के संदर्भ में जब आंकड़े देखने का मौका मिला तो मैंने देखा कि प्रति वर्ष देश भर में कितनी साम्प्रदायिक घटनाएं होती हैं, उसका एक हिसाब रखा जाता है और सन् 1990 में अगर 2000 से अधिक घटनाएं हुईं तो सन् 2000 में, दस साल बाद पांच सौ घटनाएं हुईं, एक-चौथाई घटनाएं हुईं। हमने यह कभी नहीं सोचा कि नैशनल इंटीग्रेशन काऊंसिल की जरूरत नहीं है। फिर भी हमने नैशनल इंटीग्रेशन काऊंसिल बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं और जैसा मैंने सदन को कहा कि हम उसे बनाकर उसकी बैठक फिर से बुलाएंगे।

केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों का गलत इस्तेमाल

***202. प्रो. दुखा भगत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों का उपयोग उस प्रयोजनार्थ नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए इन केन्द्रीय बलों को गठित, प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त बलों के सही इस्तेमाल के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) समग्र सुरक्षा परिदृश्य और उसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती के कारण विशिष्ट प्रयोजनों के लिए खड़े किए गए सुरक्षा बलों को आंतरिक सुरक्षा पर लगाना आवश्यक हो गया है।

(ग) सरकार ने केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों को अगले 5 वर्षों के दौरान चरणबद्ध रूप से बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस बढ़ोत्तरी के बाद, इन बलों को उनकी प्राथमिक ड्यूटियों पर भेजना संभव होगा।

[हिन्दी]

प्रो. दुखा भगत : अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों का गठन जिस कार्य के लिए किया जाता है, उन्हें उसमें न लगाकर अति–विशिष्ट व्यक्तियों, दूतावास, बैंक आदि में उपयोग किया जाता है, जिस राज्य में अर्द्धसैनिक बलों की आवश्यकता पड़ती है, वहां अर्द्धसैनिक बलों की कमी से, विशेषकर झारखंड राज्य की जनता अर्द्धसैनिक बलों की कमी से प्रतिदिन त्रस्त है, डरी और सहमी हुई है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार झारखंड राज्य के लिए अर्द्धसैनिक बलों के बारे में क्या कर रही है?

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव : राज्य सरकार को कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश, अधिकतर राज्यों में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती अनिवार्य हो गई है, इसलिए, इस स्थिति से कारगर ढंग से निपटने के लिए कतिपय बलों को लगाया गया है।

जहां तक झारखंड का संबंध है, राज्य में सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लेने के बाद और बलों की उपलब्धता के अनुसार, झारखंड राज्य में स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बलों को तैनात किया गया है।

[हिन्दी]

प्रो. दुखा भगत : झारखंड राज्य में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल अधिक से अधिक दिए जायें और वहां की स्थिति पर केंद्र सरकार विशेष रुचि ले। वह नया राज्य है, इसलिए उस राज्य में अर्द्धसैनिक बल अधिक मिलें, इसके लिए सरकार कितनी संख्या उसमें बढ़ाने वाली है, मैं जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, झारखंड के मुख्यमंत्री, लगातार केन्द्र सरकार के संपर्क में रहे हैं, वहां हाल में नक्सलवादी ताकतों के कारण हिंसा की घटनाएं हुई हैं। राज्य सरकार की सहायता के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसे किया जा रहा है, इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं होगी, यह बिलकुल सच है कि केंद्र के पास उपलब्ध सभी अर्द्धसैनिक बलों को इष्टतम सीमा तक तैनात किया जाना है। सभी क्षेत्रों की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : जो आतंकवादी इलाके हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और सात नोर्थ ईस्टर्न राज्यों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों को मानसिक या शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आतंकवादियों ने उनको घेरा हुआ है, जिससे वे अपना संतुलन खो रहे हैं। अभी हमने पेपर में पढ़ा था कि वे अपने जवान साथियों और आफिसरों की हत्या कर रहे हैं। इसके बारे में आपकी जानकारी क्या है और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या करने वाले हैं? क्या इसके लिए आपने कोई समिति गठित की है या आपने वहां जाकर जांच की है और इसको रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए, ऐसी प्रार्थना है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जो लोग भी सुरक्षा के काम में लगते हैं और काफी समय तक सीमा पर या इस प्रकार की परिस्थितियों में रहते हैं, वे सेना के सैनिक हों, चाहे अर्द्धसैनिक बलों के आफिसर हों, उनके ऊपर, जिसको साइक्लोजिकल स्ट्रेन कहना चाहिए, वह बहुत ज्यादा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कभी–कभी असंतुलन के उदाहरण भी मिल जाते हैं, लेकिन उन असंतुलन के उदाहरणों को जनरलाइज नहीं करना चाहिए, ऐसा करके हम उनके प्रति अन्याय करेंगे, लेकिन इस पहलू को हमेशा ध्यान में रखकर यहां तक कि पैरा मिलिट्री फोर्स में ही मैंने गृह मंत्रालय में आने के बाद देखा है कि स्पेशली इस प्रकार के साइको ट्रीटमेंट के हॉस्पिटल भी बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन इसे जनरलाइज करना उचित नहीं होगा।

[अनुवाद]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : महोदय, सरकार ने अपने उत्तर के भाग (ग) में स्वीकार किया है कि केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों में आगामी पांच वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की जाएगी और उसके बाद इन बलों को उनके प्राथमिक कार्य में लगा दिया जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उन्हें उस प्रायोजनार्थ प्रयोग नहीं किया जा रहा है जिसके लिए उन्हें गठित किया गया है। सैन्य बलों के मुख्यालय से भी ऐसे प्रस्ताव हैं।

श्री सुब्रामण्यम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख है कि सैन्य कर्मियों को 15 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति दे दी जाती है, वे 35 से 40 वर्ष की आयु में ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसलिए, अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती की जानी चाहिए और उन्हें सीमा पर उसी कार्य में लगाया जाना चाहिए जिस प्रयोजन हेतु लगाया जाना अपेक्षित है। संबंधित प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास पड़े हैं। अन्यथा भी उनसे यह आशा की जाती है कि उनका उपयोग उनकी मूल भूमिका के लिए किया जाना चाहिए, क्या सरकार श्री सुब्रामण्यम द्वारा करगिल के संबंध में प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकार करती है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे सुब्रामण्यम रिपोर्ट की जानकारी है। लेकिन अर्द्धसैनिक बलों और उनकी आवश्यक संख्या की समस्या के बारे में और अधिक व्यापक अध्ययन उस समय किया गया था जब समग्र रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या पर विचार करने हेतु मंत्री समूह का गठन किया गया था, इस प्रयोजनार्थ गठित कृतिक बल ने कतिपय सिफारिशें की हैं और इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि यदि ये सिफारिशें लागू की जाती हैं तो हम आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सभी समस्याओं को निपटाने और सीमा सुरक्षा बल जैसे अर्द्धसैनिक बलों को सीमा पर कार्य हेतु अनिवार्य रूप से लगाने और उन्हें उग्रवाद का मुकाबला करने और आंतरिक सुरक्षा के मामलों में कम तरजीह देने जैसे मामले सुनिश्चित कर सकेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नाडिया, मुर्शीदाबाद, माल्दा और अन्य ऐसे क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बलों ने पिछले वर्षों में कई सिविलियन मारे हैं और यह आम बात हो गई है, इससे सीमा सुरक्षा बल और सिविलियनों के बीच सीमा पर तनाव पनप रहा है, इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पूर्वी क्षेत्र की लंबी सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल कर्मियों और अन्य सुरक्षा बलों की बहुत अधिक संख्या में आवश्यकता है और क्या सरकार को राज्य सरकारों से सीमा सुरक्षा बल की और अधिक तैनाती के संबंध में निवेदन प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री सीएच. विद्यासागर राव : जहां तक पहले अनुपूरक प्रश्न का संबंध है, यह मुख्य प्रश्न से पूरी तरह अलग है, जहां तक दूसरे अनुपूरक प्रश्न का संबंध है तो मंत्री समूह द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार कई कदम उठाने के बाद, सरकार ने तीन कदम उठाए हैं। पांच वर्ष की अवधि में 209 अतिरिक्त बटालियनों की स्थापना करने का प्रस्ताव है, इस बारे में प्रक्रिया जारी है।

दूसरे, सैन्य बलों के सुदृढ़ीकरण के संबंध में राज्य सरकार को "इन्डियन रिजर्व बटालियन" दी गई है, तीसरा, यह कि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए भी हम धन दे रहे हैं, इन तीन कदमों से दो या तीन वर्षों में राज्य आत्मनिर्भर हो जाएंगे और विभिन्न राज्यों में जिन बलों की तैनाती की गई है उन्हें अपने मूल कार्य पर वापस भेज दिया जाएगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं सभा के उन सभी सदस्यों से संबंधित एक प्रश्न उठाना चाहता हूं जो चुनाव लड़ते हैं।

महोदय, मैं माननीय गृहमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई वर्तमान प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत चुनावों के दौरान संवेदनशील बूथों में गड़बड़ी को रोकने के लिए संबंधित राज्यों के माध्यम से चुनाव आयोग की सिफारिश पर अर्द्धसैनिक बलों को उनकी उपलब्धता के अनुसार तैनात किया जाता है। इसके कारण, संवेदनशील बूथों में निर्वाचकों का विश्वास बढ़ जाता है लेकिन वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार जब तक स्थानीय पुलिस उन्हें कार्यवाही का आदेश नहीं देती तब तक वे कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। वे वहां कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि अर्द्धसैनिक बलों को यह निदेश दिए जाएं कि उन्हें पीठासीन अधिकारी या पर्यवेक्षक की बात ही सुननी चाहिए और उसी के अनुसार स्थिति से निपटना चाहिए तो चुनाव और भी निष्पक्ष हो सकते हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी, मैं अपने अनुभव के आधार पर सभी सदस्यों को ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जब अर्द्धसैनिक बल वहां जाते हैं और उनकी उपस्थिति में ही गड़बड़ी चलती रहती है लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्थानीय पदाधिकारी

सत्ताधारी दल या संबंधित राज्य के मंत्री के भय के कारण निदेश नहीं देते हैं, अतः सम्पूर्ण चुनाव हास्यास्पद बन जाता है। इसलिए, क्या सरकार इस मामले की समीक्षा करेगी और निर्वाचन आयोग से इस बारे में बात करेगी कि जिस संवेदनशील बूथ में चुनाव के दिन अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया जाए, वहां उन्हें पीठासीन अधिकारी या पर्यवेक्षक की बात ही सुननी चाहिए और स्थानीय प्राधिकारियों के निदेशों को नहीं सुनना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, पीठासीन अधिकारी भी किसी व्यवस्था से संबंधित होता है और आज यदि किसी राज्य सरकार की सदाशयता पर प्रश्न उठाया जाना है और इस कारण यह कहा जाता है कि इसे आयोग के अतिरिक्त कोई नहीं चला सकता है तो यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में निश्चित रूप से वर्तमान संविधान केंद्र सरकार को कदम उठाने की अनुमति नहीं देता है। जब तक सभी मुख्य मंत्री उस बात से सहमत नहीं होते हैं कि चुनाव के दौरान उद्देश्य–परकता को सुनिश्चित करने के लिए, निष्पक्षता की गारंटी हेतु अमुक–अमुक कदम उठाए जाएं और इन अधिकारों को निर्वाचन आयोग को दिया जाना चाहिए और राज्य सरकार या राज्य पुलिस का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए तथा अर्द्धसैनिक बलों को ही अधिकार दिए जाएं, आदि तब तक हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश है, इसकी प्रासंगिकता किसी विशेष राज्य में हो सकती है, लेकिन पूरे देश में यदि इसे अपनाया जाना है तो इस संबंध में केंद्र सरकार मुख्य मंत्रियों की सिफारिश पर ही कुछ कर सकती है अन्यथा नहीं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री को ही उदाहरण दे सकता हूं...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे इसकी जानकारी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, पिछले चुनावों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक कार्मिक ने मुझे बचाया था...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे इसकी जानकारी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं उसके कारण बच सका, अन्यथा मैं मारा जाने वाला था और राज्य पुलिस...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री को इस बात की जानकारी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इस मामले पर, मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस मामले में मुख्य मंत्रियों से वार्ता क्यों नहीं कर ली जाए, इस वार्ता से चुनावों की निष्पक्षता के बारे में उपयुक्त सिफारिशें की जा सकती हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, चुनाव सुधार के मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ कई ऐसी बैठकें की गई हैं, जिनमें ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं। यदि माननीय सदस्य इसी विशेष सिफारिश को लाते हैं कि राज्य पुलिस की बजाय, निर्वाचन आयोग के पीठासीन अधिकारी के निदेश के अनुसार अर्द्धसैनिक बलों को कार्यवाही करनी चाहिए तो इस पर हम विचार करने के इच्छुक हैं। इसमें हमारी रुचि है कि चुनाव और अधिक निष्पक्ष हों और हम इस बात में भी रुचि रखते हैं कि जिन अर्द्धसैनिक बलों को निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित करने के कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है वे उसमें अपना योगदान दे सकें। प्रायः राज्य सरकार के कारण, वे ऐसा नहीं कर पाते हैं।

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मूल प्रश्न है कि पैरा मिलिट्री फोर्सेज की जो कमी है, उसका मूल पर्पज राज्य सरकारों की इंटरनल समस्याओं को मीट करने के लिए है जिसकी वजह से राज्य सरकारों को पैरा मिलिट्री फोर्सेज प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे राज्यों को जैसे बिहार है, खासकर मध्य बिहार में दो साल पहले पैरा मिलिट्री फोर्सेज को विदड्रॉ किया गया था और वहां की डिस्ट्रिक्ट पुलिस नक्सलवादियों को फेस करने का साहस नहीं कर पा रही है। अभी हाल ही में जहानाबाद, पटना, चतरा और गया इन जगहों की पुलिस की जीपें लैंड माइन्स के द्वारा उड़ा दी गईं। इसलिए वहां पैरा मिलिट्री फोर्सेज की इतनी सख्त आवश्यकता है कि उस इलाके में वहां एनार्की है और वहां की जिला पुलिस डीमोरेलाइज्ड है। उनके पास जो हथियार हैं, वे भी कमजोर हैं और वह उनका सामना नहीं कर पाती है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकारों को मिलिट्री फोर्सेज की जितनी आवश्यकता है और जितनी क्रिटिकल सिचुएशन वहां है, क्या उस स्थिति में वहां पैरा मिलिट्री फोर्सेज सरकार भेजने का काम करेगी या नहीं करेगी?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इन सब पहलुओं पर टास्क फोर्स ने और ग्रुप मिनिस्टर्स ने विचार किया था कि जब यह पैरा मिलिट्री फोर्सेज क्रिएट किए गए थे तो उस समय राज्यों

में इतनी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन पिछले बीस सालों में आंतरिक सुरक्षा और इंसर्जेंसी की समस्याएं इतनी बढ़ती गई हैं जिसके कारण ये अपर्याप्त हो गए हैं और इसीलिए रिकमंडेशंस की गई हैं कि आगे आने वाले पांच सालों में और अधिक बटालियंस क्रिएट की जानी चाहिए लेकिन आज जितनी उपलब्ध हैं, वे इम्पार्शियल ढंग से सभी स्टेट्स को उपलब्ध कराई जाती हैं।

[अनुवाद]

पटना संपत्ति कर योजना का कार्यान्वयन

+

*203. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
मोहम्मद शहाबुद्दीन :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र की विश्व के शहरों से संबंधित रिपोर्ट–2001 (यू.एन. स्टेट ऑफ द वर्ल्ड सिटिस रिपोर्ट–2001) में पटना में कार्यान्वित की जा रही संपत्ति संबंधी किसी कर योजना की संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रशंसा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने भी पटना संपत्ति कर योजना को अपने राज्यों में कार्यान्वित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केंद्र सरकार ने पटना संपत्ति कर योजना का कोई अध्ययन किया है ताकि अन्य राज्य सरकारों का ध्यान भी इसके कार्यान्वयन की ओर आकर्षित किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र मानव बसाव केंद्र (हैबिटाट) द्वारा प्रकाशित "द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स सिटीज, 2001" प्रकाशन में "सपंत्ति कर का क्षेत्रफल आधारित आकलन–पटना, भारत" को बेहतरीन पद्धतियों में से एक पद्धति के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस लेख में क्षेत्रफल आधारित विधि को अपनाकर संपत्ति कर के आकलन के सरलीकरण के लिए पटना नगर निगम द्वारा की गई पहल पर चर्चा की गई है। संपत्ति कर का पटना मॉडल अवस्थिति, निर्माण के वर्गीकरण और संपत्ति उपयोग पर आधारित है।

(ग) से (च) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक संपत्ति कर सुधारों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश अन्य के साथ–साथ क्षेत्रफल आधारित संपत्ति कर मॉडल के बारे में है। इस विधि के अंतर्गत निर्मित संपत्तियों (रिहायशी और गैर–रिहायशी दोनों) पर कर को (i) धारिता अवस्थिति; (ii) धारिता उपयोग; (iii) निर्माण की किस्म; (iv) भवन का कार्पेट क्षेत्रफल जैसे घटकों से जोड़ा गया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसरण में बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे अनेक राज्यों में संपत्ति कर सुधार कार्यान्वयन प्रक्रिया में हैं।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जो प्रश्न का जवाब दिया गया है, वह पर्याप्त नहीं है। बिहार जैसा राज्य जिसके बारे में कहा जाता है वह काफी गरीब राज्य है और वहां आर्थिक तंगी है और बिहार राज्य में पटना म्युनिसिपल कारपोरेशन के प्रशासक सुनील कुमार सिंह ने पटना को मॉडल शहर बनाने के लिए और देश में मॉडल शहर बनाने की जो कल्पना की, उसका एक ढांचा तैयार किया जिसकी प्रशंसा दि स्टेट ऑफ वर्ल्ड ने की और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस ढांचे की प्रशंसा की है और उन्होंने बताया कि केवल जो रिहायशी इलाके में कारपोरेट एरिया है, उसमें टैक्स लगा देने से काफी विकास 3 करोड़ से चालीस करोड़ हो जाता है। क्या सरकार ने एसी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए देश के और राज्यों को निर्देशित किया है? मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार सुनील कुमार सिंह जैसे लोग जिन्होंने एक आदर्श मॉडल दिया है और जिसकी प्रशंसा सुप्रीम कोर्ट ने की है और दि स्टेट ऑफ वर्ल्ड ने की है, क्या उनको पुरस्कृत करेगी?

श्री अनन्त कुमार : पटना प्रशासन ने एक सराहनीय प्रयास किया है और इस सराहनीय प्रयास को देश भर में लागू करने के लिए हमने गाइडलाइन्स 1998 में जारी की

हैं। उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में यह पद्धति जारी है।

श्री राम प्रसाद सिंह : माननीय मंत्री जो कागज में लिख देते हैं, वही उत्तर देते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सुनील कुमार को पुरस्कृत करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी प्रशंसा की है और दि स्टेट ऑफ वर्ल्ड ने प्रशंसा की है। दूसरा सवाल है कि स्टेट गवर्नमेंट की आर्थिक तंगी की वजह से राज्य सरकारों की जो असमर्थता रहती है, क्या ऐसी योजना को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार क्या उन शहरों को अपनी ओर से आर्थिक मदद देने की इच्छा रखती है?

श्री अनन्त कुमार : इसमें आर्थिक मदद देने की कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि संपत्ति कर हर स्थानीय संस्था का एक मेनडेट है।

[अनुवाद]

इसलिए, उन्हें इस मामले को संपत्ति कर प्राधिकारियों के माध्यम से लेना चाहिए। मैंने इस सुझाव को नोट कर लिया है।

श्री लक्ष्मण सेठ : महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को कर सुधारों के लिए दिशानिदेश जारी किए हैं, जहां तक संविधान के अनुच्छेद 285 का संबंध है, भारत सरकार की संपत्ति पर स्थानीय निकाय और नगर निकाय संपत्ति कर लगाने के लिए अधिकृत नहीं है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार संविधान के इस विशेष अनुच्छेद में संशोधन करने पर विचार कर रही है जिससे कि नगर निकाय भारत सरकार की संपत्ति पर कर लगा सकें।

श्री अनन्त कुमार : हम ऐसी किसी बात पर विचार नहीं कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मण सेठ : यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्यथा, सभी नगर निकायों को भारी घाटा होगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय जो महानगर पालिकाएं और नगर पालिकाएं हैं, उनमें लोकल विकास का काम नहीं हो पा रहा है। वहां कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए क्या कोई नया कानून और खास तौर से उत्तर प्रदेश के लिए कोई ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे कि वहां पर उनको विशेष अनुदान दिया जा सके, वहां के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके और कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, उसको पूरा किया जा सके?

श्री अनन्त कुमार : माननीय सदस्य का प्रश्न मुख्य प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में गुजरात का भी नाम दिया था और गुजरात के सूरत शहर को ए सिटी का अवार्ड मिला था। जो प्रपोजल आपके पास आया है, उसके द्वारा अहमदाबाद शहर को भी क्या उसी तरह से ए सिटी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता देने का विचार है?

श्री अनन्त कुमार : प्रश्न संपत्ति कर के बारे में है और सहायता के बारे में नहीं है।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस

\+

***204. श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 8 सितंबर, 2001 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर कोई योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, 8 सितम्बर को इंटर–नेशनल–लिट्रेसी–डे पर माननीय मानव संसाधन मंत्री महोदय ने भाषण दिया था। उस समारोह में माननीय उपराष्ट्रपति जी शामिल थे और हमारी एक सदस्या, मि. कौर भी शामिल थी। उसमें आपने कहा था–

[अनुवाद]

> "एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ–साथ गैर–सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों, पंचायतों और लोगों की साझेदारी भी होनी चाहिए। उन्होंने वर्ष 2005 तक पूर्ण साक्षरता के बारे में देश के संकल्प को भी दोहराया था।"

मैं उस भाषण को बड़े गौर से सुन रहा था और हाल ही में आपने 93वां संविधान संशोधन पर 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निशुल्क शिक्षा के बारे में विचार व्यक्त किये। लेकिन हमारे दिल में एक संदेह है, चार साल बाकी हैं और आदिवासी और दलित लोगों के शिक्षण के बारे में आपने क्या प्रयास करने का तय किया है, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने याद दिलाया था–"स्वामी विवेकानंद ने कहा था–शिक्षा उन लोगों के घर तक ले जानी चाहिए, जो अंधेरे में रहते हैं। उनके घर तक उनके द्वार तक शिक्षा ले जानी चाहिए।" मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, हम खाली भाषणबाजी करके जो नीचे तबके के लोग हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उन तक संपूर्ण लिट्रेसी किस तरह से लाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह निवेदन कर दूं कि हमारी सरकार की नीति सन् 2010 तक देश को संपूर्ण साक्षर बनाने की है। अंतर्राष्ट्रीय नीति 2015 तक के लिए है। मैं समझता हूं कि सन् 2005, 2015 और 2010 अखबारों में कहा गया है।...*(व्यवधान)* यह प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समूचे विश्व को साक्षर बनाने के लिए सन् 2015 का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हमने उसे सन् 2010 तक के लिए एडवांस कर दिया है। हम सन् 2010 तक इस काम को पूरा करेंगे। कारण यह कि पिछले दशक में हमारे देश में साक्षरता बढ़ी है और अभी सन् 2001 में जनगणना के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, उससे लगभग 66 प्रतिशत भारत में साक्षरता की दर आ गई है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ राज्यों में और कुछ वर्गों में साक्षरता की दर काफी कम है। मिसाल के तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं, जहां अभी साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इसका भी एक मुख्य कारण है, जैसा आपने भी बताया है, कि हमारे देश के आदिवासी और परिगणित जातियों में उनकी महिलाओं में तथा अल्पसंख्यक महिलाओं में साक्षरता की दर काफी कम है। इसके लिए सर्वशिक्षा अभियान, शिक्षा गारंटी योजना, लोक जुम्बिश योजना और शिक्षा कर्मी आदि तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे इन वर्गों और इन महिलाओं पर अधिक ध्यान दिया जा सके। हमारी इन योजनाओं में एक विशेष बात यह है कि एक किलोमीटर से दूर अगर कहीं विद्यालय है और उस गांव में भले ही 300 से कम जनसंख्या पिछड़े स्तर के बच्चों की है, इसको भी हमने घटा दिया है। अगर कोई बस्ती है, हैबिटेट है, पुरवा है, एक किलोमीटर से अधिक दूर जाना पड़ता है, तो वहां भी हम शिक्षा पहुंचाएंगे। इसके लिए 13–14–15 योजनाएं बराबर चल रही हैं। उन पर हमारा बल है, आग्रह है, हम यह भी चाहेंगे कि राज्य सरकारों की तरफ से जो काम किया जा रहा है, उसको प्रोत्साहित करें। इसीलिए पिछले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हमने एक–दो को पुरस्कृत करने की जो व्यवस्था थी, उसको बढ़ा दिया है। ऐसे जिलों को पुरस्कृत किया है, तो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, जिन्होंने पुरुष और महिलाओं के बीच साक्षरता की दर को बढ़ाया है, जिन्होंने परिगणित जनजाति और अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा की दर को बढ़ाया है। इसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इस बारे में अगर माननीय सदस्य कुछ सुझाव देना चाहें कि यह काम और करना चाहिए, तो सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि हमारा इरादा है कि इस देश के किसी वर्ग, किसी समूह, किसी लिंग, किसी भाषा या किसी भी जाति को अशिक्षित छोड़ना नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक को साक्षर और शिक्षित बनाना है, इस दृष्टि से अगर आप कोई और सुझाव देना चाहेंगे तो हम जरूर उसे स्वीकार करेंगे।

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, नेशनल पालिसी ऑन एजूकेशन 1986 में हो गई थी। उसमें शिक्षा के बारे में बहुत से सुझाव थे कि 21वीं सदी में हम इरेडीकेशन ऑफ इलिट्रेसी दूर करेंगे, इस प्रकार का नौवें प्लान में आश्वासन दिया था। अभी 10वां प्लान आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय नवंबर एंड में मिड डे मिल्स का दिया है। आपने सुझाव मांगा है, इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं। इस देश में गरीबी का स्तर इतना नीचे है, इसलिए महाराष्ट्र में हमने एक स्कीम चलाई कि जो जनजाति के लोग हैं, विशेषकर जो महिलाएं

और लड़कियां प्राथमिक स्कूल में जाएंगी, उन्हें एक रुपया रोजाना दिया जाएगा, क्योंकि जो गरीब तबके के आदिवासी, हरिजन और दलित वर्गीय लोग होते हैं, ये लोग छोटे बच्चों को रोजगार के लिए काम पर भेजते हैं, इससे उनकी शिक्षा में रुकावट आती है। इसलिए जब तक हम इस तरह का प्रावधान नहीं करते हैं तब तक छोटे बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पहला मेरा सुझाव पकाया हुआ मिड डे मिल्स देने का है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि भारत सरकार इतनी पूंजी खर्च करती है तो इस देश के गरीब बच्चों को–चाहे आदिवासी हो, माइनोरिटी के हों, मैं बिलो पावर्टी लाईन कहता हूं, दलित हों, इन लोगों को रोजाना एक रुपये इनके घर में दें, जो बच्चा स्कूल में आएगा उसे देंगे। इस तरह की एक स्कीम निकाल कर, कुछ प्रयास करके पूरा इरेडीकेशन हो, जो अनएजुकेटेड हैं उनके लिए यही प्रयास हो सकता है अन्यथा 2025 तक भी पूर्ण इरेडीकेशन नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरा मंत्री जी को सुझाव है। अभी मंत्री जी उठ कर बोलने वाले हैं कि मैं स्वीकार करता हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसे आप स्वीकार करेंगे और जल्द से जल्द इम्पलीमेंट करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह केवल एक सुझाव है। मैं समझता हूं उनका कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उस पर मुझे बताना होगा, क्योंकि मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम और यह स्कीम सरकार की ओर से कई वर्षों से चलाई जा रही है। हम उसके लिए राज्यों को अनाज देते हैं और उसे बच्चों तक पहुंचाना, हमारी अपेक्षा है कि पके–पकाए भोजन के तौर पर पहुंचाएं। लेकिन कुछ राज्यों में पके–पकाए भोजन की व्यवस्था है, कुछ में नहीं है, वे अनाज ही बच्चों को देते हैं। इस योजना में 3 लाख 22 हजार स्कूलों में तीन करोड़ 34 लाख बच्चे हमारे आने से पहले कवर हो रहे थे। 2000–2001 में 576 जिलों के सात लाख 92 हजार स्कूलों में यह संख्या बढ़ कर दस करोड़ 50 लाख हो गई है। हमने इसमें इस साल के लिए 930 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैंने देश के सभी संस्थानों से, जिन्हें आप स्वयं सेवी संस्थान या एनजीओज़ कहते हैं तथा मंदिरों, मस्जिदों एवं गुरुद्वारों से अपील की है, मैं सबसे अपील करता हूं कि इस योजना में हमारे जो भी एनजीओज़ आगे आएंगे उन्हें हम सहायता करेंगे। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह कभी जाएं और कर्नाटक के इसकॉन मंदिर की योजना को देखें। जिसने पहले दस हजार बच्चों को भोजन देने की बात की थी और अब बढ़ा कर 20–25 हजार बच्चों को पका–पकाया भोजन गांवों में पहुंचा रहे हैं। उन्होंने आशा की है कि वे 50 हजार बच्चों तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसका नतीजा यह हुआ है कि कर्नाटक की सरकार ने सात जिलों में स्वयं पका–पकाया भोजन आदिवासी और गरीब बच्चों को देने के लिए स्वीकार किया है। तमिलनाडु की सरकार पका–पकाया भोजन बहुत सालों से बराबर दे रही है। हमारा इस बारे में पूरा प्रयास है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में पोषण आहार के लिए पूरा दबाव डाला गया है।...*(व्यवधान)* हम अनाज दे रहे हैं, सौ ग्राम प्रति बालक के हिसाब से उसे पोषण मिले, जो एक रुपये से ज्यादा है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है।

श्रीमती जस कौर मीणा : माननीय अध्यक्ष जी, सन 1990 के दशक में अनेकों प्रकार के अभियान और योजनाएं चलाई गईं जैसे संपूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता, सतत शिक्षा, सर्व शिक्षा आदि। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के माध्यम से और केंद्रीय सरकार के माध्यम से राज्य सरकारों को कौन–कौन सी स्कीमों के अंतर्गत कितना धन दिया जाता है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी जानना चाहती हूं कि शिक्षा को राज्य का विषय राज्य सरकारों ने माना हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र के धन से वहां जो भी शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, उसका सही–सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में मैं यह जानना चाहता हूं कि गांवों के लोग और आदिवासी यह नहीं समझते हैं कि सतत शिक्षा क्या है, सर्व–शिक्षा क्या है, लोक–जुंबिश क्या है, शिक्षा–कर्मी क्या है? मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि राज्यों में जिस तरह से इन योजनाओं का विस्तार हो रहा है वह विस्तार कभी भी साक्षरता या शिक्षा को महत्व नहीं दे पाएगा। इसलिए मैं यह जानना चाहती हूं कि इन सब स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को कितना–कितना धन दिया जा रहा है और क्या उसमें सामूहिक सहभागिता को भी जोड़ा गया है?

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष जी, सम्माननीय सदस्यों ने विभिन्न राज्यों को कितना धन दिया गया है उसकी जानकारी मांगी है। उसके लिए मुझे अलग से पत्र लिख दें या अलग से नोटिस दें तो मैं जानकारी दे दूंगा, क्योंकि वह इस प्रश्न

से संबंधित नहीं है। लेकिन 9वीं पंचवर्षीय योजना में कुल धन 16369 करोड़ रुपया प्लान के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दिया गया है और इसमें से 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक हम खर्च कर चुके हैं और अभी कई महीने बाकी हैं। इधर के दो–तीन महीनों के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। इसलिए जितना धन हमें आवंटित हुआ था उसका अधिकांश हमने उपयोग किया है तथा और धन की हमें आवश्यकता है। अगर हमें और धन मिलेगा तो हम उसका भी उपयोग करेंगे। हमारी स्कीमों को अगर राज्य सरकारें नहीं ले जा पा रही हैं तो सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने–अपने राज्यों में अपनी–अपनी राज्य सरकारों से भी अनुरोध करें, दबाव डालें जिससे यह काम आगे चले।

[अनुवाद]

डॉ. डी. वी. जी. शंकर राव : प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में 93वां संशोधन करने की प्रशंसनीय भूमिका के लिए सरकार की सराहना के साथ, महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार निःशक्त लोगों के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है क्योंकि हमारी जनसंख्या का दस प्रतिशत भाग मानसिक और शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति ही हैं। इसलिए इस संबंध में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और विकलांग बच्चों के लिए हमने शिक्षा में विशेष व्यवस्था की है। फिलहाल इस कार्य का संचालन मेरे मंत्रालय के साथ–साथ अन्य मंत्रालयों के द्वारा भी होता है जो सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण के मंत्रालय हैं। हमने कोशिश की है कि विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड टीचर्स मिल सकें। उनके वास्ते भी हमने नई ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। आपको जानकर खुशी होगी कि विकलांग बच्चों का एक ओलम्पिक इस देश में सन 2003 में होगा। जिसमें हम आपको आश्वासन देते हैं कि भारत के विकलांग बच्चे दुनिया के अन्य विकलांग बच्चों से तथा समर्थ बच्चों से पीछे नहीं रहेंगे।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस : मणिपुर और विशेषकर केरल ऐसे दो राज्य हैं जिन्होंने शत–प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर ली है। अब हम इसका और अधिक विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, मेरे पास समय कम है, क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या केंद्र सरकार केरल सरकार और केरल जैसे राज्यों जिन्होंने इस सीमा तक साक्षरता प्राप्त कर ली है, पर विशेष ध्यान और सहायता देने पर विचार करेगी। उन्होंने शिक्षा पर काफी व्यय किया है। क्या सरकार केरल राज्य पर विशेष ध्यान देगी और केरल सरकार को विशेष सहायता देगी?

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : हम इन योजनाओं के अंतर्गत सभी राज्यों को प्रोत्साहन देंगे, उन्हें जो देय होगा हम उसे उन्हें देंगे। यदि वे विशेष योजनाओं के साथ आगे आते हैं तो हम उन पर विचार करेंगे।

श्री ए. सी. जोस : हमारे पास विशेष साक्षरता आदि की योजनाएं पहले से ही हैं। हमने इसे पहले ही कर दिया है। प्रोत्साहन क्या हैं?...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यदि केरल सरकार हमारे मानदंडों के अंतर्गत कोई योजना शुरू करती है और हमारे पास आती है तो हम उस पर विचार करेंगे, योजना को आने दीजिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

गांवों में जलापूर्ति के संबंध में राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन

*205. **श्री चन्दनाथ सिंह** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में पेयजल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए हाल ही में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार गांववासियों से रख–रखाव प्रभारों की वसूली करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) जी, हां। 19–20 अक्तूबर, 2001 को नई दिल्ली में ग्रामीण जल आपूर्ति के राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन संपन्न हुआ था। सम्मेलन की सिफारिशों का सार विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) उक्त सम्मेलन में चर्चा किए गए विषयों में से एक विषय पेयजल के साथ ग्रामीण बसावटों की कवरेज के लिए मानदंडों में रियायत देना था। मौजूदा मानदंड मैदानी इलाकों में 1.6 किमी. अथवा पर्वतीय इलाकों में 100 मीटर की ऊंचाई के अंतर पर एक स्रोत के साथ प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 40 लीटर पानी की व्यवस्था करता है। विस्तारपूर्वक चर्चा के बाद सम्मेलन ने सिफारिश की कि अगर एक बार किसी राज्य में सभी ग्रामीण बसावटों की कवरेज प्राप्त कर ली जाती है तो उक्त कवरेज के स्थान पर मैदानी इलाकों में 0.5 कि.मी. अथवा पर्वतीय इलाकों में 50 मीटर की ऊंचाई के अंतर पर एक स्रोत के साथ प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 55 लीटर पानी मुहैया कराने के लिए रियायत दी जा सकती है। सामुदायिक भागीदारी की अवधारणा को मौजूदा मानदंडों के अनुसार बसावटों की पूर्ण कवरेज के बाद सामान्य ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों में अपनाए जाने के लिए सहमति हुई। अगर जहां पर सेवा स्तर मौजूदा मानदंडों से अधिक बढ़े हुए हैं, वहां पूंजी लागत के 10 प्रतिशत तथा संचलन एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी को समुदाय द्वारा वहन किया जाना होता है।

आंशिक पूंजी लागत वहन तथा पूर्ण संचालन एवं रख रखाव की जिम्मेवारी का सिद्धांत देश भर के 26 राज्यों में 63 चयनित प्रायोगिक जिलों में क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के रूप में पहले ही अपनाई गई है। यह परिकल्पना की गई है कि आयोजना, निष्पादन तथा प्रबंध में जनभागीदारी से समुदाय के मन में स्वामित्व की भावना बैठ जाएगी जिससे जल आपूर्ति प्रणालियों का बेहतर स्थायित्व सुनिश्चित होगा।

विवरण

19–20 अक्तूबर, 2001 को सम्पन्न ग्रामीण पेयजल संबंधी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों का सार।

1. जब किसी राज्य में सभी ग्रामीण बसावटों की कवरेज प्राप्त कर ली जाती है तो उक्त कवरेज के स्थान पर मैदानी इलाकों में 0.5 किमी. अथवा पर्वतीय इलाकों में 50 मीटर की ऊंचाई के अंतर पर एक स्रोत के साथ प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी मुहैया कराने के लिए रियायत दी जा सकती है। सामुदायिक भागीदारी की अवधारणा को मौजूदा मानदंडों के अनुसार बसावटों की पूर्ण कवरेज के बाद सामान्य ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों में अपनाया जाएगा। अगर जहां पर सेवा स्तर मौजूदा मानदंडों से अधिक बढ़े हुए हैं, वहां पूंजी लागत के 10 प्रतिशत तथा संचलन एवं रख रखाव की जिम्मेदारी को समुदाय द्वारा वहन किया जाना होता है।

2. अनेक राज्य निर्धारित समय सीमा में ही शेष सभी 18,695 कवर न की गई (एन सी) तथा 1,58,675 आंशिक रूप से कवर की गई (पी सी) बसावटों की कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए नीति को कार्यान्वित करने पर सहमत हुए।

3. राज्यों के लिए निधियों के आवंटन के मानदंडों में एन सी/पी सी बसावटों के लिए वेटेज को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तथा गुणता प्रभावित बसावटों के लिए 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाए। यह भी सिफारिश की गई थी कि ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से, उत्पन्न आकस्मिकताओं से निपटने के लिए ए आर डब्ल्यू एस पी की कुल निधियों का 5 प्रतिशत विशेष रूप से निर्धारित किया जाए बशर्ते कि नवम्बर तक उपर्युक्त शेष राशि को बाद में सामान्य कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है।

4. राज्य वास्तविक स्थिति का जायंजा लेने के लिए अपने सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी बसावटों का पुनः सर्वेक्षण कराने के पक्ष में है।

5. सभी राज्य सरकारें दिसंबर, 2001 तक ए आर डब्ल्यू एस पी निधियों की दूसरी किस्त की रिलीज का दावा करने पर सहमत हुए। बिहार, झारखंड तथा मणिपुर सरकारें चालू वर्ष के लिए ए आर डब्ल्यू एस पी निधियों की प्रथम किस्त की रिलीज के लिए आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत करने हेतु तत्काल उपाय करेंगी।

6. पूर्वोत्तर क्षेत्र के समुचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए ए आर डब्ल्यू एस पी के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विशेष कार्य योजना बनाएं।

7. सभी राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे 31.12.2001 तक गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों में चल रहे सर्वेक्षण को पूरा कर लें।

8. इस पर भी सहमति जताई गई थी कि गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में दोहरी जल आपूर्ति की अवधारणा अपनाई जानी चाहिए ताकि ऐसी बसावटों में पीने तथा रसोई के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 10 लीटर तक शोधित जल तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अशोधित जल मुहैया कराया जा सके।

9. 567 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं में से 352 प्रयोगशालाओं को अभी लगाया जाना है। सभी राज्य 31.3.2002 तक शेष प्रयोगशालाएं लगाने पर सहमत हुए।

10. तमिलनाडु तथा गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों सरकारों ने 31 दिसम्बर, 2001 तक पूर्व की 1998 उप–मिशन परियोजनाओं को पूरा करने पर सहमति जताई।

11. ए आर डब्ल्यू एस पी तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पेयजल आपूर्ति घटक) के अंतर्गत निधियों के निर्धारित अनुपात का उपयोग करके वर्षा जल को एकत्र करना, वाटरशेड कार्यक्रम, कृत्रिम रिचार्ज आदि जैसे स्थायित्व उपायों पर ध्यान केंदित करने की जरूरत को दोहराया गया था।

12. सम्मेलन में यह सिफारिश की गई कि सूखा–राहत उपायों को बढ़ावा देने तथा पेयजल से स्रोतों की सुरक्षा के लिए भूजल कानून आवश्यक है।

13. इस पर सहमति हुई कि मानव संसाधन विकास और सूचना, शिक्षा व संचार, कम्प्यूटरीकरण तथा प्रबंध सूचना प्रणाली इत्यादि से संबंधित कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

14. क्षेत्र सुधार परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई थी तथा परियोजना कार्यान्वयन में आने वाली दुविधा को दूर करने के लिए विभिन्न तरीके तथा साधन सुझाए गए थे।

15. सम्मेलन ने बहु ग्रामीण योजना और क्षेत्र सुधार जिलों में उच्च लागत गुणता उपचारी संयंत्रों के संदर्भ में कार्यान्वयन के तरीकों की सिफारिश की थी।

[अनुवाद]

आतंकवादियों की परिसंपत्तियों को जब्त करना

*206. **श्री अमर राय प्रधान :**
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न आतंकवादी संगठनों की परिसम्पत्तियों को जब्त करने के अमरीका और ब्रिटेन की सरकारों के निर्णय की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर बनाया जा सके?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अमरीका की सरकार ने 11 सितम्बर के आतंक–वादी हमले के बाद 23 सितम्बर, 2001 के कार्यकारी आदेश सं. 13224 के तहत 150 ग्रुपों तथा व्यक्तियों के नामों का उल्लेख खास तौर से विश्वव्यापी आतंकवादियों के रूप में किया है। इसके परिणामस्वरूप आतंकवादी संगठनों/व्यक्तियों की निधियां/परिसंपत्तियां जब्त की गई हैं। इन 150 ग्रुपों में से 89 संगठन हैं तथा 61 व्यक्ति हैं। इन संगठनों और व्यक्तियों की सूची क्रमशः संलग्न विवरण I और II पर दी गई है।

इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भी आतंकवाद से जुड़े 128 ग्रुपों और व्यक्तियों की परिसंपत्तियां जब्त की हैं। 4 सूचियों में प्रकाशित इन 128 नामों में 67 संगठन तथा 61 व्यक्ति शामिल हैं। जिन संगठनों और व्यक्तियों की संपत्तियां जब्त की गईं उनकी सूची क्रमशः संलग्न विवरण III और IV पर दी गई हैं।

(ग) संघ सरकार ने आतंकवाद निवारण अध्यादेश 2001 (पोटो) की घोषणा की है, जिसके तहत 23 संगठनों को पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इस अध्यादेश में आतंकवादी संगठनों की संपत्ति/परिसंपत्तियां जब्त करने का प्रावधान है। अध्यादेश के प्रावधानों में की गई व्यवस्था के अनुसार, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे प्राधिकारियों को मनोनीत करें तथा संपत्तियां आदि जब्त करने के संबंध में पोटो के तहत कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए एक या विशेष न्यायालयों का गठन करें।

विवरण-I

उन संगठनों की सूची, जिनकी परिसंपत्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जब्त की गई हैं

संगठन

1. अल कायदा/इस्लामिक आर्मी
2. अबू सय्यफ ग्रुप
3. आर्म्ड इस्लामिक ग्रुप (जी आई ए)
4. हरकत उल मुजाहिद्दीन (एच यू एम)
5. अल जिहाद (इजीप्शियन इस्लामिक जिहाद)
6. इस्लामिक गूवमेंट ऑफ उजबेकिस्तान (आई एम यू)
7. अस्बत-अल-अंसार
8. सालाफिस्ट ग्रुप फॉर कॉल एंड काम्बैट (जी एस पी सी)
9. लीबियन इस्लामिक फाइटिंग ग्रुप
10. अल-इत्तेहाद अल-इस्लामिया
11. इस्लामिक आर्मी ऑफ अदन
12. वफा ह्यूमेनिटेरियन आरगेनाईजेशन
13. मखताव अल-खिदामत/अल किफा
14. अल रशिद ट्रस्ट
15. मामून दरकाजनली इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट कंपनी
16. अल-हमाती स्वीट्स बेकरीज, यमन
17. अल-नूर हनी प्रैस शौप्स, यमन
18. अल-शिफा हनी प्रैस फॉर इंडस्ट्री एंड कामर्स, यमन
19. जैश-ए-मोहम्मद, पाकिस्तान
20. जामायाह ताबून अल-इस्लामिया अल इस्लामिया, अफगानिस्तान
21. राबिता ट्रस्ट, पाकिस्तान
22. अरान मनी वायर सर्विस आई एन सी मिन्नीआपोलिस, मिन्नेसोटा
23. अल बराका एक्सचेंज, दुबई, यू ए ई
24. अल-बरकत मोगादीशु, सोमालिया, दुबई, यू ए ई
25. अल-बरकत बैंक मोगादीशु, सोमालिया
26. अल-बरकत बैंक ऑफ सोमालिया (बी एस एस)
27. अल-बरकत फाइनेंस ग्रुप, दुबई
28. अल-बरकत फाइनेंसिल होल्डिंग्स कं. दुबई, यू ए ई
29. अल-बरकत ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशंस, दुबई
30. अल-बरकत इंटरनेशनल, यू ए ई
31. अल-बरकत इन्वैस्टमैंटस, यू ए ई
32. अल बरकत वायरिंग सर्विस, मिन्नेसोटा 55408
33. अल तकवा ट्रेड प्रोपर्टी एंड इंडस्ट्री कंपनी लि., लिचटेंसटेन
34. बैंक अल तकवा लिमिटेड, बहामास
35. बरकत कंस्ट्रक्शन कंपनी, यू ए ई
36. बरकत ग्रुप ऑफ कंपनीज, सोमालिया
37. बरकत इंटरनेशनल, स्वीडन
38. बरकत इंटरनेशनल फाउंडेशन, स्वीडन
39. बरकत नार्थ अमेरिका, कनाडा
40. बरकत रेडसी टेलीकम्युनिकेशंस, सोमालिया
41. रैक्समो, सोमालिया; टिकिस, सोमालिया; सोमालिया; काउथार, सोमालिया; नूबिर, सोमालिया बूबाराग सोमालिया; क्सूले, सोमालिया; गुफुरे, सोमालिया अल आमीन, सोमालिया; गुरीये, सोमालिया; अजाक्स, सोमालिया; काराफात, सोमालिया
42. बरकत टेलीकम्युनिकेशंस, कंपनी सोमालिया, यू ए ई
43. बरकत बैंक एंड रेमिटेंस, मोगादीशु, सोमालिया; दुबई, यू ए ई
44. बरकत बोस्टन, मैसाच्यूसेट्स

45. बरकत कम्प्यूटर कंसल्टिंग (बी सी जी) मोगादीशु, सोमालिया

46. बरकत कंसलटिंग ग्रुप (बी सी जी) मोगादीशु, सोमालिया

47. बरकत ग्लोबल टेलीफोन कंपनी, मोगादीशु, सोमालिया, दुबई, यू ए ई

48. बरकत एंटरप्राइजेज, 1762 हुई रोड कालंबस, ओहियो

49. बरकत इंटरनैशनल कंपनीज (बी आई सी ओ) मोगादीशु, सोमालिया, दुबई यू ए ई

50. बरकत इंटरनैशनल आई एन सी, 1929 साउथ 5वीं गली सूइट 205, मिन्नेपोलिस मिन्नेसोटा

51. बरकत पोस्ट एक्सप्रेस (बी पी ई) मोगादीशु, सोमालिया

52. बरकत रिफ्रेशमेंट कंपनी, मोगादीशु, सोमालिया, दुबई, यू ए ई

53. बरकत टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लि., नीदरलैंड

54. बरकत वायर टांसफर कंपनी, 4419 दक्षिण ब्रंडन स्ट्रीट, सीएटल, वाशिंगटन

55. बराको ट्रेडिंग कंपनी, एल एल सी, पो. बा. 3313 दुबई, यू ए ई

56. बराको ट्रेडिंग कंपनी, पो. बा. 3313 दुबई, यू ए ई

57. ग्लोबल सर्विस इंटरनैशनल, 1929 5वीं स्ट्रीट, सूइट 204, मिन्नेपोलिस मिन्नेसोटा

58. हैतुल उल्या, मोगादीशु, सोमालिया

59. नाडा मैनेजमेंट आरगेनाइजेशन, स्विट्जरलैंड

60. परका ट्रेडिंग कंपनी, दुबई, यू ए ई

61. रेड सी बरकत कंपनी लि. यू ए ई

62. सोमाली इंटरनेट कंपनी, मोगादीशु, सोमाली

63. सोमाली इंटरनैशनल रिलीफ ऑरगनाइजेशन, मिन्नेसोटा

64. सोमाली नेटवर्क ए बी स्पान्गा, स्वीडन

65. यू सेफ एम नाडा, स्विट्जरलैंड

66. यू सेफ एम नाडा एंड कं., आस्ट्रिया

67. अबू निदाल ऑरगनाइजेशन (ए एन ओ)

68. ओम शिनरिक्यो

69. बास्क फादरलैंड एंड लिबर्टी (एटा)

70. गामा–ऊल–इस्लामिया (इस्लामिक ग्रुप)

71. हमाय (इस्लामिक रेजिस्टैंस मूवमेंट)

72. हिजबल्लाह (पार्टी ऑफ गॉड)

73. कहाने चाई (काच)

74. कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पी के के)

75. लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एल टी टी ई)

76. मुजाहिद्दीन ए खलक आरगनाइजेशन (एम ई के) माईनस दा नैशनल

77. काउंसिल ऑफ रेजिसटेंस ऑफ ईरान (एन सी आर आई अलाईज)

78. नैशनल लिब्रेशन आर्मी (ई एल एन)

79. पैलेस्टेनियन इस्लामिक जेहाद (पी आई जे)

80. पैलेस्टाइन लिब्रेशन फ्रंट (पी एल एफ)

81. पोपुलर फ्रंट फॉर द लिब्रेशन ऑफ पैलेस्टाइन (पी एफ एल पी)

82. पी ई एल पी जनरल कमांड (पी एफ एल पी–जी सी)

83. रीयल आई आर ए

84. रिवोल्युशनरी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ कोलंबिया (फार्क)

85. रिवोल्युशनरी नेकलेई (फोर्मलरली ई एल ए)

86. रिवोल्युशनरी ऑरगनाइजेशन 17 नवम्बर

87. रिवोल्युशनरी पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी/फ्रंट (डी एच के पी/सी)

88. शाइनिंग पाथ (सेंडरो लुमिनोसो, एस एल)

89. यूनाइटेड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज ऑफ कोलंबिया, (ए यू सी)

विवरण-II

उन व्यक्तियों की सूची, जिनकी परिसंपत्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जब्त कर ली गई हैं

1. ओसामा बिन लादेन
2. मोहम्मद अतीफ (अका, सुभी अबु सत्ता, अबु हफ्ज अल मसरी)
3. सैफ अलि–अदल
4. शायख सईद (अका, मुस्तफा मोहम्मद अहमद)
5. अबु हफ्ज दी मोरितानिअन (अका मेहफूज औल्द अल–वालिद, खालिद, अल–शांकीति)
6. इब्न अल–शायख अल–लिबी
7. अबु जुबेदाह (अका, जेन अल–अबिदीन मोहम्मद हुसैन, तारीक)
8. अब्द अल–हादी अल–इराकी (अका, अबु अबदल्ला)
9. आइमन अल–जवाहिरी
10. थिरपीवत सलाह शिहाता
11. तारिक अनवर अल सईद अहमद
12. मोहम्मद सलाह
13. ए जी एच ए, हाजी अब्दुल मनाना, पाकिस्तान
14. अल–हमाती, मोहम्मद, यमन
15. अल–हक, अमीन, अफगानिस्तान
16. अल–जदावी, साकर
17. अल–कद्र, अहमद सैद : काहिरा, मिस्र
18. अल–कादी, यासीन, जेद्दाह, सऊदी अरब
19. अल–शरीफ, साद : सऊदी अरब
20. बिन मरवान, बिलाल
21. बिन मोहम्मद, अयादी शाफिक ट्यूनीशिया
22. दरकजानली, मामोन, उहलेनहोर्स्टर वेग, सीरिया
23. हाजी, रियाद (ए के ए हिजाजी, रेद एम) कैलीफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
24. लादेहायानोय, मुफ्ती रशीद अहमद, पाकिस्तान
25. उथमन, उमर मोहम्मद, लंदन, इंग्लैंड
26. यूलदाशेव, तोहिर उजबेकिस्तान
27. जिया, मोहम्मद, पाकिस्तान
28. अब्दुल्ला अहमद अब्दुल्ला सिटिजन, मिस्र (व्यक्ति)
29. मुहसिन मूसा मतवाल्ली अतवाह, मिस्र (व्यक्ति)
30. अनस अल–लिबि लिबया (व्यक्ति)
31. अहमद खल्फान घेलानी, तंजानिया (व्यक्ति)
32. अहमद मोहम्मद हमीद अली मिस्र (व्यक्ति)
33. फजल अब्दुल्ला मोहम्मद, केन्या (व्यक्ति)
34. मुस्तफा मोहम्मद फदहिल, केन्या
35. शेख अहमद सलीम, स्वीडन
36. फहीद मोहम्मद अली मसालम, केन्या (व्यक्ति)
37. अब्दुल रहमान यासीन (इराक)
38. खालिद शेख मोहम्मद, कुवैत (व्यक्ति)
39. अब्देलकरीम हुसैन मोहम्मद अल–नासर
40. अहमद इब्राहिम अल–मुघास्सिल, सऊदी अरब
41. अली सईद बिन अली अल–हूरी
42. इब्राहिम सलीह मोहम्मद अल–याकूब
43. अली अतवा, लेबनान (व्यक्ति)
44. हसन इज्ज–अल–दिन, लेबनान (व्यक्ति)
45. इमाद फैयाज मुगनियाह (लेबनान) (व्यक्ति)
46. अब्दुलकादिर, हुसैन मोहम्मद, फ्लोरेंस, इटली
47. आदेन, अब्दिरिसाक, स्काफतिनगेबैकेन

48. अली, अब्बास अब्दी, मोगादीशु, सोमालिया
49. अली, अब्दी अब्दुल अजीज, द्राबंतवागेन
50. अली, युसफ, अहमद, हालबाईबेकेन स्वीडन
51. अवेज, दाहिर उबेदुललाही, रोम, इटली
52. अवेज, हस्सन दाहिर : सोमालिया
53. हिम्मत, अली गालेब, ट्यूनीशिया
54. हुबर, अल्बर्ट फरैडिरिक आरमेंड स्विट्जरलैंड
55. हुसैन, लिबान, कनाडा
56. जमा, गरद मिन्नेसोता
57. जिम एले, अहमद नूर अली, सोमालिया
58. काही, अब्दुल्लाही हुसैन, सोमालिया
59. मंसूर, मोहम्मद, मिस्र या यू ए ई
60. मंसूर–फत्तौ, स्विट्जरलैंड
61. नाडा, युस्सुफ : ट्यूनिशिया

विवरण-III

उन संगठनों/व्यक्तियों की सूची, जिनकी परिसंपत्तियां ब्रिटेन द्वारा जब्त की गई हैं

1. अल कायदा/इस्लामिक आर्मी
2. अबू सय्यफ ग्रुप
3. आर्म्ड इस्लामिक ग्रुप
4. हरकत उल मुजाहिद्दीन/एच यू एम
5. अल जिहाद/इजीप्शियन इस्लामिक मूवमेंट
6. इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उजबेकिस्तान
7. अस्बत अल–अंसार
8. सालाफिस्ट ग्रुप फॉर कॉल एंड काम्बैट/जी एस पी सी
9. लिबयन इस्लामिक फाइटिंग ग्रुप
10. अल–इत्तेहाद अल–इस्लामिया/ए आई ए आई
11. इस्लामिक आर्मी ऑफ अदन
12. वफा ह्यूमेनिटेरियन आरगेनाईजेशन
13. अल रशिद ट्रस्ट
14. मामोन दर्काजानली इम्पोर्ट–एक्सपोर्ट कंपनी
15. अफगान एक्सपोर्ट बैंक
16. अल–हमाती स्वीट्स बेकरीज
17. अल–नूर हनी प्रैस शॉप्स
18. अल–शिफा हनी प्रैस फॉर इंडस्ट्री एंड कामर्स
19. जैश–ए–मोहम्मद
20. जामयाह ता आवुन अल–इस्लामिया
21. रबिता ट्रस्ट
22. आरन मनी वायर सर्विस आई एन सी
23. अल बराका एक्सचेंज एल. एल. सी.
24. अल–बरकत
25. अल–बरकत बैंक
26. अल–बरकत बैंक ऑफ सोमालिया
27. अल–बरकत ग्रुप ऑफ कंपनीज सोमालिया लिमिटेड
28. अल–बरकत वायरिंग सर्विस
29. अल–बरकत फाइनेंस ग्रुप
30. अल–बरकत फाइनेंसियल होल्डिंग कंपनी
31. अल–बरकत ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशंस
32. अल–बरकत इंटरनेशनल
33. ए–बरकत इंवेस्टमेंट्स
34. अल–तकवा ट्रेड, प्रोपर्टी एंड इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
35. असत ट्रस्ट रेग
36. बैंक अल तकवा लिमिटेड
37. बराका ट्रेडिंग कंपनी

38. बरकत बोस्टन

39. बरकत कंस्ट्रक्शन कंपनी

40. बरकत एंटरप्राइज

41. बरकत ग्रुप ऑफ कंपनीज

42. बरकत इंटरनेशनल

43. बरकत इंटरनेशनल कंपनीज

44. बरकत इंटरनेशनल फाउंडेशन

45. बरकत इंटरनेशनल, आर एन सी

46. बरकत नार्थ अमेरिका आई एन सी

47. बरकत रेड सी टेलिकम्युनिकेशंस

48. बरकत टेलिकम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड

49. बरकत टेलिकम्युनिकेशंस कंपनी सोमालिया लिमिटेड

50. बरकत बैंक्स एंड रेमिट्टेंसिस

51. बरकत कम्प्यूटर कंसल्टिंग (बी सी सी)

52. बरकत कंसल्टिंग ग्रुप (बी सी जी)

53. बरकत ग्लोबल टेलिफोन कंपनी

54. बरकत पोस्ट एक्सप्रैस (बी पी ई)

55. बरकत रिफ्रेशमेंट कंपनी

56. बरकत वायर ट्रांसफर कंपनी

57. बराको ट्रेडिंग कंपनी एल एल सी

58. ग्लोबल सर्विस इंटरनेशनल

59. हेयातुल उल्या

60. नाडा मैनेजमेंट आर्गेनाइजेशन, एस ए

61. पर्का ट्रेडिंग कंपनी

62. रेड सी बरकत कंपनी लिमिटेड

63. सोमाली इंटरनेशनल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन

64. सोमाली इंटरनेट कंपनी

65. सोमाली नेटवर्क ए बी

66. युसेफ एम. नाडा

67. युसेफ एम. नाडा एंड कंपनी जीसेल्सशॉफ्ट एम. बी. एच.

विवरण-IV

उन व्यक्तियों की सूची, जिनकी परिसंपत्तियां ब्रिटेन द्वारा जब्त की गई हैं

1. ओसामा बिन लादेन

2. मोहम्मद अतिफ

3. सेफ-अल अद्ल

4. शयख सईद

5. अबु हफ्ज दी मोरितेनिअन

6. इब्न अल-शामख अल-लिबि

7. अबु जुबेदाह

8. अब्द अल-हादी अल-इराकी

9. आइमन जल-जवाहारी

10. थीवट सलाह शिहाता

11. तारिक अनवर अल-सईद अहमद

12. मोहम्मद सलाह

13. मखताब अल-खिदमत/अल किफाह

14. आगा, हाजी अब्दुल मनन

15. अल-हमाती, मोहम्मद

16. अल-हक, अमियू

17. अल-कादी, यासिन

18. अल-जदावी, सकर

19. अल कद्र अहमद सईद

20. अल-शरीफ, साद

21. बिन मरवान, बिलाल
22. बिन मोहम्मद, अयादी शफीक
23. दर्काजन्ली, मामोन
24. हौजी, रियाद
25. लादेहयोनोय, मुफ्ती रशीद अहमद
26. उथमन, उमर महमूद
27. युल्दाशेव, तोहिर
28. जिया, मोहम्मद
29. यासीन, अब्दुल रहमान
30. मोहम्मद, खालिद शेख
31. अल मुद्यास्सिल, अहमद
32. अल–हौरी, अली
33. अल–याकूब, इब्राहिम
34. अल नासिर, अब्देल करीम
35. मोहम्मद, फजल अब्दुल्ला
36. फादिल, मुस्तफा मोहम्मद
37. घेलानी, अहमद खल्फान
38. मसालम, फाहिद मोहम्मद अली
39. स्वीडन, शेख अहमद सलीम
40. अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अहमद
41. अली, अहमद मोहम्मद होमेद
42. अतवाह, मुशिन मूसा मतवाली
43. मुगनीयाह, इमाद
44. इज्ज–अल–दीन, हसन
45. अतवा, अली
46. अब्दुलकादिर, हुसैन महमूद
47. आदेन, अबदिरीसाक
48. अली, अब्बास अबदी
49. अली, अबदी अब्दुलअजीज
50. अली, युसफ अहमद
51. अवेज, दाहिर उबदुल्लाही
52. अवेज हसन दाहिर
53. हिम्मत, अली गालेब
54. हुबेर फ्रैड्ररिक अरमंड
55. हुसैन
56. जमा, गरद
57. जिमएल, अहमद नूर अली
58. काही, अब्दुल्लाही हुसैन
59. मंसूर, मोहम्मद
60. मंसूर फतौ, जिनाब
61. नाडा, युसुफ

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा इतिहास का पाठ्यक्रम तैयार किया जाना

*207. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :**
श्री पवन कुमार बंसल :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन सी ई आर टी) द्वारा तैयार किए गए और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी बी एस ई) को भेजे गए इतिहास के मसौदा पाठ्यक्रम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा यह कह कर अस्वीकृत कर दिया गया है कि यह किसी भी रूप से उस वर्तमान पाठ्यक्रम से भिन्न नहीं है जिसे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2002 के लिए अनुमोदित किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आपत्तियों को दूर करने के लिए मसौदा पाठ्यक्रम में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है, ने सूचित किया है कि मौजूदा कार्यविधि के अनुसार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रमों की समीक्षा इस बोर्ड की विषय संबंधी समितियों द्वारा की जाती है और बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में उपयोगार्थ उन्हें अपनाया जाता है/अनुकूल बनाया जाता है। तदनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम का प्रारूप पाठ्यक्रम समिति के समक्ष विचारार्थ रखा था। इस समिति ने सिद्धांत रूप से इस पाठ्यक्रम को स्वीकार कर लिया है। तथापि उसने कतिपय अभिमत भी व्यक्त किए। इन अभिमतों की जानकारी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पास भेज दी गई।

[हिन्दी]

खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं

*208. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील :**
श्री पी. आर. खूंटे :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यान्वित की जा रही केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खेल संबंधी गतिविधियों के लिए राज्यों को कितनी निधियां आवंटित की गई/दी गई हैं और उनमें से कितनी राशियों को खर्च नहीं किया गया है;

(ग) क्या केंद्र सरकार राज्यों द्वारा खेलों के विकास पर व्यय की गई राशि पर निगरानी रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इन योजनाओं को सभी राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन योजनाओं का सभी राज्यों में कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निम्नलिखित केंद्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं–

1. **स्कूलों में खेल-कूद का संवर्धन** : इस योजना के अंतर्गत, जिला और राज्य स्तरों पर अंतर–विद्यालय प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अनुदान दिए जाते हैं।

2. **खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान** : इस योजना के अंतर्गत, खेल अवस्थापना के सृजन के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों, स्थानीय सांविधिक निकायों और खेलों के क्षेत्र में सक्रिय पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं। खेल मैदान के विकास तथा उपभोज्य/गैर–उपभोज्य खेल उपस्करों की खरीद के लिए ग्रामीण स्कूलों को भी सहायता दी जाती है।

3. **सिंथैटिक खेल सतह स्थापित करने के लिए अनुदान** : इस योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, राज्य खेल परिषदों/प्राधिकरणों/भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल संघों/परिसंघों, सेवाओं/रेलवे, खेल नियंत्रण बोर्डों, स्थानीय निकायों एवं विश्वविद्यालयों/कालेजों/स्कूलों को खेलों में उत्कृष्टता का संवर्धन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

4. **विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदान** : इस योजना के अंतर्गत, खेल मैदानों के विकास, इन्डोर स्टेडियम/सुविधाओं के निर्माण तथा खेल उपस्कर खरीदने के लिए विश्व–विद्यालयों/कालेजों को सहायता दी जाती है।

(ख) धनराशि राज्य–वार आवंटित/वितरित नहीं की जाती है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चूंकि "खेल" राज्य का विषय है, अतः केंद्र सरकार राज्य सरकारों के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती है।

(च) और (छ) कई राज्य इन योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं। सभी राज्य इन योजनाओं के अंतर्गत, वित्तीय सहायता

का लाभ उठा सकते हैं। तथापि, वित्तीय सहायता केवल उन्हीं राज्यों को प्रदान की जाती है जिनसे व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजना के अंतर्गत निधियां

*209. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजना के अंतर्गत राज्यों को आवंटित और उनके द्वारा खर्च की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों में अनुप्रयुक्त निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा इस राशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों को उपलब्ध कराई गई निधियों के ऐसे अनुपयोग के लिए राज्यों को उत्तरदायी ठहराया है; और

(ङ) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) यद्यपि, स्लम सुधार राज्य का विषय है, फिर भी स्लम वासियों की जीवन दशाओं में सुधार की दृष्टि से, राष्ट्रीय स्लम उन्नयन स्कीम की बजाए राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम (एन एस डी पी) नामक एक कार्यक्रम अगस्त, 1996 में राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया था, ताकि शहरी स्लमों के सुधार के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) मुहैया की जा सके। राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यों के लिए नियत तथा जारी राशि का राज्य-वार ब्यौरा तथा योजना के प्रारंभ से राशि उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में हैं।

(ग) राशियों का उपयोग न होने के कारण संक्षेप में इस प्रकार हैं :

(i) राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत धन राशि का नियतन योजना आयोग द्वारा किया जाता है तथा राशियां वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती हैं तथा यह मंत्रालय कार्यक्रम की केवल निगरानी करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राशियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में जारी की जाती हैं जो गैर विशिष्ट श्रेणी राज्यों के लिए ऋण और अनुदान के रूप में 70 : 30 तथा विशिष्ट श्रेणी राज्यों के लिए ऋण और अनुदान के रूप में 10 : 90 सूत्र द्वारा अधिशासित होती हैं।

(ii) राशियां जारी करने की प्रक्रिया दीर्घसूत्री है और वास्तविक कार्यान्वयन एजेंसी को राशियां प्राप्त होने में समय लगता है।

(iii) गैर विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कुछ राज्यों ने सूचित किया है कि यह कार्यक्रम न तो लाभदायी है और न वाणिज्यिक रूप से उपादेय ही है। समाज के सबसे निचले स्तर के लाभार्थी ऋण का वापस भुगतान करने में समर्थ नहीं होते और शहरी स्थानीय निकाय भी स्कीम के अंतर्गत ऋण अंश का वापस भुगतान करने की स्थिति में नहीं होते।

(iv) स्लम वासियों का मकान अथवा भूमि पर पट्टाधिकार/स्वामित्व अधिकार का न होना।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 4 व 8 में निहित प्रावधानों तथा सामान्य वित्त नियमावली के प्रावधानों व वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी संगत वित्तीय अनुदेशों के आलोक में राज्य सरकारों को यह बता दिया गया है कि जब कि मद वार खर्च का ब्यौरा दर्शाते हुए प्रगति रिपोर्टों के साथ-साथ अपेक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे और धन राशि जारी करने के लिए सिफारिश करना संभव नहीं होगा। चूककर्ता राज्यों को चालू वित्त वर्ष में और राशि जारी करने की सिफारिश नहीं की गई है।

विवरण-I

राज्यों को पिछले तीन वर्षों में आवंटित और जारी निधियों तथा योजना के प्रारंभ से राज्यों द्वारा प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1998–99		1999–2000		2000–2001	
		आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3250.00	2842.00	3575.00	3575.00	3575.00	888.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.00	88.00	110.00	125.36	110.00	25.40
3.	असम	284.00	253.00	312.00	281.00	312.00	79.80
4.	बिहार	2425.00	2425.00	2668.00	2668.00	1775.00	685.30
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	434.00
6.	गोवा	100.0	12.00	110.00	110.00	110.00	27.99
7.	गुजरात	1830.00	2292.00	2013.00	2013.00	2013.00	2013.00
8.	हरियाणा	514.00	514.00	565.00	565.00	565.00	513.00
9.	हिमाचल प्रदेश	100.00	100.00	110.00	110.00	110.00	27.65
10.	जम्मू और कश्मीर	659.00	590.00	725.00	725.00	725.00	175.49
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	893.00
12.	कर्नाटक	1787.00	2112.32	2174.00	2174.00	2174.00	2174.00
13.	केरल	932.00	929.00	1025.00	1028.00	1025.00	258.68
14.	मध्य प्रदेश	1898.00	2058.00	2088.00	2088.00	1654.00	1240.50
15.	महाराष्ट्र	5331.00	5713.00	5831.00	5831.00	3904.00	1248.58
16.	मणिपुर	100.00	100 00	110.00	110.00	110.00	28.78
17.	मेघालय	100.00	88.00	110.00	110.00	110.00	28.55
18.	मिजोरम	100.00	88.00	110.00	122.00	110.00	110.00
19.	नागालैंड	100.00	88.00	110.00	122.00	110.00	28.55
20.	उड़ीसा	620.00	560.00	678.00	727.00	678.00	339.00

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	पंजाब	904.00	904.00	994.00	994.00	994.0	251.39
22.	राजस्थान	1345.00	1349.12	1479.00	1479.00	1479.0	376.50
23.	सिक्किम	100.00	100.00	110.00	88.00	110.00	25.40
24.	तमिलनाडु	2465.00	2674.00	2711.00	2711.00	2711.00	2259.17
25.	त्रिपुरा	100.00	90.00	110.00	120.00	110.00	110.00
26.	उत्तर प्रदेश	4011.00	3674.00	4412.00	4026.50	4230.00	4041.45
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00
28.	पश्चिम बंगाल	3426.00	3101.00	3368.00	4093.00	3768.00	3768.00
	योग	32581.00	32744.44	36008.00	35995.86	34081.00	22234.07

नोट : प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों के आंकड़े संचयी आधार पर रखे जाते हैं, वर्ष–वार नहीं। कार्यक्रम की शुरूआत अर्थात 1996–97 से 2000–01 तक राज्यों को 141375.37 लाख रु. की राशि जारी की गई। इस जारी 141375.37 लाख रु. की राशि की तुलना में 01.11.2001 तक 91838.23 लाख रु. के लिए उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त हुए हैं। 49537.14 लाख रु. के लिए उपयोग प्रमाण पत्रों की राज्यों से अभी भी अपेक्षा है।

विवरण-II

एनएसडीपी के अंतर्गत जारी और राज्यों द्वारा उपयोग में न लाई गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 1996–97 से 2000–01 तक जारी कुल निधियां	राज्यों द्वारा उपयोग में न लाई गई निधियां (दिनांक 1.11.2001 की स्थिति)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	11807.89	791.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	337.76	83.39
3.	असम	1042.80	773.43
4.	बिहार	9487.30	6297.55
5.	छत्तीसगढ़	434.00	434.00
6.	गोवा	281.99	281.99
7.	गुजरात	9113.00	2144.40
8.	हरियाणा	2386.00	565.00
9.	हिमाचल प्रदेश	375.65	37.65
10.	जम्मू और कश्मीर	2190.49	320.04
11.	झारखंड	893.00	893.00
12.	कर्नाटक	3209.32	1661.01
13.	केरल	3789.68	3789.68
14.	मध्य प्रदेश	8604.50	576.90
15.	महाराष्ट्र	20550.58	20550.58
16.	मणिपुर	371.78	299.78
17.	मेघालय	354.55	354.55

1	2	3	4
18.	मिजोरम	442.00	12.00
19.	नागालैंड	350.55	170.00
20.	उड़ीसा	2604.00	1355.25
21.	पंजाब	3679.39	2519.39
22.	राजस्थान	5485.62	100.02
23.	सिक्किम	304.40	304.40
24.	तमिलनाडु	11782.17	2907.17
25.	त्रिपुरा	447.00	10.00
26.	उत्तर प्रदेश	18543.95	2122.07
27.	उत्तरांचल	182.00	182.00
28.	पश्चिम बंगाल	16324.00	0.00
	योग	141375.37	49537.14

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

*210. **श्री अरूण कुमार** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों की पुरानी सूची को संशोधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा योजना के लाभार्थियों की संशोधित और वर्तमान सूची को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के मानदंड के आधार पर ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं में तथा नगरपालिकाओं द्वारा पड़ोस/मोहल्ला समितियों में लाभार्थियों के चयन के लिए ग्राम पंचायतों/नगरपालिकाओं को योजना के लक्ष्य के बारे में बताना होता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जब आवश्यक होता है, सूची में सुधार किया जाता है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कें

*211. **प्रो. ए. के. प्रेमाजम :**
श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) के अंतर्गत निधियों के आवंटन हेतु क्या मानदंड हैं;

(ख) सड़कों के निर्माण का कार्य किन-किन एजेंसियों को दिया गया है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाने हैं;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इन मानदंडों में छूट देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ङ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने वर्ष 2000-2001 के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य 2370 करोड़ रु. का आवंटन किया था जो अन्य बातों के साथ-साथ जरूरत के लिए 75 प्रतिशत (देश में सड़कों से न जुड़ी कुल बसावटों में से सड़कों से न जुड़ी बसावटों का हिस्सा) और कवरेज पर 25 प्रतिशत (देश में सड़कों से जुड़ी कुल बसावटों में सड़कों से जुड़ी बसावटों का हिस्सा) वेटेज देने पर आधारित था। वर्ष 2001-2002 के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए निर्धारित की गई निधियों के पिछले वर्ष के ही स्तर पर होने के कारण चालू वित्तीय वर्ष के लिए आवंटन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का प्राथमिक उद्देश्य वर्ष 2007 तक (दसवीं योजना अवधि के अंत) 500 व्यक्तियों से अधिक आबादी वाली ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों से न जुड़ी सभी बसावटों को अच्छी बारहमासी सड़कों के जरिए सड़क संपर्क प्रदान करना है। संबंधित उद्देश्य के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूदा सड़कों के सुधार (निर्धारित मानक के अनुरूप) का

प्रावधान है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता का निम्नलिखित क्रम निर्धारित किया गया है :

क्र.सं.	आबादी का आकार	वर्गीकरण
1.	1000 अथवा अधिक	वांछित विशिष्ट की सड़कों से न जुड़ी हुई
2.	500–999	वांछित विशिष्ट की सड़कों से न जुड़ी हुई
3.	1000 अथवा अधिक	वांछित विशिष्ट की रोड़ी वाली
4.	500-999	वांछित विशिष्ट की रोड़ी वाली
5.	1000 अथवा अधिक	वांछित विशिष्ट की पानी से खराब न होने वाली पक्की सड़क (डब्ल्यू बी एम)
6.	500–999	वांछित विशिष्ट की पानी से खराब न होने वाली पक्की सड़क (डब्ल्यू बी एम)

पहाड़ी तथा मरूस्थली क्षेत्रों तथा जनजातीय (अनुसूची–V) क्षेत्रों के संबंध में उद्देश्य 250 और अधिक की आबादी वाली बसावटों को सड़कों से जोड़ने का होगा।

राज्य सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान कर ली है, जिसकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

ये सड़कें भारतीय सड़क कांग्रेस (आई आर सी) द्वारा निर्धारित तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप तैयार की जाएंगी। अलप्पुझा जिले के थाईकट्टुस्सेरी, अयदि और अम्बालाप्पुझा ब्लॉकों और कोझिकोड जिले के बडकारा ब्लॉक जैसे घनी आबादी वाले तटीय क्षेत्रों के संबंध में इन तकनीकी विशिष्टियों में ढील देने संबंधी केरल सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया है और इसे एक विशिष्ट मामला मानने पर सहमति हो गई है।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा पहचान की गई कार्यान्वयन एजेंसियों की सूची को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	पंचायती राज इंजीनियरिंग विभाग
2.	अरुणाचल प्रदेश	लोक निर्माण विभाग
		ग्रामीण निर्माण विभाग
3.	असम	लोक निर्माण विभाग
4.	बिहार	ग्रामीण इंजीनियरिंग संगठन
5.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क प्राधिकरण
6.	गोवा	लोक निर्माण विभाग
7.	गुजरात	सड़क एवं भवन विभाग
8.	हरियाणा	लोक निर्माण विभाग
9.	हिमाचल प्रदेश	लोक निर्माण विभाग
10.	जम्मू और कश्मीर	ग्रामीण विकास इंजीनियरिंग स्कंध
11.	झारखंड	ग्रामीण इंजीनियरिंग संगठन
12.	कर्नाटक	ग्रामीण विकास इंजीनियरिंग स्कंध
		कर्नाटक भूमि सैन्य संगठन
13.	केरल	इंजीनियरिंग विंग अधीन पंचायती राज संस्थाएं
14.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
15	महाराष्ट्र	लोक निर्माण विभाग
		इंजीनियरिंग विंग अधीन पंचायती राज संस्थाएं
16	मणिपुर	लोक निर्माण विभाग
17.	मेघालय	लोक निर्माण विभाग
18.	मिजोरम	लोक निर्माण विभाग
19	नागालैंड	राज्य सड़क एवं पुल विभाग
		ग्राम विकास बोर्डों के जरिए ग्रामीण विकास विभाग
20.	ओड़ीसा	ग्रामीण निर्माण विभाग

1	2	3
21.	पंजाब	लोक निर्माण विभाग
		मंडी परिषद इंजीनियरिंग स्कंध
22.	राजस्थान	लोक निर्माण विभाग
23.	सिक्किम	लोक निर्माण विभाग
		ग्रामीण निर्माण विभाग
24.	तमिलनाडु	ग्रामीण विकास इंजीनियरिंग विंग
25.	त्रिपुरा	लोक निर्माण विभाग
		ग्रामीण निर्माण विभाग
26.	उत्तर प्रदेश	सार्वजनिक निर्माण विभाग
		ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा
27.	उत्तरांचल	लोक निर्माण विभाग
28.	पश्चिम बंगाल	जिला परिषद का इंजीनियरिंग विंग

[हिन्दी]

ग्रामीण आवास और अन्नपूर्णा योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी

***212. श्रीमती हेमा गमांग** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण आवास और अन्नपूर्णा योजनाओं के अंतर्गत विशेषकर बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में लाभार्थियों का चयन उचित रूप से नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त राज्यों से ऐसे कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(ग) इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है; और

(घ) सरकार द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (घ) बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों सहित कहीं से भी अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन उचित ढंग से न किए जाने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। इंदिरा आवास योजना के तहत लाभार्थियों के चयन में अनियमितताएं बरते जाने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार और उड़ीसा से चार ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

जब कभी लाभार्थियों के चयन और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनियमितताएं प्रकाश में आती हैं तो मामले को दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने सहित उपयुक्त कदम उठाने हेतु संबंधित राज्य सरकार/संघ क्षेत्र को तत्काल भेज दिया जाता है। जहां कहीं जरूरत पड़ती है, वास्तविक स्थिति की जांच करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी भेजे जाते हैं।

अन्नपूर्णा योजना तथा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता है, इस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से दिशा–निर्देशों के अनुसार चयनित लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत में लगायी जानी/सार्वजनिक की जानी होती है।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों को पूर्ण करना

***213. श्री निखिलानंद सर** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा आवास योजना (आई. ए. वाई.) के अंतर्गत मकानों के निर्माण हेतु मार्च, 2000 तक 1.53 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद भी एक दशक के पश्चात भी इनका निर्माण अधूरा रहा है;

(ख) क्या 41.44 लाख रुपये का व्यय विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं के अंतर्गत लगाए गए वृक्षों पर व्यर्थ गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2001 (सिविल) रिपोर्ट

संख्या 4 के आलोक में यह "कि इंदिरा आवास योजना के तहत गृह निर्माण हेतु 1.53 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद 10 वर्षों के बाद भी आवास निर्माण कार्य अधूरा रहा" और यह कि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं के तहत लगाए गए वृक्ष खराब रख–रखाव व देख–रेख की कमी के कारण नष्ट हो गए जिससे 41.44 लाख का व्यय बेकार हो गया। यह मुद्दा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सामने उठाया गया जिसने सूचना दी कि सुंदरगढ़, झारसुगुडा और बारगढ़ जिले में इंदिरा आवास योजना के कुल 1097 मकान अधूरे थे। संबंधित खंड विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को अधूरे इंदिरा आवास योजना आवासों की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिए कहा गया है। संबंधित जिलों के जिला अधिकारियों को निदेश दिए गए हैं कि वे यथाशीघ्र फील्ड जांच पूरी करना सुनिश्चित करें।

रोजगार सृजन योजनाओं के तहत वृक्षारोपण पर 41.44 लाख रुपये के व्यय के संबंध में उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि संबंधित जिला अधिकारियों को क्षेत्र सर्वेक्षण (जांच) करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन

***214. श्री वी. वेत्रिसेलवन :**
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी पी ई पी) का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि के अनुसार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पर राज्यवार कुल कितनी राशि आवंटित, वितरित और व्यय की गई है;

(घ) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापकों की नियुक्ति के लिए राज्यवार कुल कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक निधियां आवंटित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) चूंकि विभिन्न राज्यों/जिलों में विभिन्न चरणों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को शुरू/विस्तारित किया गया इसलिए इस कार्यक्रम का अंतिम मूल्यांकन विभिन्न परियोजनाओं की समापन तारीखों के आधार पर किया जाएगा। इस समय जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के चरण–I के राज्यों जिसमें असम, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शामिल हैं, का बाह्य मूल्यांकन बंगलौर, कोलकाता, लखनऊ और अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबंध संस्थानों के माध्यम से कराया जा रहा है।

तथापि संयुक्त समीक्षा मिशनों, परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली, शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली, कार्यक्रम परिणाम अध्ययन आदि के माध्यम से समय–समय पर इस कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के चरण–I, II और III वाले राज्यों की एक मध्यावधि गहन समीक्षा भी कराई गई है। समय–समय पर की गई समीक्षाओं तथा विभिन्न अध्ययनों से यह पता चला है कि इस कार्यक्रम से नामांकन में काफी वृद्धि हुई है, अध्ययन उपलब्धियों में सुधार हुआ है, पुनरावृत्ति दर में कमी आई है, समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, शिक्षण कक्ष प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है, आदि।

(ग) कार्यक्रम के तहत राज्यवार बजटीय आवंटन नहीं किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा विभिन्न परियोजना राज्यों को जारी की गई निधियों तथा किए गए व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(घ) विभिन्न परियोजना राज्यों द्वारा डीपीईपी के तहत शिक्षकों की नियुक्ति पर खर्च की गई कुल राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ङ) और (च) राज्य कार्यान्वयन समितियों को प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके कुल अनुमोदित परियोजना परिव्यय तथा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। संबंधित परियोजना राज्यों को कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत वहन करना होता है। 31.3.2001 तक राज्य वार अनुमोदित परियोजना लागत, भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों तथा वर्ष 2001–2002 के अनुमोदित कार्य योजना एवं बजट को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

विवरण-I

डी पी ई पी के तहत जारी की गई निधियां तथा किया गया व्यय

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियां				व्यय		
		1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02*	1998–99	1999–2000	2000–01
1.	आंध्र प्रदेश	20.00	266.00	77.00	37.00	162.06	138.00	62.79
2.	असम	23.00	44.13	35.94	26.00	36.99	47.54	51.74
3.	बिहार/झारखंड	34.94	24.00	35.00	32.00	42.70	45.60	41.56
4.	गुजरात	17.00	15.00	22.50	14.50	17.66	25.47	24.54
5.	हरियाणा	5.00	10.00	35.00	39.00	21.66	23.96	44.11
6.	हिमाचल प्रदेश	14.76	14.00	15.00	10.00	17.35	19.72	21.87
7.	कर्नाटक	84.00	34.10	79.00	50.50	85.89	80.10	81.62
8.	केरल	26.00	9.00	32.00	12.00	29.28	30.32	32.34
9.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	163.34	149.85	171.46	85.00	162.64	144.66	146.92
10.	महाराष्ट्र	23.49	39.00	42.00	25.00	37.74	45.27	54.13
11.	उड़ीसा	15.00	8.50	33.00	40.00	19.80	19.07	30.56
12.	राजस्थान	0.00	30.50	15.00	50.00		2.60	35.64
13.	तमिलनाडु	19.19	19.25	32.00	31.02	29.35	35.85	38.85
14.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	89.00	48.00	220.00	279.00	93.77	82.39	231.49
15.	पश्चिम बंगाल	13.03	27.00	35.62	22.00	17.04	28.57	30.35
	कुल	547.75	738.33	880.52	753.02	773.93	769.12	928.24

*30.11.2001 तक

विवरण-II

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	31.3.2001 तक डीपीईपी के तहत शिक्षकों की नियुक्ति पर खर्च की गई राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13184.00
2.	असम	0.00
3.	बिहार	140.39
4.	झारखंड	86.74
5.	गुजरात	18.26
6.	हरियाणा	186.25

1	2	3
7.	हिमाचल प्रदेश	2744.94
8.	कर्नाटक	10120.98
9.	केरल	261.02
10.	मध्य प्रदेश	13805.84
11.	छत्तीसगढ़	3913.65
12.	महाराष्ट्र	8840.62
13.	उड़ीसा	427.00
14.	राजस्थान	14.40
15.	तमिलनाडु	3414.00
16.	उत्तर प्रदेश	4725.03
17.	उत्तरांचल	107.00
18.	पश्चिम बंगाल	0.00
	कुल	61990.12

विवरण-III

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल परियोजना परिव्यय	31.3.2001 तक भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियां	अनुमोदित कार्य योजना एवं बजट 2001–2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	744.22	409.68	228.14
2.	असम	282.07	170.32	68.53
3.	बिहार	651.17	111.96	119.67
4.	झारखंड*			49.01
5.	गुजरात	220.65	70.25	41.41
6.	हरियाणा	239.28	124.18	96.11
7.	हिमाचल प्रदेश	129.28	70.29	41.25
8.	कर्नाटक	371.82	308.40	83.45
9.	केरल	184.21	130.16	49.55
10.	मध्य प्रदेश	959.84	681.69	275.60
11.	छत्तीसगढ़*			66.02
12.	महाराष्ट्र	338.23	207.60	133.02
13.	उड़ीसा	543.94	86.88	184.63
14.	राजस्थान	817.30	48.00	186.82
15.	तमिलनाडु	214.75	155.35	84.12
16.	उत्तर प्रदेश	1416.91	411.49	537.42
17.	उत्तरांचल*			28.74
18.	पश्चिम बंगाल	410.57	95.15	106.54
	कुल	7524.25	3079.40	2380.05

*छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल के संबंध में कुल परियोजना परिव्यय तथा जारी की गई निधियां मूल राज्य के आंकड़ों में शामिल हैं।

किसानों के लिए बीमा योजना

***215. श्री सुबोध मोहिते** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी योजना आरंभ की है जिसके अंतर्गत किसान उर्वरकों की खरीद पर बीमा सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को किन–किन राज्यों में कार्यान्वित किया गया है; और

(घ) इस योजना के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको), कृषक भारती कोओपरेटिव

लिमिटेड (कृभको) एवं इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) ने 1 अक्तूबर, 2001 से "संकट हरण बीमा योजना" नामक बीमा स्कीम प्रारंभ की है। यह स्कीम "इफको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड" (आईटीजीआई) के द्वारा प्रचालित की जा रही है। स्कीम का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

(i) स्कीम इफको/कृभको/आईपीएल उर्वरकों के 50 किलो के प्रत्येक बैग की खरीद पर किसानों को 4,000 रुपये धनराशि की मुफ्त दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करती है।

(ii) किसी एक कृषक के लिए पॉलिसी के अंतर्गत अधिकतम देयता, उसके द्वारा खरीदे गए बैगों की संख्या का ध्यान न रखते हुए केवल एक लाख रुपये तक सीमित होगी।

(iii) इफको/कृभको/आईपीएल निर्धारित प्रिमियम अदा करेगी और इस प्रकार सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य में कोई वृद्धि नहीं। पॉलिसी के अंतर्गत केवल उर्वरक क्रेता किसी प्रकार के देय लाभ के पात्र होंगे।

(iv) सहकारी समिति और कृषक सेवा केंद्र द्वारा जारी नकद रसीद या नामे नोट (जब उर्वरक साख पत्र पर खरीदा जाता है) बीमा के लिए एकमात्र साक्ष्य होगा। जहां तक बीमा के साक्ष्य का संबंध है, आई टी जी आई द्वारा कोई अन्य दस्तावेज या प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) स्कीम संपूर्ण देश में प्रचालित है और सहकारी समितियों के माध्यम से इफको/कृभको/आईपीएल की उर्वरकों की बिक्री पर लागू है।

(घ) चूंकि स्कीम हाल ही में प्रारंभ की गई है, अतः कुछ समय तक इसके प्रचालन के पश्चात ही प्रतिक्रिया जानी जा सकेगी।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का अधिदेश

***216. श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्राथमिक विद्यालयों की कमी के मद्देनजर मुक्त विद्यालय योजना द्वारा अतिरिक्त जिम्मेदारी वहन करने हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के अधिदेश को पुनः लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य कर रहे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य स्कूल स्तर पर प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु सामान्य, व्यावसायिक और सतत शिक्षा के प्रयोजनार्थ अध्ययन के लिए बहुत से पाठ्यक्रम निर्धारित अथवा संचालित करना है। इस प्रकार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के दायित्व में प्राथमिक स्कूलों के संबंध में भी कार्यक्रम निर्धारित करना शामिल है। शिक्षा के सर्वसुलभीकरण में योगदान देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने मुक्त बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है जो मौजूदा औपचारिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम के समकक्ष हैं और औपचारिक पद्धति का विकल्प है। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय लाभवंचित समुदायों के बच्चों विशेषकर स्कूल न जाने वाले बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को शैक्षिक तथा तकनीकी सहायता देता है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने मुक्त बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के लिए कई संगठनों को प्रत्यायन प्रदान किया है।

मुक्त बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के निम्नलिखित तीन स्तर हैं–(क) तैयारी शिक्षा स्तर; (ख) प्राथमिक शिक्षा स्तर; और (ग) प्रारंभिक शिक्षा स्तर; जो औपचारिक स्कूलों के शिक्षा स्तर तीन, पांच और आठ के समकक्ष हैं। मुक्त बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम कुल मिलाकर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचे में निर्धारित अध्ययन योजना के अनुरूप हैं। तथापि, शैक्षिक तथा कार्य अनुभव पाठ्यक्रमों के चयन में उदारता बरती जाती है। मुक्त बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के अधीन तैयार की गई सामग्री में निम्नलिखित सामग्री शामिल है–(i) स्वतः अध्ययन सामग्री; (ii) भाषा, गणित तथा पर्यावरण अध्ययनों में नमूना प्रश्न–पत्र तैयार करने हेतु ब्लू प्रिंट, (iii) नमूना परीक्षा प्रश्न–पत्र, और (iv) बड़ी तादाद में प्रश्न बैंक मदें।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास परियोजनाएं

***217. श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को ग्रामीण विकास परियोजनाओं के संबंध में एक कार्य–योजना तैयार करने और उसे प्रधान मंत्री को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने कार्य–योजना प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (घ) यद्यपि ऐसा कोई विशेष निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालय/विभागों से कहा गया है कि वे 10–15 वर्षों की समय सीमा वाला एक "दृष्टिकोण पत्र" तैयार करें जिसमें वह दिशा इंगित की गई हो जिस दिशा में मंत्रालय बढ़ना चाहता है तथा इससे प्राप्त किए जा सकने वाले प्रमुख उद्देश्यों का भी उल्लेख हो।

इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय खेल प्राधिकरण की गतिविधियां

***218. श्री राजो सिंह** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण की गतिविधियां केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में इस प्राधिकरण की इकाइयों का स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक इन इकाइयों पर राज्य–वार और इकाईवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय खेल प्राधिकरण (भा खे प्रा) वस्तुतः निम्नलिखित स्थानों पर अपने छः क्षेत्रीय केंद्रों और एक उप–केंद्र के माध्यम से कई खेल संवर्धनकारी योजनाएं जैसे कि राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता, सेना बाल खेल कंपनी, भा. खे. प्रा. प्रशिक्षण केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र और विशेष क्षेत्र खेल आदि योजनाएं कार्यान्वित करता है :

(1) चंडीगढ़ स्थित उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र

(2) कोलकाता स्थित पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र

(3) बंगलौर स्थित दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र

(4) गांधी नगर स्थित पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र

(5) इम्फाल स्थित उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र

(6) भोपाल स्थित केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र

(7) गुवाहाटी स्थित उत्तर–पूर्वी उप–केंद्र

इसके अलावा, दो अग्रणी शैक्षिक संस्थाएं, नामतः, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, तिरूवनंतपुरम, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा क्रमशः प्रशिक्षण और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए संचालित किए जा रहे हैं। भा. खे. प्रा. एजेंसी आधार पर भी कुछ सरकारी योजनाएं कार्यान्वित करता है।

भारतीय खेल प्राधिकरण, दिल्ली स्थित निम्नलिखित स्टेडियमों के उपयोग तथा अनुरक्षण के कार्य में भी लगा हुआ है :

- जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम
- राष्ट्रीय स्टेडियम
- इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम
- तालकटोरा तरणताल
- डा. कर्णी सिंह निशानेबाजी रेंज।

(ग) भा. खे. प्रा. की खेल संवर्धनकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण एककों के ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रत्येक एकक पर किए गए व्यय के क्षेत्र–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.) योजना के अंतर्गत स्कूलों/अखाड़ों व प्रशिक्षणार्थियों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्कूल	खेल विधा	1998–99 के दौरान संख्या	1999–2000 के दौरान संख्या	2000–2001 के दौरान संख्या	2001–2002 के दौरान संख्या		
						आव.	गैर आ.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	दक्षिणी क्षेत्र							
1.	सैंट जोसफ इंडियन हाई	एथलेटिक्स	25	10	09	04	04	08
	स्कूल, बंगलौर	फुटबाल	11	14	18	06	12	18
		हाकी	15	25	23	12	26	38
		तैराकी	03	03	07	03	03	06
		बास्केटबाल	–	03	10	–	11	11
2.	वी. पी. सिद्धार्था पब्लिक	एथलेटिक्स	10	03	03	03	14	17
	स्कूल विजयवाड़ा (आ.प्र.)	बैडमिंटन	07	12	17	03	11	14
		जिमनास्टिक	04	11	18	02	09	11
3.	माउंट कर्मिल स्कूल, कोट्टायम	एथलेटिक्स	09	09	13			–
		कुल	84	90	116			123
	पूर्वी क्षेत्र							
4.	सेंट इग्नाशियस हाई स्कूल	फुटबाल	41	32	24	11		11
	गुमला (बिहार)	हाकी	44	37	31	27		27
		एथलेटिक्स	18	13	13	–		–
5.	सुकंतनगर विद्यानिकेतन	फुटबाल	16	26	23	27		27
	साल्टलेक सिटी, कलकत्ता	एथलेटिक्स	15	15	15	11		11
		जिम्नास्टिक्स	05	07	07	16		16
		तैराकी	–	16	16	11		11
6.	बी. एस. हाई स्कूल, सुंदरगढ़	एथलेटिक्स	07	18	18	16		16
		हाकी	13	23	23	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	उमाकांत अकादमी,	फुटबाल	29	22	20	08		08
	अगरतला, त्रिपुरा	जिम्नास्टिक	27	14	14	03		03
8.	ताशीनामग्याल अकादमी,	फुटबाल	07	18	17	03		03
	गंगटोक	तैराकी	05	27	27	02		02
		टेबल टेनिस	–	03	03	01		01
		एथलेटिक्स	–	02	00	–		–
		बैडमिंटन	–	01	02	01		01
9.	गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल,	एथलेटिक्स	16	05	05	01		01
	रांची	हाकी	36	37	37	21		21
10.	जी.जी. हाईसैंक स्कूल	एथलेटिक्स	17	18	18	10		10
	कृष्ण नगर	जिम्नास्टिक्स	21	12	07	05		05
11.	सैंट मेरी जी.एच स्कूल	एथलेटिक्स	–	13	11	12		12
	सुंदरगढ़	फुटबाल	–	25	25	–		–
		हाकी	–	12	10	12		12
		वालीबाल	–	06	06	06		06
12.	डोवहिल जी.एच. स्कूल,	एथलेटिक्स	–	32	32	25		25
	कुर्सियांग	फुटबाल	–	26	26	10		10
		हाकी	–	32	32			
		कुल	317	492	462			239
	केंद्रीय क्षेत्र							
13.	एम. कन्या पाठशाला	हाकी	18	16	14			
	इंटर कालेज (उ.प्र.)	टेबल टेनिस	–	01	03			–
		बैडमिंटन	–	–	–			
14.	राजकीय बहुउद्देशीय एच. एस.	एथलेटिक्स	10	14	09	04	20	24
	विद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश	जिम्नास्टिक	07	06	07	04	17	21
		कुश्ती	–	22	15	01	21	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	उदय प्रताप इंटर कालेज,	एथलेटिक्स	10	04	03	–	18	18
	वाराणसी	फुटबाल	11	06	–	–	30	30
		हाकी	09	15	09	04	18	22
		बास्केटबाल	–	17	10	01	34	44
16.	कोल्विन तालुकदार	टेबल टेनिस	10	04	–	–		–
	कालेज, लखनऊ	तैराकी	–	02	01	–		–
17.	महारानी लक्ष्मीबाई	एथलेटिक्स	12	04	01	–	05	05
	बहुउद्देश्यीय एच.एस.,					–	07	07
	जबलपुर, मध्य प्रदेश							
		कुल	87	111	72	14	170	184
	पश्चिमी क्षेत्र							
18.	मुक्तांगना इंग्लिश स्कूल,	एथलेटिक्स	09	14	08	–	03	03
	पुणे	जिम्नास्टिक	11	11	07	–	09	09
19.	प्रवारा पब्लिक स्कूल,	एथलेटिक्स	15	–	–	–		
	प्रवारानगर, अहमदाबाद	जिम्नास्टिक	10	–	–	–	08	08
		बास्केटबाल	10	–	–	–		
		तैराकी	06	–	–	–		
20.	भूपाल'स नूलस एच.एस.	एथलेटिक्स	13	09	06	01	05	06
	स्कूल, उदयपुर (राज.)	कुश्ती	11	05	–	–	04	04
		बास्केटबाल	–	10	03	–	15	15
21.	भोंसला मिल्ट्री स्कूल,	हाकी	14	14	14	–	13	13
	नासिक (महाराष्ट्र)	एथलेटिक्स	–	16	15	–	07	07
22.	संजीवन विद्यालय पंचग्नि	बास्केटबाल	09	–	–	–		–
23.	सैंट एंथोनी, एच.एस.	फुटबाल	21	21	21	–	21	21
	गोवा	एथलेटिक्स	20	20	23	–	20	20
		हाकी				–	08	08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	श्री गुरु नानक खालसा	वालीबाल			11	–	02	02
	स्कूल, श्रीगंगानगर					–	20	20
						–	08	08
		कुल	149	120	108	01	118	143
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र							
25.	डोनी पोलो विद्या भवन,	एथलेटिक्स	25	14	11	08	–	08
	इटानगर	फुटबाल	08	01	08	01	28	29
26.	डान बास्को एच.एस.,	तैराकी	08	04	05	05	–	05
	गुवाहाटी	टेबल टेनिस	09	09	09	09	02	11
		बास्केटबाल	08	06	04	04	03	07
27.	सैनिक स्कूल, इम्फाल,	एथलेटिक्स	08	03	–	01	–	01
	मणिपुर	बैडमिंटन	06	03	–	03	–	03
		फुटबाल	14	09	–	06	–	06
		हाकी	14	01	–	01	–	01
28.	एंथोनी स एच.एस.,	फुटबाल	17	17	14	–	–	–
	शिलांग					–	14	14
		कुल	117	67	62	38	47	85
	उत्तरी क्षेत्र							
29.	शिवालिक पब्लिक	एथलेटिक्स	05	09	09	–	–	–
	स्कूल, चंडीगढ़	फुटबाल	26	20	–	01	13	14
		वालीबाल	17	21	16	–	–	–
		हाकी	18	15	14			
30.	गवर्नमेंट गर्ल्स एस.एस.	एथलेटिक्स	45	18	10	04	16	20
	स्कूल, जालंधर	हाकी	22	10	05	01	08	09
31.	मोतीलाल नेहरू स्कूल	एथलेटिक्स	14	06	06	–	03	03
	ऑफ स्पोर्ट्स राई, हरियाणा	जिम्नास्टिक	05	09	05	02	01	03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		तैराकी	06	16	10	03	03	06
32.	सी.आर.जैड. सीनियर	एथलेटिक्स	15	07	07	01	07	08
	सैकेंडरी स्कूल, सोनीपत	हाकी	29	21	21	07	14	21
		कुश्ती	24	25	21	10	08	18
		कुल	156	177	124	29	73	102
	अखाड़ा							
1.	क्रीड़ा विकास व्यायाम मंडल सांग्ली (महाराष्ट्र)	कुश्ती	09	15	11		09	09
2.	गोकुल उस्ताद तालिम, पुणे	कुश्ती	15	22	16		20	20
		कुल	24	37	27		29	29
	कुल योग		1033	1094	971	319	586	905

पिछले चार वर्षों के दौरान सेना बाल खेल कंपनी प्रशिक्षणार्थियों की संख्या

क्र.सं.	बाल खेल कंपनी का नाम	आमेलन से पहले खेल विधाएं	1998-99 के दौरान संख्या	1999-2000 के दौरान संख्या	आमेलन के बाद खेल विधाएं	2000-2001 के दौरान संख्या	2001-2002 के दौरान संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आई.एस.टी.सी.,	हाकी	23	18	मुक्केबाजी	22	22
	जबलपुर	मुक्केबाजी	17	23	बास्केटबाल	03	03
					हाकी	11	11
					फुटबाल	23	23
2.	के.आर.सी., रानीखेत	मुक्केबाजी	22	22	2000–2001 के दौरान बंद कर दिया गया तथा प्रशिक्षणार्थियों को अन्य बालखेल कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया।		
		फुटबाल	19	18			
3.	बी.ई.जी., रुड़की	जिम्नास्टिक	10	11	एथलेटिक्स	37	37
		एथलेटिक्स	19	21	जिम्नास्टिक	12	06
		कयाकिंग एवं	21	24	तैराकी	16	00
		केनोइंग			कयाकिंग एवं केनोइंग	20	14

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	जे.आर.सी., बरेली	वालीबाल	12	22	एथलेटिक्स	15	10
		बास्केटबाल	12	12	कुश्ती	18	08
		कुश्ती	17	20	वालीबाल	29	22
					बास्केटबाल	20	07
5.	आर.आर.सी., कैंट दिल्ली	वालीबाल	08	10	2000–2001 के दौरान बंद कर दिया गया तथा प्रशिक्षणार्थियों को अन्य बालखेल कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया।		
		बास्केटबाल	08	08			
		एथलेटिक्स	14	14			
6.	58 जी.टी.सी., शिलांग	मुक्केबाजी	11	12	मुक्केबाजी	26	16
		फुटबाल	20	27	फुटबाल	38	32
		तीरंदाजी	11	11	तीरंदाजी	14	19
7.	ए.आर.सी., शिलांग	मुक्केबाजी	13	14	2000–2001 के दौरान बंद कर दिया गया तथा प्रशिक्षणार्थियों को अन्य बालखेल कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया।		
		फुटबाल	25	29			
8.	बी.आर.सी., दानापुर,	हाकी	30	36	हाकी	52	45
		फुटबाल	42	46	फुटबाल	33	26
9.	एस.आर.सी., रामगढ़	हाकी	14	18	2000–2001 के दौरान बंद कर दिया गया तथा प्रशिक्षणार्थियों को अन्य बालखेल कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया।		
		एथलेटिक्स	18	18			
10.	एम.ई.जी., बंगलौर	हाकी	09	25	2000–2001 के दौरान बंद कर दिया गया तथा प्रशिक्षणार्थियों को अन्य बालखेल कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया।		
		मुक्केबाजी	15	22			
		तैराकी	17	21			
11.	एम.एल.आई.आर.सी., बेलगांव	हाकी	31	32	2000–2001 के दौरान बंद कर दिया गया तथा प्रशिक्षणार्थियों को अन्य बालखेल कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया।		
		कुश्ती	12	15			
12.	आरती सैंटर हैदराबाद	एथलेटिक्स	20	17	एथलेटिक्स	32	32
		कुश्ती	12	12	मुक्केबाजी	22	15
		वालीबाल	09	09	वालीबाल	32	22
					बास्केटबाल	16	20

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	बी.ई.जी., किरकी	मुक्केबाजी	23	21	मुक्केबाजी	14	12
		तैराकी	18	17	जिम्नास्टिक	13	12
		जिम्नास्टिक	12	12	कुश्ती	17	13
		रोईंग	10	10	तैराकी	25	24
					रोईंग	10	09
14.	आरती सैंटर, नासिक	बास्केटबाल	12	17	2000–2001 के दौरान बंद कर दिया गया तथा		
		कुश्ती	21	29	प्रशिक्षणार्थियों को अन्य बालखेल कंपनियों में		
					स्थानांतरित कर दिया गया।		
15.	जी.आर.सी.,	वालीबाल	12	13	2000–2001 के दौरान बंद कर दिया गया तथा		
	काम्पटी	बास्केटबाल	21	21	प्रशिक्षणार्थियों को अन्य बालखेल कंपनियों में		
		तैराकी	07	07	स्थानांतरित कर दिया गया।		
		एथलेटिक्स	09	09			
16.	ए.एस.सी., बंगलौर	हाकी	20	25	तैराकी	18	07
		बास्केटबाल	11	14	हाकी	59	63
		फुटबाल	13	25	फुटबाल	28	33
					बास्केटबाल	10	18
	कुल योग		700	807		691	568

विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) (विद्यमान केंद्रों की सूची)

क्र.सं.	क्षेत्र/केंद्र	खेल–विधा	कुल संख्या 1999–2000			वास्तविक संख्या 2000–2001			वास्तविक संख्या 2001–2002		
			लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	पूर्वी										
1.	रांची	एथलेटिक्स	07	05	12	15	–	15	10	02	12
		तीरंदाजी	09	10	19	11	01	12	05	–	05
		हाकी	33	25	58	30	24	54	26	14	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		वालीबाल	13	07	20	11	13	24	09	13	22
		कुल	62	47	109	67	38	105	50	29	79
2.	जगतपुर	रोइंग				20		20	12	07	19
		केनोइंग एवं	07	06	13	04		04	02		02
		कयाकिंग	07	03	10	09		09	09	–	09
		कुल	14	09	23	33		33	23	07	30
3.	पोर्टब्लेयर	साइक्लिंग				13	06	19	04	04	08
		फुटबाल	20	12	32	25	–	25	21	–	21
		रोइंग	42	–	42	10	08	18	02	07	09
		केनोइंग एवं	33	22	55				01	–	01
		कयाकिंग				23	01	24	05	04	09
		एथलेटिक्स	10	10	20	07	08	15	03	01	04
		भारोत्तोलन	7	13	20	10	–	10	10	–	10
		कराटे				06	07	13			
		कुल	112	57	169	93	30	123	46	16	62
4.	मुजफ्फरपुर	एथलेटिक्स				27		27	14	–	14
		कबड्डी				11		11	13	–	13
		फुटबाल				19		19	06	–	06
		वालीबाल				–					
		कुल				57		57	33	–	33
5.	किशनगंज	फुटबाल				22		22	10	–	10
		वालीबाल				12		12	07	–	07
		कुल				34		34	17	–	17
6.	अगरतला	जूडो				09		09	–	–	–
		फुटबाल				23		23	28	–	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		एथलेटिक्स					12	12	21	–	21
		तैराकी				04	64	08	30	–	30
		कुल				36	16	52	79	–	79
7.	नामची	फुटबाल				18	–	18	11	–	11
		मुक्केबाज़ी				14	–	14	09	–	09
		कुल				32	–	32	20	–	20
	उत्तरपूर्वी										
1.	इम्फाल	मुक्केबाजी	33	–	33	32		32	21	–	21
		जूडो	18	10	28	13	13	26	09	11	20
		भारोत्तोलन	03	22	25	03	16	19	03	13	16
		कुश्ती	15	05	20	05	05	10	05	08	13
		फैंसिंग				12	08	20	14	08	22
		तैराकी/गोताखोरी				10	04	14	10	04	14
		युसु				08	01	9	09	01	10
		निशानेबाजी				11	08	19	13	09	22
		जिम्नास्टिक्स							07	06	13
		वकी							17	02	19
		कराटे							13	02	15
		कुल	69	37	106	94	55	149	121	64	185
2.	ऐजवाल	मुक्केबाजी	29	–	29	22		22	20	–	20
		जूडो	09	05	14	10	04	14	11	04	15
		कुश्ती	–	–	–	07	04	11	11	02	05
		भारोत्तोलन	02	–	02	13		13		02	08
		कराटे				13		13	–	–	05
		ताईक्वांडो				13		13	13	05	18
		कुल	40	05	45	78	08	86	54	13	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	उटलोब	मुक्केबाजी				11		11	11	–	11
		ताईक्वांडो				09		09	10	–	10
		भारोत्तोलन				09		09	08	–	08
		फुटबाल				20		20	20	–	20
		कुल				49		49	49	–	49
	दक्षिणी										
1.	एलेप्पी	रोइंग				12	10	22	09	14	23
		केनोइंग एवं	14	10	24	07	–	07	07	–	07
		कयाकिंग	29	11	40	10	10	20	13	10	23
		कुल	43	21	64	29	20	49	29	24	53
2.	तेल्लिचेरी	जिम्नास्टिक्स				17	07	24	15	03	18
		एथलेटिक्स	28	16	44				–	01	01
		भारोत्तोलन	05	–	05				–	–	–
		फैंसिंग				13	10	23	04	10	14
		बैडमिंटन					08	08	–	14	14
		वालीबाल							–	11	11
		ताईक्वांडो							12	–	12
		कुल	33	16	49	30	25	55	30	40	70
4.	नागरकोइल	एथलेटिक्स				18		18	03	08	11
		कराटे					08	08	10	–	10
		कुल				18	08	26	13	08	21
	केंद्रीय										
1.	दिल्ली गुरुकुल तीरंदाजी एकेडमी (एसो. केंद्र)	तीरंदाजी				28		28	28		28
		कुल				28		28	28		28
2.	इलाहाबाद (एसो. केंद्र)	जिम्नास्टिक्स				120		120	120		120
		कुल				120		120	120		120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	उपकेंद्र गुवाहाटी										
1.	नाहरलागुन	मुक्केबाजी				08	03	11	09	03	12
		बैडमिंटन				02		02	–	–	–
		ताईक्वांडो				09	05	14	10	04	14
		कराटे				10	04	14	10	04	14
		भारोत्तोलन				05	04	09	05	06	11
		कुल				34	16	50	34	17	51

विशेष क्षेत्र खेल योजना

क्र.सं.	क्षेत्र/केन्द्र	कुल संख्या 1999-2000			वास्तविक संख्या 2000-2001			वास्तविक संख्या 2001-2002		
		लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
1.	पूर्वी क्षेत्र	188	113	301	352	84	436	268	52	320
2.	उत्तर पूर्व क्षेत्र	109	42	151	221	63	284	228	77	305
3.	दक्षिणी क्षेत्र	76	37	113	77	53	130	72	72	144
4.	केंद्रीय क्षेत्र				148		148	148	–	148
5.	उप केंद्र गुवाहाटी				34	16	50	34	17	51
	कुल	373	192	565	832	216	1048	750	218	968

भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र–खेल–विधा–वार (1999–2000 तथा 2000–2001, 2001–2002)

केंद्रों की संख्या–5

क्र.सं.	खेल/विधा	कुल संख्या 1999-2000			वास्तविक संख्या 2000-2001			वास्तविक संख्या 2001-2002		
		लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	पश्चिमी केंद्र									
	1. एसटीसी, कांडीवली									
1.	एथलेटिक्स	30	8	38	30	7	37	24	6	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	हाकी	24	7	31	36		18			18
3.	कुश्ती	16		16	21		10			10
4.	कबड्डी	12		12	15			12		12
5.	जूडो									
6.	टेबल टेनिस									
7.	हैंडबाल									
8.	लान टेनिस									
9.	बिलियर्ड्स									
	कुल	82	15	97	0	7	7	95	8	103
2.	**एसटीसी, गांधीनगर**									
1.	एथलेटिक्स	39	5	44	29	10	39	24	6	30
2.	हाकी	10		10	8	20	28		16	16
3.	हैंडबाल	20		20	15		15	18		18
4.	तैराकी	13		13	31	2	33	23	3	26
5.	कुश्ती	10		10	9		9	10		10
6.	बास्केटबाल	16		16	14		14	15		15
7.	फुटबाल	19		19	20		20	14		14
8.	टैनिस									
9.	कबड्डी				8		8	21		21
	कुल	127	5	132	134	32	166	125	25	150
3.	**एसटीसी, पॉडा (गोवा)**									
1.	एथलेटिक्स	5	4	9	2		2			
2.	मुक्केबाजी	19		19	16	4	20	13		13
3.	फुटबाल	9		9	29	27	56	26		26
4.	जूडो				17	13	30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	तैराकी				6	8	14			
6.	गोताखोरी				3	4	7			
7.	जलक्रीड़ा									
8.	केनोइंग									
9.	कयाकिंग									
10.	याटिंग									
	कुल	33	4	37	73	56	129	39		39
4.	**एसटीसी, अलवर**									
1.	एथलेटिक्स	26		26	19		19	19		19
2.	बास्केटबाल	17		17	8	10	18			
3.	वालीबाल	12		12	17		17	14		14
4.	हाकी					30	30	20		20
5.	कबड्डी									
	कुल	55		55	44	40	84	53		53
5.	**एसटीसी, जोधपुर**									
1.	एथलेटिक्स	12		12	11		11	11		11
2.	वालीबाल	13		13	9		9	15		15
3.	बास्केटबाल	19		19	14		14	15		15
4.	कराटे				10	5	15			
5.	हैंडबाल							14		14
	कुल	44		44	44	5	49	55		55
6.	**एसटीसी, पेडुम (गोवा)**									
1.	एथलेटिक्स								14	14
2.	फुटबाल								18	18
3.	जूडो								12	12
	कुल								44	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	**एसटीसी, पणजी (गोवा)**									
1.	तैराकी							6	5	11
2.	गोताखारी							3		3
3.	एथलेटिक्स									
4.	बैडमिंटन									
5.	टेबल टेनिस									
	कुल							9	5	14
8.	**एसटीसी, मारगांव**									
1.	हैंडबाल									
2.	ताईक्वांडो									
3.	कबड्डी									
4.	जूडो									
5.	एथलेटिक्स							11		11
6.	बैडमिंटन									
7.	तैराकी									
	कुल							11		11
दक्षिणी केंद्र		केंद्रों की संख्या–15								
1.	**एसटीसी, धारवाड़**									
1.	एथलेटिक्स	13	14	27	12	14	26	15	13	28
2.	बास्केटबाल	13		13	20	9	29	18		18
3.	कुश्ती	14		14	14		14	12		12
4.	जिम्नास्टिक्स	17		17	14	3	17	10	10	20
	कुल	57	14	71	60	26	86	57	23	78
									68	10
									आवा.	गैर. आ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	**एसटीसी, मेदीकेरी**									
1.	एथलेटिक्स					21	21		20	20
2.	हाकी		39	39		24	24		25	25
	कुल		39	39		45	45		45	45
										45 आ.
3.	**एसटीसी, कालीकट**									
1.	एथलेटिक्स									
2.	बास्केटबाल	13		13	14		14	14		14
3.	फुटबाल	19	2	21	8		8			
4.	वालीबाल	11		11	15		15	18		18
	कुल	43	2	45	37		37	32		32
										32 , आवा.
4.	**एसटीसी, कोल्लम**									
1.	मुक्केबाजी				5		5	8	5	13
2.	एथलेटिक्स	12	6	18	14	8	22	15	5	20
3.	हाकी	31	11	42	25	20	45	16	13	29
4.	वालीबाल		15	15		24	24		28	28
	कुल	43	32	75	44	52	96	39	51	90
										83 आ. 7 गैर. आ.
5.	**एसटीसी, त्रिचूर**									
1.	वालीबाल					23	23			
2.	एथलेटिक्स	11	6	17	17	17	34	15	14	29
3.	बास्केटबाल		12	12		13	13		14	14
4.	बैडमिंटन	4	1	5	5	3	8	5	3	8
5.	तैराकी	6	6	12	9	6	15	7	5	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	भारोत्तोलन					4	4		5	5
	कुल	21	25	46	31	66	97	27	41	68
									63 आ.	5 गैर.आ.
6.	**एसटीसी, चेन्नई**									
1.	हाकी	37		37	28	20	48	32	16	48
2.	फुटबाल	35		35	25		25	24		24
3.	वालीबाल	16	8	24		10	10		15	15
4.	मुक्केबाजी				8		8	12		12
5.	कबड्डी				8	11	19	13	10	23
	कुल	88	8	96	69	41	110	81	41	122
									107 आ.	15 गैर.आ.
7.	**एसटीसी, सलेम**									
1.	एथलेटिक्स	30		30	15	11	26	12	7	19
2.	वालीबाल	12		12	14	8	22	12	7	19
3.	भारोत्तोलन	5		5						
4.	बास्केटबाल	3		3	13	14	27	7	8	15
5.	तैराकी									
6.	बैडमिंटन									
	कुल	50		50	42	33	75	31	22	53
									22 आ.	31 गैर.आ.
8.	**एसटीसी, पांडिचेरी**									
1.	फुटबाल									
2.	हाकी	34		34	28		28	21		21
3.	वालीबाल	21		21	14		14	12		12
4.	भारोत्तोलन	16		16	18		18	14		14
	कुल	71		71	60		60	47		47
									46 आ.	1 गै. आ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	**एसटीसी, सिकंद्राबाद**									
1.	एथलेटिक्स				6	3	9	5	5	10
2.	मुक्केबाजी	11		11	9	6	15			
3.	फुटबाल				21		21			
4.	हाकी	27		27	32	20	52	29	18	47
5.	बैडमिंटन	3		3	26		26	9	4	13
6.	तैराकी		13	13	5	6	11			
	कुल	41	13	54	93	35	125	43	27	70
									58 आ.	12 गै. आ.
10.	**एस.टी.सी., ईलूर**									
1.	एथलेटिक्स	5	2	7		1	1			
2.	बास्केटबाल	9		9	2		2			
3.	वालीबाल	9		9	5		5			
4.	भारोत्तोलन	13		13	22	13	35	11	13	34
	कुल	36	2	38	29	14	43	11	13	34
										34 आ.
11.	**एस.टी.सी., निजामाबाद**									
1.	तीरंदाजी	19		19	22	10	32	17	10	27
	कुल	19		19	22	10	32	17	10	27
									17 आ.	10 गै. आ.
12.	**एस.टी.सी., बंगलौर**									
1.	एथलेटिक्स	4	7	11	9	6	15	9	7	16
2.	बाक्सिंग	3		3	12		12	11		11
3.	फुटबाल	18		18	24		25	24		25
4.	हाकी	48		48	60		60	42		42
5.	भारोत्तोलन	1	3	4	14	4	18		5	5
6.	जूडो	8	1	9				14	3	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	कबड्डी				15		15	13		13
8.	टेबल–टेनिस				14	12	26	13	10	23
9.	कराटे				8	8	16			
10.	ताईक्वांडो				19	9	28	8	8	16
11.	निशानेबाजी				3		3	3		3
12.	तीरंदाजी				6	5	11	6	4	10
13.	वालीबाल				16	5	21	11		11
14.	बैडमिंटन				4	5	9	3	3	6
	कुल	82	11	93	204	54	258	158	40	198
									153 आ.	45 गै.आ.
13.	**एस.टी.सी., त्रिवेंद्रम**									
1.	एथलेटिक्स	7	6	13	22	4	26	15	9	24
2.	जिम्नास्टिक्स	9		9	8	3	11	7	7	14
3.	साईक्लिंग	8	10	18	8	7	15	16	5	21
	कुल	24	16	40	38	14	52	38	21	59
14.	**एस.टी.सी., मेडक**									
1.	एथलेटिक्स				12		12	18	3	21
2.	बाक्सिग							15		15
	कुल				12		12	33	3	36
										36 आ.
15.	**एस.टी.सी., कुरनूल**									
1.	फुटबाल				29		29	13		13
2.	फैंसिंग				11		11			
	कुल				40		40	13		13
										13 आ.
	कुल योग							599	314	913
									777 आ.	136 गै.आ.

क्र.सं.	खेल/विधा	1999-2000			2000-2001			2001-2002			
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
उत्तरी केंद्र			केन्द्रों की संख्या 10								
1.	**एस.टी.सी., भिवानी**										
1.	एथलेटिक्स	23		23	19		19	26	–	26	24आ.+2 50%
2.	मुक्केबाजी	26		26	22		22	28	–	28	24 आ.+4 गै. आ.
3.	वालीबाल	11		11	12		12	10	–	12	
4.	कुश्ती	27		27	20		20	22	–	22	
5.	कबड्डी								–	–	
	कुल	87		87	73		73	86	–	86	
2.	**एस.टी.सी., कुरुक्षेत्र**										
1.	बास्केटबाल				14		14	7	–	7	
2.	हाकी	30		30	10		10	18	–	18	17 आ.+1 गै. आ.
3.	एथलेटिक्स	7		7	19		19	10	–	10	
4.	वालीबाल	12		12	17		17	8	–	8	
	कुल	49		49	60		60	43	–	43	
3.	**एस.टी.सी., पटियाला**										
1.	एथलेटिक्स	6		6	12		12	12	–	12	11 आ.+1 50%
2.	बास्केटबाल	5		5			0	–	–	–	
3.	साईक्लिंग	11	2	13	9	2	11	9	1	10	4 गै. आ.
4.	जिम्नास्टिक		4	4		2	2	–	4	4	2 आ.+2 गै. आ.
5.	हाकी	22		22	12		12	17		17	15 आ.+2 गै. आ.
6.	जूडो	5	3	8	7	2	9	9	1	10	7 आ.+3 गै. आ.
	कुल	49	9	58	40	6	46	47	6	53	
4.	**एस.टी.सी., बिलासपुर**										
1.	एथलेटिक्स	20		20	14	7	21	9	3	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	बॉक्सिंग	10		10	7		7	10		10
3.	वालीबाल	26		26	19		19	16		16
	कुल	56		56	40	7	47	35	3	38
5.	**एस.टी.सी., धर्मशाला**									
1.	एथलेटिक्स	15		15		15	15	–	13	13
2.	वालीबाल	11		11		12	12	–	12	12
3.	हाकी	27		27		22	22	–	16	16
4.	कुश्ती							–	–	–
5.	बास्केटबाल					12	12	–	8	8
6.	जूडो						0	–	–	–
	कुल	53		53		61	61	–	49	49
6.	**एस.टी.सी., चंडीगढ़**									
1.	एथलेटिक्स	12		12		6	6	–	10	10
2.	बास्केटबाल	9		9		10	10	–	7	7
3.	वालीबाल	10		10		26	26	–	11	11
4.	हाकी	19		19		14	14	–	28	28
	कुल	50		50		56	56	–	56	56
7.	**एस.टी.सी., संगरूर (भस्ताना साहब)**									
1.	एथलेटिक्स				8		8	10	–	10
2.	वालीबाल				9		9	13	–	13
3.	मुक्केबाजी				17		17	19	–	19
	कुल				34		34	42	–	42
8.	**एस.टी.सी., बादल**									
1.	एथलेटिक्स					2	2	–	3	3
2.	वालीबाल					2	2	–	6	6
3.	हाकी						0	–	10	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बास्केटबाल					10	10	–	13	13
5.	निशानेबाजी					9	9	–	12	12
	कुल					23	23	–	44	44
9.	**एस.टी.सी., हिसार**									
1.	एथलेटिक्स							20	4	24
2.	मुक्केबाजी							13	2	15
3.	जूडो							13	4	17
4.	कुश्ती							12	4	16
5.	टेबल–टेनिस							1	5	6
	कुल							59	19	78
10.	**एस.टी.सी., उधमपुर**									
1.	एथलेटिक्स							13	–	13
2.	वालीबाल							14		14
3.	फुटबाल							20		20
4.	कबड्डी							13	–	13
	कुल							60	–	60
	कुल योग							372	177	549

क्र.सं.	खेल/विधा	1999-2000			2000-2001			2001-2002		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पूर्वी केन्द्र		केन्द्रों की संख्या 7								
1.	**एस.टी.सी., कटक**									
1.	एथलेटिक्स	4	6	10	20	12	32	11	17	28
2.	बास्केटबाल	12		12	15		15	13		13
3.	फुटबाल	9		9	21	20	41	21		21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	जिम्नास्टिक	14		14	6		6	6		6
	कुल	39	6	45	62	32	94	51	17	68
2.	**एस.टी.सी., पटना**									
1.	बैडमिंटन				5		5	1		1
2.	क्रिकेट				14		14			
3.	फुटबाल				18		18	15		15
4.	कबड्डी				17		17	10		10
5.	टेबल टेनिस				5	1	6	3		3
6.	वालीबाल				15		15	8		8
	कुल				74	1	75	37		37
3.	**एस.टी.सी., धनकनाल**									
1.	एथलेटिक्स	3		3	4		4	1		1
2.	फुटबाल	20		20	20		4	1		1
3.	कुश्ती	2		2	8		8	6		6
4.	कबड्डी				8	4	12	9		9
5.	भारोत्तोलन						0	4		4
6.	ताईक्वांडो						0			
	कुल	25		25	40	4	44	35		35
4.	**एस.टी.सी., बर्धवान**									
1.	बास्केटबाल	9		9	11		11	9		9
2.	जिम्नास्टिक	13		13		7	7	7		7
3.	वालीबाल	12		12	15		15	13		13
	कुल	34		34	26	7	33	29		29
5.	**एस.टी.सी., लीबौंग**									
1.	तीरंदाजी	7		7	6		6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	फुटबाल	20		20	15		15			
3.	टेबल टेनिस									
	कुल	27		27	21		21			
6.	**एस.टी.सी., सिलीगुड़ी**									
1.	एथलेटिक्स	4		4	8		8	3		3
2.	फुटबाल	14		14	25		25	16		16
3.	वालीबाल									
4.	कबड्डी				14	7	21	7		7
	कुल	18		18	47	7	54	26		26
7.	**एस.टी.सी., कलकत्ता**									
1.	एथलेटिक्स	10	8	18	15	11	26	14	2	16
2.	तीरंदाजी	10	5	15		13	13	6	2	8
3.	फुटबाल	23		23	24		24	26		26
4.	हाकी	23	4	27	16	8	24	24		24
5.	जिम्नास्टिक	4	7	11	9	9	18	6	2	8
6.	टेबल टेनिस							1		1
7.	तैराकी				1		1	3		3
8.	बैडमिंटन						1	1		
9.	कबड्डी				13		10	23		
10.	फैंसिंग				2		2	1		1
11.	कराटे				3		3	1		1
12.	ताईक्वांडो									
13.	वूशू									
14.	शेपाक टकड़ा				9		4	13		
15.	जूडो				4		4	12		12
16.	वालीबाल						0			
	कुल	70	24	94	96	56	152	94	6	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
केन्द्रीय केन्द्र		केन्द्रों की संख्या 11								
1.	**एस.टी.सी., धार**									
1.	एथलेटिक्स	21		21						
2.	फुटबाल				16		16			16
3.	हाकी					10	10		10	20
4.	कराटे				11	8	19		8	27
5.	ताईक्वांडो									
6.	बैडमिंटन				13	5	18		5	23
	कुल	21		21	40	23	63		23	86
2.	**एस.टी.सी., जबलपुर**									
1.	एथलेटिक्स	12	1	13	19	6	25		6	31
2.	बास्केटबाल	9		9	13	3	16		3	19
3.	वालीबाल	10		10	9	14	23		14	37
4.	बैडमिंटन				17		17			17
5.	मुक्केबाजी				12		12		12	12
6.	कुश्ती				2	13	15		13	28
7.	कराटे				13	6	19		6	25
8.	ताईक्वांडो									
	कुल	31	1	32	85	42	127		42	169
3.	**एस.टी.सी., भोपाल**									
1.	एथलेटिक्स	10		10	10	3	13		3	16
2.	बास्केटबाल	15		15	15		15			15
3.	हाकी	25		25	20		20			20
4.	रोइंग	45		45						
5.	जलक्रीड़ा				19	5	24		5	29
6.	मुक्केबाजी				8		8			8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	कराटे									
8.	ताईक्वांडो				3	7	10		7	17
	कुल	95		95	75	15	90		15	105
4.	**एस.टी.सी., काशीपुर**									
1.	मुक्केबाजी	16		16	30		30			30
2.	फुटबाल	22		22	25		25			25
3.	टेबल टेनिस	2		2	10		10			10
4.	भारोत्तोलन				11		11			11
5.	ताईक्वांडो				20	20	40		20	60
6.	कराटे				6		6			6
	कुल	40		40	102	20	122		20	142
5.	**एस.टी.सी., रायबरेली**									
1.	एथलेटिक्स	10		10	20		20			20
2.	वालीबाल	13		13	11		11			11
3.	बैडमिंटन									
4.	ताईक्वांडो				7	7	14		7	21
5.	हाकी				19		19			19
6.	तैराकी									
7.	कबड्डी									
	कुल	23		23	57	7	64		7	71
6.	**एस.टी.सी., सैफई, इटावा**									
1.	एथलेटिक्स	17	1	18	22		22			22
2.	कुश्ती	16		16	23		23			23
3.	हाकी	18		18	31		31			31
4.	हैंडबाल				9		9			9
5.	भारोत्तोलन	4		4	9		9			9
	कुल	55	1	56	94		94			94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	**एस.टी.सी., दिल्ली**									
1.	तीरंदाजी	27		27	25		25	25		25
2.	मुक्केबाजी	39	5	44	35	2	37	35	2	37
3.	जूडो	24	4	28	13	4	17	13	4	17
4.	बैडमिंटन	9	2	11	4	3	7	4	3	7
5.	लानटेनिस	7	3	10	11	5	16	11	5	16
6.	तैराकी				21	14	35	21	14	35
7.	टेबल टेनिस				8	4	12	8	4	12
8.	कबड्डी					29	29		29	29
9.	वालीबाल					21	21		21	21
10.	सेपकटाकरो				10	7	17	10	7	17
11.	वूशू				9	2	11	9	2	11
12.	निशानेबाजी				28	12	40	28	12	40
13.	हाकी					14	14	14		14
	कुल	106	14	120	117	117	234	117	117	234
8.	**एस.टी.सी., लखनऊ**									
1.	हाकी				13		13	13		13
2.	एथलेटिक्स				11	5	16	11	5	16
3.	बैडमिंटन				9	3	12	9	3	12
4.	तैराकी				9	8	17	9	8	17
5.	टेनिस				2		2	2		2
	कुल				44	16	60	44	16	60
9.	**एस.टी.सी., इलाहाबाद**									
1.	टेबल टेनिस				10		10	10		10
2.	बास्केटबाल				19		19	19		19
3.	टेनिस									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बैडमिंटन									
	कुल				29		29	29		29
10.	**एस.टी.सी., देहरादून**									
1.	टेबल टेनिस				4	7	11	4	7	11
2.	हाकी					13	13		13	13
3.	बैडमिंटन					10	10		10	10
4.	हैंडबाल					14	14		14	14
5.	बास्केटबाल					14	14		14	14
6.	ताईक्वांडो					5	5		5	5
7.	जूडो					2	2		2	2
	कुल				4	65	69	4	65	69
11.	**एस.टी.सी., आगरा**									
1.	एथलेटिक्स					14	14		14	14
2.	बालीबाल					6	6		6	6
	कुल					20	20		20	20
12.	**एस.टी.सी., राजनांदगांव**									
1.	हाकी				35		35	35		35
	कुल				647	325	872	649	465	1114

क्र.सं.	खेल/विधा	1999-2000			2000-2001			2001-2002		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तर पूर्वी केन्द्र		केन्द्रों की संख्या 5								
1.	**एस.टी.सी., दीमापुर**									
1.	बाक्सिंग	21		21	9		9	5		5
2.	फुटबाल	18		18	28		28	26		26
3.	एथलेटिक्स				5		5	4		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	ताईक्वांडो				14		14	12		12
5.	टेबल टेनिस									
	कुल	39		39	56		56	47		47
2.	**एस.टी.सी., इम्फाल**									
1.	एथलेटिक्स	25	6	31	18	14	32	13	10	23
2.	फुटबाल	3		3			0	23		23
3.	हाकी		23	23		17	17			
4.	साईक्लिंग	14	1	15	8	4	12	9	4	13
5.	हैंडबाल		19	19		16	16		19	19
6.	तीरंदाजी				6	8	14	6	8	14
7.	हाकी									
8.	कराटे				17	8	25	18	6	24
9.	सेपाक ताक्रा				11	8	19	12	12	24
	कुल	42	49	91	60	75	135	81	59	140
3.	**एस.टी.सी., गुवाहाटी**									
1.	एथलेटिक्स	24		24	31	8	39	15	19	34
2.	फुटबाल	32		32	35		35	17		17
3.	भारोत्तोलन	7		7	7		7	2		2
4.	बाक्सिंग	10		10	23		23	17		17
5.	तैराकी				8	3	11	6	6	12
6.	बैडमिंटन				6	7	13	10	9	19
7.	कबड्डी							15	7	22
8.	हैंडबाल				7	9	16	9	11	20
9.	तीरंदाजी							4	3	7
10.	ताईक्वांडो							11	5	16
	कुल	73		73	117	27	144	106	60	166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**एस.टी.सी., गोलाघाट**									
1.	एथलेटिक्स	34	9	43	40	2	42	6	13	19
2.	फुटबाल	27		27	29		29	20		20
3.	टेबल टेनिस							13	2	15
4.	हैंडबाल									
5.	कराटे									
6.	ताईक्वांडो									
	कुल	61	9	70	69	2	71	39	15	54
5.	**एस.टी.सी., शिलांग**									
1.	एथलेटिक्स	15		15	2		2	6		6
2.	तीरंदाजी	7		7	7		7	7	4	11
3.	फुटबाल	23		22	26		26	28		28
4.	कराटे				5		5	13		13
5.	साईक्लिंग				2		2			
6.	मुक्केबाजी							16		16
7.	ताईक्वांडो							8		8
	कुल	45		44	42		42	78	4	82

भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र योजना (सारांश)

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	1999-2000			2000-2001			2001-2002		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	पश्चिमी	341	24	365	397	140	537	426	82	508
2.	दक्षिणी	575	171	746	781	387	1168	666	356	1022
3.	उत्तरी	294	59	353	270	174	444	372	177	549
4.	पूर्वी	213	30	243	366	107	473	272	23	295
5.	केंद्रीय	371	16	387	647	325	972	649	465	1114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	उत्तर पूर्वी	260	58	318	344	104	448	256	279	535
	कुल	2054	358	2412	2805	1237	4042	2641	1382	4023

विभिन्न भा. खे. प्रा. योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002 के दौरान प्रशिक्षणार्थियों की केंद्रवार संख्या

उत्कृष्टता केंद्र

केन्द्र का नाम	खेल विधा	1999-2000			2000-2001			2001-2002		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दक्षिणी										
बंगलौर (कर्नाटक)	हाकी	29	–	29	20	–	20	21	–	21
	एथलेटिक्स	04	04	08	07	04	11	7	4	11
	बैडमिंटन	06	05	11	06	05	11	9	2	11
	वालीबाल	–	–	–	05	–	05	–	–	–
	भारोत्तोलन	–	–	–	04	05	09	2	5	7
	कुल	39	09	48	42	14	56	39	11	50
ला.रा.शा.शि.महा.	साईक्लिंग	–	–	–	04	03	07	00	03	03
त्रिवेंद्रम (केरल)	एथलेटिक्स	–	–	–	02	03	05	00	06	06
	कुल	–	–	–	06	06	12	00	09	09
उत्तरी										
पटियाला (पंजाब)	एथलेटिक्स	01	–	01	04	02	06	11	4	15
	कुश्ती	–	–	–	05	–	05	–	–	–
	जूडो	–	–	–	13	–	13	12	7	19
	हाकी	–	–	–	06	–	06	23	–	23
	भारोत्तोलन	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	साईक्लिंग	–	–	–	–	–	–	3	–	–
	कुल	01	–	01	28	02	30	49	11	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पूर्वी										
कलकत्ता (पं. बंगाल)	टेबल--टेनिस	10	09	19	10	05	15	08	05	13
	एथलेटिक्स	09	14	23	02	06	08	03	08	11
	बैडमिंटन	–	–	–	04	01	05	1	00	01
	जिम्नास्टिक	–	–	–	04	07	11	0	04	04
	तैराकी/गोताखोरी	–	–	–	04	05	09	2	04	06
	कुल	19	23	42	24	24	48	14	21	35
पश्चिमी										
गांधीनगर (गुजरात)	कबड्डी	14	–	14	13	–	13	19	–	19
	तैराकी	03	02	05	05	–	05	01	–	01
	लान--टेनिस	02	02	04	–	–	–	–	–	–
	कुल	19	04	23	18	–	18	20	–	20
केंद्रीय										
दिल्ली (दिल्ली)	बैडमिंटन	03	–	03	–	–	–	–	–	–
	मुक्केबाजी	14	–	14	–	–	–	03	–	03
	तैराकी	03	03	06	08	04	12	–	–	–
	एथलेटिक्स	–	–	–	15	–	15	–	–	–
	निशानेबाजी				6	4	10	–	–	–
	कुश्ती					6	6	–	07	07
	कुल	20	03	23	29	14	43	03	07	10
लखनऊ (उ. प्र.)	हाकी	–	–	–	17	–	17	18	–	18
	भारोत्तोलन	–	–	–	–	11	11	–	15	15
	एथलेटिक्स	–	–	–	15	07	22	17	–	17
	कुल	–	–	–	32	18	50	35	15	50
उत्तर पूर्व										
इम्फाल (मणिपुर)	भारोत्तोलन	-	01	01	–	05	05	–	05	05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	जूडो	–	–	–	03	10	13	03	10	13
	ताइक्वांडो	–	–	–	06	09	15	10	11	15
	कराटे	–	–	–	03	03	06	03	03	06
	वूशू	–	–	–	07	03	10	07	03	10
	एथलेटिक्स							–	06	06
	कुश्ती							–	07	07
	मुक्केबाजी							–	11	11
	कुल	–	01	01	19	30	49	23	56	79
	कुल योग	98	40	138	198	108	306	183	130	313

विवरण-II

भारतीय खेल प्राधिकरण
ज. ने. स्टेडियम, नई दिल्ली

(रुपये लाखों में)

31.3.1999 तक योजनागत स्कीमों पर व्यय

	डी.डी.ओ., भा.खे.प्रा.	एन.आई.एस. पटियाला	उपकेंद्र गुवाहाटी	ला.रा.शा.शि. महा. त्रिवेंद्रम	उ.के. चंडीगढ	उ. पूर्वी केंद्र इम्फाल	दक्षिणी केंद्र बंगलौर	पश्चिमी केंद्र गांधीनगर	पूर्वी केंद्र कलकत्ता	केंद्रीय केंद्र दिल्ली	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खेल प्रतिभा की खोज/ पोषण	20.04	0.00	12.47	0.00	47.79	14.46	38.41	27.84	76.88	40.06	277.95
सेना बाल खेल कंपनियां	126.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	15.49	6.29	0.00	16.49	172.07
विशेष क्षेत्र खेल	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	41.41	40.99	6.19	57.97	14.98	161.61
भा.खे.प्रा., प्रशिक्षण केन्द्र	5.07	0.00	50.85	0.00	130.72	48.66	285.74	171.76	118.06	91.97	902.83
उत्कृष्टता केंद्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00	6.76
राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना	0.00	0.00	41.29	0.00	509.93	58.58	330.60	238.21	241.37	460.60	1880.58
योजनागत स्कीम स्टाफ और अन्य सुविधाएं	101.63	45.21	0.00	0.00	14.09	0.65	24.10	0.00	1.27	0.48	187.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खेल विज्ञान और चिकित्सा केंद्र तथा अनुसंधान	60.37	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	1.04	1.32	0.00	72.66
खेल उपस्कर	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
इंदिरा गांधी स्टेडियम	478.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.84
शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.06
कम्प्यूटरीकृत खेल आंकड़ा बैंक	5.58	3.47	0.61	0.00	0.66	2.86	2.30	1.42	1.19	1.94	19.83
पूंजीगत कार्य/निर्माण कार्य	5.21	5.00	4.50	10.02	13.15	40.71	5.64	2.92	7.15	0.00	94.30
	808.05	59.67	117.52	129.08	716.34	207.13	753.97	455.67	505.21	626.43	4379.07

भारतीय खेल प्राधिकरण
ज. ने. स्टेडियम, नई दिल्ली

(रुपये लाखों में)

31.3.2000 तक योजनागत स्कीमों पर व्यय

	डी.डी.ओ., भा.खे.प्रा.	एन.आई. एस. पटियाला	उपकेंद्र गुवाहाटी	ला.रा.शा. शि. महा. त्रिवेंद्रम	उ.के. चंडीगढ	उ. पूर्वी केंद्र इम्फाल	दक्षिणी केंद्र बंगलौर	पश्चिमी केंद्र गांधीनगर	पूर्वी केंद्र कलकत्ता	केंद्रीय केंद्र दिल्ली	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खेल प्रतिभा की खोज/ पोषण	21.71	0.00	6.76	0.00	16.26	5.50	15.06	24.44	59.74	11.58	161.05
सेना बाल खेल कंपनियां	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
विशेष क्षेत्र खेल	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	44.47	22.99	0.15	55.54	3.19	131.93
भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र	12.89	0.00	39.44	4.18	50.78	36.00	163.85	105.27	64.01	58.28	534.70
उत्कृष्टता केन्द्र	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04	1.75	11.16	0.00	28.14
राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	1.86	97.76	84.50	0.03	596.16	89.51	523.12	329.62	360.16	543.47	2626.19
योजनागत स्कीम स्टाफ और अन्य सुविधाएं	141.79	57.03	19.79	75.51	72.26	34.94	154.77	78.12	68.76	50.99	753.96
खेल विज्ञान और चिकित्सा केन्द्र तथा अनुसंधान	33.86	5.61	0.21	0.00	0.00	4.89	3.27	2.54	4.85	0.00	55.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खेल उपस्कर	7.30	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	10.25
भा.खे.प्रा. गृह परिसर	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
इंदिरा गांधी स्टेडियम	586.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.92
शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	73.15
कम्प्यूटरीकृत खेल आंकड़ा बैंक	16.41	2.93	2.50	0.00	1.21	2.39	2.80	3.40	1.47	0.99	34.16
पूंजीगत कार्य/निर्माण कार्य	85.69	5.04	0.00	7.81	0.00	0.00	22.22	18.48	10.06	0.00	149.30
	1068.07	168.37	153.20	154.28	736.67	217.70	923.07	563.77	635.75	674.90	5295.78

भारतीय खेल प्राधिकरण
ज. ने. स्टेडियम, नई दिल्ली

(रुपये लाखों में)

31.3.2001 तक योजनागत स्कीमों पर व्यय

	डी.डी.ओ., भा.खे.प्रा.	एन.आई. एस. पटियाला	उपकेंद्र गुवाहाटी	ला.रा.शा. शि. महा. त्रिवेंद्रम	उ.के. चंडीगढ	उ. पूर्वी केंद्र इम्फाल	दक्षिणी केंद्र बंगलौर	पश्चिमी केंद्र गांधीनगर	पूर्वी केंद्र कलकत्ता	केंद्रीय केंद्र दिल्ली	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खेल प्रतिभा की खोज/ पोषण	0.00	0.00	2.52	0.00	8.43	5.35	8.90	4.17	17.15	5.34	51.86
सेना बाल खेल कंपनियां	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69	6.00	0.00	0.00	78.69
विशेष क्षेत्र खेल	13.11	0.00	14.88	0.00	7.89	85.64	34.28	0.00	111.02	23.70	290.52
भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र	4.62	0.00	71.97	4.70	110.68	47.09	217.79	124.30	101.62	151.51	834.28
उत्कृष्टता केन्द्र	12.99	15.02	0.00	4.41	0.00	17.78	25.08	3.38	15.74	23.24	117.64
राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	4.10	125.52	77.16	0.08	622.37	88.86	584.54	329.53	379.11	584.83	2776.10
योजनागत स्कीम स्टाफ और अन्य सुविधाएं	192.48	69.20	20.37	83.88	70.81	36.64	173.15	86.10	78.25	58.08	868.96
खेल विज्ञान और चिकित्सा केन्द्र तथा अनुसंधान	44.60	9.51	8.36	0.00	0.00	24.17	7.14	6.70	7.24	4.03	111.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खेल उपस्कर	3.54	0.00	11.16	0.00	0.00	15.28	10.29	18.38	17.96	9.94	86.55
भा.खे.प्रा. गृह परिसर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
इंदिरा गांधी स्टेडियम	525.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.69
शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम	1.04	0.00	0.00	79.72	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	0.88	84.88
कम्प्यूटरीकृत खेल आंकड़ा बैंक	15.33	3.00	1.00	8.26	0.56	4.35	1.44	3.21	0.94	2.43	40.52
पूंजीगत कार्य/निर्माण कार्य	75.63	98.98	245.00	162.41	0.00	47.02	138.53	138.54	306.86	0.00	1212.97
	953.13	321.23	452.42	343.46	820.74	372.18	1213.83	723.55	1035.89	843.98	7080.41

परती भूमि के विकास हेतु विदेशी सहायता

***219. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक कम वर्षा वाले दक्षिणी पठार और भूस्खलन प्रवण हिमालयी क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में परती भूमि विकास के लिए घरेलू संसाधन अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन क्षेत्रों के विकास के लिए विदेशी सहायता ली है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार किन-किन देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस सहायता से राज्यवार कितनी हैक्टेयर भूमि का विकास किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर परिषद के कोष का निवेश

***220. श्री पी. आर. किंडिया :** क्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में पूर्वोत्तर परिषद (एन ई सी) के कोष के निवेश में समानता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर परिषद योजना के अंतर्गत किए गए निवेश का राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र-विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) जैसा कि पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 में परिकल्पना की गई है पूर्वोत्तर परिषद, क्षेत्रीय महत्व की योजनाओं के लिए निधियां प्रदान करती है। ऐसी योजनाएं, पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को लेकर बनाई गई परिषद द्वारा अनुमोदित की जाती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में पूर्वोत्तर परिषद की निधियों के निवेश में कोई असमानता नहीं है। आवंटित निधियों की मात्रा में विभिन्नता है क्योंकि निधियां राज्यों को आवंटित नहीं की जाती हैं बल्कि योजनाओं/परियोजनाओं के लिए आवंटित की जाती हैं। उन योजनाओं पर ध्यान देने का प्रयास किया जाता है जो कि क्षेत्रीय स्वरूप की होती हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गत चार वर्षों (अप्रैल, 1997 से मार्च, 2001 तक) के दौरान पूर्वोत्तर परिषद का सेक्टर–वार और राज्य–वार योजना व्यय

क्र.सं.	सेक्टर का नाम	अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	त्रिपुरा	कुल
I	कृषि एवं संबद्ध सेक्टर	335.58	248.5	98.67	291.82	183.27	218.2	111.55	1487.59
II	जल, विद्युत विकास और आर आर ई	36990.70	4075.45	825.30	301.33	448.93	30230.59	3332.00	74204.30
III	उद्योग और खनिज	16.13	338.27	29.71	184.79	118.09	167.34	171.88	1076.21
IV	परिवहन और संचार	10701.74	10888.40	5797.07	2074.00	9518.36	6558.37	5115.17	50653.11
V	जनशक्ति विकास	167.75	1563.71	6557.75	1186.20	168.25	168.25	167.75	9979.66
VI	सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	139.42	3561.10	145.11	826.30	1736.67	494.54	246.66	7149.80
VII	सामान्य और वैज्ञानिक सेवाएं	14.90	16.89	9.52	15.95	9.68	1.00	–	67.94
VIII	बाहर से सहायता प्राप्त परियोजना	–	287.74	278.82	289.79	–	–	–	–
	कुल I से VIII तक	48366.22	21030.06	13741.95	5170.18	12183.25	37838.29	9145.01	147474.96

व्याख्यात्मक टिप्पण : कतिपय योजनाओं/कार्यक्रमों पर 4339.00 लाख का व्यय ऐसा है कि उन्हें किसी विशेष राज्य या राज्यों को बांटा नहीं जा सकता।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

2265. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार बेसहारा बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए देश में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या इनमें से कुछ संगठन इस प्रयोजनार्थ निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा किन–किन संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभिन्न शैक्षिक कार्यकलापों के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सम्पूर्ण देश के स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन शैक्षिक कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ–साथ बेसहारा बच्चों सहित बच्चों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण देना भी शामिल है। एक लाख और इससे अधिक के ऐसे अनुदानों के ब्यौरे सामान्यतः मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में दिए जाते हैं। सामान्यतः स्कीमों में संस्वीकृति के पश्चात मानीटरिंग और समीक्षा की अंतर्निहित प्रक्रिया होती है। गैर सरकारी संगठनों के कार्य की मानीटरिंग के लिए एक कार्य बल का भी गठन किया गया है। ऐसे संगठनों द्वारा निधियों के दुरुपयोग के संबंध में विशिष्ट शिकायतें मिलने पर मामले की जांच की जाती है और आरोप

साबित होने पर संबंधित स्वैच्छिक संगठन के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाती है यथा अनुदानों की अगली किश्तें रोकना/ऐसे गैर सरकारी संगठनों को काली सूची में शामिल करना।

[अनुवाद]

'संस्कृत वर्ष' मनाया जाना

2266. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संस्कृत वर्ष मनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) केंद्रीय संस्कृत बोर्ड की सिफारिश पर वर्ष 1999–2000 (युगाब्द 5101) 'संस्कृत वर्ष' के रूप में मनाया गया। देश भर की विभिन्न संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, स्वैच्छिक संगठनों और संस्कृत अकादमियों ने इन समारोहों में भाग लिया। संस्कृत वर्ष का उद्देश्य संस्कृत की धरोहर को लोकप्रिय बनाना और इसके प्रति आम जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न करना था। वर्ष भर चले कार्यक्रमों में सेमिनार, वार्तालाप शिविर, नाटक, प्रकाशन इत्यादि शामिल थे। इस उद्देश्यार्थ पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

भविष्य में दूसरा संस्कृत वर्ष समारोह आयोजित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

आने वाले एशियाई खेलों की प्रतिस्पर्धाएं

2267. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आने वाले एशियाई खेलों के दौरान भारत द्वारा किन–किन स्पर्धाओं में भाग लेने की संभावना है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त खेलों की तैयारी के लिए कौन–कौन से कार्यक्रम बनाए गए हैं;

(ग) क्या कोचिंग के लिए विदेशों से कोच आमंत्रित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो हमारे खिलाड़ियों की तैयारी पर कितना व्यय किया जा रहा है और यह कोचिंग कार्यक्रम कितनी अवधि के लिए जारी रहेगा?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) एशियाई खेल 37 प्रतियोगिताओं/खेल–विधाओं में आयोजित किए जाएंगे। भारतीय दल की सहभागिता के प्रश्न पर, खेलों से पहले सहभागियों के प्रदर्शन तथा उसके साथ पदक जीतने की संभावनाओं के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(ख) एशियाई खेल 2002 के लिए हमारे एथलीटों की तैयारी के लिए कार्रवाई योजना को, अधिकांश खेल विधाओं के लिए, संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों के परामर्श से पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है।

(ग) जी हां। एथलेटिक्स, कुश्ती, जूडो, मुक्केबाजी, टेबल टेनिस और जिमनास्टिक्स की खेल–विधा में 13 प्रशिक्षकों/विशेषज्ञों को एशियाई खेल, 2002 तक, संविदा आधार पर नियुक्त किया गया है। निशानेबाजी, बैडमिंटन और तीरंदाजी की खेल–विधा में पांच प्रशिक्षकों को अल्पावधि आधार पर नियुक्त किया गया है।

(घ) भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुसार, सितंबर, 2002 तक अर्थात एशियाई खेलों तक खर्च किए जाने वाला व्यय लगभग 36 करोड़ रुपये हो सकता है। एथलीटों की तैयारी के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन एक सतत प्रक्रिया होती है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां

2268. श्री रामदास आठवले :
श्री वाई. वी. राव :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में बाढ़, चक्रवात तथा ऐसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर इंदिरा

आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त घरों के निर्माण की स्वीकृति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आदिवासी क्षेत्रों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों हेतु इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी राशि आवंटित/जारी की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने नेल्लूर, कुडप्पा, कुर्नूल और अनंतपुर जिले में अतिवृष्टि/चक्रवात से प्रभावित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत 25,000 अतिरिक्त आवासों के निर्माण का अनुरोध किया है तथा इस पर विचार किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरकों का आयात

2269. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितना उर्वरक आयात किया गया और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष इस आयात में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) क्या सरकार ने आयातित उर्वरकों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तिथि-वार ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) यूरिया एक मात्र उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य और संचलन नियंत्रण के अधीन है तथा जिसके आयात आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच अंतर को पाटने के लिए सरकारी खाते में किए जाते हैं। अन्य प्रमुख उर्वरक अर्थात डीएपी और एमओपी 24.8.1992 से नियंत्रणमुक्त कर दिए गए हैं। दिनांक 17.9.1992 से डीएपी और 17.6.1993 से एमओपी के असरणीबद्ध होने से इन उर्वरकों का आयात निजी व्यापारिक के खाते में किया जा रहा है। इन उर्वरकों के आयात के ब्यौरे और 1998-99 के बाद से इनमें वृद्धि इस प्रकार है :

वर्ष	यूरिया (लाख मी. टन)	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (%)	डीएपी (लाख मी. टन)	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (%)	एमओपी (लाख मी. टन)	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (%)
1998-1999	5.56	–	21.05	44.18	25.70	35.26
1999-2000	5.33	–	32.68	55.25	28.98	12.76
2000-01	शून्य	–	8.60	–	25.68	–

उपरोक्त के अलावा, उर्वरक कंपनियों को उनकी स्वयं की खपत के लिए यूरिया के आयात की भी इजाजत है।

(ख) और (ग) जी, हां। आयातित उर्वरकों के जांच किए गए नमूनों के ब्यौरे और इनके परिणाम इस प्रकार हैं :

वर्ष	जांच	कण का आकार/नमी घटकों की वजह से विचलन
1998-1999	201	8
1999-2000	269	4
2000-2001	158	1

आयातित उर्वरकों के किसी भी जहाज में किसी भी पौध पोषक की कमी नहीं पाई गई।

[अनुवाद]

शहरीकृत गांवों के रूप में अधिसूचित गांव

2270. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री के बारे में 14.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3415 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) जी, नहीं। सूचना अभी भी प्रतीक्षित है। मामले में कार्यवाही की जा रही है और सूचना उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आदिवासियों के विकास हेतु सूक्ष्म परियोजनाएं

2271. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में राज्य–वार आदिवासियों के विकास हेतु चल रही सूक्ष्म परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य–वार इनके लिए कितनी निधियां निर्धारित की गई हैं;

(ग) इन परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य–वार कौन–कौन सी गतिविधियां शुरू की गई हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य–वार इन परियोजनाओं के अंतर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जनजातीय उपयोजना (टी एस पी) कार्यनीति के अंतर्गत समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं/समेकित जनजातीय विकास एजेंसी, संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण के अंतर्गत पॉकेटों तथा क्लस्टरों की पहचान 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कर ली गई है। इसके अतिरिक्त 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 75 आदिम जनजातीय समूहों की भी पहचान कर ली गई है। जनजातीय उपयोजना कार्यनीति के अन्तर्गत महाराष्ट्र तथा कर्नाटक सहित किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लघु परियोजनाएं स्थापित नहीं की गई हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में कापार्ट के अंतर्गत परियोजनाएं

2272. श्री बीर सिंह महतो : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में विशेषकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में कापार्ट द्वारा, इसकी स्थापना से आज तक गैर–सरकारी संगठन–वार, स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान एजेंसी–वार इन एजेंसियों को कितनी निधियां आवंटित/जारी की गईं;

(ग) क्या सरकार को इन एजेंसियों के कार्यकरण में अनियमितताओं के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों और चालू वर्ष का एजेंसी–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लिंग भेद

2273. श्री जय प्रकाश : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई लिंग भेद से संबंधित रिपोर्ट का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर लिंग भेद को समाप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के साथ भेदभाव पर कोई विशिष्ट रिपोर्ट न तो तैयार की है और न ही सरकार को प्रस्तुत की है। तथापि, आयोग ने सूचित किया है कि आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य प्रकाशनों/रिपोर्टों, जिन्हें समय-समय पर प्रकाशित किया जाता है, में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में बताया जाता है। आयोग ने सूचित किया है कि आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के संबंध में की गई कार्रवाई का भी उल्लेख किया जाता है। तथापि, सरकार ने महिलाओं के साथ भेदभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं :

- सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भागीदारी और निर्णय लेने में महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति को अंगीकार करना।

- महिलाओं से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और इस संबंध में कार्रवाई को तेज करने के लिए वर्ष 2001 को 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' के रूप में मनाना, जिससे कि महिलाएं देश के विकास की मुख्यधारा में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकें और उसमें भाग ले सकें।

- वर्ष 1999 में 'स्त्री शक्ति पुरस्कार' के नाम से पांच राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ करना, जो उन महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए हर वर्ष दिए जाते हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का साहसपूर्वक मुकाबला किया है और महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया है।

- 1993 में किए गए 73वें और 74वें संविधान संशोधन जैसी कार्रवाई करना, जिससे महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के माध्यम से बुनियादी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने लगी हैं।

- लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत सीटों का आरक्षण करने के लिए संविधान (85वां) संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जाना।

- स्व-सहायता दल आधारित स्कीमों का शुरू किया जाना, जिससे महिलाओं को अल्प-ऋण सुलभ होता है और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन मिला है।

ग्रामीण विकास हेतु हुडको द्वारा स्वीकृत किया गया ऋण

2274. श्री राजो सिंह : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य-वार ग्रामीण विकास हेतु हुडको द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया है;

(ख) बिहार में सड़कों, पुलों के विकास हेतु खर्च की गई/खर्च की जाने वाली निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार विशेषकर बिहार में इस धनराशि से अब तक बनाए गए पुलों और सड़कों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निर्धारित लक्ष्य को बिहार सहित राज्यों में हासिल कर लिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा सभी राज्यों में विशेषकर बिहार में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नेहरू युवक केंद्र एसोसिएशन द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को दी गई सहायता

2275. श्री अशोक अर्गल : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में नेहरू युवक केंद्र एसोसिएशन द्वारा गैर–सरकारी संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) एक बार से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन गैर–सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) गत तीन वर्षों में, नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा गैर–सरकारी संगठनों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय महिला कोष के अंतर्गत वित्तीय सहायता

2276. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष से गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों और समाज कल्याण संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य–वार और विशेषकर महाराष्ट्र में इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिलाओं की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) राष्ट्रीय महिला कोष ने वर्ष 2000–2001 में 415 मध्यवर्ती लघु ऋण संगठनों (गैर–सरकारी संगठनों और सामाजिक कल्याण संगठनों सहित) को 1675.80 लाख रुपये और वर्ष 2001–2002 (31 अक्तूबर, 2001 तक) में 162 मध्यवर्ती लघु ऋण संगठनों (गैर–सरकारी संगठनों और सामाजिक कल्याण संगठनों सहित) को 404.85 लाख रुपये कुल ऋण प्रदान किया।

(ख) 1993 में कोष की स्थापना से लेकर 31 अक्तूबर, 2001 तक देश में कुल 412951 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, जिनमें 25895 महिलाएं महाराष्ट्र की हैं। लाभान्वित महिलाओं की राज्य–वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	प्रारम्भ (1993) से लेकर 31.10.2001 तक संचयी आंकड़े लाभान्वित महिलाओं की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	153938
असम	470
बिहार	8095
छत्तीसगढ़	25
दिल्ली	1270
गुजरात	5830
हरियाणा	580
हिमाचल प्रदेश	5566
झारखण्ड	465
जम्मू व कश्मीर	880
कर्नाटक	11828
केरल	31605
मध्य प्रदेश	4925
महाराष्ट्र	25895
मणिपुर	5890
नागालैंड	70
उड़ीसा	11395
राजस्थान	13068
तमिलनाडु	85030
उत्तर प्रदेश	19916

1	2
उत्तरांचल	475
पश्चिम बंगाल	25735
कुल	412951

विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद

2277. ब्रह्मानन्द मंडल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अंतर्गत मंत्रालय/विभागों में वर्ष–वार, पद–वार और श्रेणी–वार अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु कितने पद आरक्षित रहे;

(ख) वर्ष–वार, पद–वार और श्रेणी–वार अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कितने पदों पर रोजगार दिया गया; और

(ग) इन श्रेणियों के लिए रिक्त पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान रसायन और उर्वरक मंत्रालय में वर्ष–वार, पद–वार, वर्ग–वार, अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों लोगों के लिए आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :

समूह	1998	1999	2000	कुल
क	–	–	–	–
ख	–	–	–	–
ग (निम्न श्रेणी लिपिक ग्रेड)	01	01	–	02
घ	02	–	–	02
कुल	03	01	–	04

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग के किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया गया है।

(ग) समूह "ग" में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित उपरोक्त दो पदों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आरक्षित पदों पर नामांकन किए जाने पर भरा जाएगा। जहां तक शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग के लिए निर्धारित वर्ग IV कर्मचारियों के दो पदों का संबंध है, ये पद अनुदेशों/भर्ती नियमों के अनुसार भरे जाएंगे।

"निवास गृह ऋण योजना" के अंतर्गत आवास ऋण पर ब्याज दर में कटौती

2278. श्री बहादुर सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री बताने के की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको ने "निवास गृह ऋण योजना" (एन. एच. एल. एस.) के अंतर्गत आवास ऋण पर ब्याज दर में कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेशनल कांग्रेस आफ हाऊसिंग कोआपरेटिव ने केंद्र सरकार से आवास सहकारिता के लिए सस्ते दर पर ऋण प्रदान करने हेतु निवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। संशोधित दरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) जी, हां। आवास सहकारिताओं के 13वें राष्ट्रीय महासम्मेलन ने सिफारिश की है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कटौती करने तथा आवास वित्त सैक्टर में प्रचलित कम ब्याज दर को देखते हुए जीवन बीमा निगम (एलआईसी), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास और नगर विकास निगम लि. (हुडको) जैसी बड़ी वित्तीय संस्थाओं द्वारा 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की तर्कसंगत ब्याज दर पर आवास सहकारिताओं को ऋण मुहैया कराया जाए।

विवरण

01.11.2001 से हुडको निवास योजना की ब्याज दरों में कमी का ब्यौरा

ऋण राशि (रुपये)	01.11.2001 से पूर्व की दरें			01.11.2001 से नई दरें			कमी की मात्रा (%)
	5 वर्षों की अवधि के लिए (%)	6–10 वर्षों की अवधि के लिए (%)	11–15 वर्षों की अवधि के लिए (%)	5 वर्षों की अवधि के लिए (%)	6–10 वर्षों की अवधि के लिए (%)	11–15 वर्ष की अवधि के लिए (%)	
50,000/– तक	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	शून्य
50,000/– से 2,00,000/– तक	12.00	12.00	12.00	11.75	11.75	11.75	0.25
2,00,001/– से 20,00,000/–	12.25	12.75	12.75	11.75	12.00	12.25	0.50 से 0.75
20,00,001 से 50,00,000/–	12.25	12.75	12.75	12.00	12.25	12.50	0.25 से 0.50

नोट :

1. प्लाटों की खरीद हेतु–5 वर्ष की भुगतान अवधि के लिए 12 प्रतिशत और 6–10 वर्ष की भुगतान अवधि के लिए 12.25 प्रतिशत
2. परिवर्धन/सुधार एलआरआई ऋण और मौजूदा रिहायशी एककों के पंजीकरण हेतु ऋण के लिए 12.25 प्रतिशत
3. खरीद/निर्माण/सामासिक ऋण के मामले में 16–20 वर्ष और परिवर्धन/सुधार ऋणों के मामले में 11–15 वर्ष की भुगतान अवधि के लिए 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लगाया जाएगा।

दमन और दीव में जिला पंचायतों को ग्रामीण सड़कों का स्थानांतरण

2279. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा रखरखाव और विकास हेतु जिला पंचायतों को स्थानांतरित ग्रामीण सड़कों की लंबाई क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु जिला पंचायतों को आवंटित/प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने बताया है कि 1996–97 तथा 1998 के दौरान जिला पंचायतों को क्रमशः 52.336 किमी., 17.788 किमी. तथा 8.699 किमी. की ग्रामीण सड़कें रखरखाव तथा विकास के लिए हस्तांतरित की गईं। इन्होंने यह भी बताया कि जिला पंचायतों को उपलब्ध कराई गई निधियां तथा किया गया खर्च निम्नानुसार है :

(लाख रु. में)

वर्ष	आवंटन	खर्च
1996–97	17.54	17.54
1997–98	28.97	28.97
1998–99	27.48	4.48
1999–2000	33.00	56.00
2000–2001	383.95	2.95

मलिन बस्तियों संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

2280. श्री किरीट सोमैया : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों और सरकारी संस्थानों की मलिन बस्तियों संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में उनके मंत्रालय और हडको की क्या भूमिका है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार और हडको द्वारा महाराष्ट्र को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का योजना–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का स्वरूप क्या है;

(घ) सरकार द्वारा महाराष्ट्र को अनुदान स्वरूप क्या योगदान प्रदान किया गया;

(ङ) क्या महाराष्ट्र सरकार एसपीपीएल एमएचएडीए और बीएमसी ने वित्त पोषण हेतु हडको से संपर्क किया है;

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हडको द्वारा क्या नीति अपनाई गई;

(छ) क्या महाराष्ट्र के निजी भवन निर्माताओं एजेंसियों ने इसके लिए संपर्क किया है;

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या हडको शिवशाही पुनर्वास प्रकल्प लिमिटेड के माध्यम से मुंबई में मलिन बस्तियों संबंधी योजनाओं के लिए 3000 करोड़ रुपये के वित्त पोषण पर सहमत हो गया है;

(ञ) यदि हां, तो हडको द्वारा कितनी राशि उपलब्ध कराई गई; और

(ट) परियोजना का अनुमान और भुगतान का समय क्या है और परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बैंडारू दत्तात्रेय) : (क) राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एन एस डी पी) के अंतर्गत शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय की भूमिका सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में धनराशि मुहैया कराना है।

हडको स्लम क्षेत्रों के पर्यावरण में सुधार जैसे जल आपूर्ति, सफाई आदि के लिए ऋण सहायता मुहैया कराता है। इसके अलावा हडको स्थल एवं सेवा योजना के अंतर्गत मकानों को उन्नत करने तथा स्लम निवासियों के पुनर्वास के लिए भी ऋण मुहैया कराता है।

(ख) और (ग) केंद्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(लाख रुपये में)

1998–99	1999–2000	2000–2001
5713.00	5831.00	1248.58

पिछले तीन वर्षों के दौरान हडको ने मुंबई में केवल एक स्लम पुनर्वास योजना स्वीकृत की है। इस योजना की परियोजना लागत 105.67 करोड़ रुपये है जिसके लिए हडको की ऋण वचनबद्धता 60 करोड़ रुपये की है। इस योजना से 2803 स्लम परिवारों को लाभ मिलेगा।

(घ) स्लम सुधार परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए बजट प्रावधान और अनुदान के वर्ष वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	बजट प्रावधान	दी गई सहायता
1998–99	40.60 करोड़	29.81 करोड़
1999–2000	41.60 करोड़	9.21 करोड़
2000–2001	40.88 करोड़	3.35 करोड़
2001–2002	11.72 करोड़	2.00 करोड़

(ङ) और (च) फिलहाल महाराष्ट्र राज्य की किसी एजेंसी से प्राप्त कोई स्लम विकास योजना हडको में लंबित नहीं है। फिलहाल हडको में महाराष्ट्र राज्य की विभिन्न आवास एजेंसियों से 19 आवास परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। इन परियोजनाओं के लिए कुल 74.57 करोड़ रु. का ऋण मांगा गया है। ये सभी परियोजनाएं स्वीकृति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं और इन पर हडको दिशानिर्देशों के अनुसार विचार किया जाएगा।

(छ) और (ज) हडको ने महाराष्ट्र में अनेक कस्बों में

निजी भवन निर्माताओं की आवास योजनाएं स्वीकृत की हैं जिनकी 576 रिहायशी इकाइयों के साथ परियोजना लागत 2723.85 लाख रु. है और ऋण राशि 750 लाख रुपये है।

(झ) और (ञ) शिवशाही पुनर्वासन प्रकल्प लि. के माध्यम से मुंबई में चलाई जाने वाली कोई स्लम पुनर्वास योजना फिलहाल स्वीकृति के लिए हडको में लंबित नहीं है। हालांकि शिवशाही पुनर्वासन प्रकल्प लि. ने वर्ष 1998–99 में मुंबई में स्लम पुनर्वास कार्यक्रम के लिए हडको से संपर्क किया था और 300 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मांगी थी। बाद में इस एजेंसी ने परियोजना को संक्षिप्त कर दिया जिसमें हडको की ऋण प्रतिबद्धता 60 करोड़ रुपये थी और शेष 240 करोड़ रुपये की सहायता का अनुरोध एजेंसी ने वापस ले लिया।

(ट) महाराष्ट्र में मुंबई शहर के विभिन्न भागों में परियोजना को स्लम पुनर्वास योजना के नाम से जाना जाता है। कार्यान्वयन एजेंसी शिवशाही पुनर्वासन प्रकल्प लि. है और निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग श्रेणी के तहत 2803 मकानों के लिए संशोधित परियोजना लागत 105.67 करोड़ रुपये है और ऋण राशि 60 करोड़ रुपये है। कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और ऋण के रूप में 58.22 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। निम्न आय वर्ग के अंतर्गत मकान लगभग पूरे होने वाले हैं और मध्यम आय वर्ग के मकानों का निर्माण चल रहा है। पुनर्भुगतान कार्यक्रम संबंधित एजेंसियों द्वारा तैयार किया जाएगा जो ये राशि लाभार्थियों से वसूल करेंगे।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

2281. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पिछले पांच वर्षों के दौरान संस्थान में शुरू की गई सभी परियोजनाओं की विस्तृत सूचना–प्रदान करने हेतु सितंबर 2001 के बाद राष्ट्रीय विज्ञान सूचना संस्थान को कार्यालय ज्ञापन भेजा था ताकि इसे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय को भेजा जा सके;

(ख) यदि हां, तो प्रदान की गई सूचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सूचना भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कार्यालय को उपलब्ध कराई गई; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (एनआईएससीओएम) सहित अपने सभी प्रतिष्ठानों को बाह्य रूप से वित्त–पोषित परियोजनाओं और आंतरिक परियोजना संबंधी क्रियाकलापों के बारे में सूचना मांगने के लिए पत्र भेजे थे। यह सूचना भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा मांगी गई थी।

(ख) एनआईएससीओएम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की विस्तृत जानकारी इस प्रकार है :

(i) बाह्य रूप से वित्त–पोषित परियोजनाएं :

वर्ष	प्रायोजित परियोजनाएं	सहयोगात्मक परियोजनाएं	सहायता अनुदान परियोजनाएं	परामर्शी परियोजनाएं
1996–97	शून्य	1	2	120
1997–98	शून्य	1	2	105
1998–99	शून्य	1	2	112
1999–2000	शून्य	शून्य	2	120
2000–2001	शून्य	शून्य	शून्य	62

(ii) आंतरिक समर्थित क्रियाकलाप :

बौद्धिक जरनलों; वैल्थ ऑव इंडिया/भारत की संपदा; लोकप्रिय विज्ञान जरनलों; विज्ञान की लोकप्रिय पुस्तकों; न्यूज लेटरों का प्रकाशन और तकनीकी सूचना सेवाएं उपलब्ध कराना।

(ग) और (घ) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के बारे में सूचना मांगी है। लेखा परीक्षा संबंधी आवश्यकताओं

को पूरा करने की दिशा में सीएसआईआर द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में सीएजी को अवगत करा दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में अर्द्ध-सैनिक बलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

2282. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अर्द्ध–सैनिक बलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या वर्तमान प्रतिशत सरकारी आदेशानुसार है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत को प्राप्त करने के लिए सिपाहियों की भर्ती हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) निर्धारित प्रतिशत को कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखी दी जाएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.) की शाखाएं

2283. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) का प्रत्येक राज्य में शाखा स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की पहले से ही शाखाएं विद्यमान हैं; और

(ग) इस विस्तार के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ग) जी, नहीं। पूर्वोत्तर राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का गुवाहाटी में सिर्फ एक क्षेत्रीय केंद्र है।

[हिन्दी]

महिला और बाल कल्याण कार्यक्रम के लिए धनराशि

2284. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न महिला और बाल कल्याण कार्यक्रमों के लिए महाराष्ट्र को आवंटित धनराशि का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार के पास अप्रयुक्त धनराशि अभी भी विद्यमान है; और

(ग) सरकार उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी किस तरह से करेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास विभाग समेकित बाल विकास सेवा स्कीम, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आईसीडीएस परियोजनाओं, विश्व बैंक से सहायता–प्राप्त आईसीडीएस प्रशिक्षण–उदिशा, बालिका समृद्धि योजना, समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम–स्वयंसिद्धा और महिला सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को राशि का आवंटन कर रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त स्कीमों के लिए महाराष्ट्र राज्य को आवंटित राशि और राज्य सरकार के पास बची अप्रयुक्त राशि के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विभाग राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करके और राज्य सरकारों से प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से मॉनीटरिंग कर रहा है। विभाग ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वित किए जा रहे अपने विभिन्न कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग करने के लिए विशिष्ट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए 'क्षेत्र अधिकारियों' के रूप में अपने अधिकारियों का अभिनिर्धारण कर रखा है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों के लिए महाराष्ट्र राज्य को आवंटित राशि का वर्ष–वार ब्यौरा तथा महाराष्ट्र सरकार के पास बची अप्रयुक्त राशि के संबंध में सूचना

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वर्ष–वार आवंटित राशि			महाराष्ट्र सरकार के पास बची अप्रयुक्त राशि के संबंध में सूचना
		1998–99	1999–2000	2000–01	
1.	समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस)	67.92	65.85	66.89	नहीं
2.	विश्व बैंक सहायता–प्राप्त आईसीडीएस परियोजना	7.40	17.08	7.00	हां
3.	विश्व बैंक सहायता–प्राप्त आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम–उदिशा	2.55	2.00	0.50	नहीं
4.	बालिका समृद्धि योजना	3.24	3.05	0.80	महाराष्ट्र सरकार से अभी उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रतीक्षित है।
5.	इंदिरा महिला योजना (जिसका नया नाम समेकित महिला सशक्तिकरण परियोजना–स्वयंसिद्धा है)	–	–	0.11	हां
6.	महिला सशक्तिकरण परियोजना	0.27	0.50	1.43	यह परियोजना वर्ष 2000–2001 में पूरी हो चुकी है तथा अंतिम विवरण की महाराष्ट्र सरकार से अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा

2285. श्री प्रकाश वी. पाटील :

श्री दिन्शा पटेल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं योजनावधि के दौरान क्रियान्वित किए गए कुछ ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विशेष रूप से गरीबी उपशमन कार्यक्रम वांछित परिणाम देने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दसवीं योजना के शुरू होने से पूर्व इन सभी कार्यक्रमों की सफलता की समीक्षा का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास योजनाओं/कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों से संपर्क करने का है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) समय–समय पर की गई समीक्षाओं के आधार पर, प्रमुख गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को 1.4.1999 से पुनर्गठित किया गया है ताकि उन्हें और अधिक परिणामोन्मुख बनाया जा सके। हाल ही में, योजना आयोग ने 2001–2002 के वित्त मंत्री के

बजट भाषण के अनुसरण में, जिसमें शून्य आधारित बजट नीति को अपनाने पर बल दिया गया है, केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं तथा सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा भी की है।

(ग) योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तथा राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) के अनुमोदन से पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया है जिसमें सभी राज्यों को प्रस्तुत किया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली में सड़कों का निर्माण और मरम्मत

2286. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए दिल्ली नगर निगम को 100 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख सड़कों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई दिल्ली के अलावा पूरी दिल्ली में सड़कों की हालत खराब है;

(घ) यदि हां, तो क्या मंजूर की गई राशि से सभी सड़कों की मरम्मत की जा सकती है; और

(ङ) पूरे मरम्मत कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

शहरी विकास कोष से सहायता के लिए स्कीमें

क्र.सं.	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में)
1	2	3
1.	दरियापुर मोड़ से झुलझुली तक रावता रोड, फेज–III का निर्माण/सुधार/सुदृढ़ीकरण	197.91
2.	नजफगढ़ जोन (फेज–VII) में कापसहेड़ा मोड़ से छावला नाले तक नजफगढ़–बिजवासन रोड का सुदृढ़ीकरण	291.06
3.	नजफगढ़ कस्बे से छावला नाला फेज–VI नजफगढ़–विजवासन रोड का सुदृढ़ीकरण	298.12
4.	तिलक नगर चौराहे से डीपीएस तक मथुरा रोड का निर्माण/सुधार/सुदृढ़ीकरण	273.85
5.	सैक्टर–13 रोहिणी के 45' और 60' आरओडब्ल्यू रोड का सुधार/सुदृढ़ीकरण	197.75
6.	सैक्टर–9, रोहिणी के 45' आरओडब्ल्यू रोड का सुधार/सुदृढ़ीकरण	135.74
7.	संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के 15 मीटर आरओडब्ल्यू रोड का सुधार/सुदृढ़ीकरण	294.8
8.	पंखा रोड वेस्ट जोन पर जनकपुरी मार्ग से डाबरी मोड़ चौराहे तक 80' रोड का सुधार/सुदृढ़ीकरण	186.45
9.	कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र में 60' आरओडब्ल्यू रोड का निर्माण/सुधार	499.5

1	2	3
10.	सुभाष नगर क्रॉसिंग से विष्णु गार्डन तक 100' आरओडब्ल्यू रोड का निर्माण/सुधार/सुदृढ़ीकरण	237.35
11.	नजफगढ़ रोड से जनकपुरी मार्ग वेस्ट जोन तक बी–2 मार्ग का सुधार/सुदृढ़ीकरण	265.9
12.	ए–I ब्लाक, जनकपुरी की तरफ से नजफगढ़ रोड से पंखा रोड तक 80' आरओडब्ल्यू रोड का सुधार/सुदृढ़ीकरण	186.32
13.	ए–III ब्लाक, जनकपुरी डब्ल्यूजैड से गुजरने वाले एसएस मोटा सिंह मार्ग का सुधार/सुदृढ़ीकरण	212.16
14.	पंखा रोड से जनकपुरी मार्ग तक विद्यामार्ग का सुधार/सुदृढ़ीकरण	265.71
15.	नजफगढ़ रोड से जनकपुरी मार्ग तक बी–I मार्ग का सुधार/सुदृढ़ीकरण	257.42
16.	नजफगढ़–बिजवासन रोड से गोयला डेरी तक का सुधार/सुदृढ़ीकरण	159.5
17.	लेडी श्रीराम कालेज से पारस चौक तक लाला लाजपत राय मार्ग का सुधार/सुदृढ़ीकरण	160.31
18.	सैक्टर–5 में मेजर सोमनाथ मार्ग से सैक्टर–12 आर के पुरम एसजैड तक मुख्य रोड अर्थात तमिल संगम मार्ग का सुधार/सुदृढ़ीकरण	209.79
19.	सैक्टर–1 व 6 आर के पुरम एसजैड में मुख्य सड़कों, विवेकानंद मार्ग, वैंकटेश्वर मंदिर मार्ग का सुधार/सुदृढ़ीकरण	240.08
20.	आउटर रिंग रोड से एम बी रोड तक मदनगीर रोड (रोड न. 13) का सुधार/सुदृढ़ीकरण	219.11
21.	एसजैड में वसंत विहार में वसंत मार्ग का सुधार/सुदृढ़ीकरण	141.09
22.	तिलगपुरी कोटला से नांगलोई फेज–II तक नजफगढ़ रोड का सुधार/सुदृढ़ीकरण	196.5
23.	सैक्टर–6 रोहिणी फेज–IX के 45', 60' आरओडब्ल्यू रोड का सुधार/सुदृढ़ीकरण	180
24.	सैक्टर–17 राहिणी की सड़कों का सुधार/सुदृढ़ीकरण	132.66
25.	एसजीटी नगर फेज–I के 30 मीटर आरओडब्ल्यू रोड का सुधार/सुदृढ़ीकरण	288.78
26.	सैक्टर–7 रोहिणी के ब्लाक/पाकेट एबीसी व डी के 46' आरओडब्ल्यू रोड का सुधार/सुदृढ़ीकरण	202.67
27.	रोहिणी जोन में सैक्टर–IX और प्रशांत विहार के 60' आरओडब्ल्यू रोड का निर्माण/सुधार/सुदृढ़ीकरण	146.56
28.	रोहिणी जोन में जीटी रोड से सिरसपुर गांव तक की सड़क का सुधार/सुदृढ़ीकरण	123.88
29.	सुभाष नगर से गुजरने वाले मायापुरी रोड से नजफगढ़ रोड के 60' आरओडब्ल्यू रोड का सुधार/सुदृढ़ीकरण	299
30.	डीडीयू अस्पताल के सामने मायापुरी रोड को जोड़ने वाले रोड न. 32 और हरिनगर वेस्ट जोन में क्लाक से जेल रोड तक सड़कों का निर्माण/सुधार/सुदृढ़ीकरण	208.42
31.	कीर्ति नगर थाने में संत गुरु राम सिंह रोड पटेल रोड क्रोसिंग का सुधार/सुदृढ़ीकरण	298

1	2	3
32.	रिंग रोड से रोहतक रोड ईस्ट पंजाबी बाग तक ईस्ट एवेन्यू रोड का निर्माण सुधार/सुदृढ़ीकरण	256.12
33.	दिल्ली गेट से डब्ल्यू प्वाइंट क्रॉसिंग सिटी जोन तक बीएसजैड का सुधार/सुदृढ़ीकरण	210.96
34.	ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–II पार्ट बी में 80' आरओडब्ल्यू रोड का सुधार/सुदृढ़ीकरण	272.19
35.	ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–II पार्ट ए में 80' आरओडब्ल्यू रोड का सुधार/सुदृढ़ीकरण	295.46
36.	सीआर पोलिटैक्निक से कंझावला चौक तक घेवरा बवाना रोड का निर्माण/सुधार	277.21
37.	नरेला जोन में पूठ स्टोर से बरवाला गांव तक औचंदी रोड का सुधार/सुदृढ़ीकरण	186.5
38.	निजामपुर से टीकरी बोर्डर तक सड़क का निर्माण/सुधार	186.37
39.	रोहिणी जोन फेज–III में पहलादपुर से बरवाला गांव तक औचंदी रोड का सुधार/सुदृढ़ीकरण	255.74
40.	शक्ति नगर, कमला नगर (सत्यवती मार्ग) से गुजरने वाले कालीदास मार्ग से मोरिस नगर तक सड़क का सुधार/सुदृढ़ीकरण	203.13
41.	नजफगढ़ जोन में रोहतक रोड से सीआर पोलिटैक्निक तक घेवरा बवाना रोड का सुधार/सृदृढ़ीकरण	177.03
42.	अशोक विहार में रोड नं. 37 के साथ वेस्टर्न यमुना कैनाल पर पुल चौड़ा करना	177.89
43.	लोदी होटल से रिंग रोड तक लाल बहादुर शास्त्री मार्ग का निर्माण/सुधार	172.28
44.	ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–I पार्ट–ए में 80' सड़क का सुधार/सुदृढ़ीकरण	351.59
45.	ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–I में 60' सड़क का निर्माण/सुदृढ़ीकरण	264.66
46.	ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–I पार्ट–बी में 80' आरओडब्ल्यू सड़क का सुधार/सुदृढ़ीकरण	387.74
47.	ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–II में 60' सड़क का निर्माण/सुदृढ़ीकरण	445.48
48.	बी–I से पोसंगीपुर जनकपुरी डब्ल्यूजैड तक 80' आरओडब्ल्यू सड़क का सुधार/सुदृढ़ीकरण	144.5
49.	खेड़ा गढ़ी से बरास्ता सिरसपुर लिबासपुर समयपुर तक सड़क का निर्माण/सुधार/सुदृढीकरण	193.26
50.	पहलादपुर से खेड़ा खुर्द गांव तक सड़क का सुधार/सुदृढ़ीकरण	115
51.	विकासपुरी में केजी–I से जेजी–III तक 80' आरओडब्ल्यू सड़क का निर्माण/सुदृढ़ीकरण	10541
52.	बिंदापुर मटियाला रोड का निर्माण/सुधार/सुदृढ़ीकरण	222.32
53.	वार्ड नं. 7, मौलाना मौ. अली मार्ग (ओखला रोड) का सुधार/सुदृढ़ीकरण	198
54.	आदर्श नगर ग्रुप आफ कालोनी में मुख्य सड़क का निर्माण/सुधार/सुदृढ़ीकरण	266.7
55.	आदर्श नगर में एसएस राणा रोड का निर्माण/सुधार/सुदृढ़ीकरण	113 75

1	2	3
56.	बीसी ब्लाक, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में 45' पर सड़क का सुधार/सुदृढ़ीकरण	212.34
57.	सहाबाद–दौलतपुर पुल से पहलादपुर तक औचंदी रोड का सुधार/सुदृढ़ीकरण	199.25
58.	घिटोरनी रोड का निर्माण/सुधार/सुदृढ़ीकरण	111.87
59.	सी–118, सीएलजैड में छत्रसाल स्टेडियम रोड ब्रह्म कुमारी रोड और पम्बारी रोड का सुधार/सुदृढ़ीकरण	179
60.	जवाहरलाल नेहरू मार्ग सिटी जोन का सुधार/सुदृढ़ीकरण	160
61.	सीवी रमन मार्ग, ओखला का निर्माण/सुधार	222.45
62.	ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–II में ब्लाक ए, ई, एक्स, वाई व जैड में 45' आरओडब्ल्यू सड़क का निर्माण/सुधार	194.6
63.	ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–I में ब्लाक एफ व डी में 45' आरओडब्ल्यू सड़क का निर्माण/सुधार	237.52
64.	ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–I में ब्लाक ए, बी व सी में 45' आरओडब्ल्यू सड़क का निर्माण/सुधार	281.96
65.	ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–II में ब्लाक बी, सी, डी, एफ, टी व डब्ल्यू में 45' आरओडब्ल्यू सड़क का निर्माण/सुधार	190.8
66.	करावला से मदनपुर मोड़ फेज–I तक करावला मुंडका रोड का सुधार/सुदृढ़ीकरण	144.12
67.	गांव झटीकरा अप्रोच रोड का निर्माण/सुधार/सुदृढ़ीकरण	137.79
68.	पोसंगीपुर मार्किट जनकपुरी से गुजरने वाले बी–I मार्ग से मोटा सिंह मार्ग तक 60' आरओडब्ल्यू सड़क का निर्माण/सुधार/सुदृढ़ीकरण	208.25
	कुल	15054.63

[अनुवाद]

योजनाओं की मध्यावधि समीक्षा

2287. श्री दिन्शा पटेल : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं/कार्यक्रमों की मध्यावधि समीक्षा से यह पता चला कि वे वांछित परिणाम देने में असफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम/योजनाओं की सफलता विशेषकर राज्यों की आवश्यकता के मद्देनजर समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार दसवीं योजना के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों, अर्थशास्त्रियों आदि से संपर्क करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) योजना आयोग द्वारा किए गए नौवीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन, जिससे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की विभिन्न स्कीमें और राज्य योजनाओं के निष्पादन का सामान्य आकलन शामिल है, से ज्ञात होता है

कि कुछ स्कीमों का अन्य स्कीमों की तुलना में बेहतर कार्यान्वयन हुआ है। मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज संगत ब्यौरों के साथ रख दिया गया है (9.1.2001 को संसद पुस्तकालय में और 1.8.2001 को प्रकाशन पटल पर)।

(ख) से (ङ) सरकार इस समय योजना आयोग और दसवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण में दिए गए दिशानिर्देशों, जो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 01 सितंबर, 2001 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किए गए थे, को ध्यान में रखकर सभी चालू योजना कार्यक्रमों/स्कीमों की समीक्षा कर रही है, ताकि उन्हें 10वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने के बारे में निर्णय लिया जा सके। इस कार्यवाही के तहत सभी योजना स्कीमों को शून्य आधारित बजट व्यवस्था के अंतर्गत लाना और स्कीमों को, यथा आवश्यकता एकस्थ/छंटाई करना शामिल है। यह कार्यवाही संबंधित एजेंसियों के परामर्श से की जा रही है और 10वीं योजना को 01 अप्रैल, 2002 को प्रारंभ किए जाने से पूर्व पूरी की जानी है।

डी.डी.ए. की आवास योजनाओं में अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों को आरक्षण

2288. श्री के. ए. सांगतम : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की जा रही विभिन्न आवास योजनाओं में अनुसूचित जातियों के लिए 17.5 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो एसएफएस, एसआईजी, एलआईजी और जनता श्रेणियों में गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित आवासीय गृहों की वर्ष–वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान डीडीए द्वारा कितने व्यावसायिक शापिंग केंद्र डीसीसीसी, एलएससी और सीएससी की श्रेणियों में स्थान निर्मित और आवंटित किए गए; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कुल कितने ऐसे आवासीय गृह और व्यवसायिक स्थान/केंद्र आवंटित किए गए और ऐसे कुल आवासों और व्यावसायिक केंद्र की तुलना में उनका वर्ष वार संबंधित प्रतिशत क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि जिला केंद्रों और सामुदायिक केंद्रों को छोड़कर सभी मार्केटों में निर्मित व्यावसायिक यूनिटों के आवंटन में अनुसूचित जातियों के लिए 17.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत का आरक्षण है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित कुल फ्लैटों/निर्मित व्यावसायिक यूनिटों की कुल संख्या तथा विगत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के लोगों को आवंटित किए गए फ्लैटों/निर्मित व्यावसायिक इकाइयों की संख्या को दर्शाने वाले ब्यौरे I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

डी.डी.ए. द्वारा आवंटित फ्लैटों की कुल संख्या तथा विगत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के लोगों को आवंटित फ्लैटों की संख्या की सूची

वर्ष	जनता श्रेणी			एलआईजी श्रेणी			एमआईजी श्रेणी			एसएफएस श्रेणी		
	योग	अ.ज./अ.ज.जा.	प्रतिशत	योग	अ.ज./अ.ज.जा.	प्रतिशत	योग	अ.ज./अ.ज.जा.	प्रतिशत	योग	अ.ज./अ.ज.जा.	प्रतिशत
1998–99	719	180	25%	1876	469	25%	2636	663	25%	5937	1484	25%
1999–2000	1000	278	25%	5112	1278	25%	2559	855	25%	1748	437	25%
2000–01	1536	384	25%	232	58	25%	1562	393	25%	611	153	25%

विवरण-II

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित निर्मित व्यावसायिक यूनिटों की कुल संख्या तथा विगत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणियों को आवंटित किए गए निर्मित व्यावसायिक यूनिटों की संख्या सूची

वर्ष	किए गए आवंटनों की कुल संख्या	अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणियों को गिए गए आवंटन	प्रतिशत
1998–1999	424	106	25%
1999–2000	326	81	25%
2000–2001	143	35	25%

समुद्र से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन

2289. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **महासागर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए कुछ नई प्रौद्योगिकी अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रौद्योगिकी को किस तरह से विकसित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) समुद्र के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास एवं अंगीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

महासागर विकास विभाग द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न संस्थाओं/राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा वर्तमान में विकसित/परीक्षित प्रौद्योगिकियों में शामिल हैं :

(i) समुद्र संस्तर खनन हेतु समुद्र संस्तर क्रालर के साथ समेकित खनन प्रणाली का विकास।

(ii) समुद्र ताप ऊर्जा के उपयोग के लिए 1 मेगावाट क्षमता का तैरते हुए समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र।

इसके अतिरिक्त, अन्य नौ संस्थानों के साथ केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, समुद्री वनस्पतियों एवं जीवों से मधुमेहरोधी, अतिसाररोधी इत्यादि जैसी औषधियों के विकास पर कार्य कर रहा है।

उप–प्रणालियों/समुद्र संस्तर क्रालर एवं ओटीईसी संयंत्र के घटकों के विकास हेतु जापान एवं जर्मनी में विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/प्रयोगशालाओं के साथ भी सहयोग किया गया है। यद्यपि समग्र प्रणाली अभिकल्पना एवं संरचना इन हाउस तैयार की गई है।

पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंध

2290. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट मैच नहीं खेलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) अपनी विद्यमान नीति के अनुसार, सरकार पाकिस्तान के विरुद्ध द्विपक्षीय मैच खेलना उचित नहीं समझती है। सरकार ने कम से कम तीन वर्षों तक अनियमित स्थानों पर मैच न खेलने का भी निर्णय लिया है। सामान्य रूप से, बहु–पक्षीय मैचों में पाकिस्तान के विरुद्ध खेलने पर कोई भी आपत्ति नहीं है। तथापि, उस समय प्रचलित सुरक्षा संबंधी कठिनाइयों सहित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के परामर्श से, किसी विशिष्ट प्रदर्शन के बारे में निर्णय लिया जाता है।

(ग) और (घ) दिनांक 1 से 14 जनवरी, 2002 तक बंगलादेश में आयोजित होने वाली त्रिकोणीय शृंखलाओं में भाग लेने के लिए बीसीसीआई से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है। विदेश मंत्रालय के परामर्श से प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और इस बारे में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।

अधिकारियों को विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षण

2291. सरदार बूटा सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अपनी शैक्षणिक प्रबंधकीय, तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार लाने के लिए अधिकारियों को प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु चयनित/प्रायोजित/नामनिर्दिष्ट/तैनात करती है जबकि कुछ मामलों में ऐसे प्रशिक्षण की लागत प्रायोजक देशों/एजेंसियों द्वारा द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत वहन की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उनके मंत्रालय के कितने व्यक्तियों को लघु/दीर्घ अवधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए भेजा गया; और

(ग) इनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित थे और संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महिलाओं के लिए रोजगार-सह-आय अर्जन-सह-उत्पादन इकाइयां

2292. श्री एन. टी. षणमुगम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नार्वे की एजेंसी की सहायता से तमिलनाडु के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार–सह–आय अर्जन–सह–उत्पादन इकाइयां स्थापित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक इसके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां क्या रहीं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां। सरकार ने महिला आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों को सहायता प्रदान की है। इस कार्यक्रम के लिए नार्वेजियन अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (नोराड) द्वारा आंशिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान प्रदान किए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

तमिलनाडु राज्य के लिए वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान संस्वीकृत नोराड परियोजनाएं

क्र.सं.	संगठन का नाम	ट्रेड	लाभार्थी	अवधि (माह में)	संस्वीकृत राशि (रु. लाखों में)	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7
	वर्ष 2000-2001					
1.	अन्नाई जेकेके सम्पूरनियाम्मल पॉलिटेकनिक टीएन पलायाम, जिला इरोड, तमिलनाडु	कम्प्यूटर	60	12	4.80	302500
2.	लेडीज फ्री टेलरिंग एसोसिएशन, तिरूवल्लूर, तमिलनाडु	कशीदाकारी	50	6	1.85	120500

1	2	3	4	5	6	7
	वर्ष 2001-2002					
3.	केएसआर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, 47–ए, कुमारेसपुरम, तिरूचेंगोडे, जिला–नमक्कल, तमिलनाडु	कंप्यूटर	60	12	4.80	302500
4.	इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, तमिलनाडु शाखा, रेड क्रॉस बिल्डिंग, इगमोर, चेन्नई	नर्स सहायता प्रशिक्षण	20	12	1.60	80000
5.	सेंट जॉन संगम ट्रस्ट, रौवारा कैंपस, पेरंबलूर, तमिलनाडु	कार्यालय प्रबंधन	30	12	1.62	85300
6.	फोक आर्ट्स एंड कल्चर रिसर्च सेंटर, रेलवे स्टेशन रोड, कवरैपेट्टई, तमिलनाडु	कंप्यूटर	60	12	4.80	302500
7.	पीएस गोविदास्वामी नायडू एंड संस चैरिटीज, पीओ बॉक्स नं. 1609, कोयम्बटूर	कंप्यूटर	60	12	4.80	302500
8.	अव्वई विलेज वेलफेयर सोसायटी, पोओ–मनलमेडु किल्वेलूर, जिला–नागापट्टिनम, तमिलनाडु	कंप्यूटर	60	12	4.80	302500

खेलों के विकास के लिए नई परियोजनाएं

2293. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को केरल से राज्य में खेलों के विकास हेतु कोई नई परियोजनाएं मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए परियोजना–वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) अभी तक कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं; और

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 2000–2001 और 2001–2002 के वर्षों के दौरान, "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" की योजना के अंतर्गत, खेलों के विकास के लिए, केरल सरकार से अभी तक दस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उनमें से, चार प्रस्तावों को निम्नानुसार दर्शाए गए ब्यौरे के अनुसार सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है :

क्र.सं.	परियोजना	अनुमोदित केंद्रीय सहायता की राशि
1.	मुवात्तुपुजहा, एर्नाकुलम में आऊटडोर स्टेडियम (श्रेणी–1)	18.00 लाख रु.
2.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री कंदापुरम, कन्नूर में खेल मैदान का विकास	1.443 लाख रु.
3.	राजकीय व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, कय्यार, कसरगोडे में खेल मैदान का विकास	1.50 लाख रु.
4.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वेल्लाथूवाल, इडुकी में बास्केटबाल/वालीबाल क्षेत्रों का विकास	1.30 लाख रु.

शेष छः परियोजनाएं व्यवहार्य नहीं पाई गई थीं, अतः केंद्रीय सहायता के लिए उन पर विचार नहीं किया गया था। राज्य सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन

2294. श्री महेश्वर सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में, क्रियान्वयन में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 सबसे बड़ी बाधा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बाधा को दूर करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिंता व्यक्त की है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के त्वरित कार्यान्वयन के मार्ग में अड़चन पैदा कर सकते हैं।

उचित समाधान खोजने के उद्देश्य से वैसी राज्य सरकारें जिनके अधिकांश क्षेत्रों में वन हैं, के विचार मांगे गए हैं और उनकी प्रतीक्षा की जा रही है।

जीवन रक्षक दवाइयों का स्वदेशी उत्पादन

2295. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां मनमानी दरों पर इंसुलिन और अन्य जीवन रक्षक दवाइयां बेच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के आम लोगों के हित में इन दवाइयों का देश में ही उत्पादन शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 जीवन रक्षक औषधों और अन्य औषधों के बीच कोई भेद नहीं करता है। उक्त आदेश के उपबंधों के अनुसार सरकार प्रथम अनुसूची में सूचीकृत औषधों तथा उन पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारित करती है, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ इंसुलिन और इसके सूत्रयोग शामिल हैं। यदि किसी अनुसूचीबद्ध सूत्रयोग के स्वीकृत/अधिसूचित मूल्य का कोई उल्लंघन होता है, तो डीपीसीओ, 95 के उपबंधों के तहत कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (ङ) स्वयं सरकार इंसुलिन तथा अन्य जीवन रक्षक औषधों का उत्पादन नहीं करती है। तथापि, सरकार लाइसेंस प्रदान करके, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देकर तथा आई (डी एंड आर) और पर्यावरण (निवारण) अधिनियम तथा विनियमनों के तहत विभिन्न मंजूरियां प्राप्त कराने में मदद करते हुए सभी संभारतंत्र मूलक सहायता प्रदान करके विभिन्न भारतीय कंपनियों में स्वदेशी या आयातित प्रौद्योगिकियों के साथ इंसुलिन एवं अन्य जीवन रक्षक औषधों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है।

[अनुवाद]

ए.आई.सी.टी.ई. का विकेंद्रीकरण

2296. श्री आर. एस. पाटिल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एआईसीटीई का विकेंद्रीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में जुलाई, 2000 में कोई संकल्प पारित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार इस समय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को विकेंद्रीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति

2297. श्री चिंतामन वनगा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री नितिन गढ़करी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति के अंतर्गत कार्यक्रमों के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (घ) जनवरी, 2000 में श्री नितिन गढ़करी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति का गठन किया गया था। समिति का कार्य भारत में सड़कों से न जुड़े हुए गांवों की पहचान करना, कार्यक्रम का आकार और निधियों की आवश्यकता और उसे प्राप्त करने के स्रोत का जायजा लेना, मिट्टी की स्थिति के अनुसार सड़कों की विशिष्टि का निर्धारण करना और कार्यान्वयन एजेंसी/एजेंसियों के संबंध में सुझाव देना था।

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति के तहत कोई कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जाता है।

नेहरू युवा केंद्र

2298. श्री ए. नरेन्द्र : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में कार्यशील नेहरू युवा केंद्रों का ब्यौरा क्या है और इन केंद्रों के अंतर्गत स्थान-वार कौन कौन से क्षेत्र आते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक इन केंद्रों पर केंद्र-वार कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक केंद्र के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में कार्यरत नेहरू युवा केंद्रों का क्षेत्र-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा एवं पिछले तीन वर्षों के दौरान, आज की तारीख तक, इन केंद्रों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 1998-99 से 31.10.2001 तक के दौरान आंध्र प्रदेश में कार्यरत नेहरू युवा केंद्रों तथा उन पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा

क्र.सं.	केंद्र	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6
1.	अनंतपुर	468443	399080	315364	307730
2.	विजयवाड़ा	508661	554767	365596	500898
3.	चित्तूर	788963	768515	521991	299274
4.	कुडप्पा	401192	471634	347885	303538

1	2	3	4	5	6
5.	गुन्टूर	664781	544445	363491	906346
6.	काकीनाडा	551752	533046	339361	928874
7.	करीमनगर	570796	609444	360943	421562
8.	खम्माम	412605	530286	337923	468586
9.	कुरनूल	529338	349104	279078	466690
10.	महबूबनगर	367289	544002	333446	300554
11.	निजामाबाद	452611	254790	293842	471682
12.	सिद्धीपेट	341812	389444	286733	356170
13.	श्रीकाकुलम	474848	452037	304133	902618
14.	विशाखापट्टनम	561975	515457	388505	237618
15.	आदिलाबाद	329625	288616	250078	296898
16.	विजयानगरम	415897	240241	1087866	297538
17.	नेल्लोर	478733	464688	369919	303226
18.	वारंगल	489247	565856	380060	842378
19.	हैदराबाद	418384	648193	409535	427306
20.	नालगोंडा	501902	436938	351632	416442
21.	इल्लुरू	496925	476146	350320	365258
22.	औंगेल	464689	542097	342883	384498
23.	रंगारेड्डी	488808	370929	330569	240506
	कुल	11179276	10949755	8711153	10446190

वर्ष 1998–99 से 31.10.2001 तक के दौरान उत्तरांचल में कार्यरत नेहरू युवा केंद्रों तथा इन केंद्रों पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा

क्र.सं.	केंद्र	1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02
1	2	3	4	5	6
1.	अल्मोड़ा	511666	522694	410479	362636
2.	चमोली	523829	464581	505453	496684

1	2	3	4	5	6
3.	देहरादून	517993	482294	477564	290892
4.	नैनीताल	550906	522073	486314	500724
5.	पौढ़ी गढ़वाल	409043	471839	443833	507708
6.	पिथौरागढ़	309780	425157	403517	353708
7.	उत्तरकाशी	432967	420946	414883	448580
8.	टिहरी गढ़वाल	590551	321533	266620	894268
9.	हरिद्वार	536135	380004	383712	296900
	कुल	4382870	4011121	3792375	4142100

विवरण-II

वर्ष 2001–2002 के लिए उत्तरांचल में नेहरू युवा केंद्र की केंद्र–वार स्वीकृति

क्र.सं.	केंद्र	स्वीकृत धनराशि
1.	अल्मोड़ा	471004
2.	चमोली	657076
3.	देहरादून	363388
4.	नैनीताल	678136
5.	पौढ़ी गढ़वाल	688612
6.	पिथौरागढ़	457612
7.	उत्तरकाशी	599920
8.	टिहरी गढ़वाल	1560452
9.	हरिद्वार	372400
	कुल	5848600

वर्ष 2001–2002 के लिए आंध्र प्रदेश में नेहरू युवा केंद्र की केंद्र–वार स्वीकृति

क्र.सं.	केंद्र	स्वीकृत धनराशि
1	2	3
1.	अनंतपुर	390370
2.	विजयवाड़ा	682822
3.	चित्तूर	380386
4.	कुडप्पा	386782
5.	गुन्टूर	1582994
6.	काकीनाडा	1616786
7.	करीमनगर	563811
8.	खम्माम	634354
9.	कुरनूल	631510
10.	महबूबनगर	382306
11.	सिद्धीपेट	638998
12.	श्रीकाकुलम	465730
13.	विशाखापट्टनम	1577402
14.	विशाखापट्टनम	287902
15.	आदिलाबाद	376822
16.	विजयानगरम	377782
17.	नेल्लोर	386317
18.	वारंगल	1487042

1	2	3
19.	हैदराबाद	572434
20.	नालगोंडा	556138
21.	इल्लुरू	479362
22.	औंगेल	508222
23.	रंगारेड्डी	292234
	कुल	15258506

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश द्वारा उर्वरकों/ कीटनाशकों की मांग

2299. श्री रामानन्द सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने टन उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता है;

(ख) रबी की फसल के लिए इस राज्य को कितने टन उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराया गया;

(ग) क्या उर्वरकों के खुदरा विक्रेता बड़े पैमाने पर मिलावट और हेराफेरी कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) नियंत्रित उर्वरक होने के कारण, यूरिया की जरूरत का मूल्यांकन किया जाता है और इसकी पूर्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ईसीए) के तहत आवंटन के माध्यम से की जाती है। किसी भी राज्य में सभी अन्य उर्वरकों की उपलब्धता नियंत्रण मुक्त होने के कारण इसे रियायती योजना पैरामीटर के अंतर्गत संचालित बाजार बलों द्वारा विनियमित किया जाता है। प्रमुख उर्वरकों यथा, यूरिया, डाई–अमोनियम फास्फेट (डीएपी) और म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) जो चालू रबी 2001–2002 के दौरान मध्य प्रदेश को उपलब्ध कराई गई, की मात्रा नीचे दी गई है :

उर्वरक	रबी 2001 के लिए ईसीए आवंटन/आवश्यकता (मात्रा 000 मी.ट. में)	15.11.01 तक उपलब्ध कराई गई मात्रा
यूरिया	605	263.77
डी.ए.पी.	343	125.66
एम.ओ.पी.	22	21.97

जहां तक कीटनाशकों की जरूरत का संबंध है, वह पूरी तरह नियंत्रण मुक्त होने के कारण बाजार बलों की जरूरत पर निर्भर है। राज्यों द्वारा खरीफ पूर्व और रबी पूर्व मौसम में विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों की मात्रा का मूल्यांकन राज्यों द्वारा किया जाता है। राज्यों द्वारा इस तरह आकलित मांग पर संबंधित क्षेत्रीय सम्मेलनों और खरीफ/रबी अभियान से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन में इनपुट पर विचार–विमर्श किया जाता है। देश में कीटनाशकों की कमी की कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर उर्वरकों में मिलावट का कोई मामला इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है। तथापि, राज्य सरकार ने उर्वरकों के गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित अपनी रिपोर्ट में गैर–मानक उर्वरकों के कुछ मामलों का उल्लेख किया है। गैर–मानक नमूने मुख्यतः मिक्सचर, एसएसपी और काम्पलेक्स से संबंधित हैं।

किसानों को अच्छी गुणवत्ता के उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 प्रख्यापित किया है और राज्य सरकार उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह सक्षम है जो गैर–मानक उर्वरक की बिक्री में संलिप्त हैं। मध्य प्रदेश में 4 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं जिनकी वार्षिक क्षमता 9150 नमूनों का विश्लेषण करने की है।

महिलाओं पर अत्याचारों को रोकने के लिए कानून

2300. श्री बृजलाल खाबरी :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे महिला संगठनों का ब्यौरा क्या है जो सताई

गई महिलाओं को संरक्षण देकर उन्हें उन पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध खड़ा होने के लिए प्रेरित करते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने के लिए कानून बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कानून के कब तक लागू हो जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) सरकार ने एक राष्ट्रीय शीर्षस्थ सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया है, जो अन्य कार्यों के साथ–साथ, महिलाओं को संविधान और अन्य कानूनों के अंतर्गत प्रदत्त सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है, संविधान और अन्य कानूनों के महिलाओं से संबंधित उपबंधों के उल्लंघन के मामलों को उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाता है और महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने के मामलों पर शिकायतों की जांच करता है और स्व–प्रेरणा से कार्रवाई करता है।

आयोग, अपने अधिदेशित कार्यों के निर्वहन के लिए स्वैच्छिक संगठनों के साथ मिल–जुल कर कार्य करता है और उनके कुछ कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करता है। लेकिन, आयोग के पास ऐसे संगठनों की कोई व्यापक निर्देशिका नहीं है।

(ख) से (घ) सरकार ने महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए अनेक कानून बनाए हैं। भारतीय दंड संहिता में दहेज के कारण होने वाली मृत्यु, महिलाओं पर मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की निर्दयता, छेड़–छाड़, बलात्कार आदि जैसे अपराधों से निपटने के लिए कई उपबंध हैं। सामान्य आपराधिक कानूनों के अलावा, सरकार ने महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए दहेज निषेध अधिनियम, 1961 स्त्री अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम 1986, अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम, 1956 तथा सती (निवारण) अधिनियम, 1987 जैसे विशेष कानून भी बनाए हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को राकने के लिए घरेलू हिंसा से सुरक्षा विधेयक 2001 के नाम से एक कानून बनाने पर भी विचार कर रहा है। इस संबंध में विशिष्ट कानूनी उपबंधों को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

ब्लॉक स्रोत केंद्रों की स्थापना

2301. श्री तिरूनावकरसू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के प्रत्येक जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) के अंतर्गत कितने ब्लॉक स्रोत केंद्र (बीआरसी) स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन केंद्रों की स्थापना पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) इन केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या है और इनके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और इनकी उपलब्धियां क्या रहीं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु में 106 ब्लॉक संसाधन केंद्रों की स्थापना की गई है। जिलावार संख्या इस प्रकार है : विल्लुपुरम–22, कुड्डालोट–14, तिरूवन्न–मलाई–18, धर्मापुरी–18, पेरम्बलूर–10, पुदुक्कोट्टे–13 तथा रामनाथपुरम–11।

(ख) इन ब्लॉक संसाधन केंद्रों के निर्माण पर कुल लागत खर्च 530 लाख रुपये है।

(ग) ब्लॉक संसाधन केंद्रों के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं : (i) शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना; (ii) स्कूलों के निरीक्षण द्वारा शिक्षकों को अकादमिक सहयोग प्रदान करना; (iii) अध्ययन–अध्यापन सामग्री के विकास में सहायता करना, (iv) पुस्तकालय, सामग्रियों, सेमिनारों तथा वाद–विवादों के द्वारा अकादमिक संसाधन केंद्र के रूप में काम करना; और (v) शिक्षण कक्ष से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से शिक्षक मंच के रूप में काम करना।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित ब्लॉक संसाधन केंद्र कार्य कर रहे हैं और जिन उद्देश्यों के लिए उनकी स्थापना की गई थी वे उनकी सम्यक पूर्ति कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारी

2302. डा. बलिराम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न केंद्रीय पुलिस संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये कर्मचारी/अधिकारी कब से सीआईएसएफ/सीआरपीएफ/बीएसएफ मुख्यालयों में कार्यरत हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में कोई नियम बनाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मुख्यालयों में लंबे समय से विभिन्न पदों पर कार्यरत इन कर्मचारियों/अधिकारियों का कब तक स्थानांतरण कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद का दिल्ली में होटलों पर बकाया लाइसेंस शुल्क

2303. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 सितंबर, 2001 के "नवभारत टाइम्स" में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का राजधानी के होटलों पर बकाया लाइसेंस शुल्क के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उन होटलों के नाम क्या हैं जिन पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का लाइसेंस शुल्क बकाया है और शुल्क की मात्रा कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा लाइसेंस शुल्क की बकाया धनराशि वसूल करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस समाचार में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) की दिल्ली में अपने लाइसेंसी होटलों पर देय लाइसेंस फीस का उल्लेख है। एनडीएमसी ने बताया है कि वे होटल जिन पर ब्याज सहित लाइसेंस फीस बकाया है, निम्नलिखित हैं :

(i)	मै. सीजे इंटरनेशनल होटल	150 करोड़ रुपये
(ii)	मै. सुनायर होटल लि.	2 करोड़ रुपये
(iii)	मै. ताज होटल लि.	1.55 करोड़ रुपये
(iv)	मै. प्रॉमिनेंट होटल लि.	14 करोड़ रुपये

उन्होंने बकाया लाइसेंस फीस की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत चलाई गई परियोजनाएं

2304. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन प्राधिकरण द्वारा गुजरात में इसकी शुरूआत से कुल कितनी परियोजनाएं चलाई गईं;

(ख) प्राधिकरण के अंतर्गत परियोजनाओं के आवंटन हेतु मानदंड क्या हैं और इसका निगरानी तंत्र क्या है;

(ग) क्या प्राधिकरण द्वारा राज्य में इस वर्ष कुछ और परियोजनाओं के शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य में कितना वित्तीय आवंटन किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (घ) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्यों का विषय होने के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया करवाने की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के पेयजल आपूर्ति घटक के तहत निधियां उपलब्ध करवाकर राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को तैयार करने, स्वीकृत करने तथा कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं। इसलिए राज्यों को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत परियोजनाएं कार्यान्वित करने

के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की जरूरत नहीं है।

तथापि, भारत सरकार ने मांग आधारित नीति तथा विकेंद्रीकृत आयोजना और योजनाओं के कार्यान्वयन के जरिए सामुदायिक भागीदार को संस्थागत रूप देने के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति में क्षेत्र सुधार शुरू किए हैं। क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गुजरात की राज्य सरकार द्वारा तीन जिलों अर्थात राजकोट, मेहसाना तथा सूरत का चयन किया गया है। इन जिलों के संबंध में परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा इन तीन परियोजनाओं के लिए रिलीज की गई निधियां नीचे दी गई हैं :

(लाख रु. में)

जिले का नाम	स्वीकृत परियोजना परिव्यय	भारत सरकार का अंश	रिलीज की गई धनराशि
मेहसाना	4000.00	3740.00	1122.00
राजकोट	4000.00	3740.00	1122.00
सूरत	4000.00	3740.00	1122.00

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (सामान्य) के संबंध में राज्य सरकार को निधियों का आवंटन ग्रामीण आबादी, डीडीपी, डीपीएपी, एचएडीपी, तथा विशेष श्रेणी वाले पर्वतीय राज्यों, कवर न की गई तथा आंशिक रूप से कवर की गई शेष ग्रामीण बसावटों की संख्या, जल गुणवत्ता की समस्या से प्रभावित बसावटों की संख्या तथा किसी राज्य में समग्र जल स्रोत उपलब्धता को दृष्टि से आवश्यकता आधारित अनुमोदित मानदंड के अनुसार किया जाता है।

राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई आवधिक रिपोर्टों के जरिए ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है। पेयजल आपूर्ति विभाग के क्षेत्र अधिकारियों द्वारा भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है। क्षेत्र अधिकारी उन्हें आवंटित राज्यों का आवधिक रूप से दौरा करते हैं तथा अपेक्षित उपचारी कार्रवाई की रिपोर्ट देते हैं जिन्हें कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को भेजा जाता है। इसके अलावा, ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधियां दो किस्तों में रिलीज की जाती हैं। दूसरी किस्त रिलीज करते समय निधियों के उपयोग प्रमाण पत्र, ऑडिट प्रमाणपत्र तथा कार्यान्वयन की प्रगति की संवीक्षा की जाती है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात को 82.37 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिनमें से 77.76 करोड़ रुपये पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। इसके अलावा, पीएमजीवाई (पेयजल आपूर्ति) के अंतर्गत गुजरात को 32.652 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं जिनमें से गुजरात की राज्य सरकार को 16.326 करोड़ रु. पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं।

यूरिया/अन्य उर्वरकों का उत्पादन

2305. डा. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यूरिया और अन्य उर्वरकों के उत्पादन में इस वर्ष कमी आने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यूरिया की आपूर्ति इसकी मांग के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। चालू वर्ष के दौरान 116.6 लाख मी. टन के लक्ष्य की तुलना में 109.6 लाख मी. टन नाइट्रोजन और 49.3 लाख मी. टन के लक्ष्य की तुलना में 40.8 लाख मी. टन फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन होने का अनुमान है। उत्पादन में कमी मुख्यतः यूरिया संयंत्रों को अपर्याप्त तथा निम्न गुणवत्ता की गैस आपूर्ति और फैक्ट के कोचीन–I, इफको के आवेंला–I और स्पीक के तूतीकोरीन यूरिया संयंत्रों में उपस्करों की खराबी के कारण हुई। फास्फेट का उत्पादन लक्ष्य से कम मुख्यतः कई कारणों से होगा, प्रथमतः इफको का कांडला संयंत्र गुजरात भूकंप के बाद रख रखाव कार्यों के कारण अप्रैल मई 2001 के दौरान पूर्ण क्षमता पर प्रचालन नहीं कर सका, दूसरे, पारादीप स्थित ओसवाल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के संयंत्र में उत्पादन अस्थिरता और तीसरे जी एस एफ सी सिक्का–II एकक के प्रारंभण में विलम्ब।

(ग) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो भारत सरकार के सांविधिक मूल्य वितरण एवं संचलन नियंत्रण के तहत है। प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र को यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवंटन और संचलन नियंत्रण की पद्धति द्वारा अनुमोदित मांग के अनुसार सुनिश्चित

की जाती है। चालू रबी 2001–02 के व्यस्ततम महीनों के दौरान तार्किक चालू आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने 2.2 लाख मी. टन यूरिया का आयात किया है।

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी पी आर डी) की दिल्ली पुलिस की श्रम शक्ति की आवश्यकता और आधुनिकीकरण संबंधी रिपोर्ट

2306. डा. वी. सरोजा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस की श्रम शक्ति की आवश्यकता और आधुनिकीकरण संबंधी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रिपोर्ट पर अब तक कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, जिसे दिल्ली पुलिस की जन शक्ति और आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं का अध्ययन करने का काम दिया गया था, ने अपनी रिपोर्ट में नए पुलिस स्टेशनों की स्थापना के लिए मानदंड, अपराध की जांच–पड़ताल, यातायात प्रबंध, प्रशिक्षण सुविधाओं का उन्नयन इत्यादि सहित पुलिस के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें की हैं।

(ग) से (ङ) अध्ययन रिपोर्ट में निहित सिफारिशों की जांच, इन प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा की गई और इसके विचार सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान हेतु मानदंड

2307. श्री मधुसूदन मिस्त्री : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घर में रेडियो, साइकिल और एक प्वाइंट वाला बिजली का कनेक्शन का होना यह निर्णय करने के लिए एक स्वीकृत मानदंड है कि परिवार गरीबी रेखा से ऊपर का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विश्वास है कि 254 रुपये प्रति व्यक्ति आय होने पर कोई परिवार एक रेडियो, पुरानी साइकिल और एक प्वाइंट वाला बिजली का कनेक्शन नहीं रख सकता;

(ग) क्या सरकार ने लोगों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का निर्णय करने हेतु सर्वेक्षण ठीक ढंग से नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का पुनर्सर्वेक्षण करने का है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने के लिए मानदंड को अंतिम रूप देने के लिए गठित विशेषज्ञ समूह ने अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की कि टीवी, फ्रिज, छत के पंखे, मोटर साइकिल/स्कूटर, थ्री व्हीलर तथा कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, विद्युत चालित जुताई यंत्र तथा कंबाइंड थ्रेसर/कटाई यंत्र रखने वाले परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे न माना जाए। इसके अतिरिक्त दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन, पक्का घर अथवा वेतन/स्वरोजगार से 20,000 रु. से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों को भी गरीबी रेखा से नीचे न माना जाए।

(ग) कुछेक ऐसे परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल करने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो पिछली गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना के दौरान छूट गए हैं।

(घ) सरकार का वर्ष 2002 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की अगली जनगणना कराने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

फेरी वालों से रुपये ऐंठना

2308. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के सिपाही फेरी वालों से रुपये ऐंठ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त की गईं और अब तक कितने सिपाहियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) कुछ इक्की-दुक्की घटनाएं हुई हैं जिनमें पुलिस कर्मियों ने फेरीवालों से तथाकथित रूप से अवैध धन की मांग की। वर्ष 1999 से 2001 तक (15 नवंबर, 2001 तक) की अवधि के दौरान, दिल्ली पुलिस को ऐसी 130 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 114 सिद्ध नहीं हो सकीं। शेष 16 शिकायतों पर, 11 दोषी पुलिस कांस्टेबलों के विरुद्ध समुचित प्रशासनिक/निवारक कार्रवाई की गई जबकि पांच अन्य पुलिस कांस्टेबलों के विरुद्ध ऐसी ही कार्रवाई शुरू की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

2309. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 अक्तूबर, 2001 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में 'होम मिनिस्ट्री हेम्परिंग एन एच आर सी वर्क' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वतंत्रता देने की इच्छुक नहीं है जिसे वर्ष 1991 के पेरिस सिद्धांत ने इसके प्रभावी कार्यकरण के लिए आवश्यक माना था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (ङ) यह कहना सही नहीं है कि गृह मंत्रालय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के काम में रोड़ा अटका रहा है, जैसा कि समाचार में कहा गया है। सरकार, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अधीन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, इस अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए कार्य करने की स्वतंत्रता और स्वायत्तता मिली हुई है।

तथापि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की विभिन्न धाराओं में अनेक संशोधन सुझाते हुए एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

आवासीय स्कूलों की स्थापना

2310. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री कालवा श्रीनिवासुलु :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना के दौरान वर्ष-वार विभिन्न राज्यों में विशेषकर मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए आवासीय विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) जारी की गई धनराशि में से कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु आवंटित की गई धनराशि वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान किसी भी राज्य को जारी नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय ने 1999-2000 के दौरान आवासीय विद्यालयों के लिए धनराशि निर्मुक्त नहीं की क्योंकि किसी राज्य ने 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान अग्रिम के रूप में निर्मुक्त

धनराशि के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था। तथापि, कुछ राज्यों को प्रगति तथा उपयोग प्रमाणपत्रों के आधार पर बाद के वर्षों में विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार अनुदान निर्मुक्त किए गए।

विवरण

जनजातियों के लिए आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत धनराशि की निर्मुक्ति और उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	नौवीं योजना के दौरान आवंटित विद्यालयों की संख्या	1997–98		1998–99		2000–01 के दौरान निर्मुक्त धनराशि	2001–02 के दौरान निर्मुक्त धनराशि	कुल	
			नि. रा.		नि. रा.	सू. व्य.			नि. रा.	सू. व्य.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	6	3.00	3.00	3.00	2.50	0.00	0.00	6.00	3.50
2.	असम	4	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
3.	बिहार	7	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
4.	गुजरात	6	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
5.	हिमाचल प्रदेश	2	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
6.	जम्मू और कश्मीर	3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
7.	कर्नाटक	3	2.00	1.6122	0.00	0.00	0.00	2.86	4.86	1.61
8.	केरल	2	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
9.	मध्य प्रदेश	17	7.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
10.	महाराष्ट्र	9	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
11.	मणिपुर	3	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	5.00	1.00
12.	उड़ीसा	8	4.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.30
13.	राजस्थान	7	4.00	3.9354	3.00	0.00	5.00	0.00	12.00	3.94
14.	सिक्किम	1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
15.	तमिलनाडु	2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
16.	त्रिपुरा	3	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.50	4.50	1.00
17.	उत्तर प्रदेश	2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
18.	पश्चिम बंगाल	5	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	अरुणाचल प्रदेश	2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
20.	मेघालय	3	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
21.	मिजोरम	2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
22.	नागालैंड	3	1.00	1.00	2.00	2.00	4.50	0.00	7.50	3.00
	कुल	100	50.00	13.85	23.00	2.50	13.50	4.36	90.86	16.35

टिप्पणी : 1997–98 के दौरान 50 स्कूलों के लिए 1.00 करोड़ रुपये प्रति विद्यालय की दर से 50 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई। आवासीय विद्यालयों (छठी से बारहवीं कक्षा तक के लिए) की स्थापना पूर्णता के विभिन्न चरणों पर है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों ने अस्थाई सरकारी किराए के भवनों में आरंभ किए हैं।

नि.रा. = निर्मुक्त राशि सू.व्य. = सूचित व्यय

दिल्ली में उग्रवादी गतिविधियां

2311. श्री राजैया मल्याला :
श्री उत्तमराव पाटील :
श्री ए. नरेन्द्र :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 नवम्बर, 2001 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में आई एस आई समर्थित संगठन द्वारा दिल्ली में विस्फोट कराने की योजना का पर्दाफाश किए जाने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दिल्ली में उग्रवादी मुक्त रूप से घूम रहे हैं और सुरक्षा एजेन्सियां उनकी गतिविधियों को रोकने और उनके छिपने के स्थानों की पहचान करने में असमर्थ हैं;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली में कितने उग्रवादी सक्रिय हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक दिल्ली में बम विस्फोटों और हिंसा की अन्य कितनी घटनाएं हुईं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। समाचार में संदर्भित दो मामलों के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से पूछताछ से पता चलता है कि पाकिस्तान की आई एस आई भारत में आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए आपराधिक तत्वों का प्रयोग कर रही है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। इस तथ्य से कि दिल्ली पुलिस ने 1998 से 172 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, यह सिद्ध होता है कि पुलिस, आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने में अत्यधिक सतर्कता बरत रही है। तथापि, प्रत्यक्ष कारणों से, दिल्ली में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या बताना कठिन है।

(ङ) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष	बम विस्फोटों की संख्या	विवरण
1	2	3
1998	5	1. 9.1.98 को 2.05 बजे अपराह्न को आंध्र प्रदेश वनीता मंडली बिल्डिंग के सामने इन्द्रप्रस्थ लेन में एक बम विस्फोट हुआ।

1	2	3
		2. 27.6.98 को 10.45 बजे अपराह्न को समर फील्ड स्कूल, ग्रेटर कैलाश की चारदीवारी के निकट एक बम विस्फोट हुआ।
		3. 26.7.98 को 11.30 बजे अन्तर्राज्यीय बस अड्डा कश्मीरी गेट, दिल्ली में हरियाणा परिवहन बस नं. एच आर–46–6839 में एक बम विस्फोट हुआ।
		4. 31.8.98 को लगभग 9 बजे अपराह्न तुर्कमान गेट दिल्ली के सामने एक बम विस्फोट हुआ।
		5. 20.12.98 को लगभग 0015 बजे शिव भक्ति मंदिर, तीसरा पुस्ता, भजनपुरा, दिल्ली में एक बम विस्फोट हुआ।
1999	2	1. 16.4.99 को 6.28 बजे अपराह्न में होलम्बी कलां के निकट पानीपत–दिल्ली ई एम यू के अंतिम डिब्बे में एक बम विस्फोट हुआ।
		2. 16.4.99 को 2.55 बजे अपराह्न पुलिस चौकी फव्वारा, चांदनी चौक, दिल्ली के निकट एक बम विस्फोट हुआ।
2000	5	1. 6.1.2000 को 4.05 बजे अपराह्न दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सहारनपुर जनता पैसेंजर ट्रेन में डिब्बा नं. 16276 में एक बम विस्फोट हुआ।
		2. 27.2.2000 को 3.00 बजे अपराह्न पहाड़गंज में कैलाश गैस्ट हाउस के कमरा नं. 302, तीसरा तल में एक बम विस्फोट हुआ।
		3. 16.3.2000 को 11.39 बजे रुई मंडी, बाराटूटी चौक, मुख्य सदर बाजार दिल्ली की दुकान नं. 5178 के सामने एक बम विस्फोट हुआ।
		4. 28.10.2000 को सुभाष मार्ग, कबूतर मार्किट में, डी टी सी पूछताछ बूथ के निकट तथा इससे लगभग 150 गज दूर दो बम विस्फोट हुए।
2001 (30 नवम्बर तक)	3	1. 9.5.200 को 3.10 बजे अपराह्न सेना भवन के सामने आर्मी हैडक्वार्टर कैन्टीन पार्किंग में एक आई ई डी विस्फोट हुआ।
		2. 9.5.2001 को 3.15 बजे अपराह्न साऊथ ब्लाक पार्किंग में डलहौजी रोड के चौराहे के निकट पेड़ के नीचे एक कूड़े के ढेर में एक आई ई डी विस्फोट हुआ।
		3. 20.5.2001 को 8.45 बजे डी जी, सीमा सुरक्षा बल कार्यालय भवन, सी जी ओ काम्पलैक्स, लोधी कालोनी, नई दिल्ली की छत पर एक शामियाने में बम विस्फोट हुआ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का विभिन्न पदों पर प्रतिनिधित्व

2312. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और समकक्ष श्रेणियों के कितने 'पद' हैं; और

(ख) डी ओ पी टी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अन्तर्गत दिए गए अनुदेशों के अनुसार तथा अभिनिश्चित इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों

और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का उत्पादन और विक्रय कार्यनिष्पादन

2313. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्ष–वार नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का संयंत्र–वार उत्पादन और विक्रय कार्यनिष्पादन कितना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों का आयात और निर्यात कितना है;

(ग) क्या सरकार के पास भविष्य में नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का और अधिक उत्पादन करने हेतु कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) गत तीन वर्षों में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का संयंत्र–वार उत्पादन एवं बिक्री कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है :

संयंत्र	उत्पाद	1998–99		1999–2000		2000–2001	
		उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री
नंगल–I	सीएएन	221.9	224.6	155.4	184.8	107.1	110.4
नंगल–II	यूरिया	388.7	379.24	344.3	324.17	300.2	323.67
भटिंडा	यूरिया	503.6	542.78	543.3	496.93	478.6	508.40
पानीपत	यूरिया	535.7	496.86	532.8	506.00	492.8	539.91
विजयपुर–I	यूरिया	854.7	1648.83	813.2	1688.68	810.8	1685.22
विजयपुर–II	यूरिया	861.9	–	903.1	–	853.3	–

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के आयात एवं निर्यात का विवरण नीचे दिया गया है :

उर्वरकों का आयात (मात्रा लाख मी. टन में)

वर्ष	यूरिया	डीएपी	एमओपी
1998–99	5.56	21.05	25.70
1999–00	5.33	32.68	28.98
2000–01	शून्य	8.60	25.68

उर्वरकों का निर्यात (मात्रा लाख मी. टन में)

वर्ष	यूरिया	मिश्रित	एमओपी	*एसएसपी
1998–99	शून्य	शून्य	–	2,17,000
1999–00	शून्य	40	–	10,500
2000–01	56,825	40	12,840	26,000

*अनुमति दी गई है लेकिन वास्तविक निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित उर्वरक परियोजनाओं का विवरण योजना को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही उपलब्ध होगा। तथापि, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड (एच एफ सी) के नामरूप संयंत्रों का वर्तमान पुनरूद्धार 3.80 लाख मी. टन यूरिया क्षमता के लिए कार्यान्वयनाधीन है। संयंत्र अक्टूबर 2002 में प्रारंभ होने की आशा है। तथापि, उर्वरक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने और इस प्रकार उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक उद्योग को सरकार द्वारा वर्तमान में निम्नांकित सुविधाएं/रियायतें उपलब्ध कराई गई हैं :

(i) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/विस्तार के लिए सामान्यतः किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उद्यमी देश में कहीं भी उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना/विस्तार के लिए, पर्यावरणीय मंजूरी के शर्त के अधीन, स्वतंत्र हैं।

(ii) उर्वरक परियोजनाओं को पूंजीगत वस्तुओं के स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को निर्यात सम लाभ बशर्ते ऐसी आपूर्तियां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया के अन्तर्गत की जाती हो।

(iii) वर्तमान यूरिया क्षमता पर प्रतिधारण मूल्य सह राजसहायता स्कीम के अन्तर्गत उद्यमियों को निवेश पर पर्याप्त लाभ।

(iv) नियंत्रणमुक्त फास्सफेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों की बिक्री पर रियायत।

(v) नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/वर्तमान एककों के आधुनिकीकरण के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

2314. श्री भान सिंह भौरा : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व केवल 10.68 प्रतिशत (अनुसूचित जातियां–08.41 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां–2.27 प्रतिशत) है और द्वितीय श्रेणी सेवाओं में यह प्रतिनिधित्व केवल 13.20 प्रतिशत (अनुसूचित जातियां 09.68 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां 3.52 प्रतिशत) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5 प्रतिशत (अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत) है;

(ख) यदि हां, तो इस मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों/उद्यमों/सांविधिक संगठनों/निगमों, स्वायत्त संगठनों सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के तहत प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/12/96 स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 के तहत अनुदेशों के अनुसार इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जाएगी।

अन्नपूर्णा योजना पर मतभेद

2315. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्नपूर्णा योजना के संबंध में खाद्य मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इन मतभेदों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

नगरों की महानगरों के रूप में घोषणा

2316. श्री मानसिंह पटेल : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने कुछ नगरों को महानगर घोषित करने संबंधी प्रस्ताव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये नगर कौन–कौन से हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक किए गए प्रयासों का नगर–वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सन् 1991 की जनगणना के अनुसार चालीस लाख तथा उससे ऊपर की आबादी होने के मापदण्ड के आधार पर मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बंगलौर शहरों को मेगा सिटी स्कीम में शामिल किया गया था। गुजरात सरकार का अहमदाबाद को शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि 1991 की जनगणना के अनुसार अहमदाबाद की आबादी 40 लाख से कम थी।

[अनुवाद]

खेलों को प्रोत्साहन

2317. श्री शीशराम सिंह रवि :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश का खेलों में प्रदर्शन कसौटी पर खरा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो देश में खेलों को प्रोत्साहन देने संबंधी सरकार की क्या नीति है;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे खिलाड़ी पैदा करने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के पास कौन–कौन से प्रस्ताव हैं; और

(च) चालू वित्त वर्ष के दौरान खेलों के विकास के लिए राज्य–वार कितनी निधियां आवंटित की गईं/खर्च नहीं की गईं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) खेलों में हमारे प्रदर्शन में धीरे–धीरे सुधार हो रहा है। कतिपय खेल–विधाओं अर्थात बिलियर्डस, शतरंज, टेनिस (डबल्स), निशानेबाजी (राइफल), भारोत्तोलन (महिला) में भारतीय खिलाड़ियों ने विश्व स्तरीय प्रदर्शन किया है। तथापि, अभी भी सुधार की गुंजाइश है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) खेलों में विस्तृत आधार प्रदान करने एवं उत्कृष्टता पर बल देते हुए, नई राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 तैयार की;

(2) विदेशी प्रशिक्षकों की नियुक्ति, भारत एवं विदेशों में प्रतिस्पर्धा एवं उपस्कर खरीदने तथा राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता प्रदान करना;

(3) अपने होनकार खिलाड़ियों एवं कार्मिकों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए सहायता उपलब्ध कराना;

(4) ग्रामीण खेल कार्यक्रम आयोजित करना;

(5) खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदान देना;

(6) खिलाड़ियों को खेल–छात्रवृत्ति प्रदान करना;

(7) खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान करना;

(8) अंतर–विद्यालय टूर्नामेंटों के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करना;

(9) राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजनाओं एवं प्रतिभा का पता लगाने और प्रशिक्षण के लिए अन्य योजनाओं हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण को सहायता प्रदान करना।

(ग) से (ङ) चूंकि "खेल" राज्य का विषय है, अतः राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों पर खेल सुविधाओं का सृजन करने की मूल जिम्मेदारी राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों की होती है। तथापि, इस दिशा में उनके प्रयासों को पूरा करने के लिए, केन्द्र सरकार "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" तथा "खेल मैदानों के विकास और खेल उपस्करों की खरीद के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदानों" की योजनाओं के अंतर्गत, शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के सृजन के लिए, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराती है।

(च) धनराशि राज्य–वार आवंटित नहीं की जाती है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेश सरकारों से अर्थक्षम प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त होने पर ही उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

[हिन्दी]

प्रतिभा पलायन

2318. डा. अशोक पटेल :
श्री वाई. वी. राव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रतिभा पलायन की समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस वजह से कितने अनुमानित विद्यार्थी विदेश चले गए;

(ग) क्या इस संकट से बचने के लिए सरकार का विचार कोई योजना शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) शिक्षित भारतीयों का रोजगार की खोज में विदेश जाने का केन्द्रीय स्तर पर कोई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है। भारत सरकार ने समय–समय पर प्रतिभा पलायन को कम करने तथा विदेशों में बसे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को वापस भारत बुलाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

बकाया आरक्षित पदों का भरा जाना

2319. श्री रामजीलाल सुमन : क्या **महासागर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) ख के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित 'पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों' को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियानों की समाप्ति पर महासागर विकास विभाग में डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में पता लगाई गयी बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भर गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान, पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित नई रिक्तियों/बने पदों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

"कापार्ट" द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को निधियां दिया जाना

2320. श्री वाई. जी. महाजन :
श्री ए. के. मूर्ति :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री 24.7.2001 के

अतारांकित प्रश्न संख्या 243 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) कापार्ट के क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा एकत्र और संकलित करने का कार्य पूरा होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक किराया विधेयक, 1999

2321. श्री कोलुर बसवनागौड़ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक किराया विधेयक, 1999 को भारत के राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए किस तारीख को भेजा था;

(ख) क्या वर्तमान कर्नाटक किराया नियंत्रण अधिनियम, 1961 31.12.2001 को प्रवर्तन बाह्य होने वाला है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके मद्देनजर सरकार विधेयक को तुरन्त स्वीकृति दिलाने के लिए कार्यवाही करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल) : (क) से (घ) कर्नाटक किराया विधेयक, 1999 को राष्ट्रपति ने 22.11.2001 को स्वीकृति दे दी है और राज्य सरकार को तदनुसार कर दिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय शिक्षा निधि

2322. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिक्षा कार्यक्रमों के प्रसार के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा निधि के सृजन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निधि के लिए राशि किस प्रकार जुटाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों सहित इच्छुक संगठनों और व्यक्तियों से दान प्राप्त करने के लिए "भारत शिक्षा कोष" नामक एक कोष गठित करने का सरकार का विचार है ताकि देश में शिक्षा के विकास के लिए बजटीय स्रोत के अलावा भी संसाधन जुटाए जा सकें। हालांकि कोष की स्थापना और प्रबंधन से संबंधित तौर-तरीकों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं

2323. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 2001 के बाद से साम्प्रदायिक हिंसा की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) इन घटनाओं का ब्यौरा क्या है और ये कौन-कौन से स्थानों पर हुईं और इनमें कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) देश में शांति और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (च) भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं और अपराधों को दर्ज करना, जांच-पड़ताल करना और पता लगाना तथा मुकदमा चलाना, प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का कार्य है। अतः इस संबंध में आंकड़े राज्य स्तर पर रखे जाने होते हैं।

जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, सरकार, राज्य सरकारों को साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए अनेक तरीकों से, प्रशासनिक और प्रोत्साहन संबंधी दोनों प्रकार से, सतत सहायता उपलब्ध कराती रही है। इसमें उनके पुलिस ढांचे में सुधार करने के लिए सहायता, आवधिक रूप से सतर्क रहने के संदेश भेजने, उनके साथ आसूचना का आदान–प्रदान करने, साम्प्रदायिक उपद्रवों से निपटने के लिए विशेष रूप से गठित संयुक्त त्वरित कार्य बल सहित केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल उपलब्ध कराने और देश में साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी करने और उन्हें विघटनकारी तत्वों जो देश के धर्म निरपेक्ष ढांचे और इसकी अखंडता को नष्ट करने की कोशिश करते हैं की गतिविधियों पर निगरानी रखने की सलाह देना, सम्मलित है।

अक्तूबर, 1997 में सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को एक पुस्तिका, जिसमें साम्प्रदायिक समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश हैं, भी भेजी गयी है। केन्द्र सरकार ने बार–बार यह स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति हिंसा के कृत्यों, जहां कहीं और जिस भी रूप में हो, से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और दोषियों को तत्परता से दण्डित किया जाना चाहिए।

इस उद्देश्य के अनुसरण में, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति अत्याचार/उत्पीड़न की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने और दोषियों को शिनाख्त करने और दण्डित करने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने की सलाह दी गयी है। उनसे यह अनुरोध भी किया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों और उनके संस्थानों पर हमलों/अत्याचारों के सूचित प्रत्येक मामले की जांच के लिए जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को, अपराधियों पर मुकदमा चलाने हेतु तत्काल कार्रवाई करने के लिए, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार ठहराया जाये।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. हेतु आरक्षित बकाया/अग्रेनीत रिक्त पद

2324. श्री शमशेर सिंह दूलो : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) ख के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित "पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों" को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसारा अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर उनके मंत्रालय में डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/2/96–स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार पता लगाई गयी समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में बकाया अग्रेनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान, पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित नई रिक्तियां/बने पदों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कम्पनियों में विनिवेश

2325. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विनिवेश के लिए नियत की गई कम्पनियां कौन–कौन सी हैं और गत तीन वर्ष के दौरान इनके कारोबार और लाभ/हानि की स्थिति क्या रही है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : जिन कम्पनियों में सरकार द्वारा धारित इक्विटी को वर्ष 2001–2002 के दौरान विनिवेश के लिए चिहिन्त किया गया है उनके कारोबार और वर्ष 1997–98 से 1999–2000 के दौरान, निवल लाभ/हानि के साथ उनके नाम संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	1997–98		1998–99		1999–2000	
	कारोबार	निवल लाभ/ हानि (–)	कारोबार	निवल लाभ/ हानि (–)	कारोबार	निवल लाभ/ हानि (–)
1. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लि. (बी एच पी वी)	291.08	1.00	214.56	0.94	125.52	–20.21
2. *सी एम सी लि.	288.16	6.95	338.23	7.31	457.06	12.70
3. आई बी पी कम्पनी लि.	4690.38	31.56	5669.91	35.23	6809.69	41.71
4. इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि. (आई पी सी एल)	3691.60	243.69	3849.86	29.36	4919.76	188.84
5. भारत पर्यटन विकास नि. (आई टी डी सी)	297.05	43.40	279.44	9.94	274.36	–27.33
6. इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि.**	130.62	–22.37	126.88	20.65	124.48	–28.35
7. जेसप एण्ड कंपनी लि.	47.18	80.73	49.89	0.70	35.22	–43.92
8. नेपा लि.	65.62	–20.16	91.60	–22.60	97.68	5.68
9. *एच टी एल लि.	277.09	5.66	361.05	6.84	450.98	12.45
10. हिन्दुस्तान जिंक लि.	1263.20	73.77	1309.27	76.32	1515.60	90.42
11. होटल कॉर्पो. ऑफ इंडिया लि.	102.56	17.82	93.54	0.68	84.57	–1.60
12. विदेश संचार निगम लि. (वी एस एन एल)	6125.11	967.91	6831.47	1324.96	6967.60	840.27
13. मारुति उद्योग लि.	8206.60	651.90	7781.40	523.00	9315.00	330.10

*एच टी एल लि. और सी एम सी लि. में विनिवेश प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है।

**इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि. की केवल एक इकाई अर्थात इन्स्ट्रूमेन्टेशन कंट्रोल एण्ड वाल्वस लि. (आई सी वी एल) विनिवेश के लिए प्रस्तावित है।

बीमाकर्त्ताओं द्वारा पेट्रोकेमिकल्स परिसरों को बीमा राशि का भुगतान

2326. श्री नरेश पुगलिया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीमाकर्त्ताओं ने इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड के बड़ोदरा, नागथाने और गंधार स्थित पेट्रोकेमिकल्स परिसरों को आतंकवाद से सुरक्षा प्रदान करने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, हां। बीमाकर्त्ता, न्यू इंडिया एशोरेंस

कंपनी लि. (एन आई ए सी) वृहत्त जोखिम पॉलिसी के तहत आई पी सी एल के सभी तीन परिसरों के लिए आतंकवाद से सुरक्षा का बीमा नहीं कर सका क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर (डब्ल्यू टी सी), यू एस ए, के धराशायी होने के बाद कोई भी बीमाकर्त्ता आतंकवाद से सुरक्षा प्रदान करने का इच्छुक नहीं था। तथापि, एन आई ए सी ने हाल ही में तीनों परिसरों की सभी परिसंपत्तियों के लिए सीमित राशि के लिए काफी ऊंचे प्रीमियम पर आतंकवाद से सुरक्षा प्रदान करने की पेशकश की है।

आरक्षित बकाया रिक्तियों का भरा जाना

2327. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4)ख के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित "पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों" को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर ग्रामीण विकास मंत्रालय में डी ओ पी टी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार पता लगाई गई समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में बकाया अग्रेनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद आपके मंत्रालय द्वारा भरे गये और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान, पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित की गई रिक्तियों/बने पदों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) संविधान के अनुच्छेद 16(4–ख) के प्रावधानों तथा कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके का. ज्ञा. सं. 36012/5/97–स्था. (आरक्षण) खंड II दिनांक 20.7.2000 के जरिए जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में, सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति के सभी मामलों में, जहां भी लागू हों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां, अर्थात शेष खाली और/या अग्रेनीत रिक्तियां, जो पिछले वर्षों में खाली पड़ी हैं, को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाएगा और इन्हें वर्ष की आरक्षित रिक्तियों के साथ नहीं माना जाएगा जिनमें उन्हें उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या पर 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने के लिए भरा जा रहा है।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अनु. जाति (एस सी), अनु. ज. जातियों (एस टी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओ बी सी) के लिए आरक्षित रिक्तियों का पिछला बकाया/कमी के ब्यौरों और 1997 से 2000 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भरी गई रिक्तियों और सृजित रिक्तियों को भी दर्शाने वाला विवरण

समूह/पद	श्रेणी	29.8.97 को कमी	भरी गई रिक्तियां				सृजित/सूचित रिक्तियां			
			1997	1998	1999	2000	1997	1998	1999	2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				समूह 'ए'						
सहायक सलाहकार	ओबीसी	01	–	–	–	–	–	–	–	–
				समूह 'बी'						
निजी सचिव	एससी	03	–	01	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	एसटी	02	—	—	—	—	—	—	—	—
ओबीसी	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
निजी सहायक	एससी	05	—	01	—	01	02	—	—	—
	एसटी	04	—	—	—	—	03	—	—	—
	ओबीसी	04	—	—	—	—	01	—	—	—
सहायक	एससी	—	—	—	—	01	01	—	—	—
	एसटी	02	—	—	02	01	01	01	—	—
	ओबीसी	07	01	02	—	—	02	—	—	01
एसआई ग्रेड–I	ओबीसी	01	—	—	—	—	—	—	—	—
ईआई ग्रेड–I	ओबीसी	02	—	—	—	—	—	—	—	—
				समूह 'सी'						
स्टेनो	एससी	04	01	01	—	—	02	—	02	02
	एसटी	03	—	—	—	—	01	—	01	01
	ओबीसी	12	02	02	—	—	03	—	03	03
यूडीसी	एससी	01	—	—	—	01	01	01	—	—
	एसटी	—	—	—	01	—	—	02	—	—
एलडीसी	एससी	02	03	02	—	01	02	—	—	—
	एसटी	—	—	—	—	—	—	—	—	01
	ओबीसी	11	03	02	—	—	02	—	—	01
स्टाफ कार ड्राइवर	ओबीसी	02	—	—	—	—	—	—	—	—
				समूह 'डी'						
समूह 'घ' पद	एससी	—	06	—	—	—	—	—	—	—
	एसटी	—	03	—	01	01	—	—	01	01
	ओबीसी	18	04	—	—	—	—	01	02	01

एन ए – अनुपलब्ध

अर्जुन पुरस्कार के लिए मानदंड

2328. श्री खारबेल स्वाइं : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्जुन पुरस्कार दिये जाने के क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या ऐसे पुरस्कार देते समय इन नियमों का कोई उल्लंघन हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनकी चयन प्रक्रिया में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) फिलहाल, अर्जुन पुरस्कार का पात्र होने के लिए, खिलाड़ी के पास न केवल राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले तीन वर्षों का सतत अच्छा प्रदर्शन और उस वर्ष, जिसके लिए पुरस्कार की सिफारिश की गई है, का उत्कृष्ट प्रदर्शन होना चाहिए बल्कि उसमें नेतृत्व के गुण, क्रीड़ा–कौशल तथा अनुशासन की भावना भी होनी चाहिए। जिन खिलाड़ियों ने खेलों तथा खेलों के संवर्धन के लिए जीवन पर्यन्त योगदान दिया है, उनके नाम पर भी अर्जुन पुरस्कार के लिए विचार किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार पुरस्कार–प्राप्तकर्ताओं के चयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की समीक्षा कर रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बकाया राशि

2329. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को कोई बकाया राशि अदा किए बिना सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को बंद कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बकाया धनराशि की किस तरह वसूली किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को बकाया राशि का भुगतान किए बिना सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित दो उपक्रम बंद कर दिए गए हैं। ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

सी पी एस यू का नाम	हटाने की तिथि	बकाया राशि
(1) हिन्दुस्तान इंस्केटिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली	30.10.2001 (अपराह्न)	49,32,229 रु.
(2) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेसीटिकल लिमिटेड, मुजफ्फरपुर	09.07.2001 (अपराह्न)	2,40,81,666 रु.

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने पहले ही बी आई एफ आर, के अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने का निर्णय लेते समय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बकाया राशि को ध्यान में रखा जाए। गृह मंत्रालय, भी चूक करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रशासनिक रूप से जुड़े मंत्रालय/विभाग के साथ परामर्श करके बकाया राशि वसूलने के तौर–तरीके तैयार कर रहा है।

रैन बसेरा योजना

2330. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रैन बसेरा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न राज्य में राज्यवार तथा स्थानवार कितने भवन निर्मित किए गए/निर्माणाधीन हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) पूर्णतया बेघर लोगों और फुटपाथ वासियों का प्रतिकूल मौसमी दशाओं से बचाव करने के लिए उन्हें शौचालयों तथा स्नानघरों वाले सामुदायिक रैन–बसेरा सुलभ कराने के उद्देश्य से "शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ वासियों के लिए आश्रय और सुविधायें" नामक एक नयी केन्द्र प्रवर्तित स्कीम सरकार द्वारा शुरू की गयी थी।

(ख) इस स्कीम के तहत कोई मकान नहीं बनाये जाते।

[हिन्दी]

शिक्षा हेतु विश्वव्यापी अभियान

2331. श्री सुरेश चन्देल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत 'दक्षिण एशियाई बाल दासता विरोधी संगठन' का सक्रिय सदस्य है तथा इसका विश्वव्यापी शिक्षा अभियान के अन्तर्गत देश में पूर्ण साक्षरता हेतु योजना क्रियान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समयबद्ध राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार की गई है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पहल का लाभ उठाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बुनियादी शिक्षा के लिए घरेलू संसाधन जुटाने तथा अपेक्षित साधन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) मंत्रालय को 'दक्षिण एशियाई बाल दासता विरोधी संगठन' के नाम से ज्ञात किसी भी संगठन की कोई जानकारी नहीं है।

(ग) सरकार ने विगत वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था जिसका लक्ष्य समयबद्ध तरीके से 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है।

[अनुवाद]

जेल सुधारों के संबंध में प्रतिवेदन

2332. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेल सुधारों के संबध में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर समिति के प्रतिवेदन को सरकार ने अब तक क्रियान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (च) संविधान की सातवीं की सूची–II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 4 के अनुसार जेल राज्य का विषय है। अतः जेल सुधारों पर न्यायमूर्ति अय्यर समिति की अधिकांश सिफारिशें राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जानी हैं। भारत सरकार ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को राज्यों द्वारा सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करने को कहा है।

समिति ने केन्द्र सरकार से संबंधित कुछ सिफारिशें भी की थीं। इन सिफारिशों के संबंध में कुछ की स्थिति निम्नानुसार है :

(i) इनमें से एक सिफारिश, व्यापक कारागार और बंदी अधिनियम तैयार करने के बारे में थी। इस संबंध में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत संकल्पों के लिए कहा था ताकि संसद मौजूदा कारागार अधिनियम, 1894 के स्थान पर कारागार अधिनियम अधिनियमित कर सके। राज्य सरकारों से अपेक्षित उत्तर नहीं मिलने पर, केन्द्र सरकार ने अंगीकार करने हेतु मॉडल कारागार विधेयक परिचालित किया।

(ii) एक अन्य सिफारिश मौजूदा पुलिस अधिनियम, 1861 को प्रतिस्थापित करने के बारे में थी। इस संबंध में राज्य सरकारों को कार्रवाई करने का परामर्श दिया गया है।

(iii) समिति ने यह भी सिफारिश की है कि महिलाओं आदि की गिरफ्तारी, पूछताछ, तलाशी तथा नजरबंदी आदि पर मार्गदर्शी सिद्धान्त परिचालित किए जाएं। इन मामलों पर राज्य सरकारों को समय–समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

(iv) समिति ने यह सिफारिश भी की है कि पुलिस बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए।

भारत सरकार, इस संबंध में समय–समय पर, राज्य सरकारों को परामर्श देती रही है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में गांवों को एमएडीए क्षेत्र घोषित करना

2333. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या निदेश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को नागपुर जिले के हिंगवा तहसील के 78 गांवों को एमएडीए क्षेत्र घोषित करने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) इस मंत्रालय द्वारा किसी क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। नए माडा पॉकेटों अर्थात नागपुर जिले के हिंगरा तहसील के अड़ेगांव, रतनगघ्रा तथा रुइखड़ी के सृजन के लिए प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हो गया है।

(घ) राज्य सरकार से नए माडा पॉकेटों के सृजन के लिए कतिपय सूचना और संकेतक मानचित्र भेजने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त होने के शीघ्र पश्चात राज्य सरकार के प्रस्ताव पर इस मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

उर्वरक परियोजना को मंजूरी

2334. प्रो. आई. जी. सनदी : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 'कृभको' द्वारा प्रस्तुत की गई हजीरा चरण–II परियोजना को अभी तक अंतिम रूप से मंजूरी नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हजीरा परियोजना को मंजूरी दिए जाने में विलम्ब के कारण सरकार उर्वरकों का आयात कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आयातित उर्वरकों की मात्रा का ब्यौरा क्या है तथा उन पर कितना व्यय हुआ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र में तीन प्रस्तावित यूरिया परियोजनाओं सहित कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभको) की प्रस्तावित हजीरा (चरण–II) उर्वरक विस्तार परियोजना को सरकार द्वारा अप्रैल, 1999 में सिद्धान्ततः अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था जो कि सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा इन परियोजनाओं के निवेश मूल्यांकन के अध्यधीन था। पीआईबी द्वारा इन परियोजनाओं का निवेश मूल्यांकन जुलाई, 1999 में किया गया था। इन परियोजनाओं पर अन्तिम निवेश निर्णय लेने के लिए जून, 2000 में एक प्रस्ताव पर विचार किया गया और सरकार द्वारा आस्थागित कर दिया गया। यह प्रस्ताव परियोजनाओं की व्यवहार्यता, राजसहायता में कटौती करने हेतु फीडस्टाक के रूप में तरलीकृत प्राकृतिक गैस के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की वांछनीयता और सीमित मांग–आपूर्ति अंतर के पूर्वानुमानों की वजह से प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन को विलम्बित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था।

(ग) और (घ) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य और संचलन नियंत्रण के अधीन है और जिसके आयात, आवश्यकता तथा स्वदेशी उपलब्धता के बीच अन्तर को पाटने के लिए किए गए। गत तीन वर्षों में यूरिया आयातों की मात्रा और उन पर किया गया व्यय इस प्रकार है :

वर्ष	यूरिया (लाख मी. टन)	लागत एवं भाड़ा मूल्य (करोड़ रुपये में)
1998–99	5.56	240.00
1999–2000	5.33	197.16
2000–01	शून्य	---

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अप्रयुक्त भूमि का विकास

2335. श्री रामशकल : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 19 जिलों में अप्रयुक्त भूमि के विकास हेतु संघ सरकार को कोई व्यापक योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक यह क्रियान्वित की जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 19 जिलों में अप्रयुक्त भूमि के विकास हेतु संघ सरकार को कोई व्यापक योजना प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि के विकास के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अन्तर्गत वर्ष 2001–02 के दौरान नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु राज्य के 15 जिलों को प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा राज्य में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अन्तर्गत 46000 हैक्टेयर भूमि क्षेत्र को विकसित करने के लिए वर्ष 2001–2002 के दौरान 92 नई वाटरशेड परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी

2336. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी स्थापित की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एजेंसी के निदेश पद क्या हैं, और

(ग) उक्त एजेंसी को क्या कार्य सौंपे जाएंगे?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैकय्या नायडू) : (क) से (ग) सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एन.आर.आर.डी.ए.) के गठन का प्रस्ताव करती है ताकि तकनीकी विशिष्टताओं पर सलाह देने, परियोजना मूल्यांकनों, अंशकालीन गुणता नियंत्रण मानिटरों की नियुक्ति, निगरानी प्रणाली के प्रबंध के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए सहायता को बढ़ाया जा सके तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत की जा सकें। यह एजेंसी सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी होगी।

[हिन्दी]

जलापूर्ति के संबंध में सम्मेलन

2337. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित ग्रामीण जलापूर्ति हेतु अद्यतन प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरणीय स्वच्छता के संबंध में एक सम्मेलन आयोजित किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। परन्तु 19–20 अक्तूबर, 2001 को नई दिल्ली में राज्यों के पेयजल आपूर्ति मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के अलावा प्रोफेशनल और विदेशी सहायता एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में की गई सिफारिशों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

ग्रामीण पेयजल के संबंध में 19–20 अक्टूबर, 2001 को सम्पन्न राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री वेंकैय्या नायडू की अध्यक्षता में 19–20 अक्टूबर, 2001 को नई दिल्ली में राज्यों के ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रभारी मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ था। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के ले. गवर्नर, 16 राज्यों के

ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रभारी मंत्रियों, केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विदेशी सहायता एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया था।

1. सम्मेलन में ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया। पेयजल के साथ ग्रामीण बसावटों की कवरेज के लिए मानदंडों में रियायत करने के एक प्रमुख विषय पर चर्चा की गई थी। मौजूदा मानदंड मैदानी इलाकों में 1.6 कि. मी. अथवा पर्वतीय इलाकों में 100 मीटर की ऊंचाई के अंतर पर एक स्रोत के साथ प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 40 लीटर पानी की व्यवस्था करता है। विस्तारपूर्वक चर्चा के बाद सम्मेलन ने सिफारिश की कि अगर एक बार किसी राज्य में सभी ग्रामीण बसावटों की कवरेज प्राप्त कर ली जाती है तो उक्त कवरेज के स्थान पर मैदानी इलाकों में 0.5 कि.मी. अथवा पर्वतीय इलाकों में 50 मीटर की ऊंचाई के अंतर पर एक स्रोत के साथ प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 55 लीटर पानी मुहैया कराने के लिए रियायत की जा सकती है। सामुदायिक भागीदारी की अवधारणा को मौजूदा मानदंडों के अनुसार बसावटों की पूर्ण कवरेज के बाद सामान्य ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों में अपनाए जाने के लिए सहमति हुई। अगर जहां पर सेवा स्तर मौजूदा मानदंडों से अधिक बढ़े हुए हैं, वहां पूंजी लागत के 10 प्रतिशत तथा संचलन एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी को समुदाय द्वारा वहन किया जाना होता है।

2. सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा में निर्धारित अनुसार वर्ष 2004 तक स्वच्छ पेयजल के साथ देश की सभी 1.4 मिलियन ग्रामीण बसावटों को कवर करने की जरूरत पर विस्तार से चर्चा की गई थी; उपलब्ध मौजूदा जानकारी के अनुसार देश में 14.22 लाख ग्रामीण बसावटों में से मौजूदा मानदंडों के अनुसार 12.45 लाख बसावटें पूरी तरह से कवर हैं; निर्धारित समय–सीमा में शेष सभी 18695 कवर न की गई (एन.सी.) तथा 158675 आंशिक रूप से कवर की गई (पी.सी.) बसावटों की कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए अधिकांश राज्य नीति को कार्यान्वित करने के लिए सहमत हैं। तथापि कुछ राज्यों ने कहा है कि सभी आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों की पूर्ण कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त निधियों की जरूरत होगी।

3. राज्य सरकारों ने उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू. एस.पी.) के अंतर्गत निधियों के अंतर्राज्य आवंटन हेतु मानदंड के लिए कतिपय संशोधन करने का सुझाव दिया है। यह सिफारिश की गई कि राज्यों के लिए निधियों के आवंटन के मानदंड में एन.सी./पी.सी. बसावटों के लिए वरीयता को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाना चाहिए। यह भी सिफारिश की गई कि ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न आकस्मिकताओं की पूर्ति के लिए ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. की कुल निधियों का 5 प्रतिशत विशेष रूप से निर्धारित किया जाए बशर्ते कि नवम्बर तक उपयोग न की गई शेष राशि को इसके बाद सामान्य कार्यक्रम में प्रयोग किया जा सकता है। यह आश्वासन दिया गया था कि राज्यों की सिफारिशों पर पूरी तरह विचार किया जाएगा।

4. इस प्रश्न कि क्या बसावटों की कवरेज की मौजूदा स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कोई नया सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए, पर विस्तार से चर्चा की गई थी। स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए राज्य अपने–अपने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सारी बसावटों के पुनः सर्वेक्षण के पक्ष में थे।

5. ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यों से आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं की निधियों के उचित तथा समय पर उपयोग और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सभी राज्य सरकारों ने दिसम्बर, 2001 तक ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. निधियों की दूसरी किस्त को रिलीज करने के लिए आवश्यक जानकारी तथा प्रमाणमत्र प्रस्तुत करने पर सहमति जताई। बिहार, झारखंड तथा मणिपुर सरकार चालू वर्ष के लिए ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. की निधियों की पहली किस्त की रिलीज हेतु आवश्यक विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

6. उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों को कहा कि वे क्षेत्र के समुचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए ए.आर.डब्ल्यू. एस.पी. के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विशेष कार्य योजना बनाएं।

7. सम्मेलन के दौरान एक अन्य विचारणीय मुद्दे जल गुणवत्ता पर भी चर्चा की गई थी। श्री नायडू ने सभी राज्यों को निदेश दिया कि 31.12.2001 तक गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों का चल रहा सर्वेक्षण समाप्त हो जाना चाहिए ताकि समस्या का सही–सही पता लगाया जा सके तथा जल गुणवत्ता समस्या को दूर करने के लिए कार्य योजना बनाई जा सके;

8. इस पर भी सहमति ज़ताई गई थी कि गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में दोहरी जल आपूर्ति की अवधारणा अपनाई जानी चाहिए ताकि ऐसी बसावटों में पीने तथा रसोई के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 10 लीटर तक शोधित जल तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अशोधित जल मुहैया कराया जा सके।

9. 567 जल गुणवत्ता परिक्षण प्रयोगशालाओं में से 352 प्रयोगशालाओं को अभी लगाया जाना है। सभी राज्यों ने 31.3.2002 तक प्रयोगशालाओं को शुरू करने पर सहमति जताई।

10. तमिलनाडु तथा गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों ने 31 दिसम्बर, 2001 तक 1998 पूर्व की उपमिशन परियोजनाओं को पूरा करने पर सहमति जताई।

11. जल स्रोतों के स्थायित्व की समस्या एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर विस्तार से चर्चा की गई थी। सम्मेलन ने भूजल की अत्यधिक निकासी, कुछ क्षेत्रों में मानसून के समय पर न आने, बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती जरूरतें, जल आपूर्ति के उच्च स्तर की इच्छा, जल संसाधनों के गलत प्रबन्ध और पर्यावरण की अनदेखी की वजह से भूजल स्तर के तेजी से नीचे आने पर चिन्ता व्यक्त की गई। मंत्री जी ने ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना–पेयजल आपूर्ति घटक के अंतर्गत निधियों के निर्धारित अनुपात का उपयोग करके वर्षा जल को एकत्र करना, वाटरशेड कार्यक्रम, कृत्रिम रिचार्ज आदि जैसे स्थायित्व उपायों पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत को दोहराया। केवल चालू वर्ष में राज्य स्थायित्व के लिए 256 करोड़ रु. प्राप्त कर सकते हैं।

12. भूजल की अत्यधिक निकासी तथा विकास को विनियमित करने के लिए राज्यों द्वारा उपयुक्त कानून बनाये जाने के महत्व पर भी विचार–विमर्श हुआ। सम्मेलन में यह सिफारिश की गई कि सूखाराहत उपाय तथा पेयजल के स्रोतों के संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए यह कानून आवश्यक है।

13. इस पर सहमति हुई कि प्रभावी कार्यान्वयन की सहायक प्रविधि के रूप में मानव संसाधन विकास और सूचना, शिक्षा व संचार, कंप्यूटरीकरण, प्रबंध सूचना प्रणाली इत्यादि से संबंधित कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

14. सम्मेलन के दूसरे दिन प्रायोगिक आधार पर 26 राज्यों के 63 जिलों में कार्यान्वित क्षेत्रीय सुधार परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ। भारत सरकार ने 1,820 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की 61 परियोजनाओं को पहले ही स्वीकृति प्रदान की है तथा 58 प्रायोगिक जिले के लिए 484 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई। ये परियोजनाएं ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने हेतु क्षेत्र में की गई मुख्य पहल हैं। क्षेत्र सुधार सिद्धांतों व नीतियों, परियोज़ना को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी की तरह पंचायती राज संस्थाओं, ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र सुधार के विश्व परिदृश्य, सूचना, शिक्षा व संचार और मानव संसाधन विकास हेतु यंत्र, भागीदारी कार्यक्रम के सामुदायिक निरीक्षण के तरीके के बारे में विस्तृत विवरण दिये गये। अनेक राज्यों तथा जिलों द्वारा क्षेत्र सुधार परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति का भी विवरण दिया गया। सम्मेलन में परियोजना कार्यान्वयन में आने वाली दुविधा को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों पर गहन विचार विमर्श हुआ।

15. सामान्यतः क्षेत्र सुधार परियोजना के तहत ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति द्वारा कार्यान्वित करने के लिए एकल गांव योजना आरम्भ की जानी होती है। हालांकि, बहु–ग्राम योजना हेतु प्रखण्ड पंचायत समिति स्तर पर कार्यान्वयन समिति को प्रदत्त दिशा निर्देश भी वैसे ही हैं, के कारण कतिपय प्रशासकीय व वित्तीय कठिनाइयों पर विचार किया गया। चूंकि ऐसी बहु–ग्राम योजनाएं तथा उच्च लागत शोधन संयंत्रों में अधिक लागत निवेश की आवश्यकता होती है, लाभार्थियों का संग्रह अंश बहुत, किन्तु कठिन हो जाता है। अधिकतर प्रखंड स्तर पर समन्वयन, कार्यान्वयन,

उपयोग और रख रखाव जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विचार विमर्श के पश्चात सम्मेलन ने सिफारिश की कि विकल्प के रूप में क्षेत्र सुधार जिलों में जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में वृहत बहु–ग्राम योजना तथा उच्च जल शोधन संयंत्रों की स्थिति में सामान्य कार्यक्रम के तहत सरकारी विभागों द्वारा योजनाएं कार्यान्वित की जा सकती हैं। प्रत्येक गांव की परिधि में भुगतान के आधार पर संबंधित गांव को जलापूर्ति की जाये। पूंजी लागत अंश के क्षेत्रीय सुधार सिद्धांतों के तहत ग्रामीण जल व स्वच्छता समितियों के द्वारा गांव के अन्दर जल के भंडारण व वितरण तंत्र स्थापित की जानी चाहिए और इसके पश्चात् इस प्रणाली का [illegible]ग तथा रखरखाव लाभार्थियों के द्वारा होना चाहिए, जिसके लिए वे सरकारी विभाग से खरीदे गये जल के मूल्य सहित इसका उपयोग व रखरखाव कर सकें। सम्मेलन ने विकल्प के रूप में क्षेत्र सुधार जिले में जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए बहुग्रामीण योजना और उच्च लागत जल शोधन संयंत्रों की स्थापना की स्थिति में व्यवस्था करने के लिए दिशा–निर्देशों में इस प्रकार के संशोधन की सिफारिश की है। हालांकि प्रखण्ड स्तर की समितियों द्वारा बहु–ग्राम योजना का कार्यान्वयन संभव प्रतीत होता है। प्रखण्ड समितियों द्वारा क्षेत्र सुधार सिद्धान्तों के तहत ऐसी योजनाएं कार्यान्वित की जा सकती हैं।

16. सम्मेलन का समापन करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने आशा व्यक्त की कि देश में ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र सभी हिस्सेदारों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग से तीव्र विकास करेगा। उन्होंने यूनिसेफ जल व स्वच्छता कार्यक्रम, दक्षिण एशिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन और डी.एफ.आई.डी., जिसके प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित थे, देश में ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के सहयोग और समर्थन पर सहमति जताई।

[अनुवाद]

कच्चे घरों को पक्का बनाना

2338. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2007 तक कच्चे घरों को पक्का बनाने के लिए एक कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे भवनों की संख्या के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा कितनी सफलता प्राप्त की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 1991 की जनगणना के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आवास की कुल कमी 137.2 लाख थी, जिनमें से लगभग 103.1 लाख बेकार कच्चे मकानों को पक्के मकानों में बदलने की जरूरत थी। 1 अप्रैल, 1999 से, इंदिरा आवास योजना आवंटन का 20 प्रतिशत बेकार कच्चे मकानों को पक्के/अर्ध पक्के मकानों में बदलने के लिए निर्धारित किया गया है। इस उद्देश्य हेतु प्रति इकाई 10,000 रु. की अधिकतम सहायता मुहैया कराई जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 5.6 लाख कच्चे मकानों को पक्के/अर्ध पक्के मकानों में बदला गया है और अब तक 747.87 करोड़ रु. खर्च हुए हैं।

उड़ीसा में आई.डी.एस.एम.टी. के अंतर्गत शहरों और नगरों का विकास

2339. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं और नौवीं योजना के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत छोटे और मझोले शहरों के विकास के लिए उड़ीसा को वर्ष–वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य के किन–किन शहरों को लाया गया;

(ग) आई.डी.एस.एम.टी. के अंतर्गत प्रत्येक शहर के विकास के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उन वर्षों के दौरान प्रदान की गई धनराशि का पूरा–पूरा उपयोग किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) छोटे एवं मझौले शहरों के समेकित विकास (आईडीएसएमटी) योजना के अंतर्गत, आठवीं और नौवीं योजनावधि के दौरान, 1,122.35 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी। उपर्युक्त अवधि के दौरान, जारी की गई केन्द्रीय सहायता का वर्ष–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) आईडीएसएमटी योजना के अंतर्गत शामिल किए गए उड़ीसा के शहरों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) आईडीएसएमटी योजना के अंतर्गत परियोजनायें राज्य सरकार द्वारा तैयार और निष्पादित की जाती हैं। तथापि, योजना के अंतर्गत शामिल विभिन्न घटक इस प्रकार हैं :

- रिंग, मुख्य मार्गों, बाइपास लिंक सड़कों और छोटे पुलों सहित मास्टर प्लान सड़क सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण,
- स्थल और सेवायें
- बस/ट्रक टर्मिनल का विकास
- बरसाती नालियों सहित मास्टर प्लान नालियों का निर्माण/स्तरोन्नयन
- ठोस अपशिष्ट प्रबंध
- नगर/शहर पार्कों का विकास
- मास्टर प्लान सड़कों के लिए स्ट्रीट लाइट
- बूचड़खाना
- उद्यान, खेल के मैदान, विवाह मंडप, भुगतान करें और प्रयोग में लायें वाले शौचालय, इत्यादि जैसी प्रमुख जन सुविधायें
- साइकिल/रिक्शा स्टैण्ड
- यातायात सुधार और प्रबंध योजनायें
- पर्वतीय शहरों में दीवार खड़ी करने के निर्माण कार्य व ढलान मजबूत करने के उपाय
- सामाजिक सुविधायें विशेषकर गरीब तबकों के लिए।

(घ) और (ङ) आठवीं और नौवीं योजनावधि के दौरान, उड़ीसा सरकार ने 1122.35 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता के मुकाबले में 2047.24 लाख रु. के खर्च होने की रिपोर्ट दी है। सूचित किए गए व्यय में राज्य का तदनुरूप हिस्सा और वित्तीय संस्थानों से राज्य सरकार द्वारा लिया गया ऋण शामिल है। राज्य सरकार द्वारा सूचित वर्ष–वार किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में है।

विवरण-I

8वीं और 9वीं योजनावधि के दौरान छोटे और मझौले शहरों के समेकित विकास योजना के अंतर्गत प्रदान और खर्च की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रु. में)

जारी/व्यय	1992–1993	1993–1994	1994–1995	1995–1996	1996–1997	1997–1998	1998–1999	1999–2000	2000–2001	2001–2002	योग
जारी की गई केन्द्रीय सहायता	90.00	32.00	181.00	84.00	25.00	48.00	124.34	174.00	255.00	109.00	1122.34
व्यय	–	527.95	0.00	740.15	343.51	126.91	91.13	77.42	140.17	–	2047.24

विवरण-II

8वीं और 9वीं योजनावधि के दौरान आईडीएमएसटी योजना के अंतर्गत शामिल किए गए उड़ीसा राज्य के शहर

क्र.सं.	शहर	वर्ष
1	2	3
1.	जाजापुर	1992–93
2.	बसुदेवपुर	1992–93
3.	अथागढ़	1992–93
4.	झरसुआगुडा	1992–93
5.	दीगपहन्दी	1993–94
6.	भंजानगर	1994–95
7.	तितलागढ़	1994–95
8.	उमरकोट	1994–95
9.	चौदवर	1994–95
10.	तरभा	1994–95
11.	क्षतरपुर	1994–95
12.	परलाखेमुंडी	1994–95
13.	कामाख्या नगर	1994–95
14.	नबरंगपुर	1994–95
15.	ब्रहमपुर	1995–96
16.	कोणार्क	1995–96
17.	पुरी	1995–96
18.	नीलगिरी	1996–97
19.	अथामलिक	1996–97
21.	पत्तामुंदई	1998–99
22.	आनन्दपुर	99–2000
23.	सोरो	99–2000
24.	बारपाली	99–2000
25.	बालासोर	99–2000
25.	अस्का	2000–01
26.	बांकी	2000–01
27.	करन्जिया	2001–02
28.	केसिंगा	2001–02
29.	बालूगांव	2001–02
30.	राजगंगपुर	2001–02

बंजर भूमि के विकास और गरीबों के लिए आवास निर्माण के कार्यों में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाना

2340. श्री प्रभात सामन्तराय :
श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंजर भूमि के विकास और समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए आवास निर्माण के कार्यों के निजी क्षेत्र को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या निजी क्षेत्र को उक्त कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो निजी क्षेत्र की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) ऐसे कौन–कौन से राज्य हैं जहां अब तक ऐसे आवासों का निर्माण और बंजरभूमि का विकास किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ङ) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, पंचायतों ग्रामीण समुदायों, निजी किसानों की स्वामित्व वाली वनेतर

बंजरभूमि को विकसित करने के लिए वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, निगमित निकायों और अन्य उद्यमियों से संसाधन जुटाने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की निवेश संवर्धन योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में सभी श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए केन्द्रीय संवर्धन अनुदान/आर्थिक सहायता का प्रावधान है। लाभार्थियों की कारगार भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रवर्तकों के अंशदान की भी परिकल्पना की गई है। आर्थिक सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मार्च, 2001 के अंत तक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में इस योजना के अंतर्गत 26 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए आवास निर्माण के कार्य में निजी क्षेत्र को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

निवेश संवर्धन योजना के अंतर्गत केन्द्रीय संवर्धन अनुदान/आर्थिक सहायता तथा प्रवर्त्तकों के अंशदान का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

आर्थिक सहायता का ब्यौरा

(1) सामान्य श्रेणी (अलग–अलग/समूह में)	फार्म पर किये जाने वाले विकास कार्यों पर खर्च होने वाली राशि का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये, जो भी कम हो।
(2) छोटे किसान (अलग–अलग/समूह में)	फार्म पर किये जाने वाले विकास कार्यों पर खर्च होने वाली राशि का 30 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये, जो भी कम हो।
(3) (क) सीमांत किसान (अलग–अलग/समूह में)	फार्म पर किये जाने वाले कार्यों पर खर्च होने वाली राशि का 50 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये, जो भी कम हो।
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए जोत क्षेत्र की किसी सीमा के बिना (अलग–अलग/समूह में)	वही, जैसा कि उपरोक्त (3) (क) में दिया गया है।

आर्थिक सहायता का परिकलन करने के प्रयोजन के लिए फार्म पर किए जाने वाले विकास कार्यकलापों के लिए कुल लागत 20,000/– रुपये प्रति हैक्टेयर से अधिक नहीं होगी।

तकनीकी शिक्षा के लिए धन

2341. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :
श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :
डा. एन. वेंकटस्वामी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तकनीकी शिक्षा के लिए वर्ष–वार कुला कितना धन आवंटित किया गया;

(ख) योजनावार और वर्ष–वार किन–किन एजेंसियों के माध्यम से इस धन का भुगतान किया गया है;

(ग) इस कुल धनराशि में से ए.आई.सी.टी.ई. के माध्यम से कितने प्रतिशत धन का भुगतान किया गया;

(घ) क्या सरकार में समान योजनाओं के लिए तकनीकी शिक्षा के वित्त पोषण करने में विविधता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस विविधता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के माध्यम से वित्तीय वर्ष 1997–98 से 2000–2001 तक की अवधि के दौरान वितरित की गई निधियां केन्द्र स्तर पर तकनीकी शिक्षा की सभी योजनाओं के लिए कुल निधियों का 16.13 प्रतिशत है।

(घ) और (ङ) योजना आयोग योजनाओं के लिए निधियां आवंटित करते समय एक ही जैसे लक्ष्यों तथा उद्देश्यों वाली योजनाओं के लिए अलग–अलग प्रावधान न करके इस बात को सुनिश्चित करता है कि एक ही उद्देश्यों के लिए निधियों का आवंटन बार–बार न हो।

विवरण

केन्द्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा की विभिन्न योजनाओं में नौवीं योजना के अधीन आवंटन, वित्तीय वर्ष 1997–98 से 2000–2001 के दौरान वास्तविक व्यय तथा योजनागत के अन्तर्गत बजट अनुमान 2001–2002 का ब्यौरा

योजना/कार्यक्रम	9वीं योजना आवंटन (रुपये करोड़ में)	1997–98 में वास्तविक व्यय (रुपये लाख में)	1998–99 में वास्तविक व्यय (रुपये लाख में)	1999–2000 में वास्तविक व्यय (रुपये लाख में)	2000–2001 में वास्तविक व्यय (रुपये लाख में)	1997–98 से 2000–2001 के दौरान कुल वास्तविक व्यय (रुपये लाख में)	बजट अनुमान 2001–2002 (रुपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
ए.आई.सी.टी.ई.	400.46	6446.00	6600.00	5136.00	7049.00	25231.00	10842.00
बी.ओ.ए.टी.एस.	10.50	100.00	100.00	105.11	123.15	428.26	135.00
प्रशिक्षु प्रशिक्षण–अध्येतावृत्तियां एवं वृत्तिका के लिए कार्यक्रम	82.00	600.00	980.00	1004.36	1021.67	3606.03	1600.00
टी.टी.टी.आई.	66.74	1749.08	1025.00	256.00	300.00	3330.08	1025.00
यू.जी.सी.	173.68	2968.23	2773.61	2800.00	2800.00	11341.84	1000.00
आई.आई.एस.सी., बंगलौर	90.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	6400.00	1660.00
क्यू.आई.पी. समुदाय पॉलिटेक्निक	309.84	1779.00	338.99	1999.36	1395.23	5512.58	5090.00
व्यावसायिक तथा विशेष सेवा के लिए भुगतान	8.82	132.23	140.34	108.39	150.00	530.96	250.00
तकनीकी शिक्षा III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विकलांग व्यक्तियों के लिए पॉलिटेक्निक	21.00	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00	400.00
आई.आई.टी.	450.75	5175.00	7182.00	19918.00	17500.00	49775.00	13060.00
आर.ई.सी.	244.36	3790.54	3713.75	4048.54	5468.25	17021.08	6000.00
आई.आई.एम.	102.31	1096.50	895.00	1615.00	2148.00	5754.50	3000.00
आई.आई.आई.टी.एम., ग्वालियर	54.43	343.00	166.00	1000.00	1500.00	3009.00	3500.00

1	2	3	4	5	6	7	8
एन.आई.आई.ई., मुम्बई	13.22	148.36	200.00	400.00	550.00	1298.36	866.00
एन.आई.एफ.एफ.टी., रांची	15.60	171.64	250.00	300.00	300.00	1021.64	349.00
एस.पी.ए., नई दिल्ली	17.21	264.00	295.00	295.00	595.00	1449.00	300.00
एस.एल.आई.ई. एंड टी., संगरूर	74.61	1361.00	1100.00	1300.00	1100.00	4861.00	1469.00
इंजीनियरिंग कॉलेज, जम्मू	2.50	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	150.00
आई.आई.आई.टी., इलाहाबाद	11.00	0.00	0.00	1050.00	1650.00	2700.00	2000.00
आई.एस.एम., धनबाद	12.50	0.00	300.00	300.00	300.00	900.00	350.00
अनुसंधान एवं विकास	23.64	144.00	150.00	400.00	400.00	1094.00	450.00
पुराने उपस्करों को हटाना और आधुनिकीकरण	38.50	720.00	800.00	800.00	800.00	3120.00	900.00
तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र	29.10	600.00	600.00	600.00	600.00	2400.00	700.00
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सूचना प्रौद्योगिकी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रौद्योगिकी विकास मिशन	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
अनुसंधान एवं सूचना सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
छात्र परामर्श एवं विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
नेरीस्ट, इटानगर	58.00	800.00	708.00	2000.00	2000.00	5508.00	1000.00
एडसिल	0.08	0.00	0.00	77.00	0.00	77.00	2.00
सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
तकनीकी शिक्षा में उप सैक्टर विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
योग	2373.51	29988.58	29917.69	47307.76	49400.30	156614.33	57500.00

[हिन्दी]

पर्यावरण को पाठ्यक्रम में विषय के रूप में शामिल किया जाना

2342. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पर्यावरण विषय को विभिन्न पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण शिक्षा को प्राथमिक स्तर से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की पाठ्यचर्या में शामिल किया गया है। इसमें जैव संसाधनों का प्रलेखन यथा वृक्षों, स्थल पर और समुद्र में जीवन की कहानी, पक्षियों और मानव जाति के रहन–सहन के तरीके, मनुष्य और उसका पर्यावरण, वन्य जीव तथा वन संरक्षण, प्रजातियां और आबादी आदि शामिल हैं। इन विषयों के बारे में पाठ्य सामग्री के रूप में जानकारी दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठेता।

[अनुवाद]

जल आपूर्ति के लिए केयूडब्ल्यूएसडीबी की कार्य योजना

2343. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. एस. बसवराज :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक अर्बन वाटर सप्लाई एण्ड ड्रेनेज बोर्ड (केयूडब्ल्यूएसडीबी) ने 2,973 करोड़ रुपये की लागत से सभी शहरों में भूमिगत जल निकास योजना शुरू करने के अलावा उन शहरों/नगरों में जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1,033 करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए धन प्रदान करने पर राजी हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में किस सीमा तक धन प्रदान करने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय को यह जानकारी नहीं है कि कर्नाटक अर्बन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड द्वारा 2973 करोड़ रु. की लागत से सभी शहरों में भूमिगत जल निकासी योजना हाथ में लेने के अलावा सभी कस्बों/शहरों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1,033 करोड़ रु. की कोई कार्य योजना तैयार की गई है। तथापि, हडको ने सूचित किया है कि उसने कर्नाटक में 29 जल आपूर्ति स्कीमें स्वीकृत की हैं जिसकी परियोजना लागत 428.18 करोड़ रुपये है। इसमें 277.92 करोड़ रुपये का हडको ऋण शामिल है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन

2344. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम को जिलेवार किन–किन राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश के जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) चालू वित्त वर्ष (दिनांक 16.11.2001) के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत निष्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है :

वास्तविक : वर्ष 2000–2001 के लिए बसावटों (कवर

नहीं की गई और आंशिक रूप से कवर की गई) तथा ग्रामीण विद्यालय का कवरेज इस प्रकार है :

	कवर न की गई (एन.सी.)	आंशिक रूप से कवर की गई (पी.सी.)	कवर की गई ग्रामीण बसावटों की सं.	ग्रामीण विद्यालयों की सं.
लक्ष्य	8143	37383	45526	39356
उपलब्धि	1177	15330	16507	5088

वित्तीय :

परिव्यय : 2010.00 करोड़ रुपये

जारी की गई : 1137.60 करोड़ रुपये

क्षेत्र सुधार परियोजना

वर्ष 2001–2002 के दौरान ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने हेतु चयन किए गए 26 राज्यों के 63 जिलों में स्वीकृत परियोजनाएं तथा जारी की गई निधियां इस प्रकार हैं :

(लाख रुपये में)

जिला	राज्य	स्वीकृत परियोजना लागत	भारत सरकार का अंश	पहली किस्त
1	2	3	4	5
वर्ष 2001–2002 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं और जारी की गई निधियां				
गंजम	उड़ीसा	4000.00	3740.00	1122.00
नेल्लोर	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740.00	1122.00
दुर्ग	छत्तीसगढ़	4000.00	3740.00	1122.00
रिभोई	मेघालय	975.110	907.010	272.103
वर्ष 2001–2002 के दौरान पहले स्वीकृत परियोजनाएं और जारी की गई निधियां				
कोल्लाम	केरल	4000.00	3740.00	1122.00
मेदनापुर	प. बंगाल	4000.00	3740.00	1122.00
उत्तरी 24 परगना	प. बंगाल	4000.00	3740.00	1122.00
वैशाली	बिहार	4000.00	3740.00	1122.00
धनबाद	झारखंड	4000.00	3740.00	1122.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष 2001–2002 के दौरान उत्तरांचल में हरिद्वार जिला में 4000.00 लाख रुपये की परियोजना लागत वाली परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

(ख) से (ङ) पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय होने की वजह से देश की ग्रामीण बसावटों में पेयजल आपूर्ति की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना–ग्रामीण पेयजल घटक के अन्तर्गत निधियां मुहैया कराकर राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। अपनी–अपनी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, उन्हें मंजूरी देने तथा कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों को सौंपी गई हैं। 63 क्षेत्र सुधार परियोजना जिलों में से आंध्र प्रदेश के लिए 5 जिलों को मंजूरी दी गई है और इन 5 क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के संदर्भ में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	जिले का नाम	स्वीकृत राशि	भारत सरकार का अंश	जारी की गई राशि
1	चित्तूर	4000.00	3740.00	1122.00
2	खम्माम	3753.00	3509.00	1052.70
3	नालगोंडा	4000.00	3740.00	1122.00
4	प्रकाशम	4000.00	3740.00	1122.00
5	नेल्लोर	4000.00	3740.00	1122.00

ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में कर्नाटक की प्रगति रिपोर्ट

2345. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने कर्नाटक को ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति के संबंध में रिपोर्ट भेजने को कहा है क्योंकि राज्य ने सूखा से बुरी तरह प्रभावित होने के बावजूद इन योजनाओं के लिए धन जारी किए जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज नहीं भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य ने 139.53 करोड़ रुपये में से केवल 3.71 करोड़ रुपये ही खर्च किए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) कर्नाटक सहित, सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को, पूर्व–अपेक्षिता के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय से निधियों की परवर्ती किस्तें प्राप्त करने के लिए, सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होती हैं।

(ख) से (घ) चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार को 124.14 करोड़ रु. के आवंटन में से त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 62.07 करोड़ रु. की राशि रिलीज की है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, राज्य द्वारा 33.40 करोड़ रु. की राशि का उपयोग कर लिया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में कपार्ट द्वारा परियोजनाओं का क्रियान्वयन

2346. श्री राजो सिंह : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान बिहार में कपार्ट को प्राप्त/इसके द्वारा स्वीकृत और क्रियान्वित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गैर–सरकारी संगठनों को संगठन–वार कितना धन आवंटित किया गया; और

(ग) आज की तारीख में कपार्ट के पास स्वीकृति हेतु इस राज्य के कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) कपार्ट ने चालू वर्ष के दौरान बिहार में 127 परियोजनाएं प्राप्त की हैं, जिनमें से 24 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। गैर–सरकारी संगठन–वार स्वीकृत परियोजनाओं, स्वीकृत राशि तथा संदर्भित वर्ष के दौरान जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उक्त तिथि को कपार्ट में लंबित राज्य के प्रस्तावों की संख्या 147 है।

विवरण

क्र.सं.	स्वयंसेवी संस्था का नाम	योजना	स्वीकृत राशि (रुपये में)	जारी की गई राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5
1	आर्थिक आत्मनिर्भरता सामाजिक विकास अभिकरण	*ओ आर पी	64,000	30,000
2	बाल्मीकि डेव. सोसा. ऑफ इंडिया	**पी सी	8,01,450	4,05,725
3	बेरोजगार संघ	पी सी	6,84,972	2,61,540
4	बिहार सेवा संस्थान	पी सी	7,14,261	3,59,131
5	ग्राम स्वराज सेवा संस्थान	पी सी	3,39,433	1,57,248
6	जवाहर लाल नेहरू शिशु युवा सेवा मंडल	पी सी	5,81,537	2,97,032
7	लोहिया जयप्रकाश खादी ग्रामोद्योग मानव विकास संस्था	पी सी	8,15,100	4,12,150

1	2	3	4	5
8	लोक स्वराज्य संघ	पी सी	15,52,467	7,85,833
9	महिला बाल ज्योति केन्द्र	ओ आर पी	64,000	30,000
10	महिला विकास सेवा संस्थान	पी सी	7,49,557	3,72,511
11	मानव कल्याण समिति	पी सी	15,71,310	7,85,855
12	मुक्ति निकेतन	ओ आर पी	1,00,000	1,00,000
13	परिवर्तन	ओ आर पी	64,000	30,000
14	समग्र विकास अंत्योदय सेवा केन्द्र	पी सी	11,97,919	3,85,294
15	सावित्री कताई, बुनाई एवं महिला विकास केन्द्र	ओ आर पी	1,51,000	70,500
16	अखिल भारतीय जन कल्याण समिति	पी सी	4,96,800	अभी रिलीज की जानी है।
17	मुक्ति निकेतन	पी सी	9,28,421	अभी रिलीज की जानी है।
18	सहयोगी समाज कल्याण केन्द्र	ओ आर पी	64,000	अभी रिलीज की जानी है।
19	विकल्प महिला विकास संघ	पी सी	10,35,468	अभी रिलीज की जानी है।
20.	तरकौलिया एरिया स्मॉल फारमर्स एंड रिसोर्सलेस पीपुल्स एसो.	पी सी	3,50,130	अभी रिलीज की जानी है।
21	भारतीय जन उत्थान परिषद, कमरुद्दीनगंज, नालंदा, बिहार	वाटरशेड	68,95,360	अभी रिलीज की जानी है।
22	बिहार नवजीवन ज्योति प्रतिष्ठान, लखीसराय रोड, जमुई	वाटरशेड	2,00,000	2,00,000
23	बिहार इंस्टी. ऑफ इको. स्टडीज, पटना	वाटरशेड	2,00,000	अभी रिलीज की जानी है।
24	सामाजिक कल्याण संस्था, धनबाद	वाटरशेड	2,00,000	अभी रिलीज की जानी है।

संक्षिप्त रूप : *ओ. आर. पी. – ग्रामीण गरीबों का संगठन

**पी. सी. – जन सहयोग

[अनुवाद]

आई.आई.आई.टी. हैदराबाद को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा

2347. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) हैदराबाद को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संस्थान ने शिक्षा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च स्तर की उत्कृष्टता हासिल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया है और आई.आई.आई.टी. हैदराबाद को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (च) अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद को सम–विश्वविद्यालय का दर्जा देने के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसे अनुमोदित करके 21 अगस्त, 2001 को आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

दमा के लिए नई दवा

2348. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 31.7.2001 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1433 में दिए गए आश्वासन के अनुसार सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक एकत्र किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) अतारांकित प्रश्न सं. 1433 दिनांक 31.7.2001 के उत्तर में दिए गए आश्वासन के संबंध में उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार है :

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अधीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, कोलकाता ने दमे के उपचार के लिए "एसमॉन" ट्रेड मार्क के साथ पादप आधारित एक आयुर्वेदिक दवा विकसित की है। इस समय आयुर्वेदिक दवाओं पर मूल्य नियंत्रण नहीं है। सीएसआईआर के अनुसंधान के आधार पर औषध लाइसेंस प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल ने इस औषध को पेटेंट स्वामित्व वाली आयुर्वेदिक दवा के रूप में पंजीकृत किया है। "एसमॉन" के सभी संघटक औषध और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध आयुर्वेद की अधिकृत पुस्तक से लिए गए हैं और पेटेंट स्वामित्व वाली आयुर्वेदिक दवा को पंजीकृत करने के लिए निर्दिष्ट नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप ही लाइसेंस जारी किया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

वैज्ञानिक जन शक्ति

2349. श्री किरीट सोमैया : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी वैज्ञानिक जन शक्ति है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में वैज्ञानिक जन शक्ति विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो देश में वैज्ञानिक जन शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (ग) अनुप्रयुक्त मानवशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई ए एम आर) द्वारा किए गए एक आकलन के अनुसार 1999 के आरम्भ में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) मानव शक्ति की कुल संख्या 7.2 मिलियन थी। एस एंड टी मानव शक्ति की अन्तर्राष्ट्रीय तुलना की सीमाएं हैं क्योंकि यूनेस्को के सदस्य

राष्ट्रों द्वारा अपनी अलग–अलग परिभाषाएं अपनाई जाती हैं, यूनेस्को को आंकड़े उपलब्ध कराते समय एस एंड टी कार्मिकों को वर्गीकरण अलग–अलग तरीके से किया जाता है और आंकड़ों के संदर्भ के वर्ष भी अलग–अलग देशों के लिए एक समान नहीं होते। इन सीमाओं के कारण अन्तर्राष्ट्रीय तुलना अवास्तविक हो जाती है। सरकार द्वारा देश में एस एंड टी मानव शक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जैसे पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए परिव्यय में वृद्धि, नए वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सृजन, विश्वविद्यालयों एवं अकादमिक संस्थानों में और अधिक उत्कृष्टता वाले केन्द्र/उन्नत अध्ययन केन्द्र स्थापित करना, उद्यमवृत्तिक विकास के लिए एस एंड टी आधारित प्रशिक्षण, एसोसिएटशिप्स/अध्येतावृत्तियों के माध्यम से मानव शक्ति विकास प्रशिक्षण/पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रीष्मकालीन विद्यालय, युवा वैज्ञानिकों के लिए फास्ट ट्रैक प्रस्ताव, अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं संस्थानों का दौरा करने के लिए ब्यायजकास्ट अध्येतावृत्तियां, स्वर्णजयंती अध्येतावृत्तियां अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पियाड में भारतीय छात्रों द्वारा भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए समेकित विज्ञान ओलम्पियाड कार्यक्रम, मौलिक विज्ञान, इंजीनियरी एवं चिकित्सा के छात्रों को अनुसंधान को एक कैरियर के रूप में अपनाने हेतु बढ़ावा देने के लिए किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना।

महाराष्ट्र में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2350. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में शहरी आधारभूत संरचना, गरीबी उपशमन और आवासीय क्षेत्रों में कुछ विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त हुई और किन–किन परियोजनाओं पर इस सहायता का उपयोग किया गया;

(ग) क्या महाराष्ट्र में विदेशी सहायता से कुछ और परियोजनाओं को चलाए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हिजबुल की सरकार के साथ वार्ता की पेशकश

2351. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिजबुल मुजाहिद्दीन ने केन्द्र सरकार के साथ वार्ता की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) सरकार को, हिजबुल मुजाहिद्दीन से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

विदेशी पर्यटकों को पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति

2352. श्री बहादुर सिंह : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों को पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की अनुमति प्रदान करने के लिए राज्यवार किस प्राधिकरण को नियुक्त किया गया है; और

(ग) सरकार ने इन राज्यों का दौरा करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटकों की रुचि के कुछ स्थानों की यात्रा विदेशियों द्वारा सक्षम प्राधिकारियों अर्थात गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों, मुख्य आप्रवासन अधिकारी, चेन्नई तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों से आवश्यक परमिट प्राप्त करने के बाद, करने दी जाती है।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा करने के दौरान पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है।

[अनुवाद]

सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन

2353. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री अम्बरीश :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सुरक्षा बलों के कर्मचारियों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक प्रकाश में आये मामलों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा सुरक्षा बलों के कर्मचारियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) वर्ष 1998–1999, 1999–2000, 2000–2001 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सशस्त्र बलों/अर्ध सैनिक बलों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जब कभी सुरक्षा बलों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के मामले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचित किए जाते हैं तो आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 19 के तहत कार्रवाई करता है तथा वह तथाकथित उल्लंघनों पर केन्द्र सरकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपयुक्त सिफारिशें करता है। सरकार भी सुरक्षा बलों को उपयुक्त प्रशिक्षण देकर उन्हें मानवाधिकारों के प्रति सुग्राही बना रही है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान सशस्त्र बलों तथा अर्ध सैनिक बलों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का राज्यवार व वर्षवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998–1999	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	–	02	06
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	07	11	31
4.	बिहार	–	05	18
5.	गोवा	–	–	–
6.	गुजरात	–	–	04
7.	हरियाणा	–	–	11
8.	हिमाचल प्रदेश	01	–	07
9.	जम्मू और कश्मीर	36	16	109
10.	कर्नाटक	–	–	04
11.	केरल	–	–	09
12.	मध्य प्रदेश	–	02	18
13.	महाराष्ट्र	02	–	11
14.	मणिपुर	04	06	11
15.	मेघालय	–	02	02
16.	मिजोरम	–	–	02
17.	नागालैंड	01	–	–
18.	उड़ीसा	–	–	04
19.	पंजाब	–	–	35
20.	राजस्थान	03	02	22
21.	सिक्किम	–	–	–
22.	तमिलनाडु	02	–	03
23.	त्रिपुरा	–	–	06
24.	उत्तर प्रदेश	05	05	48
25.	पश्चिम बंगाल	06	06	31
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	01	–

1	2	3	4	5
27.	चंडीगढ़	–	–	02
28.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–
29.	दमन और दीव	–	–	–
30.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	02	03	84
31.	लक्षद्वीप	–	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–	–
33.	छत्तीसगढ़	–	–	–
34.	झारखंड	–	–	01
35.	उत्तरांचल	–	–	07
	योग	69	61	486

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) द्वारा संस्थाओं को जमीन बेचना

2354. प्रो. दुखा भगत : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) द्वारा सांस्कृतिक, सामाजिक, वाणिज्यिक और शैक्षिक संस्थाओं को कोई भूमि बेची गयी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक संगठनों और संस्थाओं को बेची गयी भूमि का ब्यौरा क्या है और इसका मूल्य क्या है;

(ग) क्या उक्त भूमि को भूमि के बाजार मूल्य से कहीं काफी कम मूल्य पर बेचा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में अपनायी गयी प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि संस्थायी भूमि का आवंटन, दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि निस्तारण) नियमावली, 1981 के अनुसार ऐसी सोसायटियों/संस्थाओं को किया जाता है, जिनका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है। डीडीए द्वारा वाणिज्यिक भूखण्डों को निस्तारण नीलामी के जरिए किया जाता है।

(ख) विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्थाओं को वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान किए गए आवंटन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उक्त नजूल नियमावली के नियम 5 के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण विभिन्न संस्थाओं को भूमि का आवंटन, केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रीमियम तथा भू–किराए पर किया जाता है।

निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाली सोसायटी/संस्था, संस्थायी भूमि आवंटन की पात्र हैं :

(i) वह दिल्ली की जनता का प्रत्यक्ष हित साधन करती हो;

(ii) वह सोसायटीज एक्ट, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत एक पंजीकृत सोसायटी हो अथवा वह संस्था सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व में हो या चलाई जाती हो अथवा तत्समय प्रभावी किसी कानून के तहत गठित या स्थापित की गई हो;

(iii) उसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं हो;

(iv) उसके पास इतना धन हो कि वह अपने उपयोग हेतु भूमि व भवन निर्माण का लागत खर्च उठा सके;

(v) ऐसी संस्था को आवंटन का प्रस्ताव या सिफारिश दिल्ली प्रशासन के किसी विभाग अथवा केन्द्र सरकार के किसी मंत्रालय द्वारा की गई हो।

अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी होने पर आवंटित की जाने वाली भूमि का निर्धारण किया जाता है और उसे दिल्ली विकास प्राधिकरण की संस्थायी भू–आवंटन समिति (आई.ए.सी.) के समक्ष रखा जाता है। इस समिति की सिफारिश के आधार पर संस्थाओं को भूमि के आवंटन पर विचार किया जाता है।

विवरण

विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं को वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 में किए गए आवंटनों के ब्यौरे

1998-99

क्र.सं.	सोसायटी/संस्था का नाम	आवंटित रकवा	भूमि की कीमत
1	2	3	4
1.	नूतन विद्या मंदिर सोसायटी	900 वर्ग मी.	1712379/– रु.
2.	आल इंडिया सिद्धार्थ इंटरनेशनल एजुकेशन सोसायटी	1000 वर्ग मी.	1461576/– रु.
3.	ईस्ट प्वाइंट एजुकेशनल सोसायटी	1.6 हेक्टेयर	93354112/– रु.
4.	एम.एल. सेठी चेरिटेबल ट्रस्ट	4 एकड़	13520217/– रु.
5.	इंटरनेशनल चेरिटेबल सोसायटी	1.67 एकड़	5644691/– रु.
6.	बाबा नोरोन्ह मेमोरियल एजुकेशनल एंड सोसल वेलफेयर सोसायटी	4200 वर्ग मी.	7016100/– रु.
7.	अरिहन्त सिविक सर्विस सोसायटी	1.6 हेक्टेयर	13362985/– रु.
8.	रोहिणी एजुकेशन सोसायटी	1.6 हेक्टेयर	13362985/– रु.
9.	तितिक्षा अकाडमीक सोसायटी	4 एकड़	13520217/– रु.
10.	लवली बाल शिक्षा परिषद	2.47 एकड़	9513220/– रु.
11.	मॉडर्न चेरिटेबल फाउंडेशन	4 एकड़	17600000/– रु.
12.	न्यू विवेक एजुकेशनल सोसायटी	1.45 एकड़	5583554/– रु.
13.	गूगन सोलंकी एजुकेशनल सोसायटी	1.6 हेक्टेयर	9636900/– रु.
14.	माडर्न चेरिटेबल फाउंडेशन	4.6 एकड़	17600000/– रु.
15.	चाइल्ड एजुकेशन सोसायटी	4 एकड़	17395840/– रु.
16.	गुलशन एजुकेशन सोसायटी	2000 वर्ग मी.	2718100/– रु.
17.	दिल्ली पब्लिक स्कूल	3.90 हेक्टेयर	19026700/– रु. (बिल्डिंग के लिए) 14640000/– रु. (होस्टल के लिए)
18.	न्यू स्टार एजुकेशनल सोसायटी	4000 वर्ग मी.	5436200/– रु.
19.	लगन कला उपराम	4 एकड़	17600241/– रु.

1	2	3	4
20.	जे के सरस्वती मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी	6460 वर्ग मी.	8779735/– रु.
21.	नारी दृष्टि ए वूमेन प्वाइंट ऑफ व्यू	800 वर्ग मी.	1670373/– रु.
22.	गुजरात को–आप. मिल्क मार्किटिंग फेडरेशन लि.	940.64 वर्ग मी.	1879169/– रु.
23.	इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन	3200 वर्ग मी.	5436125/– रु.
24.	माई कमलीवाली जनकल्याण चेरिटेबल ट्रस्ट	59.50 वर्ग मी.	24234/– रु.
25.	सोसायटी फार इम्पलायमेंट एंड कैरियर (रजि.)	1000 वर्ग मी.	3440746/– रु.
26.	प्रयास सोसायटी ट्रस्ट	510 वर्ग मी.	138621/– रु.
27.	उत्तराखंड जन सहयोग समिति	468 वर्ग मी.	1112698/– रु.
28.	सेन्ट्रल रेवन्यू सीएचबीएस	487.98 वर्ग मी.	1/– रु.
29.	बहावलपुर समाज दिल्ली	1000 वर्ग मी.	2165313/– रु.
30.	राधा गोविन्द समिति	662.31 वर्ग मी.	2768000/– रु.
31.	वैश्य फाउंडेशन	894 वर्ग मी.	1913128/– रु.
32.	माडर्न दिल्ली वेलफेयर सोसायटी	494 वर्ग मी.	1057242/– रु.
33.	निजामुद्दीन वेस्ट	309 वर्ग मी.	3218006/– रु.

1999-2000

क्र.सं.	सोसायटी/संस्था का नाम	आवंटित रकवा	भूमि की कीमत
1	2	3	4
1.	अरविन्द सोनिका एजुकेशनल सोसायटी	614.90 वर्ग मी.	1671337/– रु.
2.	ब्लूम फील्ड एजुकेशनल सोसायटी	800 वर्ग मी.	152212/– रु.
3.	सबकल्पा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी	810 वर्ग मी.	2201631/– रु.
4.	प्रभास एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी	800 वर्ग मी.	2174480/– रु.
5.	बीना एजुकेशनल सोसायटी	778.40 वर्ग मी.	3479120/– रु.
6.	हरवर्ड इंडिया सोसायटी	1000 वर्ग मी.	1902644/– रु.
7.	वसुधा एजुकेशनल सोसायटी	800 वर्ग मी.	2174480/– रु.
8.	जन जागृति एजुकेशनल सोसायटी	1216 वर्ग मी.	3305164/– रु.

1	2	3	4
9.	गोल्डन हैरिटेज एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी	919 वर्ग मी.	2497900/– रु.
10.	जमुना विहार एजुकेशनल सोसायटी	1000 वर्ग मी.	1902644/– रु.
11.	सेठ पोलरमल एजुकेशनल सोसायटी	602 वर्ग मी.	1636274/– रु.
12.	अखिल भारतीय ग्रामीण सेवा संघ	800 वर्ग मी.	2174480/– रु.
13.	सुधिक्षा एसोसिएशन एजुकेशन एंडवासमेंट एंड डिससेमिनेशन	800.14 वर्ग मी.	2174831/– रु.
14.	श्री दिल्ली गुजराती कुंदू नाथ ट्रस्ट	801.60 वर्ग मी.	217879/– रु.
15.	वैश्य अग्रवाल एजुकेशनल सोसायटी	927.84 वर्ग मी.	2421927/– रु.
16.	कृष्ण धमार्थ समिति	804 वर्ग मी.	2185322/– रु.
17.	सतगुरु एजुकेशनल सोसायटी	787.60 वर्ग मी.	2147270/– रु.
18.	डी ए वी कालेज मैनेजमेंट	800 वर्ग मी.	2174450/– रु.
19.	गगन एजुकेशनल सोसायटी	4 एकड़	9466742/– रु.
20.	अखिल भारतीय समिति	10339 वर्ग मी.	11240974/– रु.
21.	मोहन मेमोरियल एजुकेशनल सोसायटी	0.712 हेक्टेयर	7741149/– रु.
22.	लक्ष्मी चन्द चेरिटेबल सोसायटी	1.6 हेक्टेयर	17395602/– रु.
23.	मोहिनी चंदानी चेरिटेबल ट्रस्ट	1.6 हेक्टेयर	17395840/– रु.
24.	वसुधारा एजुकेशनल फाउंडेशन	1.6 हेक्टे.	17395840/– रु.
25.	अदि चुनचुनगिरी शिक्षा	1.6 हेक्टेयर	17395840/– रु.
26.	एस. कृपाल एजुकेशनल सोसायटी	1.756 एकड़	9658000/– रु.
27.	राइजिंग स्टार अकाडमी एजुकेशनल सोसायटी	1.712 एकड़	9416000/– रु.
28.	लार्ड कृष्णा एजुकेशनल सोसायटी	4 एकड़	17600000/– रु.
29.	साई मेमोरियल एजुकेशनल सोसायटी	3190 वर्ग मी.	3034717/– रु.
30.	जिंदल चेरिटेबल सोसायटी	1.6 हेक्टेयर	15692202/– रु.
31.	श्री वेंकटेश्वर एजुकेशनल सोसायटी	1.6 हेक्टेयर	17395602/– रु.
32.	दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी	18912 वर्ग मी.	9346/– रु.
33.	साई मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी	3900 वर्ग मी.	3710156/– रु.

1	2	3	4
34.	शिशु नव निर्माण एजुकेशनल सोसायटी	4 एकड़	17600241/– रु.
35.	सामर्थ शिक्षा समिति	1.5 एकड़	12375170/– रु.
36.	आर्य समाज माडल टाउन	2 एकड़	16500000/– रु.
37.	माउंट कारमेल एजुकेशनल सोसायटी	2 एकड़	5600226/– रु.
38.	नूतन विद्या मंदिर	4000 वर्ग मी.	3865288/– रु.
39.	भारती एजुकेशनल सोसायटी	0.8961 हेक्टेयर	11550000/– रु.
40.	स्काई लैंड एजुकेशनल सोसायटी	4005 वर्ग मी.	5444080/– रु.
41.	हेलम जोरवुड मेमोरियल एजुकेशनल सोसायटी	2 एकड़	176500000/– रु.
42.	डायमंड एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी	2 एकड़	16500000/– रु.
43.	डीएवी कालेज मैनेजमेंट कमेटी	2 एकड़	16500000/– रु.
44.	लाला शेर सिंह मेमोरियल जीवन विज्ञान	2 एकड़	16500000/– रु.
45.	नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंगवेज	750 वर्ग मी.	3261675/– रु.
46.	नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंगवेज	830 वर्ग मी.	902397/– रु.
47.	आई एस आई डी वसंतकुंज	1.5 हेक्टेयर	4077094/– रु.
48.	वालेटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया	500 वर्ग मी.	1359031/– रु.
49.	सबरोस एजुकेशनल सोसायटी	992.50 वर्ग मी.	4316284/– रु.
50.	भारतीय विद्यापीठ	14862.35 वर्ग मी.	22218260/– रु.
51.	सेन्टर फार मीडिया स्टडीज	238 वर्ग मी.	1035038/– रु.
52.	जनकपुरी क्लब	4671 वर्ग मी.	19044107/– रु.
53.	शालिमार सोसल कल्चर सोसायटी	3450 वर्ग मी.	14065925/– रु.
54.	संजय क्लब नव संसद विहार सीएचवीएस	10152 वर्ग मी.	12354831/– रु.
55.	राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन	273.5 वर्ग मी.	743390/– रु.
56.	सेठ पोखरमल एजुकेशनल सोसायटी	1375 वर्ग मी.	3737336/– रु.
57.	श्री श्रीजगतगुरु शंकराचार्य महासंस्थान श्रंगेरी मठ	2 एकड़	2320073/– रु.
58.	मानुषी संगठन सरिता	475 वर्ग मी.	387324/– रु.

1	2	3	4
59.	नेशनल फेडरेशन आफ कोआप. सुगर फैक्ट्री लि.	700 वर्ग मी.	3044230/– रु.
60.	द लेपरा इंडिया ट्रस्ट जयपुर एस्टेट निजामुद्दीन ईस्ट	768 वर्ग मी.	3330956/– रु.
61.	हैंडीकैप्ड वेलफेयर फेडरेशन	3200 वर्ग मी.	2690882/– रु.
62.	दिल्ली भारत विकास फाउंडेशन	0.26 एकड़	858000/– रु.

2000-2001

क्र.सं.	सोसायटी/संस्था का नाम	आवंटित रकवा	भूमि की कीमत
1	2	3	4
1.	शाकुन्तलम एजुकेशन सोसायटी	800 वर्ग मी.	1522120/– रु.
2.	शान्ति जनक सचदेवा एजुकेशन सोसायटी	800 वर्ग मी.	1522120/– रु.
3.	ममता एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसायटी	1001 वर्ग मी.	1904547/– रु.
4.	गुलशन एजुकेशन सोसायटी	1000 वर्ग मी.	2718063/– रु.
5.	ब्राइट एजुकेशन सोसायटी	1000 वर्ग मी.	2718063/– रु.
6.	कमजोर वर्गों के लिए एजुकेशन सोसायटी	917.84 वर्ग मी.	1746323/– रु.
7.	चौ. भीम सिंह मैमोरियल एजुकेशन सोसायटी	809.37 वर्ग मी.	2199456/– रु.
8.	सरस्वती एजुकेशन सोसायटी	800 वर्ग मी.	2174450/– रु.
9.	राय एजुकेशन सोसायटी	800 वर्ग मी.	2174450/– रु.
10.	प्राणनाथ एजुकेशन एंड मेडिकल सोसायटी	800 वर्ग मी.	2174450/– रु.
11.	दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी	800 वर्ग मी.	2174450/– रु.
12.	शिवम एजुकेशनल सोसायटी	800 वर्ग मी.	2174450/– रु.
13.	जगदीश एजुकेशनल सोसायटी	810 वर्ग मी.	2201630/– रु.
14.	प्रिंस एजुकेशन सोसायटी	800 वर्ग मी.	2174450/– रु.
15.	दक्षिण दिल्ली एजुकेशन सोसायटी	903.68 वर्ग मी.	2456259/– रु.
16.	सेवति वैलफेयर सोसायटी	800 वर्ग मी.	2174450/– रु.
17.	कृष्ण धर्मार्थ समिति	800 वर्ग मी.	2174450/– रु.
18.	मयूर विहार स्पोर्ट एसोसिएशन	2000 वर्ग मी.	5707932/– रु.

1	2	3	4
19.	ई.पी.आर.आर.आर. हाउसिंग बिल्डिंग को.सो.	440.56 वर्ग गज	1/– रु.
20.	सिटी वैलफेयर सोसायटी	1150 वर्ग मी.	4586731/– रु.
21.	द ग्रेट गेट्सवे क्लब आफ इंडिया	6237 वर्ग मी.	19580408/– रु.
22.	आई.ए.यू. ट्रस्ट	3724 वर्ग मी.	16701488/– रु.
23.	सरिता विहार क्लब	877.50 वर्ग मी.	6296062/– रु.
24.	यंग स्पोर्टस् एंड कल्चरल सोसायटी	0.77 हेक्टेयर	552780/– रु.
25.	दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति	1.8 हेक्टेयर	59797381/– रु.
26.	चंदन शिक्षा समिति	0.6 हेक्टेयर	5707932/– रु.
27.	लक्की एजुकेशन सोसायटी	2 एकड़	16500000/– रु.
28.	विजयश्री एजुकेशन कल्चरल एंड सोशल वेलफेयर सो.	2 एकड़	16500000/– रु.
29.	नवजागृति निकेतन एजुकेशन	2 एकड़	16500000/– रु.
30.	गेट हर्ष एजुकेशनल वेल्फेयर एंड चेरिटेबल सो.	2 एकड़	16308377/– रु.
31.	बैबसन (पीएसबी) एजुकेशन सो.	2 एकड़	5081976/– रु.
32.	कैलाश मैमोरियल सो.	2 एकड़	16500000/– रु.
33.	शिव शक्ति एजुकेशन सो.	4068 वर्ग मी.	5528540/– रु.
34.	भगवती देवी फाउंडेशन	8390.86 वर्ग मी.	16308377/– रु.
35.	राय बहादुर रघुबीर सिंह	1 एकड़	8800000/– रु.
36.	पी.पी. चेरिटेबल ट्रस्ट	2 एकड़	16308377/– रु.
37.	द गुड समारिटन	2 एकड़	26093403/– रु.
38.	प्रिंस पब्लिक स्कूल सोसायटी	4000 वर्ग मी.	5436126/– रु.
39.	रॉक फिल्ड एजुकेशन सोसायटी	4000 वर्ग मी.	5416124/– रु.
40.	गरदेसिया भारत मंडल	5000 वर्ग मी.	975105/– रु.
41.	राज प्रिय वेल्फेयर सोसायटी	1010 वर्ग मी.	2954860/– रु.
42.	जनकपुरी बंगाली एसोसिएशन	566 वर्ग मी.	1576930/– रु.
43.	ईपीडीपी एसोसिएशन	250 वर्ग मी.	1118151/– रु.

1	2	3	4
44.	दिल्ली यार्न मर्चेंट चेरिटेबल	500 वर्ग मी.	1393052/– रु.
45.	इन्द्रप्रस्थ विस्तार चेरिटेबल हाउसिंग सो. महासंघ	1000 वर्ग मी.	195025/– रु.
46.	नर सिंह दास जन सेवा समिति	520 वर्ग मी.	2173136/– रु.
47.	एस.एस. जैन सभा	700 वर्ग मी.	2925360/– रु.
48.	महारानी बाग चेरिटेबल हाउसिंग बिल्डिंग सोसायटी	1150 वर्ग मी.	1/– रु.
49.	श्री अग्रवाल सभा	464 वर्ग मी.	1932760/– रु.
50.	विश्व जागृति मिशन	560 वर्ग मी.	2340297/– रु.
51.	फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर फेडरेशन हाउस	2001 वर्ग मी.	5438843/– रु.
52.	आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी	8061.35 वर्ग मी.	21910670/– रु.
53.	एजुकेशनल सोसायटी आफ प्रोफेशनल एंड वोकेशनल	3000 वर्ग मी.	8154188/– रु.
54.	रोहिणी स्टार एजुकेशन	423 वर्ग मी.	804818/– रु.
55.	हेल्प	2000 वर्ग मी.	3805288/– रु.
56.	बंधुआ मुक्ति मोर्चा	300 वर्ग मी.	815419/– रु.

[अनुवाद]

शिक्षक दिवस

2355. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष सरकार द्वारा शिक्षक दिवस मनाने के लिए आयोजित किये गये समारोहों का ब्यौरा क्या है और इस अवसर पर कितने पुरस्कार दिये गये; और

(ख) नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गयी योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) श्री सर्वपल्ली राधा कृष्णन की जयन्ती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 5 सितम्बर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना के अधीन उत्कृष्ट योग्यता वाले शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाता है। इस वर्ष सम्पूर्ण देश के 279 शिक्षकों को माननीय उप–राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान भवन में पुरस्कार प्रदान किया गया था जिनमें 66 शिक्षिकाएं एवं 2 दृष्टिहीन शिक्षक शामिल थे। इस पुरस्कार में एक रजत पदक, एक योग्यता प्रमाणपत्र तथा 25000/–रु. की पुरस्कार राशि शामिल होती है;

(ख) नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक दिवस पर किसी विशिष्ट योजना अथवा कार्यक्रम को शुरू नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

रोजगार आश्वासन योजना हेतु
वार्षिक कार्य योजना

2356. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजगार आश्वासन योजना हेतु कोई वार्षिक कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र के संदर्भ में तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को कोई नये निर्देश जारी किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) योजना के अन्तर्गत विशेषकर महाराष्ट्र के संदर्भ में वर्ष 2001–2002 के दौरान राज्यों को किस तिथि को धनराशि की पहली किश्त जारी की गयी थी?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) सुनिश्चित रोजगार योजना (ईएएस) के दिशा–निर्देशों के अनुसार, किए जाने वाले कार्यों की वार्षिक कार्य योजना को तैयार करने की जिम्मेवारी जिला परिषद की है। केन्द्रीय स्तर पर ऐसे ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) ईएएस और जेजीएसवाई को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) में मिला दिया गया है जो 25 सितम्बर, 2001 को शुरू की गई थी। तथापि, चालू वर्ष के लिए ईएएस तथा जेजीएसवाई, एसजीआरवाई का भाग बनी रहेंगी। एसजीआरवाई की नई योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रति वर्ष, 5000 करोड़ रु. (किफायती लागत पर) की राशि का 50 लाख टन खाद्यान्न मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। शेष निधियों (5000 करोड़ रु.) का इस्तेमाल मजदूरी तथा सामग्री लागत नकद घटक को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा खाद्यान्नों का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को किया जाएगा। एसजीआरवाई के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष रोजगार के लगभग 100 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए जाने की परिकल्पना की गई है। चालू वर्ष के लिए निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(ङ) जैसे ही इस योजना के अंतर्गत निधियां उपलब्ध होती हैं, पात्र जिलों को ईएएस के अंतर्गत सामान्य तौर पर पहली किस्त रिलीज की जाती है। महाराष्ट्र के मामले में, 23 पात्र जिलों को 30 अप्रैल, 2001 को और 5 जिलों को 17.9.2001 तक के प्रस्तावों के प्राप्त होने पर निधियां रिलीज की गई थीं। रत्नागिरी जिले से हाल ही में नवीनतम प्रस्ताव प्राप्त होने पर, इस जिले के लिए मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का विनिवेश

2357. श्री अरुण कुमार : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विनिवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र की कितनी कंपनियां रखी गयीं और ऐसी कंपनियों के वर्षवार नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रुपयों में विनिवेश शेयरों और प्रदत्त शेयर पूंजी के प्रतिशत का वर्षवार और कंपनीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कर्मचारियों को बेचे गये शेयरों की राशि की प्रदत्त शेयर पूंजी के प्रतिशत का वर्षवार और कंपनी–वार ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वर्ष 1998–99 से 2000–01 तक के दौरान विनिवेश किया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं :

1998–99	(i) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल)
	(ii) विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल)
	(iii) कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (कॉनकोर)
	(iv) भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आईओसी)
	(v) तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी)
1999–2000	(i) विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल)
	(ii) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल)
	(iii) मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड (एमएफआईएल)
	(iv) भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को)–वित्तीय पुनर्संरचना
2000–01	(i) भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को)
	(ii) बोंगाई गांव रिफाईनरीज एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. (बीआरपीएल)

(iii) चेन्नई रिफाईनरीज लिमिटेड (सीआरएल)

(iv) कोच्चि रिफाईनरीज लिमिटेड (के आर एल)

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि दर

2358. श्री तिरूनावकरसू :
श्री पी. डी. एलानगोवन :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि दर नकारात्मक रुझान दर्शाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के अंतर्गत अब तक जिलावार कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य में बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए और नामांकन की वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य में नामांकन में आई कमी के मुख्य कारण लक्षित समूह में बाल जनसंख्या की कमी तथा बिना सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नामांकन में वृद्धि है।

(ग) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 30.9.2001 तक 185.47 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई। इसका जिलावार ब्यौरा (रु. करोड़ में) इस प्रकार है : धर्मापुरी–42.00 रु.; तिरूवन्नामलई–31.32 रु.; दखिण आरकोट (कुड्डालोर और विल्लुपुरम)–54.40 रु.; पेरम्बलुर–14.28 रु.; पुडुक्कोट्टाई–16.81 रु.; रामनाथपुरम–13.77 रु.; और राज्य घटक योजना 12.89 रु.।

(घ) राज्य ने पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर में कमी और नामांकन में वृद्धि करने के लिए बहु–आयामी नीतियां शुरू की हैं। इसमें (i) शिक्षा और स्कूल सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, (ii) बच्चों के नामांकन और उन्हें स्कूलों में बनाए रखने में सुधार करने हेतु समुदाय की सक्रियता, (iii) नए स्कूलों और वैकल्पिक स्कूलों को स्थापित करना, (iv) बच्चों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन, पाठ्य पुस्तकों, वर्दियों, स्लेटों इत्यादि की निःशुल्क पूर्ति इत्यादि सम्मिलित है।

केन्द्र सरकार और अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ और महाविद्यालय शिक्षक संगठन के बीच हुआ समझौता

2359. प्रो. ए. के. प्रेमाजम : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ और महाविद्यालय शिक्षक संगठन के बीच 5.9.98 को हस्ताक्षरित समझौते के सभी मुद्दों को कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा कार्यान्वित नहीं किये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) सरकार ने अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ और महाविद्यालय शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 5.9.1998 को आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के वेतनमानों के संशोधन और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित मांग–पत्र पर विचार विमर्श किया था। इनमें से अधिकांश मांगों का निपटारा पहले ही हो चुका है। कुछ मांगों, जैसे उन उत्कृष्ट अध्यापकों, जिनके पास एम.फिल. अथवा पी.एच.डी. तो नहीं है परंतु उन्होंने अध्यापन तथा शोध में उत्कृष्ट योगदान दिया है, रीडरों (एमपीएस), प्रशिक्षकों, अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों इत्यादि को मान्यता प्रदान करने और पुरस्कृत करने की एक योजना बनाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए पंचायतों को विशेष अधिकार

2360. श्रीमती हेमा गमांग : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजाति बहुल राज्यों में जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए पंचायतों को कोई विशेष अधिकार प्रदान किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) पंचायतों से संबंधित संविधान 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधान मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड राज्यों, असम और त्रिपुरा में छठी अनुसूची के अंतर्गत क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्र को अपने प्रभाव की छूट देते हैं। इन राज्यों तथा क्षेत्रों में संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान या इन क्षेत्रों से संबंधित विशेष प्रावधान लागू होते हैं। ये क्षेत्र/राज्य स्व-प्रबंधन की अवधारणा या स्वायत्त परिषदों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

मध्य प्रदेश में रसायन और उर्वरकों की खपत

2361. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फेट की प्रति हेक्टेयर खपत कितनी है; और

(ख) वर्ष 2000-01 के दौरान राज्य को कितना यूरिया और अन्य उर्वरक उपलब्ध कराये गए?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) वर्ष 2000-01 के दौरान मध्यप्रदेश (अब छत्तीसगढ़ में शामिल क्षेत्र सहित) में नाइट्रोजन (एन), फॉस्फेट (पी) और पोटाश (के) की प्रति हेक्टेयर अनुमानित खपत नीचे दी गई है :

पौध पोषक	किलोग्राम/हेक्टेयर
एन	20
पी	15
के	2
कुल	37

(ख) वर्ष 2000-01 के दौरान मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित) में प्रमुख उर्वरकों अर्थात् यूरिया, डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और म्यूरिएट आफ पोटाश (एमओपी) की उपलब्ध करवाई गई मात्रा इस प्रकार है :

मौसम	यूरिया	डीएपी	एमओपी
खरीफ 2000	824.54	351.19	45.95
रबी 2000-01	574.25	266.58	22.83

[अनुवाद]

आतंकवादियों के साथ वार्ता

2362. श्री वी. वेत्रिसेलवन :
श्री जी. गंगा रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार इस समय पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न आतंकवादी गुटों/संगठनों के साथ बातचीत में व्यस्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वार्ताओं के द्वारा अब तक क्या प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) सरकार, पूर्वोत्तर में शांति बहाल करने के लिए वचनबद्ध है और इसलिए उन सभी को जो भाईचारे के रास्ते से भटक गए हैं, हिंसा का रास्ता त्यागने और हमारे संविधान के दायरे के भीतर बातचीत के लिए आगे आने का निमंत्रण दिया है।

सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (आईएम) गुट (एनएससीएन-आईएम) गुट के साथ 25 जुलाई, 1997 को संघर्ष विराम समझौता किया है और संघर्ष विराम लागू है। भारत सरकार और एनएससीएन (आईएम) के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत जारी है। सरकार ने खापलांग गुट (एनएससीएन (के)) के साथ 28 अप्रैल, 2001 को एक वर्ष की अवधि के लिए संघर्ष विराम समझौता किया है।

असम में, बोडो लिबरेशन टाईगर (बीएलटी) ने 14 जुलाई, 1999 से अभियानों को एकतरफा स्थगित कर दिया है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने, बीएलटी के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा अभियानों को स्थगित करने के बारे में 15 मार्च, 2000 को संसद के दोनों सदनों में एक वक्तव्य दिया था। केन्द्र सरकार, असम

सरकार और बीएलटी के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय शांति वार्ता जारी है।

पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन

2363. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) ने स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं, किस प्रकार का पुनर्लेखन किया गया है तथा ऐसी किन कक्षाओं में पढ़ायी जाने वाली किन–किन लेखकों की कौन–कौन से विषयों की पाठ्य पुस्तकों में किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। पाठ्यचर्या विकास राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के मुख्य कार्यकलापों में से एक कार्यकलाप है और यह एक सतत् प्रक्रिया है तथा इस पाठ्यचर्या को सामाजिक परिवर्तनों और ज्ञान, शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार करना होता है। पूर्ववर्ती पाठ्यचर्या बारह वर्षों से भी अधिक पुरानी थी। इसलिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने विद्यालय शिक्षा की पाठ्यचर्या के संशोधन की प्रक्रिया शुरू की थी जिसके परिणामतः राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यचर्या कार्यढांचे से संबंधित दस्तावेज का विमोचन नवम्बर, 2000 में हुआ था। इसमें निहित सिफारिशों के आधार पर विस्तृत विषयवार पाठ्य विवरणिकाएं तैयार की गई हैं और तदनुसार सभी विषयों की नई पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। नई पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों सहित शिक्षाविदों से सुझाव और सुविज्ञता प्राप्त करती है। जब पाठ्य पुस्तकें अन्तिम रूप से मुद्रित की जाती हैं तब उनको तैयार करने में शामिल किए गए विशेषज्ञों के नाम उनमें दिए जाते हैं।

सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

2364. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974 से सूखा–प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य फसल–उत्पादन, पशुधन तथा भूमि की उर्वरता पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव का शमन करना तथा पारिस्थितिकीय संतुलन का पुनर्स्थापन करना है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के प्रारंभ से इस कार्यक्रम पर राज्यवार कितनी राशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके अन्तर्गत राज्यवार, विशेषकर राजस्थान में, क्या–क्या उपलब्धियां हासिल की गईं;

(घ) क्या इस कार्यक्रम पर किये गये व्यय के अनुपात में इसका परिणाम संतोषजनक है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस विषय में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, हां। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी) वर्ष 1973–74 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) को आरंभ किए जाने से लेकर इसके कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को (राज्य–वार) जारी की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण–I संलग्न है।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 8572 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 385 परियोजनाएं राजस्थान के कार्यक्रम वाले जिलों में स्वीकृत की गई हैं। एक परियोजना का औसत आकार 500 हेक्टेयर का होता है। राज्य–वार और वर्ष–वार स्वीकृत की गई परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण–II संलग्न है।

(घ) से (च) यद्यपि इस कार्यक्रम को वर्ष 1973–74 से कार्यान्वित किया जा रहा है तथापि, विभिन्न कारणों की वजह से इसके द्वारा भूमि के अवक्रमण की समग्र प्रक्रिया के प्रतिकूल प्रभाव को कम नहीं किया जा सका। विगत में व्यापक रूप से विक्षेपित क्षेत्र में कई प्रकार के कार्यकलाप आरंभ किए गए थे परन्तु इन कार्यकलापों को सघन रूप में आरंभ न करके विरल रूप में शुरू किया गया था। इससे कार्यक्रम के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयासो पर उतना ध्यान नहीं दिया जा सका जितना दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा लोगों के कष्टों को कम करने के प्रयासों को कार्यक्रम से वित्त पोषित आय सृजन के कार्यकलापों के जरिए तदर्थ सहायता की व्यवस्था के तहत लक्ष्यबद्ध किया गया था परन्तु ऐसे कार्यों को भूमि और जल संरक्षण संबंधी अन्य

कार्यक्रमों के साथ समेकित नहीं किया गया था। योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य, प्रो. सी.एच. हनुमंत राव की अध्यक्षता में गठित एक तकनीकी समिति ने सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी. पी.ए.पी.) सहित क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विषय–वस्तु, कार्यप्रणाली, वित्तपोषण पद्धति और संस्थागत तंत्र की समीक्षा की थी और उपयुक्त सुधारात्मक उपायों की सिफारिश की थी। इस तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर इस कार्यक्रम को अब 1.4.1995 से वाटरशेड विकास के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत समेकित वाटरशेड विकास के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। मार्गदर्शी सिद्धांतों में परियोजना क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार के विकास हेतु व्यापक उपायों की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा वाटरशेड परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन का उत्तरदायित्व भी वाटरशेड समुदायों को सौंपा गया है। इसके लिए उन्हें सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से तकनीकी और वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है। 31.3.2000 तक सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत विकास हेतु लागत मानदंड 3000–5000 रुपये प्रति हेक्टेयर थे। अब इन्हें 1.4.2000 से संशोधित करके 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। 31.3.1999 तक केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तपोषण पद्धति 50 : 50 के अंशदान पर आधारित थी। अब इसे 1.4.1999 से संशोधित करके 75 : 25 के आधार पर कर दिया गया है।

विवरण-I

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी)

इस कार्यक्रम को आरंभ किए जाने की तारीख से लेकर अब तक केन्द्र द्वारा जारी राशि

राज्य	जारी राशि (करोड़ रुपये में)
1	2
आंध्र प्रदेश	295.33
बिहार	78.01
छत्तीसगढ़	12.68
गुजरात	136.34
हरियाणा	17.19
हिमाचल प्रदेश	9.75
जम्मू और कश्मीर	34.66
झारखंड	15.69
कर्नाटक	167.90
मध्य प्रदेश	205.37
महाराष्ट्र	202.39
उड़ीसा	69.00
राजस्थान	111.47
तमिलनाडु	111.39
उत्तर प्रदेश	188.58
उत्तरांचल	7.09
पश्चिम बंगाल	49.22
योग	1712.06

टिप्पणी : छत्तीसगढ, झारखंड और उत्तरांचल के कार्यक्रम वाले जिलों के लिए वर्ष 1999–2000 तक जारी राशि क्रमशः मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में शामिल है क्योंकि इन राज्यों का विभाजन वर्ष 2000–01 में ही हुआ है।

हरियाणा को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत केवल वर्ष 1994–95 तक ही शामिल किया गया था।

हिमाचल प्रदेश सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1995–96 से शामिल हुआ है।

विवरण-II

क्र.स.	राज्य	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या				
		98–99 बैच चौथा	99–00 बैच पांचवां	00–01 बैच छठा	01–02 बैच सातवां	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	700	587	314	166	1767
2.	बिहार	0	0	28	46	74
3.	छत्तीसगढ़	0	0	197	101	298

1	2	3	4	5	6	7
4.	गुजरात	55	230	329	110	724
5.	हिमाचल प्रदेश	0	17	77	36	130
6.	जम्मू और कश्मीर	22	0	132	44	198
7.	झारखंड	0	19	200	173	392
8.	कर्नाटक	0	248	266	245	759
9.	मध्य प्रदेश	0	265	657	238	1160
10.	महाराष्ट्र	0	219	578	296	1093
11.	उड़ीसा	0	0	111	221	332
12.	राजस्थान	0	18	271	96	385
13.	तमिलनाडु	103	299	0	61	463
14.	उत्तर प्रदेश	0	286	93	92	471
15.	उत्तरांचल	0	90	58	90	238
16.	पश्चिम बंगाल	0	0	60	28	88
	योग	880	2278	3371	2043	8572

उर्वरक नीति

2365. श्री एन. टी. षणमुगम : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई उर्वरक मूल्य नीति के संबंध में हनुमन्तराव समिति की सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार ने यूरिया पर राजसहायता देने की मौजूदा पद्धति की समीक्षा करने और इस पद्धति में त्रुटियों को दूर करने के लिए सुझाव देने तथा साथ ही विस्तृत आधार वाली वैज्ञानिक एवं पारदर्शी पद्धति का सुझाव देने के लिए प्रोफेसर सी.एच. हनुमन्तराव की अध्यक्षता में जनवरी, 1997 में एक उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षा समिति (एचपीसी) गठित की थी। एचपीसी ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1998 में प्रस्तुत कर दी। इसने अन्य बातों के साथ साथ सिफारिश की थी कि एककवार प्रतिधारण मूल्य–सह–राजसहायता योजना (आरपीएस) के स्थान पर नेफ्था, ईंधन तेल/कम सल्फर हैवी स्टाक पर आधारित यूरिया एककों के लिए फीडस्टाक अन्तर लागत प्रतिपूर्ति (एफडीसीआर) के प्रावधान के साथ गैस पर आधारित यूरिया एककों के लिए एक समान प्रतिमानक विनिर्दिष्ट मूल्य निर्धारित किए जायें।

इससे पहले की सरकार एचपीसी की सिफारिशों के आधार पर मौजूदा आपीएस के स्थान पर यूरिया एककों के लिए नई मूल्य निर्धारण नीति की तैयारी पर अपना दृष्टिकोण सुनिश्चित कर पाती, व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) ने भी सितम्बर, 2000 में उर्वरकों पर राजसहायता के यौक्तिकरण पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। ईआरसी की सिफारिशों की भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, उर्वरक उद्योग और राज्य सरकारों के परामर्श के साथ जांच की गई है।

सभी संबंधित पहलुओं और उर्वरक उद्योग एवं राज्य सरकारों के विचारों की जांच करने के पश्चात् सरकार यूरिया एककों के लिए जल्द ही नई मूल्य निर्धारण नीति को अन्तिम रूप देने की आशा करती है।

[हिन्दी]

महाविद्यालय-शिक्षण में सप्ताह में व्याख्यान के कुल घण्टे

2366. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को निदेश दिए हैं कि उनके शिक्षण में एक सप्ताह में 40 घण्टे का व्याख्यान अनिवार्य रूप से होना चाहिये;

(ख) क्या 'डूटा' उक्त निवेश का विरोध कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) शिक्षा का राजनीतिकरण रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) वेतनमानों के संशोधन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों में विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं तथा स्तरों को बनाए रखने के अन्य उपायों के साथ–साथ यह भी निर्धारित किया गया है कि विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षकों का कार्यभार एक शैक्षिक वर्ष में 30 कार्य सप्ताहों में प्रति सप्ताह कम से कम 40 घंटे का होना चाहिए। इसमें से प्रति सप्ताह न्यूनतम शिक्षण कार्यभार लेक्चररों के लिए 16 घंटे, रीडरों तथा प्रोफेसरों के लिए 14 घंटे है। इसके अलावा शिक्षक को विश्वविद्यालय/कालेज में प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे उपस्थित रहना चाहिए। विश्वविद्यालय स्वायत्त संगठन हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रासंगिक विनियम लागू हो सकें, वे उपयुक्त तंत्र विकसित कर सकते हैं।

आई.आई.टी. के शासी निकायों में अ.जा./अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व

2367. श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि देश के सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) के शासी बोर्डों में कम से कम अ.जा/अ.ज.जा वर्ग का एक सदस्य अनिवार्य रूप से शामिल हो ताकि अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ति/पदोन्नति की प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक किन–किन स्थानों के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में इसे अनिवार्यतः लागू किया गया है और कहां–कहां नहीं किया गया है; और

(घ) इसके लागू न किये जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के शासी बोर्डों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को अभिशासित करने वाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 में कोई आवश्यक प्रावधान नहीं है। तथापि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद् ने इस मुद्दे सहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी मुद्दों की गहन जांच व परामर्श के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से संबंधित गठित की जाने वाली पुनरीक्षण समिति को भेजने का निर्णय किया है।

[अनुवाद]

प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण

2368. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 'शिक्षा गारंटी योजना' और 'वैकल्पिक तथा अभिनव शिक्षा' योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2001–2002 के दौरान इस योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) उक्त योजना के अन्तर्गत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने केन्द्र कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) इसके अन्तर्गत अब तक क्या–क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा को सर्व शिक्षा अभियान के अंग के रूप में शुरू किया गया है। 6–14 वर्ष के आयु–वर्ग में आने वाले स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों को निम्नलिखित कार्यनीतियों के सहारे पढ़ाई–लिखाई से जोड़ना इस योजना का लक्ष्य है :

(i) 1 कि.मी. परिधि के अंदर स्कूल–रहित बस्तियों में शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रों की स्थापना करना।

(ii) स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्यधारा में लाने हेतु कार्यक्रम यथा सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल वापसी शिविर आदि।

(iii) मुख्य धारा में न लाये जा सकने वाले खास तरह के कठिन परिस्थितियों में रहने वाले वर्गों के बच्चों के लिए कार्यनीतियां।

(ग) से (ङ) किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग से आवंटन नहीं किया जाता। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। वर्ष 2001–02 के दौरान संस्वीकृत केन्द्रों की संख्या तथा अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां इस प्रकार हैं :

(रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रों की संख्या	जारी की गई राशि
कर्नाटक	574	90.70
मध्य प्रदेश	20378	1630.59
महाराष्ट्र	2328	90.76
उत्तर प्रदेश	2179	79.00
उत्तरांचल	373	27.95

[हिन्दी]

विदेश यात्राएं

2369. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री जोरा सिंह मान :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न शैक्षिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक शिष्टमंडलों ने विदेश यात्रा की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान जो शिष्टमंडल यात्रा पर गये, उनके सदस्य कौन–कौन थे और उन्होंने किन–किन देशों की यात्रा की;

(घ) इन यात्राओं पर कितना व्यय हुआ; और

(ङ) प्रत्येक शिष्टमंडल की विदेश यात्रा के पीछे क्या उद्देश्य था?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

''जैव-प्रोद्योगिकी : विज्ञान और व्यवसाय'' संबंधी सम्मेलन

2370. श्री अम्बरीश : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में ''जैव–प्रोद्योगिकी : विज्ञान और व्यवसाय'' विषय पर एक तीन–दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सम्मेलन में किन–किन देशों ने भाग लिया;

(ग) क्या यह सही है कि युवा विद्यार्थियों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को व्यवसाय के रूप में चुनने की प्रवृत्ति में कमी आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रुचि जागृत करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्यमंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा'') : (क) और (ख) जी, हां। 28 से 30 सितम्बर, 2001 को नई दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के सहयोग से आल इंडिया बायोटेक एसोसिएशन, नई दिल्ली द्वारा ''जैव–प्रौद्योगिकी : विज्ञान और व्यवसाय'' नामक एक तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। यद्यपि फ्रांस इस सम्मेलन में सहभागी देश बनने के लिए सहमत हो गया था, परंतु फ्रांस का

प्रतिनिधिमंडल इस सम्मेलन में भाग नहीं ले सका। सम्मेलन का लक्ष्य जैव प्रौद्योगिकी की त्वरित प्रगति एवं व्यवसायीकरण के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण था। इस सम्मेलन में लगभग 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(ग) से (ङ) रोजगार अवसरों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अपनाने की प्रवृत्ति विद्यार्थियों में पाई गई है। तथापि, युवा विद्यार्थियों में जीवविज्ञान और जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में अपने कैरियर बनाने की दिशा में रुचि की बढ़ोतरी देखी गई है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने दसवीं कक्षा के छात्रों को विज्ञान को कैरियर के रूप में चुनने को प्रोत्साहन देने के लिए किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भी विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं में नेतृत्व के गुण जागृत करने के लिए एक योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठित अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों में ग्रीष्म कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और छात्रों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी रुचि पैदा करने के उद्देश्य से उनके लिए पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों की सुविधा प्रदान की जाती है। जैविक विज्ञान और जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं की रुचि बढ़ाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग लोकप्रिय व्याख्यानों को सहायता देता है, प्रदर्शनियों का आयोजन करता है और प्रतिवर्ष केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित 10+2 स्तर में जीवविज्ञान के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करता है।

राष्ट्रीय क्रीड़ा विकास कोष

2371. श्री नरेश पुगलिया : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 12 नवम्बर, 1998 को राष्ट्रीय क्रीड़ा विकास कोष (एन.एस.डी.एफ.) की स्थापना की गई;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस कोष में कितनी धनराशि एकत्र की गई है;

(ग) क्या इस कोष से अब तक कतिपय प्रयोजनवश कोई धनराशि खर्च की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय क्रीड़ा विकास कोष की कार्यकारिणी में कौन-कौन सदस्य हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय खेल विकास निधि में आज की तारीख तक 5,23,20,000/- रु. की राशि जुटायी गई है। इसमें प्रारंभिक धन के तौर पर 200/- लाख रु. का आरंभिक सरकारी अंशदान और बाद में सरकार के समतुल्य हिस्सा आधार पर अंशदान शामिल है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। निधि में से अब तक कोई राशि खर्च नहीं की गई है।

(ङ) राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एन.एस.डी.एफ.) की कार्यकारी समिति में सचिव (युवा कार्यक्रम और खेल) पदेन अध्यक्ष के रूप में, महानिदेशक, भा.खे.प्रा., संयुक्त सचिव (खेल) और वित्तीय सलाहकार पदेन सदस्य के तौर पर सम्मिलित हैं और परिषद से 5 सदस्य, प्रबंधन और धनराशि जुटाने में उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए नामित किये जाएंगे। राष्ट्रीय खेल विकास निधि परिषद के सदस्य-सचिव, कार्यकारी समिति के सदस्य-सचिव हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में अवैध/अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण

2372. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री 14 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3448 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वांछित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस विषय में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना कब तक एकत्र कर ली जाएगी?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) जी, नहीं। सूचना एकत्र करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ कार्यवाही की जा रही है। सूचना उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मणिपुर के कुछ भागों का नागालैंड में विलय

2373. श्री रवीन्द्र पाण्डेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'युनाइटेड नगा कौंसिल' ने सरकार से मणिपुर के कुछ भागों का नागालैंड राज्य में विलय करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

गुजरात में स्वच्छता-संबंधी कार्यों के लिए नीदरलैंड से ऋण

2374. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के जिलों में स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराने के लिए नीदरलैंड सरकार से कोई ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस ऋण राशि का उपभोग करने के लिए सरकार ने कार्य–योजना बना ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

यूनीसेफ से सहायता प्राप्त परियोजनायें

2375. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यूनीसेफ से सहायता प्राप्त कुछ परियोजनायें लागू की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां। भारत सरकार और यूनीसेफ के बीच समय–समय पर हस्ताक्षरित समझौतों के अनुसार भारत में यूनीसेफ़ की सहायता से कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) वर्तमान समझौते पर 1999–2002 तक की अवधि के लिए 3 मई, 1999 को हस्ताक्षर किए गए। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, बाल परिवेश, बाल सुरक्षा, बाल विकास, जल और स्वच्छता, संचार, आयोजना, मानीटरिंग और मूल्यांकन के क्षेत्रों में ये कार्यक्रम अनेक केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

भारत में कार्यान्वित की जा रही यूनीसेफ परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इन परियोजनाओं को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। 16 राज्यों, नामतः उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में यूनीसेफ के 10 क्षेत्र अधिकारी हैं। दिल्ली स्थित यूनीसेफ का कार्यालय शेष 13 राज्यों व 6 संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है।

विवरण

स्वास्थ्य

1. प्रतिरक्षण :

(क) पोलियो उन्मूलन : सामाजिक संघटन, प्रक्रिया मूल्यांकन और मुखीय पोलियो दवा (ओ.पी.वी.) की अधिप्राप्ति;

(ख) सामान्य प्रतिरक्षण को समर्थन;

(ग) 70 कस्बों और चुने गए जिलों में शहरी खसरा नियंत्रण कार्यकलाप;

(घ) असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के चुने गए जिलों में नवजात शिशुओं में टिटनेस नियंत्रण; और

(ङ) भारत सरकार के साथ–साथ यूनीसेफ 'दि

ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्युनाइजेशन' कार्यक्रम का सदस्य है।

2. अंतर–राज्य सीमांत जिला समूह कार्यनीति (आई.एस. बी.डी.सी.एस.) : चुने गए 50 जिलों में राष्ट्रीय प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना : सुरक्षित मातृत्व उप–केन्द्र पुनर्निर्माण, सामुदायिक सलाहकार बोर्ड।

3. एच.आई.वी./एड्स : मां से बच्चे तक संक्रमण की रोकथाम।

पोषण :

4. कुपोषण की रोकथाम करने और बाल विकास को प्रोन्नत करने के उद्देश्य से प्रारंभिक बाल देखभाल व उत्तरजीविता, वृद्धि एवं विकास तथा समुदाय–आधारित दृष्टिकोणों को बढ़ावा देना।

5. 14 राज्यों में विटामिन 'ए' की खुराक देने के अभियान का समर्थन करना।

6. 10 राज्यों में किशोर बालिका रक्ताल्पता परियोजना कार्यान्वित करना।

7. आयोडीनयुक्त नमक की उपलब्धता, समर्थन, आई.ई.सी. एवं मॉनीटरिंग की स्थिति में सुधार लाने के लिए एन.आई.डी.डी.सी.पी. को सहायता प्रदान करना।

8. आई.सी.डी.एस. केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण।

बाल परिवेश :

9. जल एवं सफाई की स्थिति में सुधार।

10. स्कूल की स्वच्छता।

11. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शिक्षा का संवर्धन।

12. जल की गुणवत्ता में सुधार।

13. जल संसाधनों का प्रबंधन।

शिक्षा :

14. प्राथमिक शिक्षा नवीकरण हेतु सहायता का क्षेत्र बढ़ाना : सूक्ष्म आयोजना, रुचिकर शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण।

15. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार में प्रयासों को तेज करना।

16. प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को व्यापक समर्थन देना।

17. शहरी गरीबों के लिए स्कूली शिक्षा।

बाल सुरक्षा :

18. बाल श्रम परियोजनाएं।

19. बाल अधिकार कन्वेंशन के कार्यान्वयन में गति लाना।

20. बच्चों की खरीद–फरोख्त व वेश्यावृत्ति को दूर करने के लिए सामूहिक कार्रवाई।

21. निराश्रित बच्चों और किशोर अपराधियों को न्याय हेतु शहर–स्तरीय प्रयास।

संचार :

22. गठबंधनों व नेटवर्कों के माध्यम से बाल अधिकार कन्वेंशन के बारे में समर्थन जुटाना।

23. बालिकाओं के लिए विशेष प्रयास करना।

24. विशेष रूप से सुविधाविहीन बच्चों के अधिकारों का संवर्धन करना।

25. किशोर बच्चों में एच.आई.वी./एड्स का निवारण व नियंत्रण।

अनुकूल आयोजना, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन :

26. अनुकूल आयोजना।

27. मानीटरिंग।

28. मूल्यांकन।

परती भूमि को पुनः उपजाऊ बनाना

2376. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां परती भूमि उपलब्ध है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान परती भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, हैदराबाद के सहयोग से उपग्रह दूर संवेदी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके तैयार किए गए भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस, 2000 (वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया, 2000) के अनुसार प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में उन जिलों की संख्या, जिनमें बंजरभूमि मौजूद है, संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (ङ) भूमि संसाधन विभाग बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को वाटरशेड आधार पर विकसित करने के लिए एक "समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)" कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई राज्य–वार आवंटन नहीं किया जाता है। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के तहत (राज्य वार) जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है। वाटरशेड विकास परियोजनाएं 4 से 5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाती हैं और निधियां परियोजना दर परियोजना आधार पर 7 किस्तों में जारी की जाती हैं। प्रथम किस्त परियोजना की स्वीकृति के समय जारी की जाती है और बाद की प्रत्येक किस्त पहले जारी की गई किस्त की 50 प्रतिशत से अधिक निधियों के उपयोग किए जाने के बाद जारी की जाती है। उपयोग में लाई गई कुल राशि का परिकलन परियोजनाओं के पूरा होने को बाद किया जाता है। तथापि, निधियां जारी करने की प्रक्रिया से कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए राज्यों को जारी की गई निधियों का उपयोग सुनिश्चित होता है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	मानचित्रित उन जिलों की संख्या जहां पर बंजरभूमि मौजूद है
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	13
3.	असम	23
4.	बिहार*	55
5.	गोवा	02
6.	गुजरात	25
7.	हरियाणा	19
8.	हिमाचल प्रदेश	12
9.	जम्मू और कश्मीर	14
10.	कर्नाटक	27
11.	केरल	14
12.	मध्य प्रदेश**	62
13.	महाराष्ट्र	32
14.	मणिपुर	09
15.	मेघालय	07
16.	मिजोरम	03
17.	नागालैंड	07
18.	उड़ीसा	30
19.	पंजाब	17
20.	राजस्थान	32
21.	सिक्किम	04
22.	तमिलनाडु	29
23.	त्रिपुरा	04
24.	उत्तर प्रदेश***	83
25.	पश्चिम बंगाल	18
26.	संघ राज्य क्षेत्र	20
	योग	584

*झारखंड सहित **छत्तीसगढ़ सहित ***उत्तरांचल सहित

विवरण-II

निर्मुक्त राशि (रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1998–1999	1999–2000	2000–2001	2001–2002 (31.11.01 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	981.21	949.08	2181.93	2192.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	24.52	197.69	520.01	514.28
4.	छत्तीसगढ़	48.10	79.98	322.01	194.51
5.	गुजरात	546.17	491.73	758.14	398.56
6.	हरियाणा	90.52	43.78	51.23	19.21
7.	हिमाचल प्रदेश	188.42	684.16	818.65	609.60
8.	जम्मू–कश्मीर	136.40	100.00	272.06	94.38
9.	झारखंड	0.00	37.63	74.21	27.84
10.	कर्नाटक	513.41	707.33	432.11	195.50
11.	केरल	78.55	0.00	120.39	120.64
12.	मध्य प्रदेश	210.53	931.14	763.48	1551.63
13.	महाराष्ट्र	242.53	347.93	345.45	600.49
14.	मणिपुर	285.52	167.56	329.56	142.23
15.	मेघालय	0.00	65.09	142.28	53.37
16.	मिजोरम	0.00	0.00	451.32	416.62
17.	नागालैंड	465.81	264.42	992.00	704.21
18.	उड़ीसा	263.19	536.39	573.00	361.93
19.	पंजाब	6.60	7.70	74.61	117.36
20.	राजस्थान	292.55	487.17	971.86	653.51
21.	सिक्किम	176.10	261.56	203.00	159.03
22.	तमिलनाडु	176.26	484.93	769.87	495.02
23.	उत्तर प्रदेश	1464.51	1462.15	1483.77	486.99
24.	उत्तरांचल	0.00	0.00	327.03	104.38
	कुल योग	6199.90	8307.42	12977.97	10213.67

[हिन्दी]

राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

2377. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजीव गांधी पेयजल मिशन (आर.जी.डी.डब्ल्यू. एम.) के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार और संगठनवार इन संगठनों को दिये गये अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संगठनों की कार्य प्रणाली की समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गैर–सरकारी संगठनों को संगठन–वार, राज्यवार दिए गए अनुदान के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) 6 से 3 माह की समयावधि वाली अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के प्रधान अन्वेषक द्वारा किए गए कार्य की अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। अन्य सभी कार्यक्रमों की मिशन स्तर पर समीक्षा की जाती है।

विवरण

अनुसंधान एवं विकास

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन का नाम	जारी की गई राशि (रु. लाख में)				विगत चार वर्षों में जारी की गई कुल राशि
			1998–99	1999–2000	2000–2001	2001–2002	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	प्राकृतिक संसाधन विकास सहयोग समिति लिमिटेड, ओंगोले		1.35			1.35
2.	आंध्र प्रदेश	वही		0.40			0.40
3.	आंध्र प्रदेश	वही				0.34	0.34
4.	आंध्र प्रदेश	पिपुल्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रास रूट इनवायरनमेंटल साइंटिफिक सर्विसेज, हैदराबाद			0.462		0.462
5.	आंध्र प्रदेश	वही			0.24		0.24
6.	आंध्र प्रदेश	वही			5.132		5.132
7.	आंध्र प्रदेश	वही				1.4863	1.4863
8.	दिल्ली	समेकित विकास केन्द्र, नई दिल्ली	0.20				0.20
9.	दिल्ली	राहुल मल्टी डिसिपिलिनरी रिसर्च सेंटर, दिल्ली	3.00		3.00		6.00
10.	गुजरात	सरदार पटेल रिनियूबल एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट वल्लभ विद्या नगर	2.00				2.00
11.	केरल	सेंटर फॉर डेवल. स्टडीज, त्रिवेन्द्रम	2.71				2.71
12.	केरल	पीरमाडे डेवल. सोसा., इडुक्की जिला			0.474		0.474
13.	केरल	पीरमाडे डेवल. सोसा., इडुक्की जिला			0.63011		0.63011
14.	पांडिचेरी	समेकित ग्रामीण विकास केन्द्र, पांडिचेरी	0.80				0.80
15.	राजस्थान	अनु.ज. जाति क्षेत्रों के अनुसंधान और विकास से संबंधित समिति, उदयपुर		0.585			0.585
16.	राजस्थान	वही		3.68			3.68
17.	उत्तर प्रदेश	दुर्गा सेवा सदन, बुलन्दशहर	....	0.715	....	....	0.715

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	प. बंगाल	मानव एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, कोलकाता		0.59630			0.59630
19.	प. बंगाल	वही				6.836	6.836
20.	प. बंगाल	डेल्को प्रयोगशाला जिला–24 परगना (दक्षिण)			2.936		2.936
21.	तमिलनाडु	श्री अमन शैक्षिक एवं सामाजिक कल्याण ट्रस्ट, ईरोड			0.47		0.47
22.	झारखंड	ग्रामीण आद्यौगिकीकरण समिति, रांची	....	....	0.21258	....	0.21258

राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन का नाम	जारी की गई राशि				विगत चार वर्षों में जारी की गई कुल राशि
			1998–99	1999–2000	2000–2001	2001–2002	
				(रु. लाख में)			
1.	गुजरात	पर्यावरण स्वच्छता संस्थान, अहमदाबाद		7.01	10.23	06.30	23.54
2.	प. बंगाल	राम कृष्ण मिशन, कोलकाता	....	12.19	....	....	12.19

उपमिशन कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन का नाम	जारी की गई राशि				विगत चार वर्षों में जारी की गई कुल राशि
			1998–99	1999–2000	2000–2001	2001–2002	
				(रु. लाख में)			
1.	राजस्थान	स्वच्छता, जल और सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, उदयपुर			151.96		151.96

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पिछली बकाया/ अग्रेनीत रिक्तियां

2378. श्री बृजलाल खाबरी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) ख के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार, अर्थात अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान आदि की समाप्ति पर उनके मंत्रालय में डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96 स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में पता लगायी गयी बकाया अग्रेनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पद पर आधारित रोस्टर के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित नई रिक्तियों/पदों का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से सूचना एकत्र की गई है। उन्होंने उल्लेख किया है कि आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने पर 50 प्रतिशत की सीमा आरक्षित रिक्तियों पर लागू होगी जो वर्तमान वर्ष में उत्पन्न होती हैं तथा पूर्ववर्ती वर्षों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए बैक लॉग/आगे ले जाई गई आरक्षित रिक्तियों को एक अलग तथा पृथक समूह के रूप में समझा जाएगा और किसी सीमा के अध्यधीन नहीं होगा। तथापि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि ये प्रावधान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लागू नहीं होते हैं।

(ख) उस विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके दिनांक 02.07.1997 का पैरा 5 पर आधारित रोस्टर के आरंभिक प्रचालन तथा संवर्ग में संबंधित श्रेणियों में आधिक्य/कमी की पहचान करने से संबंधित है तथा बैकलॉग/आगे ले जाई गई रिक्तियों के बारे में नहीं है। तथापि, यह मंत्रालय अक्तूबर, 1999 के दौरान अस्तित्व में आया और इसलिए अपेक्षित सूचना शून्य समझी जाए।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जाएगी।

नानो फिल्ट्रेशन डिवाइसेज

2379. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जीवाणु और विषाणु मुक्त जल शोधन उपकरण विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे "नानो फिल्ट्रेशन डिवाइसेज" को वितरित करने हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ग) क्या उक्त "नानो फिल्ट्रेशन डिवाइसेज" खारे पानी वाले क्षेत्रों में भी उपयोग में लाया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तटीय क्षेत्रों में ऐसी मशीनों की आपूर्ति होने में कितना समय लगेगा; और

(ङ) ऐसी मशीनों की कीमत और क्षमता कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) सी.एस.आई.आर. ने पुणे स्थित अपनी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एन.सी.एल.) के माध्यम से जल के शुद्धिकरण हेतु अतिसूक्ष्म छिद्रों वाली फिल्टरन झिल्ली प्रौद्योगिकी विकसित की है। इस झिल्ली के उपयोग से जल को विषाणुओं, जीवाणु पुटियों, बीजाणुओं आदि जैसी रोगजनक प्रजातियों से मुक्त कर शुद्ध किया जा सकता है। इस झिल्ली और हैंड पम्प असेम्बली का उपयोग करते हुए एक यंत्र चालित प्रोटोटाइप इकाई तैयार कर ली गई है और वर्ष 1999 में ऐसी 50 इकाइयां उड़ीसा में साइक्लोन से प्रभावित क्षेत्रों में तथा देश के विभिन्न भागों के कुछेक गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को क्षेत्रीय परीक्षण व प्रदर्शन के लिए वितरित की गई हैं। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इस झिल्ली और उपकरण की तकनीकी जानकारी, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा समर्थित एक कंपनी को हस्तान्तरित कर दी गई है।

(ग) खारे पानी से लवण को समाप्त करने के लिए यह झिल्ली उपयुक्त नहीं है। इसके लिए सी.एस.आई.आर. की एक अन्य घटक इकाई सी.एस. एंड एम.सी.आर.आई, भावनगर द्वारा विकसित रिवर्स ओसमोसिस मेम्ब्रेन तथा ईडी स्टैक उपयोगी हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 100 लीटर/घंटे की क्षमता वाले हैंड पम्प चालित उपकरण की लागत लगभग 12,000 रुपये है।

रोजगार आश्वासन योजना की समीक्षा

2380. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजगार आश्वासन योजना को संशोधित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) क्या 257 जिलों में रोजगार आश्वासन योजना की समीक्षा की गई है, जहां यह योजना चल रही है;

(ग) यदि हां, तो इस समीक्षा के क्या निष्कर्ष हैं;

(घ) क्या इस योजना से अपेक्षित रोजगारों का सृजन नहीं हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) प्रस्तावित संशोधित रोजगार आश्वासन योजना की मूल रूपरेखा का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क), (च) और (छ) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर. वाई.) 25 सितम्बर, 2001 को शुरू की गई थी। ई.ए.एस. और जे.जी.एस.वाई. को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर. वाई.) में पूरी तरह मिला दिया गया है। तथापि, चालू वर्ष के लिए ई.ए.एस. तथा जे.जी.एस.वाई., एस.जी.आर.वाई. का भाग बनी रहेंगी। एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रति वर्ष, 5000 करोड़ रु. (किफायती लागत पर) की राशि का 50 लाख टन खाद्यान्न मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। शेष निधियों (5000 करोड़ रु.) का इस्तेमाल मजदूरी तथा सामग्री लागत के नगद घटक को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा खाद्यान्नों का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी. आई.) को किया जाएगा। एस.जी.आर.वाई. के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष रोजगार के लगभग 100 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

(ख) और (ग) सुनिश्चित रोजगार योजना सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। मंत्रालय ने ई.ए.एस. सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन की एक व्यापक प्रणाली तैयार की है। निगरानी तंत्र के प्रमुख तंत्र निम्नानुसार हैं :

(i) आवधिक प्रगति रिपोर्टों तथा पावतियों के जरिए।

(ii) इस योजना के तहत दूसरी किस्त जारी करते समय प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्रों तथा ऑडिट रिपोर्टों के जरिए।

(iii) समय-समय पर राज्यों के लिए पदनामित क्षेत्र अधिकारियों का दौरा।

(iv) सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में गठित निष्पादन समीक्षा समिति द्वारा निष्पादन की समीक्षा।

(v) प्रतिष्ठित तथा स्वतंत्र अनुसंधान संस्थाओं/संगठनों इत्यादि की सहायता से समय-समय पर अध्ययन करवाना।

(घ) और (ङ) 2000-01 के दौरान, ई.ए.एस. के अंतर्गत रोजगार सृजन का लक्ष्य 2594.47 लाख श्रम दिवस था, जिसकी तुलना में राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार रोजगार के 2183.92 (84 प्रतिशत) लाख श्रमदिवस सृजित किए गए थे।

नवोदय विद्यालयों पर हुआ व्यय

2381. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री 14.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3439 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जरूरी सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक एकत्रित कर लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। अपेक्षित सूचना हाल ही में प्राप्त हुई है तथा यह विवरण के रूप में संलग्न है। दिनांक 14.8.2001 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3439 में दिए गए आश्वासन को भी अलग से पूरा किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक नवोदय विद्यालयों पर होने वाले आवर्ती और अनावर्ती व्यय के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		आवर्ती	अनावर्ती	आवर्ती	अनावर्ती	आवर्ती	अनावर्ती
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.86	0.04	1.19	1.38	1.07	0.16

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आन्ध्र प्रदेश	14.16	4.70	15.69	6.83	17.15	3.71
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.84	2.68	3.37	4.81	3.27	3.65
4.	असम	4.65	10.00	6.22	18.56	7.37	25.15
5.	बिहार	21.92	13.52	24.34	14.63	19.19	8.96
6.	चंडीगढ़	0.21	0.90	0.40	0.03	0.21	0.32
7.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	3.97
8.	दादरा और नगर हवेली	0.33	0.22	0.36	0.12	0.35	0.06
9.	दमन और द्वीव	0.66	0.31	0.65	0.17	0.63	0.37
10.	दिल्ली	2.36	1.61	1.35	0.28	1.31	0.15
11.	गोवा	0.95	0.51	1.07	0.52	1.13	1.93
12.	गुजरात	5.03	7.05	5.99	8.91	6.51	6.36
13.	हरियाणा	5.43	4.97	8.13	5.68	8.75	6.08
14.	हिमाचल प्रदेश	5.65	9.89	5.73	5.44	6.26	4.07
15.	जम्मू व कश्मीर	5.50	0.90	6.36	2.25	6.67	2.96
16.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65	5.40
17.	कर्नाटक	11.64	8.84	13.24	7.16	14.55	6.93
18.	केरल	7.90	5.29	8.80	4.50	9.36	3.68
19.	लक्षद्वीप	0.40	2.16	0.43	1.01	0.45	1.76
20.	मध्य प्रदेश	21.74	25.63	26.01	18.11	23.59	18.51
21.	महाराष्ट्र	13.29	15.62	15.76	14.28	16.96	11.43
22.	मणिपुर	3.94	2.45	4.74	3.95	4.78	3.07
23.	मेघालय	2.33	0.28	2.56	1.11	2.55	2.30
24.	मिजोरम	0.60	0.44	0.45	0.00	0.43	0.02
25.	नागालैंड	0.95	0.23	1.07	1.43	0.99	0.83
26.	उड़ीसा	8.59	15.27	8.89	1.71	9.38	3.73

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	पांडिचेरी	1.77	1.91	1.93	2.93	1.93	2.23
28.	पंजाब	6.46	5.34	7.54	5.11	8.57	4.55
29.	राजस्थान	15.91	12.12	15.86	8.55	17.60	14.06
30.	सिक्किम	0.96	0.53	1.08	0.35	1.06	0.32
31.	त्रिपुरा	1.27	4.22	1.36	3.91	1.32	3.75
32.	उत्तर प्रदेश	24.97	17.88	28.83	21.29	27.80	25.42
33.	उत्तरांचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91	3.59
	कुल	193.27	174.63	219.40	165.01	236.36	179.48

कॉलेजों की स्वायत्त कॉलेजों के रूप में घोषणा

2382. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने कॉलेज स्वायत्त कॉलेज घोषित किये गये हैं;

(ख) कॉलेजों को स्वायत्त घोषित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या इन कॉलेजों को स्वायत्त घोषित करने के लिये मानदण्डों का कड़ाई से पालन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) उड़ीसा में अब तक ग्यारह कॉलेजों को स्वायत्त कॉलेज योजना के अन्तर्गत स्वायत्त कॉलजों का दर्जा दिया गया है।

(ख) से (घ) कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा उनकी शैक्षिक ख्याति, संकाय की उपलब्धियों, भौतिक सुविधाओं, सांस्थानिक प्रबन्धन, वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक ढांचे की अनुकूल कार्य प्रणाली और संकाय की सहभागिता, आदि को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। तथापि, स्वायत्तता प्रदान करने के बाद उसकी समीक्षा की जाती है और यदि किसी स्वायत्त कॉलेज के स्तरों में आ रही गिरावट का पुष्टिकारक साक्ष्य मिल जाता है तो उस कॉलेज को प्रदत्त स्वायत्त दर्जा वापस ले लिया जाता है।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

2383. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री अनन्त नायक :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम वर्तमान में लागू किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) प्रत्येक राज्य द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) 16 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ये राज्य आंध्र

प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल हैं।

(ख) से (घ) कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां राज्य–वार आवंटित नहीं की जाती हैं, बल्कि कार्यक्रम वाले जिलों को परियोजना दर परियोजना आधार पर जारी की जाती हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की गई वाटरशेड विकास परियोजना को पूरा होने में 4–5 वर्षों का समय लगता है और निधियां सात किस्तों में जारी की जाती हैं। प्रथम किस्त परियोजना की स्वीकृति के समय पर जारी की जाती है। तत्पश्चात् बाद की प्रत्येक किस्त संबंधित जिले से विशेष प्रस्ताव प्राप्त होने पर जारी की जाती है बशर्ते कि जारी की पिछली किस्त की कम से कम 50 प्रतिशत राशि का उपयोग कर लिया गया हो। इस प्रकार बाद की किस्तें जारी करने के समय पर निधियों के उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य–वार जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य कार्यकलाप आरंभ किए जाते हैं :

- मृदा और नमी संरक्षण उपाय जैसे भूमि को सीढ़ीदार बनाना, पुश्ता बनाना, खाई बनाना, वानस्पतिक अवरोधक लगाना आदि।
- बहु–उपयोगी वृक्षों, झाड़ियों, घासों, फलीदार पौधों को रोपना तथा उगाना और चरागाह भूमि का विकास करना।
- प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पादन को बढ़ावा देना।
- कृषि वानिकी और बागवानी को बढ़ावा देना।
- लकड़ी के विकल्प और ईंधन लकड़ी के संरक्षण के उपाय करना।
- प्रौद्योगिकी के प्रसार हेतु अपेक्षित उपाय करना।
- प्रशिक्षण देना और विस्तार करना तथा भाग लेने वालों में उच्च स्तर पर जागरूकता पैदा करना।
- लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन देना।

विवरण

जारी राशि (करोड़ रुपये में)

राज्य	1998–1999	1999–2000	2000–2001	2001–2002 3.12.2001 की स्थिति के अनुसार
आंध्र प्रदेश	22.91	26.71	47.60	10.58
बिहार	2.38	2.30	1.00	2.42
छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश में शामिल		6.81	5.87
गुजरात	7.77	8.79	14.27	8.98
हिमाचल प्रदेश	0.52	0.90	2.47	2.56
जम्मू और कश्मीर	0.40	2.20	3.69	2.97
झारखंड	बिहार में शामिल		6.87	8.82
कर्नाटक	9.08	8.02	14.26	15.57
मध्य प्रदेश	8.83	14.02	24.96	41.43
महाराष्ट्र	5.52	6.45	18.99	18.36
उड़ीसा	2.75	0.46	6.82	9.10
राजस्थान	1.74	3.86	9.81	9.32
तमिलनाडु	2.73	8.27	9.09	7.29
उत्तर प्रदेश	8.39	10.93	18.38	5.56
उत्तरांचल	उत्तर प्रदेश में शामिल		3.24	3.85
पश्चिम बंगाल	0.00	2.09	1.35	1.62
योग	73.00	94.99	189.58	154.29

प्रतिधारण मूल्यों में कटौती

2384. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8.11.2001 को "दैनिक

जागरण" में "नये रिटेंशन मूल्यों से यूरिया के संकट में उर्वरक उद्योग" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने 5.11.2001 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार यूरिया का उत्पादन आठ लाख टन तक घटाने की तुलना में उर्वरक उत्पादन करने वाले 13 उद्योगों के संदर्भ में धारण मूल्य में कटौती की है जैसा कि उक्त समाचार में प्रकाशित हुआ है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राजसहायता पर होने वाले व्यय को सीमित रखने तथा खपत मानकों को वास्तविक स्तर पर निर्धारित करने के उद्देश्य से सरकार ने यूरिया एककों के खपत मानकों को 1.4.2000 से अन्तरिम आधार पर संशोधित करने का निर्णय लिया है। ये खपत मानक 1999–2000 में प्राप्त वास्तविक स्तरों अथवा मौजूदा स्तर, जो भी कम हो, पर आधारित हैं। तदनुसार, प्रतिधारण मूल्य भी अस्थाई आधार पर संशोधित किए गए। इस संशोधन की वजह से कुछ एककों के संबंध में प्रतिधारण मूल्य में कटौती हुई है। तथापि, ऐसा संशोधन केवल अन्तरिम व्यवस्था है और यह सातवीं तथा आठवीं मूल्य निर्धारण अवधियों के लिए नीति मानकों, जिसमें खपत मानक भी शामिल होंगे तथा 1.7.1997 से प्रभावी होंगे, पर सरकार के निर्णय के अध्यधीन है। सरकार खपत मानकों में अन्तरिम संशोधन के परिणामस्वरूप यूरिया के उत्पादन में किसी महत्वपूर्ण कमी की आशा नहीं करती है। तथापि, सरकार मांग के मुकाबले यूरिया की उपलब्धता पर निगरानी रख रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यूरिया की मांग और आपूर्ति के बीच कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है, समुचित कदम उठायेगी।

[हिन्दी]

बिहार में उच्च शिक्षा

2385. श्री राजो सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में उच्च शिक्षा में विशिष्ट केन्द्रों की स्थापना के लिये परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं और इनके लिये मांगी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर अब तक क्या कार्यवाई की गई है और इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उत्कृष्टता संभावी विश्वविद्यालयों का पता लगाने संबंधी योजना के तहत बिहार स्थित निम्नलिखित विश्वविद्यालयों से आयोग को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

(i) पटना विश्वविद्यालय, पटना।

(ii) के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।

(iii) टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के साथ–साथ इन प्रस्तावों पर भी यथा समय विचार करेगा।

[अनुवाद]

मेगा शहरों के आधार संरचना विकास संबंधी योजना

2386. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मेगा शहरों में आधार संरचना के सतत विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन दिये जाने के मद्देनजर केन्द्र प्रायोजित "इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन मेगा सिटीज" योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस योजना के शुरूआत से इसके अंतर्गत प्राप्त निवेश का ब्यौरा क्या है और मुंबई सहित मेगा शहरों को किस तरीके से निवेश वितरित किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि यह योजना संस्थागत वित्त से पर्याप्त संसाधन जुटाने में असफल रही;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में किसी वैकल्पिक रणनीति पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) मेगा सिटी स्कीम हेतु पांचों नगरों–मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बंगलौर के बीच बजट राशि का आवंटन इन सभी नगरों द्वारा सहमत फार्मूला के अनुसार किया जाता है। इस फार्मूला में कुल आबादी, जनसंख्या वृद्धि भौगोलिक संवृद्धि क्षेत्र, आंतरिक स्रोत व्यवस्था, वाह्य स्रोत व्यवस्था, मेट्रोपोलिटन विकास नीति, नीतिगत सुधारों, विशेष प्रयोजन वाहक (एसपीवी) स्वतंत्र संगठन और परियोजना मिश्र अनुपात जैसे कारकों पर बल दिया जाता है।

वर्ष 1993–94 में शुरूआत से स्कीम के तहत पांचों नगरों को आवंटित धन के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वस्तुतः इन पांचों नगरों में वर्ष 1993–94 से वित्तीय संस्थाओं से 929.02 करोड़ रुपये जुटाये हैं।

(ङ) और (च) दसवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। 10वीं योजना के अनुमोदन के बाद ही स्कीम में परिवर्तन/उपांतरण किए जाएंगे।

विवरण

मेगा शहरों में अवस्थापना विकास के लिए केन्द्र प्रवर्तित स्कीम (मेगा सिटी स्कीम) दिनांक 31.10.2001 तक जारी केन्द्रीय धन

मेगा शहर का नाम	वर्ष	प्रदत्त केन्द्रीय धन (करोड़ रुपये में)
1	2	3
मुम्बई	93–94	20.10
	94–95	16.10
	95–96	18.08
	96–97	13.08
	97–98	17.73
	98–99	17.39
	99–2000	19.40
	2000–01	20.08
	2001–02	अभी तक जारी नहीं
	कुल	141.96
कोलकाता	93–94	20.10
	94–95	16.10
	95–96	18.08
	96–97	13.58
	97–98	14.89
	98–99	16.23
	99–2000	16.78
	2000–01	19.09
	2001–02	20.02
	कुल	154.87
चेन्नई	93–94	15.10
	94–95	11.10
	95–96	17.08
	96–97	11.98
	97–98	12.81
	98–99	13.78
	99–2000	14.15
	2000–01	16.10
	2001–02	16.90
	कुल	129.00
हैदराबाद	93–94	15.10
	94–95	11.10
	95–96	15.58
	96–97	11.71

1	2	3
	97–98	12.22
	98–99	13.90
	99–2000	15.66
	2000–01	16.22
	2001–02	9.39
	कुल	120.87
बंगलौर	93–94	00.10
	94–95	20.10
	95–96	15.08
	96–97	10.55
	97–98	11.25
	98–99	13.55
	99–2000	13.91
	2000–01	13.68
	2001–02	16.62
	कुल	115.58
	कुल योग	662.28

एकीकृत नगरों का विकास

2387. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकीकृत नगरों के विकास हेतु दिशानिर्देश बनाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिये एकीकृत नगरों के विकास के लिए केवल विशिष्ट न्यूनतम पूंजी वाले विशेषज्ञ नगर तथा अवसंरचना डवलपर्स को ही अनुमति देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन कम्पनियों को न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों पूंजी का पालन करना पड़ेगा और निश्चित न्यूनतम समीपस्थ क्षेत्र विकसित करना होगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) समिति कब तक मानदंडों को पूरा कर लेगी; और

(छ) ये मानदंड कम्पनियों को किस सीमा तक स्वीकार्य रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) से (छ) दिशा–निर्देशों के ब्यौरे अभी तैयार किये जा रहे हैं।

मेट्रो रेल का निर्माण

2388. श्री किरीट सोमैया : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व विभाग ने जंतर–मंतर संसद भवन और केन्द्रीय सचिवालय के निकट भूमिगत मेट्रो रेल के निर्माण को लेकर कुछ आपत्तियां उठाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संसद भवन अथवा केन्द्रीय सचिवालय के निकट नहीं बल्कि जंतर मंतर स्मारक के निकट भूमिगत मेट्रो रेलमार्ग पर आपत्ति की थी।

(ख) भूमिगत रेलमार्ग जंतर मंतर स्मारक के पास से गुजरेगा अतः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आशंका व्यक्त की कि इसके निर्माण और बाद में इस मार्ग पर चलने वाली मेट्रो सेवा से होने वाले कम्पन का इस स्मारक की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

(ग) (i) भूमिगत मेट्रो रेलमार्ग जो पहले जंतर मंतर स्मारक से 8.5 मीटर की दूरी पर बनाया जाना था अब इस स्मारक से 22.5 मीटर की दूरी पर बनाया जाएगा।

(ii) भूमिगत कारीडोर के निर्माण और बाद में उस पर मेट्रो सेवाओं के परिचालन से होने वाले कम्पन का जंतर मंतर स्मारक पर प्रभाव के संबंध में अध्ययन करने का कार्य राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली को सौंपा गया था। अध्ययन के परिणामों से पुष्टि हुई है कि इन दोनों ही स्थितियों का स्मारक की सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

(iii) इस रेलमार्ग के लिए मृदा को सुदृढ़ करने के लिए ग्राउटिंग जैसे पर्याप्त उपाय निर्माण योजना में शामिल किए गए हैं।

(iv) भूमिगत रेलमार्ग के निर्माण के दौरान कम्पन के स्तर को कम करने के लिए परिष्कृत टनल बोरिंग मशीनों का प्रयोग करने का प्रस्ताव है।

(v) कम्पन के स्तर को और अधिक कम करने के लिए रेल सीट के नीचे लचीले रबड़ पैड के साथ इलास्टिक ट्रैक फिटिंग्स को ट्रैक डिजाइन में शामिल किया गया है।

(vi) मेट्रो रेल सेवाओं के लिए कम से कम कंपन उत्पन्न करने वाला अत्याधुनिक चल स्टॉक (रोलिंग स्टाक) लिया जा रहा है।

[हिन्दी]

आवासों के निर्माण का लक्ष्य

2389. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के शहरी क्षेत्रों में आवासों के निर्माण के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान देश में राज्य–वार और विशेषकर महाराष्ट्र में कितने आवासों का निर्माण किया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) भारत सरकार ने शासन के राष्ट्रीय एजेन्डा के मार्फत "सभी के लिए आवास" को एक प्राथमिकता क्षेत्र माना है। इसके लिए एजेन्डा वर्ष अतिरिक्त 2 मिलियन मकान (7 लाख शहरी क्षेत्रों में और 13 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में) बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ख) चूंकि आवास राज्य का विषय है, इसलिए भारत सरकार की भूमिका एक निर्माता की बजाय सुविधाता की है। तथापि, इस मंत्रालय का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, आवास और नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) मांग के आधार पर इस आवास कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारी एजेंसियों को वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। 2 मिलियन आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत हडको द्वारा वित्तपोषित शहरी रिहायशी मकानों का राज्य–वार और वर्ष–वार निष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

महाराष्ट्र में 2 मिलियन आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित मकानों का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	मकानों की सं.
198–99	0
1999–2000	447
2000–01	1810

विवरण

दो मिलियन आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हडको से वित्तपोषित शहरी रिहायशी मकान का राज्य–वार व वर्ष–वार निष्पादन

(पूरी हो चुकी रिहायशी मकानों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश के नाम	1998–99	1999–2000	2000–01
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	4161	29196
2.	असम	0	0	410
3.	बिहार	0	54	0
4.	गोवा	0	0	0

1	2	3	4	5
5.	गुजरात	0	280	5300
6.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
7.	हरियाणा	0	0	220
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
9.	केरल	0	56630	27553
10.	कर्नाटक	1451	30684	3453
11.	मेघालय	0	0	0
12.	महाराष्ट्र	0	447	1810
13.	मणिपुर	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0
15.	मिजोरम	0	0	0
16.	नागालैंड	0	0	0
17.	उड़ीसा	0	0	75050
18.	पंजाब	0	0	0
19.	राजस्थान	0	0	0
20.	सिक्किम	0	0	0
21.	तमिलनाडु	0	15723	19287
22.	त्रिपुरा	0	0	0
23.	उत्तर प्रदेश	0	4300	0
24.	प. बंगाल	10,000	0	0
25.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
26.	चंडीगढ़	0	0	0
27.	दिल्ली	0	0	0
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0
29.	पांडिचेरी	0	0	0
30.	छत्तीसगढ़	0	0	0
31.	उत्तरांचल	0	0	0
32.	झारखंड	0	0	0
	योग	11451	112270	162279

[अनुवाद]

राज्यों को और शक्तियां

2390. प्रो. ए. के. प्रेमाजम :
श्री निखिलानन्द सर :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार राज्यों को और अधिक शक्तियां देने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) राज्यों को और शक्तियां देने के लिए सरकारिया आयोग की सिफारिशें कब तक लागू होने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) भारत सरकार ने, सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में संघ और राज्यों के बीच वर्तमान प्रबंधों के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने और सौहार्दपूर्ण केन्द्र राज्य संबंधों को विकसित करने के लिए यथावश्यक परिवर्तनों और उपायों की सिफारिश करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया था। आयोग की सिफारिशों में, विधायी संबंधों, प्रशासनिक संबंधों, आरक्षण विधेयक, आपात उपबंधों, राज्य में केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती, अखिल भारतीय सेवाओं, वित्तीय संबंधों, वन आदि सहित केन्द्र राज्य संबंधों के सभी पहलुओं को कवर किया गया है। सरकारिया आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों पर अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा विचार किया जाता है। जिसमें राज्यों के मुख्य मंत्री, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक और कुछ केन्द्रीय मंत्री सदस्य होते हैं।

सरकारिया आयोग ने कुल 247 सिफारिशें की हैं। वर्ष

2000 तक हुई 6 बैठकों में, अन्तर्राज्यीय परिषद ने 171 सिफारिशों पर अपना मत निर्धारित किया था । 16 नवम्बर, 2001 को हुई 7वीं बैठक में, परिषद ने अन्य 59 सिफारिशों पर सिद्धान्ततः अपना मत बनाया। इस प्रकार से अन्तर्राज्यीय परिषद ने 247 सिफारिशों में से 230 सिफारिशों पर अपना मत निर्धारित कर लिया है। इनमें से, 108 सिफारिशों को चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित कर लिया गया है, 87 कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं और 35 सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है। सरकारिया आयोग की शेष 17 सिफारिशों पर अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा अभी विचार किया जाना है।

अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना

2391. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने संबंधी कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं आरम्भ की हैं। इनमें मुख्य योजनाएं हैं : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, संपूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता अभियान, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, बालिकाओं के लिए छात्रावास सुविधाएं सुदृढ़ बनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता देना, प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं सामुदायिक पॉलिटेकनिक। क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं जैसे राजस्थान की लोक जुम्बिश और शिक्षाकर्मी योजनाएं भी इन समुदायों पर विशेष ध्यान देती हैं।

[हिन्दी]

सुरक्षा बलों के कार्मिकों को कानूनी सुरक्षा

2392. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुरेश रामराव जाधव :
प्रो. आई. जी. सनदी :
श्री जय प्रकाश :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अलगाव विरोधी कार्यवाही के दौरान कथित ज्यादतियों के लिए मुकदमों से जुझ रहे सुरक्षा बलों के कार्मिकों को कानूनी सुरक्षा तथा राहत प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) सुरक्षा बल कार्मिकों को कानून के तहत पहले ही सुरक्षा उपलब्ध है।

[अनुवाद]

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का योग्यता के आधार पर चयन

2393. श्री रामदास आठवले : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 2.7.1997 के डी ओ पी टी कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96 स्था. (आरक्षण) के व्याख्यात्मक टिप्पण के पैरा 11 के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित जो व्यक्ति योग्यता के आधार पर चयनित होते हैं उन्हें उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे के समक्ष नहीं दर्शाया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अन्तर्गत गत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के योग्यता के आधार पर सेवाओं के विभिन्न श्रेणियों में चयनित/भर्ती/पदोन्नत किए गए उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में नहीं गिना गया; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें उक्त अवधि के दौरान योग्यता के आधार पर अ.जा./अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के चयनित उम्मीदवारों को उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के समक्ष समायोजित किया गया तथा उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) यह सरकार के नीतिगत निर्णय से संबंधित है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.7.1997 के का.ज्ञा. स. 36012/2/96 स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 के अनुसार रोस्टर में मौजूदा नियुक्तियों के समायोजन के लिए आरम्भ में रोस्टर रखने में योग्यता के आधार पर (न कि आरक्षण के आधार पर) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को सीधी भर्ती के मामले में आरक्षण नहीं माना जाता है, और इन्हें सामान्य श्रेणी की नियुक्ति माना जाता है इस कार्यालय ज्ञापन की व्याख्यात्मक टिप्पणी के पैरा 11 के अनुसार रोस्टर रखते समय जिन समुदायों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण किया गया है परन्तु जिनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर की गयी हो न कि आरक्षण के आधार पर उन्हें आरक्षित पदों के समक्ष न दर्शाया जाये। वे अनारक्षित पदों को धारण करेंगे। महासागर विकास विभाग, जो कि एक छोटा और वैज्ञानिक विभाग है, में वैज्ञानिक/तकनीकी पदों को सुनम्य पूरक योजना सहित सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है। प्रायः एक समय में दो या तीन रिक्तियों पर नियुक्तियां की जाती हैं और आरक्षित पद उपलब्ध आरक्षित अभ्यर्थियों से ही भरे जाते हैं। कोई पृथक मानदंड निर्धारित नहीं है। आरक्षण योजना प्रतिनियुक्ति/समामेलन अथवा सुनम्य पूरक योजना, जो पद आधारित योजना नहीं है, के तहत भरे गए पदों पर लागू नहीं होती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को उचित महत्व दिया जाता है। यद्यपि आरक्षण आवेश अलग अलग सेवाओं के समूह 'क' के न्यूनतम ग्रेड के साथ साथ केवल "वैज्ञानिक और तकनीकी पदों" तक ही लागू होते हैं तथापि विभाग ने वैज्ञानिक 'एफ' और वैज्ञानिक 'सी' के वरिष्ठ वैज्ञानिक पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती की है। सचिवालयी पदों पर नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग और वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है।

सुरक्षा एजेंसियों के लिए आपातकालीन योजना

2394. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री रामजीवन सिंह :
श्री जी. एस. बसवराज :
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपनी पुरानी पड़ चुकी आपातकालीन योजना में आमूल-चूल परिवर्तन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में सरकार ने आसूचना ब्यूरो, नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सिविल डिफेंस और दिल्ली पुलिस के साथ बैठक की है;

(ग) यदि हां, तो क्या बैठक में अमरीका के समक्ष आने वाली स्थिति जैसी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को तैयार करने के लिए वर्तमान योजना में आमूल-चूल परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई ठोस उपाय तैयार किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उन्हें लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (च) आपातकालीन योजना पुनरीक्षाधीन है।

शिक्षा में निजी भागीदारी

2395. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में अधिक निजी भागीदारी प्रारंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे शिक्षा का व्यावसायीकरण हो सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र

में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्त्ता समूहों सहित गैर–सरकारी तथा स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहन देने के साथ ही शिक्षा के वाणिज्यिकरण को रोकने के लिए कदम उठाए जाने का उल्लेख किया गया है। नीति के अनुसरण में शिक्षा क्षेत्र में सरकार के प्रयासों में सहयोग देने के लिए निजी प्रयासों को प्रोत्साहित किया गया है। प्रवेश, शुल्क संरचना, शिक्षकों की भर्ती, संस्थाओं के प्रबंधन, पाठ्यचर्या के आदान–प्रदान, नई संस्थाओं की स्थापना आदि जैसे मामलों सहित विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करने के लिए राज्य सरकारों के अपने विनियमन कानून हैं। केन्द्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा, तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा में मानदंडों और स्तरों को उपयुक्त रूप से बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक निकायों के रूप में क्रमशः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए. आई.सी.टी.ई.) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी. ई.) की स्थापना की गई है। इन सभी संगठनों ने अपने–अपने शिक्षा क्षेत्र में विस्तृत मानदंड, नियम और विनियम निर्धारित किये हैं।

शहरी अकादमी स्थापित करना

2396. श्री नरेश पुगलिया : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी अकादमी स्थापित करने के लिए अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शहरी अकादमी के क्या कार्य होंगे और इसे कौन–कौन–सी जिम्मेदारियां सौंपे जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी छात्रों के विद्यालय छोड़ने की दर

2397. श्रीमती प्रेनीत कौर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994 के दौरान उड़ीसा में कक्षा एक से कक्षा आठ तक 86.5 प्रतिशत आदिवासी छात्रों ने विद्यालय छोड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में इन कक्षाओं के कितने आदिवासी छात्रों ने विद्यालय छोड़ा हैं; और

(ग) राज्य में विद्यालय छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) वर्ष 1994–95 के दौरान उड़ीसा में कक्षा I-VIII में पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले आदिवासी छात्रों की सकल दर 84.42 प्रतिशत थी।

(ख) वर्ष 1994–95 के दौरान उड़ीसा में पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों की सकल दर क्रमशः 82.20 तथा 87.81 प्रतिशत थी। वर्ष 1999–2000 के दौरान पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों की सकल दर 61.81 प्रतिशत (अनंतिम) है।

(ग) अनुसूचित जनजाति के छात्रों विशेषकर प्रारंभिक स्तर के छात्रों के पढ़ाई बीच में छोड़ जाने की दरों में कमी लाने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। सूक्ष्म योजना, समुदाय की सहभागिता, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के जरिये स्कूल संबंधी बुनियादी सुविधाओं में सुधार, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन), अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, वर्दी, छात्रावासों तथा आवासीय स्कूलों का निर्माण आदि इन उपायों में शामिल हैं। इसके अलावा, प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को समग्र एवं संकेंद्रित रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान नामक एक योजना भी शुरू की गई है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों सहित लाभवंचित वर्गों पर विशेष बल दिया गया है।

आरक्षित रिक्तियों का बकाया

2398. श्री बृजलाल खाबरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित "पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों" को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार, अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान आदि की समाप्ति पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय में डी. ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96 स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5, के अनुसार समूह क, ख, ग और घ में पता लगाई गई/बकाया अग्रेनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान, पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित नई रिक्तियों के पदों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र/संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यावरण अनुकूल कोक ओवन्स

2399. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऊर्जा दक्षता तथा पर्यावरण अनुकूल कोक ओवनों का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कोक ओवन किस प्रयोजन के लिए हैं और इनकी उपयोगिता क्या है;

(ग) कम ऊर्जा दक्षता वाले इन कोक ओवनों की विकास लागत क्या है;

(घ) वर्तमान में उपयोग में लाए जा रहे ऐसे ओवनों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या उनकी व्यावसायिक व्यावहारिकता का अनुमान लगा लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। सी.एस.आई.आर. के केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद ने घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले साफ्ट कोक के उत्पादन के लिए कम क्षमता वाले ऊर्जा दक्ष, पर्यावरण हितैषी, नॉन रिकवरी किस्म के ओवनों के डिजाइन विकसित किए हैं।

(ग) प्रतिदिन 50 टन कोयला उत्पादन क्षमता वाले ओवन अधिष्ठापित करने की लागत लगभग 12–15 लाख रुपये है।

(घ) इस समय केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी. एफ.आर.आई.) के डिजाइनों को उपयोग में लाने वाले लगभग 50 सॉफ्ट कोक संयंत्र प्रचालन में हैं।

(ङ) और (च) इनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता का अनुमान लगाया गया है। इनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता प्रधानतया इनपुट कोयले की गुणवत्ता और लागत पर निर्भर करती है। इनकी पे–बैक अवधि लगभग दो वर्ष है।

रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा संबंधी चूकें

2400. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच समिति ने यह उजागर कर दिया है कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा संबंधी उपायों को लागू न किए जाने के कारण हमला हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस चूक के लिए दोषी लोगों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई थी; और

(घ) देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर विशेषकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु किन कदमों पर विचार किया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार

"पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय है और इस प्रकार रेलवे स्टेशनों पर अपराधों का पता लगाने और उनकी रोकथाम करने तथा वहां समुचित सुरक्षा उपाय करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। राजकीय रेलवे पुलिस (जी आर पी) संबंधित राज्य सरकारों के अधीन कार्य करती है। केन्द्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में सक्रिय आतंकवादी गुटों, जिन्होंने रेलवे को एक मुख्य लक्ष्य के रूप में पहचान की है, द्वारा उत्पन्न खतरों के बारे में सलाह दी है।

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार और रेलवे प्राधिकरण के साथ विचार विमर्श करके सामान्यतया अनेक उपाय सुझाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ, रेल पटरियों पर गश्त लगाना, पुलिस सुरक्षा और रेलवे कर्मचारियों के बीच समन्वय में सुधार करना आदि शामिल हैं।

जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में यात्रियों के साथ-साथ रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं :

(i) रेलवे स्टेशनों पर और इनके इर्द-गिर्द 24 घन्टे निगरानी;

(ii) सुरक्षा बलों/जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा क्षेत्र की गहन गश्त;

(iii) रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और उनके सामान की उचित जामा-तलाशी;

(iv) रेलवे स्टेशनों पर आने-जाने वाले वाहनों की लगातार जांच;

(v) रेलवे स्टेशन की सुरक्षा से संबंधित आधारभूत संरचना सहायता;

(vi) जम्मू और कश्मीर में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा से संबंधित प्रयासों का समन्वय बढ़ाने के लिए अनेक बैठकें।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों का निर्माण

2401. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री अशोक ना. मोहोल :
डा. जसवंतसिंह यादव :
श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों के निर्माण हेतु कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) लक्ष्यों की राज्यवार प्राप्ति कितनी हुई है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और वर्तमान वर्ष में, देश में राज्यवार तथा विशेषकर महाराष्ट्र में निर्मित आवासों की संख्या कितनी है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) बुनियादी और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रति आवासीय इकाई 25000 रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण आवास के अंतर्गत आंतरिक सड़कों, जल निकासी, पेयजल, वृक्षारोपण, पर्यावास में सुधार का प्रावधान किया गया है और इसके साथ यह शर्त रखी गई है कि इन मदों की अधिकतम राशि लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु इसके लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान इंदिरा आवास योजना और ग्रामीण आवास ऋण सह सब्सिडी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और निर्मित आवासों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण आवास के लिए भारत सरकार द्वारा कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण आवास ऋण सह सब्सिडी और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण आवास के अंतर्गत निर्मित आवासों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 2000–01 तथा 2001–02 के दौरान इंदिरा आवास योजना तथा ऋण–सह–सब्सिडी योजना के अन्तर्गत राज्यवार लक्षित और निर्मित आवासों की संख्या

(इकाई संख्या में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	इन्दिरा आवास योजना				ऋण सह सब्सिडी योजना			
		2000–01		2001–02		2000–01		2001–02	
		लक्ष्य	निर्मित आवासों की संख्या	लक्ष्य	निर्मित आवासों की संख्या	लक्ष्य	निर्मित आवासों की संख्या	लक्ष्य	निर्मित आवासों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	88288	83912	94356	14711	7711	एन आर	3643	एन आर
2.	अरुणाचल प्रदेश	4246	4515	4440	1156	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
3.	असम	98856	65089	99913	1609	11006	16	5191	3
4.	बिहार	238664	161199	256310	57591	20857	188	9896	50
5.	छत्तीसगढ़	16364	17777	16135	8211	1415	182	622	63
6.	गोवा	544	368	610	229	48	एन आर	24	एन आर
7.	गुजरात	25944	28192	27117	8371	2259	एन आर	1047	एन आर
8.	हरियाणा	9368	13309	9169	3564	810	312	354	59
9.	हिमाचल प्रदेश	3870	3716	4056	712	356	300	156	53
10.	जम्मू एवं कश्मीर	4644	4082	4852	2974	427	एन आर	187	एन आर
11.	झारखंड	70120	56233	75306	16192	6128	9	2907	एन आर
12.	कर्नाटक	47184	42675	48807	18944	4104	581	1883	एन आर
13.	केरल	28416	19092	30245	10006	2481	एन आर	1168	101
14.	मध्य प्रदेश	57100	61773	56307	20606	4936	1857	2172	350
15.	महाराष्ट्र	84680	81111	86598	21187	7355	194	3341	एन आर
16.	मणिपुर	5062	552	5294	एन आर	487	एन आर	275	एन आर
17.	मेघालय	6726	4368	7034	523	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
18.	मिजोरम	1615	2290	1689	576	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	नागालैंड	4342	4906	4541	3862	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
20.	उड़ीसा	73232	139561	75960	65308	6371	13601	2931	876
21.	पंजाब	5960	6606	6074	2434	517	73	234	6
22.	राजस्थान	25864	41766	25586	12585	2237	250	987	309
23.	सिक्किम	1164	1539	1217	887	एन आर	एनआर	एनआर	एनआर
24.	तमिलनाडु	46768	49914	47383	2703	4057	1350	1828	1755
25.	त्रिपुरा	9821	11640	10271	एन आर	1006	एन आर	534	एन आर
26.	उत्तर प्रदेश	170781	159680	172761	50049	14811	एन आर	6665	एन आर
27.	उत्तरांचल	16848	13775	17944	2248	1539	211	692	104
28.	पं. बंगाल	96127	90783	101835	19713	8415	एन आर	3931	एन आर
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	727	52	861	39	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
30.	दा. व न. हवेली	414	एन आर	452	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
31.	दमन व दीव	162	1	187	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
32.	लक्षद्वीप	17	22	15	5	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
33.	पांडिचेरी	402	428	427	59	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
	जोड़	1244320	1170926	1293753	347054	109333	19124	50667	3729

**अनन्तिम

एन आर : सूचित नहीं/कार्यान्वित नहीं

विवरण-II

वर्ष 1998–99, 1999–2000, 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान इन्दिरा आवास योजना, ऋण–सह–सब्सिडी योजना और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत निर्मित किए गए आवासों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	इन्दिरा आवास योजना				ऋण–सह–सब्सिडी योजना##			प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना : ग्रा. आवास$	
		1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002#	1999-2000	2000-2001	2001-2002#	2000-2001	2001-2002#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	61430	89823	83912	14711	7628	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अरुणाचल प्रदेश*	470	3210	4515	1156	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
3.	असम	20937	20412	65089	1609	एन आर	16	एन आर	एन आर	एन आर
4.	बिहार	125082	165892	161.99	57591	एन आर	188	50	एन आर	एन आर
5.	छत्तीसगढ़*	एन आर	एन आर	17777	8211	एन आर	182	63	एन आर	एन आर
6.	दिल्ली	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
7.	गोवा	482	333	368	229	एन आर	एन आर	एन आर	11	13
8.	गुजरात	21820	26351	28192	8371	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
9.	हरियाणा	10043	9843	13309	3564	एन आर	312	59	454	127
10.	हिमाचल प्रदेश	3874	3711	3716	712	एन आर	300	53	एन आर	257
11.	जम्मू व कश्मीर	5400	5830	4082	2974	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
12.	झारखंड*	एन आर	एन आर	56233	16192	एन आर	9	एन आर	एन आर	एन आर
13.	कर्नाटक	37369	39398	42675	18944	40	581	एन आर	एन आर	एन आर
14.	केरल	9452	20716	19092	10006	एन आर	एन आर	101	एन आर	एन आर
15.	मध्य प्रदेश	102901	77886	61773	20606	526	1857	350	एन आर	एन आर
16.	महाराष्ट्र	54532	71958	81111	21187	एन आर	194	एन आर	एन आर	एन आर
17.	मणिपुर	1125	199	552	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
18.	मेघालय	734	356	4368	523	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
19.	मिजोरम	519	1795	2290	576	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
20.	नागालैण्ड	2290	7706	4906	3862	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
21.	उड़ीसा	50671	53328	139561	65308	14981	13601	876	368	1860
22.	पंजाब	3831	4154	6606	2434	54	73	6	615	522
23.	राजस्थान	32955	37440	41766	12585	एन आर	250	309	एन आर	4205
24.	सिक्किम	543	752	1539	887	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
25.	तमिलनाडु	68207	54935	49914	2703	एन आर	1350	1755	एन आर	6263
26.	त्रिपुरा	3235	11229	11640	0	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	उत्तर प्रदेश	181274	155248	159680	50049	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
28.	उत्तरांचल*	एन आर	एन आर	13775	2248	एन आर	211	104	एन आर	एन आर
29.	पश्चिम बंगाल	36246	62653	90783	19713	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
30.	अ. निको. द्वीपसमूह	12	6	52	39	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
31.	चण्डीगढ़	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
32.	दादरा व नगर हवेली	6	52	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
33.	दमन व दीव	एन आर	3	1	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
34.	लक्षद्वीप	40	34	22	5	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
35.	पांडिचेरी	290	426	428	59	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
	कुल	835770	925679	1170926	347054	23229	19124	3729	1448	13247

#अनन्तिम

##ऋण सह सब्सिडी को वर्ष 1999–2000 के दौरान शुरू किया गया।

*वर्ष 2000–2001 के दौरान नव सृजित राज्य।

$प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना : ग्रामीण आवास 2000–2001 के दौरान शुरू किया गया।

एन आर–सूचित नहीं/कार्यान्वित नहीं।

[अनुवाद]

भूख से हुई मौतें

2402. प्रो. ए. के. प्रेमाजम : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 सितम्बर, 2001 के 'दि हिन्दू' में 'केरल में भूख से हुई मौतों' के संबंध में 'आदिवासी यूथ टु गो आन द ओफेन्सिव' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केरल की जनसंख्या में एक प्रतिशत का योगदान करने वाले आदिवासी राज्य के सर्वाधिक पीड़ित वर्ग हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (घ) सूचित मामला राज्य में सूचित भूख से हुई मौतों के संबंध में राज्य सरकार के कथित उपेक्षापूर्ण व्यवहार के बारे में है।

पोषण संबंधी मानकों में गिरावट के प्रति रक्षोपाय की व्यवस्था करने के द्वारा जनजातीय लोगों की मृत्यु के विरुद्ध निवारक उपायों के लिए केन्द्रीय योजना समिति (सी पी सी) द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों में से चुने गए क्षेत्रों में 1996–97 के दौरान जनजातीय ग्रामों में अन्न बैंकों की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना आरंभ की गई। इस योजना में व्यवस्था है कि पहचान किए गए क्षेत्रों में ग्रामवासी एक समिति बना सकते हैं और गांवों में अन्न बैंक की स्थापना कर सकते हैं। भारत सरकार प्रति परिवार स्थानीय रूप से उपभोग किए जाने वाले खाद्यान्न के 100 किलोग्राम की दर से अन्न बैंकों की स्थापना करने के लिए 100 प्रतिशत एकमुश्त अनुदान प्रदान करती है। इस बैंक के सदस्य समय से ऋण ले सकते हैं और फसल के बाद मजदूरी के रूप में आय प्राप्त करके उसे वापस लौटा सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों

को भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) के माध्यम से निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। केन्द्रीय योजना समिति (सी पी सी) द्वारा केरल में 5 जिलों के 16 ब्लाकों की पहचान की गई है। तथापि, यह सूची मात्र संकेतक है विस्तृत नहीं। केरल राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के लिए 1996 से निर्मुक्त निधियों और स्थापित अन्न बैंकों की संख्या निम्नलिखित है :

(रु. लाख में)

राज्य	वर्ष	स्वीकृत संख्या	लाभान्वित किए जाने वाले परिवारों संख्या	निर्मुक्त राशि	स्थापित की सं.
केरल	1996–97	2	200	1.28	2
	1997–98	3	300	1.92	3
	2000–01	3	1674	10.16	रिपोर्ट अभी प्राप्त की जानी है
	कुल	8	2174	13.36	5

पूर्वोत्तर क्षेत्र में यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटक

2403. श्री किरीट सोमैया :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार से इन राज्यों में विदेशियों को मुफ्त आवागमन की सुविधा देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है;

(घ) इसके फलस्वरूप अर्जित कुल राजस्व कितना है; और

(ङ) सरकार द्वारा बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न राज्यों ने पर्यटन के विकास के लिए केन्द्र सरकार से प्रतिबंधित/संरक्षित क्षेत्र शासन–प्रणाली हटाने तथा इन राज्यों में विदेशियों के निर्बाध आगमन की अनुमति देने का अनुरोध किया है। उनके अनुरोध की जांच की गई तथा समुचित निर्णय लिए गए। राज्य सरकारों के आग्रह पर असम, मेघालय तथा त्रिपुरा से प्रतिबंधित क्षेत्र शासन–प्रणाली हटा ली गई हैं। संरक्षित क्षेत्र परमिट (पी ए पी) शासन–प्रणाली की हाल ही में की गई पुनरीक्षा के बाद और ढील दी गई हैं तथा विदेशियों को नागालैंड में चार अतिरिक्त जिलों की यात्रा करने की अनुमति दी गई।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले विदेशी पर्यटकों की अनुमानित संख्या निम्नानुसार है :

	1998	1999	2000
अरुणाचल प्रदेश	124	48	2750
असम	631	596	5554
मणिपुर	261	277	429
मिजोरम	126	216	235
मेघालय	1055	1971	2327
नागालैंड	116	119	124
त्रिपुरा	596	335	348

(घ) पूर्वोत्तर राज्यों से जानकारी एकत्र की जाएगी तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) अधिक पर्यटक आकर्षित करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों में विदेशों में भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से विदेशी मार्केटों में प्रचार व प्रोन्नयन शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की भागीदारिता के लिए वर्ल्ड ट्रेड मार्केट, लन्दन तथा इन्टरनेशनल टूरिस्मस बोर्स बर्लिन में भारतीय मंडप में निशुल्क बूथ प्रदान किए गए।

इसके अतिरिक्त प्रतिबंधित/संरक्षित क्षेत्र शासन प्रणाली की समय–समय पर समीक्षा की जाती है तथा सुरक्षा पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ढील दी जाती है। पर्यटकों की रुचि के अनेक स्थानों की यात्रा सक्षम प्राधिकारियों की अनुमति प्राप्त करने के बाद की जा सकती है।

[हिन्दी]

विनिवेश आयोग

2404. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व गठित विनिवेश आयोग को दो वर्ष पहले समाप्त करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नए विनिवेश आयोग में सदस्यों के क्या–क्या नाम हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) पिछली बार विनिवेश आयोग का गठन 23.08.1996 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। आयोग का कार्यकाल 30.11.1999 तक बढ़ाया गया था। आयोग ने अपना कार्यकाल 30.11.1999 को पूरा कर लिया था।

(ग) नए विनिवेश आयोग के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :

1.	डा. आर. एच. पाटिल	–	अध्यक्ष
2.	श्री एन. वी. अय्यर	–	सदस्य
3.	श्री टी. एल. शंकर	–	सदस्य
4.	डा. वी. वी. देशाई	–	सदस्य
5.	प्रो. के. एस. आर. मूर्ति	–	सदस्य

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

2405. श्रीमती निवेदिता माने : क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद के उद्भव और प्रचार का मूल कारण अल्प–विकास है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के समस्त विकास हेतु आवंटित धन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रयुक्त एवं व्यपगत धन का राज्यवार, योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) धन के न्यून–उपयोग के क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद फैलने का एक कारण अपेक्षित स्तर से कम विकास होना हो सकता है।

(ख) पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को आवंटित राशि के ब्यौरे संलगन विवरण I में दिए गए हैं। व्यपगत न होने वाले संसाधनों के केन्द्रीय पूल के ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गए हैं। पूर्वोत्तर परिषद द्वारा दी गयी धनराशि संलग्न विवरण III में दी गयी है।

(ग) निधियों के व्यपगत हो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में योजना निधियां भारत सरकार से राज्यों को स्थानान्तरित की जाती हैं। इसी प्रकार प्रस्तावों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच करने के बाद संसाधनों के केन्द्रीय पूल और पूर्वोत्तर परिषद स्कीमों के अन्तर्गत निधियों की प्रारम्भिक किस्तें जारी की जाती हैं। बाद की किस्तें राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति और उपयुक्त संवीक्षा के बाद जारी की जाती हैं।

(घ) निधियों के कम उपयोग के मुख्य कारण निम्न हैं :

(i) राज्यों की कमजोर वित्तीय स्थिति।

(ii) राज्यों द्वारा योजना निधियों प्रशासनिक व्यय के लिए उपयोग।

(iii) परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की अपर्याप्त क्षमता।

विवरण I

पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए अनुमोदित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(रु. करोड़ में)

राज्य	1998–99	1999–2000	2000–2001
अरुणाचल प्रदेश	534.82	574.17	609.50
असम	1443.13	1816.11	1586.56
मणिपुर	156.27	506.08	565.86
मेघालय	376.31	421.77	393.61
मिजोरम	335.56	384.67	401.26
नागालैंड	347.40	394.76	424.59
सिक्किम	251.52	329.92	263.51
त्रिपुरा	598.75	656.12	533.70

विवरण II

व्यपगत न होने वाले संसाधनों के केन्द्रीय पूल से राज्य–वार/वर्ष–वार जारी निधियां

(रु. करोड़ में)

राज्य	1998–99	1999–2000	2000–2001
अरुणाचल प्रदेश	15.00	19.65	43.96
असम	28.81	105.86	69.31
मणिपुर	20.34	121.67	23.85
मेघालय	8.79	3.00	32.63
मिजोरम	9.00	62.15	27.06
नागालैंड	20.01	44.08	15.91
सिक्किम	10.00	32.01	23.78
त्रिपुरा	10.00	22.50	67.08
पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए साझा	–	9.00	9.46
कुल	121.95	419.92	313.04

विवरण III

पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर परिषद द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों को आवंटित निधियों के ब्यौरे

(रु. लाखों में)

राज्य	1998–99		1999–2000		2000–2001	
	आवंटित निधियां	जारी की गयी निधियां	आवंटित निधियां	जारी की गयी निधियां	आवंटित निधियां	जारी की गयी निधियां
अरुणाचल प्रदेश	1692.00	1087.40	1308.00	1449.50	1447.95	1401.90
असम	1641.00	1689.90	2264.00	2109.76	3354.91	3401.91
मणिपुर	280.00	247.67	233.65	152.72	506.16	490.01
मेघालय	612.50	555.66	683.00	625.34	1095.30	1088.85
मिजोरम	1370.67	1161.27	1174.00	1375.97	847.78	871.53
नागालैंड	635.00	299.20	690.00	1022.70	1503.30	1492.30
त्रिपुरा	756.33	841.28	840.00	1020.70	2014.99	2014.30

[अनुवाद]

दिल्ली में प्रदूषणकारी इकाइयों का संचालन

2406. श्री रघुनाथ झा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री 17 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4420 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में 1996 में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा तैयार 'एफ' श्रेणी के उद्योगों की सूची में से प्रदूषणकारी उद्यमों को दिल्ली के रिहायशी और गैर–मंजूरशुदा क्षेत्रों में बंद कर दिया गया है। रिहायशी/गैर–मंजूरशुदा क्षेत्रों में कुछ प्रदूषणकारी यूनिटों के अभी भी चलने की संभावना मुख्यतः इसलिए हो सकती है क्योंकि उनका नाम डीपीसीसी द्वारा वर्ष 1996 में तैयार की गई सर्वेक्षण सूची में नहीं है। ऐसी यूनिटों के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उद्योग विभाग के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

वर्ष 1996 में डीपीसीसी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के अनुसार कुल लगभग 38936 यूनिटें 'एफ' श्रेणी के उद्योगों के अन्तर्गत आती थीं। कार्य योजना के पहले चरण, जो 'एफ' श्रेणी में उल्लिखित 27 प्रकार के उद्योगों तक सीमित था, में 18972 यूनिटों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 2773 यूनिटें सील की गईं (863 यूनिटें पहले सील की गई थीं)। दूसरे चरण में 3.3.2001 तक कुल 16026 उद्योगों का निरीक्षण किया गया जिसमें से 756 उद्योगों को सील किया गया। निरीक्षण/सील किए गए यूनिटों का ब्यौरा अनुबंध I और II में दिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अनुदेश दिया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिए गए आदेशों/निर्देशों को सख्ती से कार्यान्वित करे और सील की गई औद्योगिक यूनिटों का आकस्मिक निरीक्षण करे ताकि ये माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करके दोबारा चालू न हों।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के लागू करने की प्रगति की समीक्षा की थी और सील की गई औद्योगिक इकाइयों की जांच करने के लिए आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु दिशानिर्देश निर्धारित किए थे। दिल्ली सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किए गए हैं। दिल्ली के प्रभागीय आयुक्त से प्राप्त सूचना के अनुसार क्षेत्र के सबडिवीजनल मजिस्ट्रेटों तथा उप–आयुक्तों ने बंद की गई 1253 इकाइयों का आकस्मिक निरीक्षण किया है और पाया है कि 7 इकाइयों ने पुनः कार्य करना शुरू कर दिया था। उन पर मुकदमा चलाया गया है। इसके अलावा एक सील उत्तेजित भीड़ द्वारा तोड़ दी गई पायी गई। तोड़ी गई सील के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी गई है और इकाइयां पुनः सील कर दी गईं। विश्वास नगर की इकाइयों की विशेष जांच की गई थी। आकस्मिक जांच के दौरान 8 औद्योगिक इकाइयां प्रदूषणकारी गतिविधियों में शामिल पाई गई थीं। ये इकाइयां संबंधित एसडीएम द्वारा सील कर दी गई थीं। इनमें से कुछ इकाइयां पहले खाली पायी गयीं या रिहायशी उपयोग में लायी जा रही थीं जबकि कुछ इकाइयों के नाम एफ श्रेणी की इकाइयों में अंकित थे।

दिल्ली विद्युत बोर्ड ने 160 मामलों में आकस्मिक जांच की थी। आकस्मिक जांच के दौरान सील की गई एक इकाई काम करते हुए पायी गयी थी, वह पड़ोसी इकाई से बिजली ले रही थी।

माननीय उच्चतम न्यायालय के मार्फत 283 इकाइयों के संबंध में 26 शिकायतें मिली थीं। सभी मामलों में निरीक्षण किए गए थे और यह पाया गया कि केवल 43 इकाइयां एफ श्रेणी के उद्योगों में शामिल थीं। ये सभी इकाइयां सील कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने 410 निरीक्षण किए हैं जिनके दौरान 74 इकाइयों की पहचान एफ श्रेणी में की गई थी और ये सभी अब सील की जा चुकी हैं।

अनुबंध-I

की गई कार्रवाई रिपोर्ट–एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (पहला चरण एफ (27) श्रेणियां)

जिला	सील की गई	पहले ही सील	औद्यो. कार्यकलापों की सं.	ट्रेड में परिवर्तन	रिहा. खाली	एफ 27 सूची में नहीं	मौजूदगी/ नॉन ट्रेसेबल	विविध रिकार्ड	कुल योग (निरीक्षित)
मध्य	181	73	79	155	358	204	152	11	1213
उ. दिल्ली	0	0	0	2	2	11	1	0	16
पूर्व	549	147	182	223	1266	365	570	0	3302
उ. पूर्व	257	120	131	219	1027	285	635	1	2675
उत्तर	287	100	225	283	800	341	264	29	2329
उ. पश्चिम	1070	243	460	297	1377	854	1040	101	5442
दक्षिण	56	29	54	53	195	59	93	0	539
पश्चिम	276	100	203	195	1241	351	382	0	2748
द. पश्चिम	97	51	71	37	204	71	177	0	708
कुल	2773	863	1405	1464	6470	2541	3314	142	18972

अनुबंध-II

की गई कार्रवाई रिपोर्ट : एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा 3.3.2001 तक औद्योगिक यूनिटों को बंद करना/सील करना

दिनांक	सील की गई	पहले से सील बन्द	औद्यो. कार्यशाला की सं.	ट्रेड में बदलना	गैर–मौजदूगी/ ट्रेसेबल नहीं	रिहा. खाली स्थान	कानून और व्यवस्था समस्या	एफ 33 श्रेणी की सूची में नहीं	सकल योग (निरीक्षित)	क्षेत्रा–धिकार की कमी	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.2.01	112	29	63	68	103	149	0	219	744	1	उ./प. जिला
15.2.01	73	102	57	136	92	299	0	350	1110	1	उ./प. जिला
16.2.01	95	60	69	82	236	407	0	194	1147	5	उ./प. जिला
17.2.01	1	7	0	6	12	13	0	20	60	01	उ./प. जिला
3.3.01	16	24	16	10	55	23	0	43	295	108	उ./प. जिला
कुल	297	231	195	302	498	891	0	826	3356	116	उ./प. जिला

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.2.01	34	12	71	109	137	401	0	51	809	24	प. जिला
18.2.01	40	34	64	135	387	449	0	148	1271	14	प. जिला
19.2.01	14	5	16	67	94	248	00	37	481	0	प. जिला
3.3.01	1	0	0	3	5	5	0	10	31	7	प. जिला
कुल	89	51	151	314	623	1103	0	246	2622	45	प. जिला
17.2.01	23	07	11	35	44	55	0	36	216	05	द.प. जिला
18.2.01	14	6	10	31	18	54	0	45	218	0	द.प. जिला
कुल	37	13	21	66	62	109	0	81	434	05	द.प. जिला
19.2.01	10	6	34	38	26	47	0	91	252	0	उ. जिला
20.2.01	34	18	79	154	56	143	0	405	889	0	उ. जिला
22.2.01	19	10	64	183	74	108	1	307	772	0	उ. जिला
27.2.01	0	0	1	0	1	1	0	2	5	0	उ. जिला
3.3.01	22	6	10	5	3	24	0	21	99	8	उ. जिला
कुल	85	46	188	380	160	323	1	828	2017	8	उ. जिला
19.2.01	9	10	36	137	65	108	1	270	636	0	म. जिला
20.2.01	11	11	53	115	53	72	0	216	531	0	म. जिला
2.3.01	1	6	0	15	9	27	0	40	98	0	म. जिला
कुल	21	27	89	267	128	207	1	526	1265	0	म. जिला
22.2.01	30	8	14	109	73	181	0	49	444	0	द. जिला
23.2.01	1	0	0	1	0	0	00	1	3	0	द. जिला
कुल	31	8	14	110	73	181	0	50	447	0	द. जिला
23.2.01	77	141	95	166	231	551	0	373	1635	1	पू. जिला
24.2.01	30	30	68	145	122	278	0	574	1247	0	पू. जिला
कुल	107	171	163	311	353	829	0	947	2882	1	पू. जिला
26.2.01	54	53	83	135	278	392	0	524	1538	14	उ.पू. जिला

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.2.01	34	53	68	141	264	382	0	471	1428	15	उ.पू. जिला
1.3.01	1	1	0	1	7	3	00	2	15	0	उ.पू. जिला
कुल	89	107	151	277	549	782	0	997	2981	29	उ.पू. जिला
27.2.01	0	0	0	3	1	0	0	18	22	0	न.दि. जिला
कुल	0	0	0	3	1	0	0	18	22	0	न.दि. जिला
सकल योग	756	654	972	2030	2487	4405	1	4517	16026	204	उ. प.+प.+द. प.+उ.+मध्य+ द.+पू.+उ.पू.+ नई दिल्ली

*मंजूरशुदा क्षेत्र/उसी एकक में क्षेत्राधिकार की कमी। बची हुई एककों और संदेहास्पद एककों के बारे में जानकारी अभी जिलों से प्राप्त होनी है।

[हिन्दी]

भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति और विकास

2407. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित विभिन्न भाषाओं की प्रोन्नति और विकास हेतु विभिन्न अभिकरण स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे भाषाएं कौन–कौन सी हैं जिनके संबंध में ऐसे अभिकरणों का गठन अब तक नहीं किया गया है;

(घ) इसके क्या कारण हैं;

(ङ) आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की प्रोन्नति/विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान इन भाषाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (छ) सरकार ने संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के संवर्धन तथा विकास के लिए विभिन्न संस्थाओं का गठन किया है। ये संस्थाएं इस प्रकार हैं :

(i) हिन्दी के संवर्धन के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा,

(ii) उर्दू भाषा के विकास के लिए राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद तथा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय,

(iii) सिन्धी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सिन्धी भाषा संवर्धन परिषद,

(iv) सभी भारतीय भाषाओं में अनुसंधान तथा विकास के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान,

(v) विभिन्न भारतीय भाषाओं में तकनीकी तथा वैज्ञानिक शब्दों के विकास के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, और

(vi) संस्कृत के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ।

सामान्यतया भाषा संस्थाएं, स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान करती हैं, शब्दकोशों, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को प्रकाशित

करती हैं, सेमिनारों, कार्यशालाओं तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों का आयोजन करती हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित करती हैं, पुरस्कार प्रदान करती हैं, आदि।

इसके अलावा, भाषाओं के संवर्धन तथा विकास की जिम्मेदारी संबंधित विभिन्न राज्य सरकारों की भी है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भाषा प्रोन्नयन परिषद का गठन करने का भी निर्णय लिया है। अध्येताओं तथा विशेषज्ञों का यह शीर्ष सलाहकार निकाय सभी भारतीय भाषाओं के संवर्धन तथा विकास के संबंध में सरकार को सलाह देगा।

वर्तमान पंचवर्षीय योजना में उपर्युक्त संस्थाओं का बजट आवंटन तथा व्यय का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

वर्तमान योजना में भाषाओं के प्रोन्नयन और विकास में संलग्न संस्थाओं को बजटीय आवंटन तथा व्यय का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	संस्थाओं के नाम		1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	20001–02 (आज की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	केन्द्रीय हिन्दी	बी.ई.	460.00	460.00	400.00	500.00	450.00
	निदेशालय	व्यय	267.00	380.37	393.88	487.00	129.55
2.	केन्द्रीय हिन्दी	बी.ई.	200.00	200.00	200.00	350.00	425.00
	संस्थान	व्यय	192.00	150.00	226.00	385.00	206.25
3.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा	बी.ई.	227.00	300.00	410.00	500.00	800.00
	संवर्धन परिषद	व्यय	224.00	290.00	435.00	550.00	550.00
4.	मौलाना आजाद	बी.ई.	100.00	200.00	400.00	400.00	700.00
	राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	व्यय	31.10.2001 तक किया गया योजनागत व्यय 10.81 करोड़ रुपये है।				
5.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा	बी.ई.	80.00	80.00	80.00	40.00	40.00
	संवर्धन परिषद	व्यय	8.00	26.00	34.67	10.00	15.00
6.	केन्द्रीय भारतीय	बी.ई.	125.00	130.00	130.00	400.00	500.00
	भाषा संस्थान (आर.एल.सी. सहित)	व्यय	101.01	124.87	183.42	391.84	171.46
7.	वैज्ञानिक तथा	बी.ई.	65.00	65.00	70.00	150.00	180.00
	तकनीकी शब्दावली आयोग	व्यय	59.00	59.00	71.57	157.26	32.99
8.	राष्ट्रीय संस्कृत	बी.ई.	1123.00	895.00	900.00	900.00	1257.00
	संस्थान	व्यय	432.00	537.39	900.00	900.00	864.25

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	लाल बहादुर शास्त्री	बी.ई.	196.00	257.00	360.00	472.00	481.00
	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय	व्यय	184.00	325.00	340.00	390.00	290.00
10.	राष्ट्रीय संस्कृत	बी.ई.	88.41	240.27	260.78	225.53	245.33
	विद्यापीठ, तिरूपति	व्यय	120.00	196.63	290.84	209.13	158.00

[अनुवाद]

सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग

2408. श्री बृजलाल खाबरी : क्या **महासागर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके विभाग के अंतर्गत I, II श्रेणी तथा समकक्ष श्रेणियों में पदों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 में निहित अनुदेशों के मद्देनजर पता लगाए गए उक्त पदों का अलग–अलग प्रतिशत कितना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) श्रेणी I एवं II का वर्गीकरण मौजूद नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड का विनिवेश

2409. श्री किरीट सोमैया :
श्री बहादुर सिंह :
श्री वाई. वी. राव :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के दो तेल उपक्रमों–भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम में सरकार के शेयर की बिक्री के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनके विनिवेश के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश एक सतत प्रक्रिया है। सरकार समय–समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों में विनिवेश प्रस्तावों पर विचार करती रहती है। प्रस्तावों पर अंतर–मंत्रालय परामर्शों के माध्यम से विचार किया जाता है और तब अन्तिम निर्णय लिए जाते हैं। एच. पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. में सरकारी इक्विटी के विनिवेश के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए किसी समय सीमा का संकेत नहीं दिया जा सकता है।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

2410. श्री बृजलाल खाबरी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अन्तर्गत 1, जनवरी 1996 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन प्रथम श्रेणी (समूह–क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल 10.68 प्रतिशत है (अनुसूचित जातियां–08.41 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां–2.27 प्रतिशत) हैं और द्वितीय श्रेणी (समूह–ख) में यह प्रतिनिधित्व केवल 13.20 प्रतिशत है (अनुसूचित जातियां–09.68 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां–3.52 प्रतिशत) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5 प्रतिशत

(अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत) है;

(ख) यदि हां, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों/उद्यमों, संवैधानिक संगठनों/निगमों स्वायत्त संगठनों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में (i) प्रथम श्रेणी (समूह–क) (ii) द्वितीय श्रेणी (समूह–ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार इन पदों पर (i) सामान्य, (ii) अनुसूचित जातियों, (iii) अनुसूचित जनजातियों, (iv) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना–कितना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, पुनालुर के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, पुनालुर का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4520/2001]

(2) (एक) रिपैट्रीएट्स को–ऑपरेटिव फाइनान्स एण्ड डेवलपमेंट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिपैट्रीएट्स को–ऑपरेटिव फाइनान्स एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4521/2001]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : महोदय, मैं लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) लक्षद्वीप पंचायत (सहायता अनुदान) (संशोधन) नियम, 2000 जो 14 सितम्बर, 2000 के लक्षद्वीप के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 4/4/95–डीओपी में प्रकाशित हुए थे।

(2) लक्षद्वीप पंचायत कारबार (संशोधन) नियम, 2000 जो 26 अगस्त, 2000 के लक्षद्वीप के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 5/7/95–डीओपी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4522/2001]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण कीसरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4523/2001]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : अध्यक्ष महोदय, मैं दहेज प्रतिबेध अधिनियम, 1961 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत दादरा और नगर हवेली दहेज प्रतिबेध नियम, 1999 जो 30 जून, 2001 के दादरा और नगर हवेली के राजपत्र में अधिसूचना सं. एडीएम/एसडब्ल्यूडी/एमएस/डीए/97/626 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4524/2001]

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, वड़ोदरा के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, वड़ोदरा का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4525/2001]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4526/2001]

(3) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4527/2001]

(5) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 1999-2000 की वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4528/2001]

(7) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4529/2001]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 3 दिसम्बर, 2001 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 29 नवम्बर, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) निरसन विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 3 दिसम्बर, 2001 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 नवम्बर, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(पांच) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (इंडिया) निधि अंतरण (निरसन) विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं राज्य द्वारा 3 दिसम्बर, 2001 को यथापारित तीन विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :

(i) भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2001,

(ii) चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) निरसन विधेयक, 2001 और

(iii) सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (इंडिया) निधि अंतरण (निरसन) विधेयक, 2001।

अपराह्न 12.03 बजे

[हिन्दी]

लोक लेखा समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : अध्यक्ष महोदय, मैं "मैसर्स पिलकॉम का मामला" के बारे में लोक लेखा समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

बानवेवां, तिरानवेवां, चौरानवेवां और पचानवेवां प्रतिवेदन

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक (मथुरापुर) : महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2001–2002) के बारे में इक्यानवेवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर अंतरिक्ष विभाग द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी बानवेवां प्रतिवेदन।

(2) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2001–2002) के बारे में सतासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी तिरानवेवां प्रतिवेदन।

(3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2001–2002) के बारे में छियासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी चौरानवेवां प्रतिवेदन।

(4) जैव विविधता विधेयक, 2000 के बारे में पिचानवेवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

याचिका का प्रस्तुतीकरण

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई, उत्तर-पूर्व) : महोदय, मैं गोवाण्डी रेलवे स्टेशन, मुम्बई में यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में मुम्बई के श्री सूरज मोहन सायरे और अन्य लोगों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी कालिंग अटेंशन होना है, उसके बाद जीरो ऑवर होगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष जी, मेरा बहुत महत्वपूर्ण मामला है, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। अभी जीरो ऑवर नहीं है। कालिंग अटेंशन होने के बाद लेंगे।

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली, सदर) : अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि मुझे बुलाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : जीरो ऑवर बाद में लेंगे।

अपराह्न 12.06 बजे

[अनुवाद]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बांग्लादेश से भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का आगमन

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें :

"भारत में बांग्लादेश से धार्मिक अल्पसंख्यकों के आगमन से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में।"

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : बांग्लादेश में संसद के चुनाव अक्तूबर, 2001 में हुए थे। बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बी.एन.पी. गठबंधन) इन चुनावों में सत्ता में आई।

बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद, बांग्लादेश में, विशेष रूप से बी.एन.पी./जमाते–ए–इस्लामी (जे.ई.आई.) के समर्थकों/कार्यकर्ताओं द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में (ढाका में भारतीय उच्च आयोग, बांग्लादेश में मिडिया की रिपोर्टों के साथ–साथ मंत्रिमंडल सचिवालय के माध्यम से विदेश मंत्रालय में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार) रिपोर्टें हैं। इस प्रकार की घटनाएं, विशेष रूप से दुर्गा–पूजा त्योहार के दौरान देखी गयीं जब अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर हमले, मंदिरों और पूजा पंडालों को क्षति, उत्सव में व्यवधन पैदा करने, मूर्तियों की तोड़फोड़ इत्यादि की वारदातें सूचित की गयीं। इन घटनाओं, विशेष रूप से मार–पीट और छेड़खानी से उस देश में अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है। बाद में, बांग्लादेश से अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के भारत में आगमन के बारे में विभिन्न स्रोतों से रिपोर्टें मिली हैं।

इस कारण बांग्लादेश से अल्पसंख्यक समुदाय का बड़े पैमाने पर आगमन ध्यान में नहीं आया है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद इस प्रकार के उत्पीड़न के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 1000 व्यक्तियों ने सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया है।

भारत सरकार ने पिछले कुछ महीनों में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के प्रति इस प्रकार की हिंसा की रिपोर्टों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, जिन्होंने 26/27–10–2001 को ढाका का दौरा किया, इस मामले को बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश की प्रधान मंत्री के साथ भी उठाया। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त ने इस मामले को ढाका सरकार में अपने प्रतिपक्षी के साथ भी उठाया है।

ऐसी बातचीत के दौरान, बांग्लादेश सरकार ने सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है तथा स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनकी सुरक्षा के लिए और उनके प्रति हिंसा करने वालों को दंडित करने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऐसी घटनाओं को आपराधिक तत्वों का काम बताया है। बांग्लादेश की प्रधान मंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के साथियों को दुर्गा पूजा समारोह में भाग लेने तथा पूजा पंडालों में जाने के निर्देश दिए थे ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति सरकार का समर्थन प्रदर्शित किया जा सके। बांग्लादेश की सरकार ने प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में, इन हमलों की जांच करने के लिए, एक विशेष समिति भी गठित की है।

भारत सरकार स्थिति का निरंतर प्रबोधन कर रही है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बांग्लादेश अपने आश्वासनों को निभाए, सरकारी राजनयिक चैनलों से सभी प्रयास किए जाएंगे। जहां तक भारत में प्रवेश कर गए अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों का संबंध है, भारत सरकार, उन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, जिनमें उन्होंने पलायन किया है, उनके साथ सहानुभूति और सूझ–बूझ के साथ निपटेगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो दलगत भेदभाव से ऊपर उठकर सभा के सदस्यों के मस्तिष्कों को विगत कुछेक वर्षों से उद्वेलित कर रहा है। मीडिया में इस मामले की अच्छी–खासी रिपोर्टिंग हुई है और बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस विषय पर अपनी चिंता भी प्रकट की है।

महोदय, भारत और बांग्लादेश, इन दोनों राष्ट्रों के बीच हमारे विचित्र संबंध और बंधन हैं। ये दोनों राष्ट्र ही दोनों महान कवियों गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर और काज़ी नज़रूल इस्लाम को धर्मनिरपेक्षता का इष्टदेव मानते हैं। यह तो बड़ा सौभाग्य ही है कि विश्व के इतिहास में हमारे ये दोनों राष्ट्र गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान ही गाते हैं। ऐसे माहौल में बांग्लादेश के विशाल जनसमूह ने स्थायी पड़ौसी संबंध बनाए रखने के लिए अपनी आजादी की जंग से लेकर आज तक धर्मनिरपेक्षता का वरण किया हुआ है और चाहे कुछ भी हो वे हम पर आशा लगाए रहते हैं और हम उन पर आशा लगाए रहते हैं।

महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दो अवसरों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। पहले 1992 में और दुबारा अब। हमने यह देखा है कि बांग्लादेश में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई है। यह एक नयी बात नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अपने कथन में यह कहा है कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय को प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ढाका में भारतीय उच्चायोग तथा अन्य रिपोर्टों के अनुसार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के उत्पीड़न की घटनाएं विशेषकर बी.एन.पी. और जमात–ए–इस्लामी के समर्थकों और संवर्गों द्वारा की गयी हैं। जबकि बांग्लादेश सरकार के साथ हुई बातचीत के दौरान यह सूचना मिली है कि ये घटनाएं अपराधी तत्वों का कारनामा है। अब मैं इस विषय पर बहस नहीं करना चाहता। लेकिन भारत सरकार को आज इस विषय पर विस्तारपूर्वक संसद को जानकारी देनी चाहिए थी। यदि यह कार्य अपराधियों का था तो क्या बांग्लादेश सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने, उन्हें गिरफ्तार करने, उन्हें दंडित करने, और उन पर मुकदमा चलाने के लिए इस बारे में कोई संज्ञान लिया था? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री जी इस बात से अवगत होंगे कि एक महान मुस्लिम बुद्धिजीवी शहयार कबीर जिसने बांग्लादेश में हिन्दू अल्पसंख्यकों की रक्षा की थी और बांग्लादेश की आजादी की जंग में भी भाग लिया था, बांग्लादेश में हिन्दू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मुद्दे को उठाया था। दूसरे ही दिन उसे जेल में डाल दिया गया था। उसके विरोध में विश्व भारती के पूर्व कुलपति, डॉ. अम्लान दत्ता ने एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की और यह कहते हुए अपनी चिंता प्रकट की कि यदि शहयार कबीर जैसा मानवाधिकारवादी कार्यकर्त्ता, जो अल्पसंख्यकों के हितों का समर्थन कर रहा था, को हिरासत में रखा जा सकता है तो फिर इन दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को कैसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है?

महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी के सामने कुछ प्रश्न प्रस्तुत करना चाहूंगा। यह किसी दल का मुद्दा नहीं है। जब पाकिस्तान का याहया खान बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों पर जुल्म ढा रहा था तो भारत की जनता ने वर्ष 1971 में अपनी इच्छा जता दी थी। चाहे हिन्दू रहे हों या मुसलमान, एक नहीं बल्कि दस मिलियन लोग याहया खान के हाथों शिकार हुए थे। जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं तो बहुत से लोग भागकर भारत आ गए और भारत में विभिन्न मत रखने वाले लोगों ने दलगत भेदभाव भूलकर इन लोगों को सहारा दिया, जो याहया खान शासन के शिकार हुए लोगों के रूप में आए थे। उनमें से कुछ बांग्लादेश वापस चले गए और उनमें से कुछ भारत में बस गए। हमारा देश इतना उदार था कि उसने प्रत्येक बांग्लादेशी को शरण दी। यद्यपि दुर्भाग्यवश, बांग्लादेशी के नाम पर कुछ लोगों को अब भी यहां पर भी और वहां पर भी प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं इस विषय को यहां लाना नहीं चाहूंगा। मेरे प्रश्न सीधे और स्पष्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया केवल एक ही विशिष्ट प्रश्न करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, कृपया इस विषय को तकनीकी रूप तक ही सीमित न करें। आप यह मानेंगे कि इस मुद्दे के निहित प्रभाव हैं। दूसरे दिन, 'शून्य काल' के दौरान भा.ज.पा. के प्रतिष्ठित चीफ व्हिप और सत्ता पक्ष के एक सदस्य प्रो. रासासिंह रावत ने कतिपय घटनाओं का उल्लेख किया था। विभिन्न कारणों से मैं उन घटनाओं का उल्लेख यहां नहीं करूंगा। माननीय मंत्री जी का कथन यह था कि केवल एक हजार लोग सीमा पार से आए और उत्पीड़न की सूचना मिली है। लेकिन उत्पीड़न किस प्रकार का था इसका ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया। लगता है कि सभा में हमने जो सूचना दी है वह सत्य नहीं है और सरकार की सूचना सही है। मैं इस बात को इसी दृष्टि से देखता हूं। मेरा प्रश्न बहुत ही सीधा है।

मेरा प्रश्न बहुत ही सीधा है। क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि दिनांक 26–27 अक्तूबर को श्री मिश्रा जी की ढाका यात्रा के दौरान मालदा जिले के निकट राजशाही में उत्तर दीनाजपुर जिले के निकट ठाकुरगाह में और चटगांव में दिन के समय सात मन्दिरों को लूटा गया और पुलिस एक भी शिकायत दर्ज नहीं कर पायी? इसके बावजूद, सरकार आश्वासन दे रही है। इसलिए, क्या मंत्री जी, इस मामले को प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार श्री मिश्रा के हाथों में छोड़ने के स्थान पर संसद को यह आश्वासन देंगे कि बांग्लादेश सरकार प्रमुख के साथ स्वयं प्रधानमंत्री जी पर यह सुनिश्चित करने के लिए यह मुद्दा उठाएंगे कि इस प्रकार की ऐसी घटनाएं और नहीं होंगी, दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और इस कारण सीमा पर हुए तनाव को कम किया जाएगा?

दूसरी बात यह है कि क्या गृह मंत्री जी सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संयम में कार्य करने को कहेंगे? उत्तर दीनाजपुर जिले में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निकट गाहौर नाम का एक गांव है, जिसमें एक परिवार जिसमें एक बच्चा, एक मां, एक पिता और एक भाई शामिल था, रात में 9.30 बजे सीमा क्षेत्र से भाग रहे थे कि उन्हें सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बिना चेतावनी दिए और बिना गिरफ्तार किए गोली मार दी। उनमें से एक तो घटनास्थल पर ही मर गया और दूसरे ने जिसकी स्थिति गंभीर थी, बाद में दम तोड़ दिया। इससे क्षेत्र में तनाव फैल गया। मैं राज्य सरकार एजेंसियों के प्रति कृतज्ञ हूं। जिले के डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने, जो एक मुसलमान हैं, वहां पर सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने और शांति बहाल करने हेतु अपने सभी प्रयास किए। मैं तो यह कहूंगा कि भारत में इसी गांव के मुसलमान लोगों ने ही सीमा पार करने वाले लोगों को देखा है। अब भी अस्पताल को उनकी सूचना नहीं दी जाती है। यही एक विचित्र बात है जो भारत में ही हो सकती है। यह भारत की धर्मनिरपेक्षता की शक्ति है। फिर भी, यदि इसी तरह से घटनाएं होती रहीं और सीमा सुरक्षा बल के जवान उनके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करते रहे तो यह उचित न होगा। सरकार द्वारा उन्हें व्यापक जानकारी और आदेश दिए जाने चाहिए।

इसीलिए, क्या गृह मंत्री जी इस संबंध में सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भली प्रकार से आदेश देंगे और प्रधानमंत्री जी से यह मामला बांग्लादेश सरकार की बेगम खालिदा जिया के साथ उठाने के लिए कहेंगे? उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब तक यहां आ चुके लोग स्वयं को सुरक्षित अनुभव नहीं करते तब तक वे वापस जाने के लिए मजबूर न किए जाएं। मंत्री जी को राज्य सरकार के साथ परामर्श करके यह देखना चाहिए कि भारत में उन्हें कैसे बसाया जा सकता है।

मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री जी न केवल बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बना रहे और इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भड़काव और उकसाव न हो, इस विषय को सर्वाधिक महत्व प्रदान करेंगे। क्या गृह मंत्री जी ढाका के लिए, यदि उन पर दबाव डाला जाए तो

बांग्लादेश सरकार को इस बात के लिए मनाने के लिए एक सदेच्छा शिष्टमंडल भेजने पर विचार करेंगे कि ऐसी बातों को और नहीं सहा जाएगा। एक ओर आप जमात–ए–इस्लामी कहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी जी, आप अन्य सदस्यों को बोलने नहीं दे रहे हैं। यह सब क्या है? आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको नियमों का पालन करना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इसीलिए मैं गृह मंत्री जी से इस विषय को सर्वाधिक महत्व प्रदान करने और मेरे प्रश्न का उत्तर देने का आग्रह करूंगा।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, माननीय गृह मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य से यह स्पष्ट रूप से विदित होता है कि वह स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि बांग्लादेश में हाल ही में हुए चुनावों से उस देश के राजनैतिक माहौल में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। चुनावों के चलते तीन मुख्य चीजें उभरकर आई हैं। पहली, अतिवादी शक्तियों को बल मिल रहा है और अवामी लीग और धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार करने की नयी शक्ति उन्हें प्राप्त हो रही है। दूसरी, बी.डी.आर. सहित सेना ने सकारात्मक भूमिका अपनाना आरंभ कर दिया है। तीसरी, पूर्वोत्तर के अतिवादी समूहों को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकट कैम्प स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

जमात–ए–इस्लामी और इस्लामिक ऐक्य जोत, दोनों ही सबसे बदनाम कट्टर समूह हैं, जो बी.एन.पी. नेतृत्व वाली सरकार के घटक हैं, ने उस देश के राजनैतिक माहौल को पहले ही साम्प्रदायिक रंग प्रदान कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप वहां के अल्पसंख्यक समुदाय कोपभाजन बन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी जी, आपको स्पष्टीकरण मांगना होगा।

श्री अधीर चौधरी : निर्मम हत्याएं, हिंसक प्रहार, बलात्कार और सभी प्रकार की लूट–खसोट की जा रही है।

इसीलिए, क्या मैं भारत सरकार से यह पूछ सकता हूं कि क्या इन धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो भय और निराशा के मारे इस देश में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें घुसपैठिये माना जाएगा अथवा शरणार्थी।

महोदय, यहां बताए गए शरणार्थियों की संख्या सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी श्री कताती द्वारा प्रदत्त आंकड़ों से भिन्न है। तो फिर शरणार्थियों की सही संख्या क्या है? कुछ दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अब तक केवल 652 शरणार्थी घुसे हैं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों ही पहले ही प्रवेश कर चुके शरणार्थियों की सही–सही संख्या बताने में मौन साधे हुए हैं।

महोदय, यह कहते हुए मुझे दुःख हो रहा है कि अपने देश से भागने के लिए जो अभागे अल्पसंख्यक बाध्य हैं उनके सामने एक तरफ खाई तो दूसरी ओर कुआं है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, उनके सामने एक तरफ खाई तो दूसरी ओर कुआं है।

एक ओर उन्हें अतिवादी तत्वों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है तो दूसरी ओर बांग्लादेश सीमा के निकट, सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक एक भयानक स्वप्न बन गए हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी जी, यह वाद–विवाद नहीं है। कृपया आप प्रश्न करें।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, वे शरणार्थी जो गुप्त रूप से भारत में घुस आए हैं वे यहां अपने सगे–संबंधियों और मित्रों के साथ रह रहे हैं। क्या मैं भारत सरकार से यह जान सकता हूं कि उन शरणार्थियों को आश्रय देने और उनका आगे पुनर्वास करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सहायता की कोई मांग की है?

और साथ ही, क्या भारत सरकार ने अब तक उन शरणार्थियों से अपनी पहचान का खुलासा करने के लिए कहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? आपको केवल स्पष्टीकरण मांगना है।

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, कृपया मुझे संक्षेप में कहने दिया जाए।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार द्वारा इस संबंध में किसी कूटनीतिक प्रयास पर विचार किया जा रहा है?

मैं इन्हीं बातों पर स्पष्टीकरण चाह रहा हूं। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इन्हें विस्तार से स्पष्ट करे।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है...

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई, दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वे यह बताएं कि बांग्लादेश में हिन्दू महिलाओं पर अत्याचार किया गया है, बलात्कार किया गया है जिसके बारे में वहां के कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दी है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए यद्यपि नियम इसकी इजाजत नहीं देते हैं, फिर भी मैं इस विषय पर स्पष्टीकरण चाहने वाले कुछ सदस्यों को बोलने की अनुमति देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी ...*(व्यवधान)*

श्री नागमणि (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर कब शुरू करेंगे? हमारे बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है।

अध्यक्ष महोदय : कॉलिंग अटेंशन के बाद जीरो ऑवर शुरू करेंगे।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। नियमों में एक विशिष्ट युक्ति का प्रावधान किया गया है और हम निश्चित रूप से डा. विजय कुमार मल्होत्रा को सुनना चाहेंगे क्योंकि वे बहुत अच्छी बात बताते हैं। पर, जब हम इस युक्ति का प्रयोग निमयों के विरुद्ध करते हैं, तो इस पर सत्ता और विपक्ष दोनों ही तरफ के सदस्य टीका–टिप्पणी करने लगते हैं।

अतः मेरा अनुरोध है कि आगे यदि कोई व्यक्ति स्पष्टीकरण जानना चाहे, तो वे इसके लिए पर्ची भरकर दें।

अब श्री सोमनाथ चटर्जी भी स्पष्टीकरण जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज वि. पाटील, केवल विशेष परिस्थिति में मैं कुछ सदस्यों को अनुमति दे रहा हूं। मुझे हस्ताक्षरयुक्त पर्ची भी मिली थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ सदस्यों ने हस्ताक्षरयुक्त पर्चियां दी हैं। इसीलिए मैंने बताया कि इस विशेष परिस्थिति में केवल कुछ ही सदस्य स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूं? मैं आप पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। आप किसी को भी बोलने की अनुमति दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक विशेष मामले के रूप में मैं कुछ ही सदस्यों को अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि विषय महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विशेष परिस्थिति में मैं संक्षेप में स्पष्टीकरण जानने के लिए कुछ सदस्यों को अनुमति दे रहा हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील : किन्तु केवल वे ही सदस्य स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं, जिन्होंने पर्ची भरकर दी हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे दो–तीन पर्चियां मिली हैं। इसलिए मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील : इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि केवल उन्हीं सदस्यों को अनुमति दी जाए जिन्होंने पर्चियां हस्ताक्षर करके दी हैं। अन्यथा इसकी सार्थकता शिथिल पड़ जाएगी। और उन सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिल सकेगा...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : केवल विशेष परिस्थिति में मैं कुछ सदस्यों को अनुमति दे रहा हूं। उन्होंने पर्चियां दी थीं। मैं उन लोगों का नाम केवल संक्षेप में स्पष्टीकरण जानने के लिए पुकार रहा हूं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक विशिष्ट प्रावधान है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं डा. मल्होत्रा का नाम पुकार चुका हूं। बाद में आप भी स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, बांग्लादेश की सरकार ने जो कुछ कहा, गृह मंत्री जी ने उसका उल्लेख किया। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास अपनी इंटेलीजेंस एजेंसी से यह सूचना है कि वहां कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है? वहां आठ वर्ष से लेकर अस्सी वर्ष तक की महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, क्या उनके पास इस बात की सूचना है? उन्होंने कहा कि एक हजार व्यक्ति आए लेकिन लोग बता रहे हैं कि एक लाख से ऊपर शरणार्थी भारत में आए हैं। क्या उनके पास इसकी सूचना है? क्या शरणार्थियों के आने के सही आंकड़े लोग इसलिए नहीं बता रहे हैं कि कहीं उनको वापिस न भेज दिया जाए? क्या वहां ट्रांजिट कैम्प या रिफ्यूजी कैम्प खोलने के लिए भारत सरकार वेस्ट बंगाल सरकार को पूरी मदद देगी? वहां जो ऐनिमी एक्ट है, जिसके अंतर्गत सब लोगों की प्रापर्टी जब्त कर ली गई है। क्या गृह मंत्री चाहेंगे कि बांग्लादेश सरकार से कहा जाए कि ऐनिमी एक्ट को रिपील करे। क्या बार्डर सिक्युरिटी फोर्स को डायरेक्शन देंगे कि वहां आने वाले लोगों में इनफिलट्रेटर्स और शरणार्थी दोनों में भेद किया जाए और वहां शरणार्थियों को पूरी प्रोटेक्शन दी जाए? बांग्लादेश में जो भयंकर अत्याचार हुए हैं, क्या सरकार इस मसले को इंटरनेशनल फोरम और ऐसी सभी जगह और बांग्लादेश सरकार से उठाने का विचार कर रही है जिससे कि वहां ज्यादा सख्त कार्यवाही की जाए?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सोमनाथ चटर्जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं अभी बोल नहीं सकता। मेरा गला खराब हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : तो अब श्री बसुदेव आचार्य। केवल स्पष्टीकरण की बात होनी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हमने यही सवाल सदन में उठाया था। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनल पार्टी के सत्ता में आने के बाद वहां कुछ घटनाएं घटी हैं। हमारा कहना था कि भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत की पहल करनी चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ने न पाएं।

मैं भारत सरकार से यह जानना चाहता हूं कि दोनों देशों के बीच अच्छे पड़ोसी के संबंध बिगड़ने न पाएं, इसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। क्या भारत सरकार ने इस मामले को बांग्लादेश सरकार के साथ उच्च स्तर पर उठाने के लिए पहल की है?

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोलकाता में उप उच्चायुक्त ने यह आश्वासन दिया है कि जो लोग यहां आए हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा?

यही दो बातें हैं जिन पर मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता, उत्तर-पश्चिम) : महोदय, बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद वहां रह रहे अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों के साथ शरणार्थियों या निर्वासित लोगों जैसा व्यवहार किया जा रहा है?

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : वहां जिस तरह महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, कोर्ट ने वर्डिक्ट भी दी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री मोहन रावले : हिन्दू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, कहने के लिए उन्हें माइनोरिटीज कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में माननीय गृह मंत्री के भाषण को छोड़कर कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष जी, विगत महीनों में बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यक, अर्थात हिन्दुओं पर जिस प्रकार के अत्याचार हुए हैं, उनके जो भी समाचार मिले हैं, वे निश्चित रूप से मन में वेदना पैदा करते हैं और इसीलिए सरकार अपने को, जिन–जिन माननीय सदस्यों ने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपने विचार रखे हैं, उनकी वेदना के साथ और देश की व्यथा के साथ अपने को संबद्ध करती है।

इसीलिए मैंने कहा कि

[अनुवाद]

इससे इन रिपोर्टों पर गहरी चिन्ता जाहिर होती है।

[हिन्दी]

प्रियरंजन दासमुंशी जी ने जो स्पेसिफिक सवाल पूछे हैं, उसमें दो सुझाव हैं कि एक गुडविल डेलीगेशन ढाका भेजा जाए और दूसरा कि प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने जाकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बात की, वे स्वयं भी अगर प्रधानमंत्री से बात करेंगे तो वह हाईएस्ट लेविल पर लिया जाएगा। इन सुझावों के बारे में सरकार विचार करेगी।

बी.एस.एफ. के जवानों के बारे में मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उनको समझना चाहिए कि आज की स्थिति, आज से छः महीने पहले की स्थिति और साल भर पहले की स्थिति अलग है। एक समय था, जब बी.एस.एफ. के जो जवान सीमा पर तैनात थे, उनका प्रमुख दायित्व था कि इल्लीगल माइग्रेशन को रोका जाए, जो इल्लीगल माइग्रेशन लगातार होता है, उसको न होने दिया जाए। लेकिन इन दिनों में, खासकर इन अत्याचारों के कारण जो लोग वहां से आ रहे हैं, उनके प्रति एक दूसरा रवैया होना चाहिए। इसमें कभी–कभी जो दोष हुए हैं, उसके कारण ज्यादतियां भी हुई हैं, उसका कोई डिफेंस नहीं हो सकता। वहां पर कुछ स्थानों पर कार्रवाई भी की गई है। जहां पर गोली चली है, वह तो गलती से चली, रात के समय चली, जब वे पहचान नहीं पाए थे, लेकिन कुल मिलाकर जैसा मैंने कहा कि इस समय जो लोग वहां से आ रहे हैं, मैं उसकी टेक्नेकलिटी में नहीं जाता हूं कि माइग्रेंट्स हैं या रिफ्यूजीज हैं, लेकिन जैसा अपने वक्तव्य के अंत में मैंने कहा है कि :

[अनुवाद]

"जिन परिस्थितियों में उन उन लोगों ने पलायन किया है, उन्हें ध्यान में रखकर भारत सरकार हर संभव सहानुभूति और सूझबूझ से, जिसके वे लोग पात्र हैं, इस समस्या से निपटेगी।"

[हिन्दी]

और यह सरकार के सभी अधिकारियों को एप्लाई करता है, बी.एस.एफ. को भी एप्लाई करता है।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी : मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। सीमा सुरक्षा बल के लोग आज भी गोलीबारी कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह क्या है?

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : यही कोई परसों किसी जिले में बीएसएफ की गोली से एक व्यक्ति मारा गया है।...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर हमारा मतभेद है। इस मामले में पूरी सभा एक है।

[हिन्दी]

इतना आपको पहचानना चाहिए कि जब हम सरकार में बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से यह चाहेंगे कि आखिर बांग्लादेश वैसा देश नहीं है, वहां सरकारें बदली होने के बाद भी उनका रवैया वैसा नहीं है, जैसा रवैया हमारे पश्चिम के पड़ोसी का है। इसलिए हमें यह कोशिश करनी होगी कि इस प्रकार का अत्याचार खत्म हो, बन्द हो। लेकिन साथ–साथ भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मैत्री संबंध हैं, वे भी बने रहें और यह जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण के कारण मैं शायद सब बातें नहीं कह सकता हूं, जो आप कह सकते हैं, जो पत्रकार कह सकते हैं, जो देश की पोलिटिकल पार्टीज कह सकती हैं। मुझे कभी–कभी इस बात पर ताज्जुब होता है कि अगर कोई दूसरी बात होती तो शायद देश भर में बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिखते, लेकिन मुझे बांग्लादेश के पत्रकारों और पत्रिकाओं को देखकर लगता है कि शायद हमारे यहां वह बात भी नहीं कही जाती, जो वहां कही जाती है। ये जो बातें हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमको इस मामले में साम्प्रदायिक दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। यह सवाल हिन्दू और मुसलमान का सवाल नहीं है, अलबत्ता यह बात भी सही है कि जिस समय 1971 में भारत ने इस पड़ोसी का, वहां के

रहने वाले सब नागरिकों का, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, उनका सहयोग लिया और सहकार से बांग्लादेश बना।

उस समय बांग्लादेश ने अपने को एक सेक्यूलर राज्य घोषित किया। फिर स्थिति में परिवर्तन आया। हरेक देश को अपना–अपना संविधान बनाने का अधिकार है और उन्होंने भी बनाया। लेकिन उसके बनाने के पीछे जो कारण है, वह भी हमें समझना चाहिए। उस स्थिति के बाद भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। पिछली सरकार थी, तब भी हमने मैत्री का संबंध रखा था। अब नई सरकार आई है, तो भी हमारी इच्छा है कि मैत्री का संबंध रखें। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश सरकार ने भले हमें कहा हो कि यह क्रिमिनल लोगों का काम है, हमने अपने वक्तव्य में यह बात नहीं कही है। मैंने अपने वक्तव्य में पहले पैराग्राफ में, जो जानकारी थी, उसके आधार पर कहा है कि हमें लगता है कि सरकार में एलाइंस के जो प्रमुख पार्टनर्स हैं, उनका दोष है। इसलिए मैंने बी.एम.पी. और जमाएते इस्लामिक का नाम लिया है। भारत सरकार की ओर से छिपाने की इच्छा नहीं है। यह वक्तव्य देते हुए, वेदना और व्यथा व्यक्त करते हुए, हमारी इच्छा है कि जो लोग जबर्दस्ती के कारण और मजबूर होकर यहां आए हैं, वे सुरक्षा तथा सम्मान के साथ वापस बांग्लादेश जाकर रह सकें, यह हम चाहेंगे। हम यह भी चाहेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेडिशनल संबंध मैत्री के रहे हैं, वे बने रहें।

अपराह्न 12.36 बजे

[अनुवाद]

देश में विशेष रूप से बिहार में धान की खरीद न किए जाने के कारण किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव बोलेंगे क्योंकि उन्होंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं। आपने नियमन दिया था कि शून्य काल में मैं इस सवाल को उठा सकता हूं। सदन के कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 56 के तहत मैंने स्थगन प्रस्ताव का एक नोटिस दिया है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण, अविलंबनीय और तात्कालिक लोक महत्व का विषय है। नियम 60ए में अध्यक्ष महोदय को नियम 56 के बारे में सम्मति और असम्मति देने का अधिकार है।

मेरा विषय यह है कि सम्पूर्ण बिहार में बड़े पैमाने पर लाखों किसानों के धान की खरीद नहीं होने के कारण उनमें बड़ा भारी असंतोष है और एफ.सी.आई. के प्रति विस्फोटक स्थिति उनके अंदर पैदा हो गई है। किसान अपना धान डिस्ट्रेस सेल करने पर मजबूर हो रहे हैं। वे 200 रुपए, 250 रुपए और 300 रुपए प्रति क्विंटल अपने धान को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इससे किसानों को लागत मूल्य भी नहीं प्राप्त हो रहा है, जबकि खेती को व्यवसाय का दर्जा दिया गया है। पिछले साल पूरे बिहार में 110 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ था। उसमें से केवल 60 लाख 636 हजार टन धान ही धान की खरीद हुई है, वह भी डिस्ट्रेस सेल के आधार पर। एम.एस.पी. का लाभ बिहार में पिछले साल भी किसानों को नहीं मिला। इस साल भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कामन पैडी के लिए और स्पेशल ग्रेड ए के लिए क्रमशः 530 रुपए और 560 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, नहीं मिल रहा है। पूरे देश में अक्तूबर तक 3150449 टन प्रोक्योरमेंट हुई है। अकेले पंजाब में एम.एस.पी. के आधार पर 30 नवम्बर तक 9431248 टन पैडी की खरीद हुई है। मैं किसी राज्य की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दोहरी नीति, दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? भारत सरकार इस तरह का भेदभाव बिहार के साथ क्यों कर रही है? बिहार के लाखों किसान आज जाड़े में ठिठुर रहे हैं। उनके बच्चे किताबें नहीं खरीद सकते। किसान रोजमर्रा का सामान मार्केट से नहीं ले सकते। उनका एकमात्र जरिया धान ही है, मार्केट से सामान खरीदने का। इस कारण बिहार के किसानों में हाहाकार मचा हुआ है और त्राहिमाम की स्थिति है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए बिहार के साथ दोहरी नीति और दोहरे मापदंड को बंद किया जाए। सरकार किसान की फसल खरीदने में कुछ रिलेक्सेशन भी देती है, वहां यह भी नहीं दिया गया।...*(व्यवधान)* मैं बताना चाहता हूं कि कहां–कहां प्रोक्योरमेंट शून्य है।

इस बार की खरीफ फसल 2001–2002 शुरू हो गई है लेकिन बिहार में उसकी प्रोक्योरमेंट शून्य है, एक छठा भाग धान पैडी भी नहीं खरीदी गई। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी प्रोक्योरमेंट शून्य है।...*(व्यवधान)* उड़ीसा में केवल राइस लेवी के रूप में 27,066 टन 28 नवम्बर तक खरीदा गया और

कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में मोटे अनाज का प्रोक्योरमेंट शून्य है। जैसे राजस्थान में मकई है, बाजरा है, उसी तरह बिहार में महुआ है—उसके एक कोर्स ग्रेन का भी प्रोक्योरमेंट शुरू नहीं हुआ।...*(व्यवधान)* इसलिए हमारे प्रस्ताव के औचित्य को देखते हुए, कार्य संचालन नियमावली के नियम ...*(व्यवधान)* 56 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति दी जाए। यदि आप इंकार करेंगे तो उसके कारण बताने की कृपा की जाए क्योंकि सब अधिकार आपको है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि पिछले सप्ताह कार्य मंत्रणा समिति ने खरीद नीति पर भी चर्चा कराने का निर्णय लिया था। अतः हम लोग इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली, सदर) : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में श्री मदन लाल खुराना के भाषण को छोड़कर कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों को हटाने की प्रक्रिया के तहत 31 जनवरी, 2002 तक 9000 डीजल बसें हटाने की योजना है।...*(व्यवधान)* दिल्ली में कुल 12000 बसों की फ्लीट है जिसमें से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 31 जनवरी, 2002 तक 9000 बसों को दिल्ली की सड़कों से हटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग व दिल्ली ट्रेफिक पुलिस इन बसों को दिल्ली की सड़कों से बाहर करने पर तुली है।...*(व्यवधान)* दिल्ली की जनता और विशेषकर स्कूली छात्रों की कठिनाइयों की तरफ इनका ध्यान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किस तरह जमीनी हकीकत को अनदेखा कर आदेश जारी कर रही है, इसका एक उदाहरण यह है कि केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नाईक जी ने लिखित रूप में कहा है कि वे अतिरिक्त डेढ़ सौ बसों को ही एक माह में सी.एन.जी उपलब्ध करा सकते हैं—यदि 1 जनवरी, 2002 तक अगर 9000 बसें आ भी गईं, जो बिल्कुल असंभव है, उनके लिए सी.एन.जी. कहां से आएगी?

पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नाईक जी ने लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया है कि हम मार्च, 2002 तक टोटल 4500 बसों को ही सी.एन.जी. उपलब्ध करा सकते हैं। ...*(व्यवधान)* दिल्ली सरकार द्वारा 20 नवम्बर, 2001 को सुप्रीम कोर्ट में दी गई स्टेटस रिपोर्ट में सूचित किया गया है कि दिल्ली में 4788 सी.एन.जी. बसें आ चुकी हैं। अब मार्च, 2002 तक और सी.एन.जी. बसों की गुंजाइश ही कहां है? अतः डीजल बसों को चलाना बस मालिकों के लिए मजबूरी है।...*(व्यवधान)*

मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, चाहे ट्रांसपोर्टरों के बारे में हों या लघु उद्योगों के बारे में हों, ये सब फैसले जमीनी हकीकत से बहुत दूर हैं। ...*(व्यवधान)* उदाहरण के लिए, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि दिल्ली के सभी वाहनों को सी.एन.जी. के अंतर्गत चलाना पड़ेगा। लगभग 50 हजार तिपहिया और टैक्सियों में से 30 हजार तिपहिया और टैक्सी वालों ने अपने वाहन सी.एन.जी. में परिवर्तित भी करा लिये परंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तिपहिया व टैक्सी वालों के लिए ये आदेश दिए ही नहीं थे।

पिछले वर्ष दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगभग 25 हजार लघु व कुटीर उद्योगों को सील अथवा बंद कर दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप लगभग ढाई लाख मजदूर बेरोजगार हो गए। पिछले एक वर्ष में सील किए गए हजारों लघु उद्योगों के मालिक यह शपथ पत्र देने को तैयार हैं कि वे अपना व्यवसाय बदलना चाहते हैं परंतु फिर भी उनके उद्योगों की सील नहीं खोली जा रही। दिल्ली के लगभग ढाई से तीन लाख परिवार इससे बर्बाद हो गए।...*(व्यवधान)* पिछले वर्ष सील करते समय उद्योगपतियों को आश्वासन दिया गया था कि अक्तूबर, 2001 तक बवाना में औद्योगिक क्षेत्र तैयार कर उन्हें वहां स्थानान्तरित किया जाएगा। बवाना औद्योगिक क्षेत्र का विकास होना तो दूर, अभी तक वहां बिजली, पानी व सीवर की लाइनें भी नहीं पड़ी हैं, अलाटमेंट होना तो बहुत दूर की बात है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्लीवासियों को कब तक

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बर्बाद किया जाता रहेगा?...*(व्यवधान)* पिछले लोक सभा अधिवेशन के अंतिम सप्ताह में दिल्ली के सांसदों की केन्द्रीय गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ हुई बैठक में विचार–विमर्श के बाद यह तय किया गया था कि अगर अगली पेशी में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में संशोधन न हुआ तो केन्द्रीय सरकार इस संदर्भ में अध्यादेश जारी करेगी।...*(व्यवधान)* उस बैठक के बाद केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नाईक जी ने संवाददाताओं के सामने अप्रत्यक्ष रूप से घोषणा भी कर दी थी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। कुछ और महत्वपूर्ण नोटिस भी हैं। आज चालीस से भी अधिक सदस्यों ने महत्वपूर्ण नोटिस दिए हैं। आप अन्य सदस्यों को बोलने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.46 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

[अनुवाद]

लोक सभा अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

देश में विशेष रूप से बिहार में धान की खरीद न किए जाने के कारण किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में–*जारी*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि शून्य काल के समय माननीय देवेन्द्र प्रसाद जी ने एक प्रस्ताव दिया था, जिस संबंध में हम सबने आपके चेम्बर में आपसे मिलकर निवेदन भी किया था। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि यह सवाल बिहार का है। बिहार के किसानों की पीड़ा, परेशानी और दुःख–दर्द के संबंध में देवेन्द्र प्रसाद जी ने चर्चा की और हमने नियमों के अनुकूल प्रस्ताव आपके समक्ष रखा है। अध्यक्ष जी, हम चाहेंगे कि हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इस पर चर्चा कराने की कृपा करें, यही हमारा आपसे निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, चर्चा कराएंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, उस पर हम निवेदन करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री को इस पर रेस्पोंड करना चाहिए। यह गंभीर मामला है।

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष जी, जब किसानों पर यहां चर्चा हुई थी तो बहुत से माननीय सदस्यों को ऐसा लगा था कि जब किसानों की चर्चा करते हैं तो धान की जो खरीद होती है वह भी किसानों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कृषि मंत्री जी उसका अलग से उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसलिए उस दिन भी बहुत से माननीय सदस्यों की मांग थी कि धान की खरीद के विषय में अलग से चर्चा होनी चाहिए। आज देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो विषय उठाया है इस पर चर्चा कराने में सरकार को कोई एतराज नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो, सदन की सहमति हो तो आने वाले सोमवार को ही इस विषय पर हम चर्चा कर सकते हैं जिसमें मंत्री जी आकर चर्चा के पश्चात उत्तर दे सकते हैं।

अपराह्न 2.06 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गुजरात के बी.टी. कपास उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य देना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्देश पटेल (जामनगर) : अध्यक्ष जी, आज तक गुजरात में बी.टी. कपास का विवाद खड़ा हुआ है जिससे बड़ी

[श्री चन्द्रेश पटेल]

मात्रा में किसानों को नुकसान हो रहा है। इस संबंध में बातचीत करने एवं किसानों की समस्या सुलझाने के लिए केन्द्र की तरफ से एक टीम गुजरात आई थी लेकिन बिना बातचीत किए तथा बिना कुछ निर्णय लिये वह केन्द्रीय टीम गुजरात से वापस लौटी। बड़ी मात्रा में यह बी.टी. कपास बाजार में आ चुका है और अब खरीदारी भी नहीं हो सकती। गुजरात एवं मध्य प्रदेश में इस बी.टी. कपास की खसेदारी का प्रयास भी असफल हुआ है।

बी.टी. कपास को पेस्टीसाइट कंपनियां बंद कराना चाहती हैं क्योंकि बी.टी. कपास में दवाइयों (पेस्टीसाइट) की जरूरत कम होती है।

मेरी सरकार से प्रार्थना एवं मांग है कि बी.टी. कपास की खरीदारी होनी चाहिए। उनका उचित दाम किसानों को मिलना चाहिए।

(दो) गुजरात में धुलिया और सूरत के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री मानसिंह पटेल (मांडवी) : अध्यक्ष जी, धुलिया, बाजीपुर–कोडदरा–सूरत हाई–वे का निर्माण कार्य चल रहा है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात काफी ज्यादा है तथा अक्सर यह मार्ग जाम हो जाता है। इस मार्ग पर कई औद्योगिक क्षेत्र हैं तथा उत्तर भारत से दक्षिण भारत के लिए चलने वाले वाहन इसी मार्ग पर से होकर जाते हैं। व्यापार की दृष्टि से इस राजमार्ग का काफी महत्व है।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि धुलिया से सूरत के राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए।

(तीन) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की सूची में शामिल करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : अध्यक्ष जी, गरीबी रेखा की सर्वे सूची में पूरे हिंदुस्तान में गरीब, मजदूर, किसान व बेबस लोगों के कल्याण की आधार रेखा मानी गई है। इस सूची में शामिल लोग उक्त योजना का लाभ ले रहे हैं। किंतु जो सही में गरीब हैं, उन लोगों का नाम गरीबी रेखा में नहीं जुड़ने से आर्थिक विकास तथा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कहीं–कहीं उन्हें दर–दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं तथा सर्वे सूची दोषपूर्ण बन गई है क्योंकि अधिकतर शिक्षकों के द्वारा सर्वे करने का आदेश दिया जाता रहा है। लोगों ने जिस तरह बताया उसी तरह लिख पढ़ दिया गया जिससे उनके नाम जो सही में गरीब हैं, छूट गए हैं। शहर और गांव के पटवारी के रिकार्ड के अनुसार सर्वे सूची बनाई जाए जिससे त्रुटि कम होगी।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि जिन व्यक्तियों के नाम प्रदेश से बाहर खाने कमाने चले जाने के कारण तथा ग्राम पंचायत चुनावों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपने विरोधी पक्ष के लोगों के नाम गरीबी रेखा में कहीं–कहीं नहीं जोड़े गए, जिससे वे दुःखी, हताश एवं उदास हैं। भारत सरकार से अनुरोध है कि गरीबी रेखा की सर्वे सूची में संशोधन किया जाए तथा छूटे हुए लोगों के नाम जोड़ने हेतु पुनः सर्वे का आदेश दिया जाए।

(चार) राजस्थान में जयपुर में एफ.एम. चैनल सुविधा शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष जी, निवेदन यह है कि लगभग 5 वर्ष पूर्व जयपुर में एफ.एम. बैंड का उद्घाटन हुआ था जो अभी तक चालू नहीं हुआ है, जबकि दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, बंगलौर, मुम्बई व कानपुर में एफ.एम. बैंड की सुविधा कार्य कर रही है। यह सुविधा जयपुर में नहीं होने से समस्त राजस्थान के व्यक्ति सभी धार्मिक गानों व नई बातों की जानकारी से वंचित हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जयपुर में एफ. एम. बैंड को चालू कराया जाए जिससे समस्त राजस्थानवासियों को लाभ मिल सके।

(पांच) बंगलौर स्थित अशोक होटल, के विनिवेश के कथित प्रस्ताव को वापस लिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार) : महोदय, भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) द्वारा अव्यवहार्य इकाइयों से पीछा छुड़ाने का प्रस्ताव उचित नहीं है। सही पूछिए तो मैं विनिवेश की इस सूची में होटल अशोक, बंगलौर को शामिल करने से बहुत दुःखी हूं। इसमें संदेह नहीं कि हाल की विश्व–आतंकवाद की घटनाओं से पर्यटकों के आवागमन में कमी आने की आशंका बढ़ गई है जिससे होटल उद्योग की अर्थक्षमता पर असर पड़ा है। किंतु बंगलौर में होटल व्यवसाय को बरकरार रखने की

पर्याप्त संभावनाएं हैं। सभी आधारभूत संरचनाओं से लैस और निरंतर पर्यटकों के सैलाब से सराबोर रहने वाले महत्वपूर्ण व्यावसायिक ठिकाने में बसे बंगलौर के इस अशोक होटल में जरूरत है तो बेहतर प्रबंधन और उत्तम विपणन व्यवस्था की। विनिवेश कोई हल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कामगारों और उनके परिवारों की जीविका को छीनने से भी बढ़कर केन्द्र के इस प्रयास से निजी क्षेत्र में सफलतापूर्वक व्यवसाय करने वाले अन्य संस्थानों की तरह होटल का व्यवसाय चलाने में भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) की अक्षमता ही इससे उजागर होगी। खबर है कि अशोक होटल, बंगलौर के लिए निजी होटल मालिकों से निविदाएं प्राप्त की जा चुकी हैं, इससे इस होटल का पुनरुद्धार करने और व्यावसायिक रूप से इसे अर्थक्षम्य बनाने की निविदाकारों की मंशा साफ झलकती है।

इसलिए, मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि वह अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंगलौर के अशोक होटल और इसकी अन्य इकाइयों का विनिवेश करने की बिना सोचे–समझे की जाने वाली पहल को त्याग दे।

(छह) नागालैंड में मरियानी-मोकोकचुंग त्यूयेनसांग मार्ग को इस क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए दो लेन वाला मार्ग बनाए जाने की आवश्यकता

श्री के.ए. सांगतम (नागालैंड) : महोदय, सुदूर पूर्व के क्षेत्र में सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और नागालैंड के मोकोकचुंग, त्यूयेनसांग और जुनेभुटो जिलों से गुजरने वाली सड़क उस क्षेत्र के लोगों के लिए संचार व्यवस्था की जीवन–रेखा के रूप में काम करती है। यह सड़क इन पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इन जिलों को असम से जोड़ती है। कुल 185 किलोमीटर की लम्बाई वाली यह सड़क असम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 से निकलती है और मरियानी–मोकोकचुंग–चरे से होते हुए त्यूयेनसांग तक जाती है। मूलतः इस सड़क को सीमा सड़क संगठन ने वर्ष 1973 के दौरान विशेष रूप से एक लेन वाली बनाया था। किन्तु कालांतर में इस पर यातायात का दबाव काफी बढ़ता गया। घुमाव के सीमित परास और यातायात के बढ़ते दबाव से इस सड़क पर भारी वाहनों के आवागमन में बड़ी दिक्कतें आती हैं। भारी वाहनों के आवागमन में समस्या खड़ी होने से माल ढुलाई की बढ़ी हुई लागत और इस सड़क की सीमित भार वहन क्षमता के कारण इन जिलों के समग्र आर्थिक विकास पर भारी असर पड़ रहा है।

मैं भारत सरकार से मरियानी–मोकोकचुंग–त्यूयेनसांग सड़क को दो लेन वाली सड़क बनाने का अनुरोध करता हूं जिससे कि यह सड़क इस क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास और जनता की सर्वांगीण समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

(सात) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की सहायता से निर्माण किए जा रहे स्कूलों/पंजीकृत सोसायटियों के लिए रजिस्ट्रीकृत करार की शर्त को समाप्त किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन व सरकार का ध्यान सांसद निधि द्वारा विद्यालयों, पंजीकृत सोसायटियों को निर्माण हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता के संबंध में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की तरफ खींचना चाहता हूं। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने में प्रत्येक विद्यालय या पंजीकृत सोसायटी को प्रति लाख पर 10 से 15 हजार रुपए स्टाम्प पेपर व एग्रीमेंट कराने में खर्च करने पड़ेंगे जो असहायता प्राप्त संस्थाओं पर अनावश्यक बोझ है क्योंकि ऐसी संस्थाएं आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं। इन्हें विकास हेतु निर्माण कार्य के लिए सांसद निधि से धन दिया जाता है।

मैंने अपने फूलपुर संसदीय क्षेत्र इलाहाबाद में असहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों तथा संस्थाओं को एक–एक लाख रुपए निर्माण कार्य हेतु जिलाधिकारी, इलाहाबाद को पत्र लिखा था परन्तु जिलाधिकारी के यहां से प्रत्येक विद्यालयों को 62 रुपए 50 पैसे प्रति हजार का स्टाम्प पेपर व रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने के लिए नोटिस भेजा गया जिसके कारण विद्यालयों में निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में ज्ञात हुआ है कि विधि विभाग/मंत्रालय उन्हें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने के लिए बाध्य कर रहा है।

मैं आपसे तथा सरकार से मांग करता हूं कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने का प्रतिबंध हटाया जाए तथा सामान्य स्टाम्प पेपर या हलफनामा लेकर विद्यालयों, संस्थाओं में निर्माण कार्य शीघ्र कराए जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

(आठ) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उर्वरक कारखाने के पुनरुज्जीवन के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गोरखपुर (उ.प्र.) के उर्वरक कारखाने

[श्री बालकृष्ण चौहान]

की ओर दिलाना चाहता हूं जो विगत 10 वर्षों से बंद है जिसका बी.आई.एफ.आर. के आधार पर सरकार समापन करना चाहती है। कारखाना समापन होने से कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। वे और उनका परिवार भुखमरी का शिकार हो जाएगा। उक्त कारखाने में आरक्षण नीति देर से लागू होने से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की नियुक्ति 1980 के बाद हो पायी। ऐसी स्थिति में इन्हें अल्प सेवा पर ही अनिवार्य या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देना अमानवीय होगा।

पिछले कई वर्षों से कर्मचारियों, जनता एवं जनप्रतिनिधियों की मांग रही है कि पूर्वांचल के एकमात्र महत्वपूर्ण कारखाने को जनहित में किसी भी कीमत पर बंद न होने दिया जाए जिसके आलोक में पिछले कई माननीय प्रधानमंत्रियों एवं वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे पुनः नई तकनीक के आधार पर चालू करने की घोषणा की थी।

अतः, मैं सरकार से मांग करता हूं कि गोरखपुर उर्वरक कारखाने के कर्मचारियों के हितों तथा पूर्वांचल के विकास एवं जनहित में पूर्व व वर्तमान सरकार की घोषणा के अनुरूप अविलम्ब नई तकनीक के आधार पर चालू करें।

(नौ) तमिलनाडु के करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे समपार पर उपरिपुल का निर्माण शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम. चिन्नासामी (करूर) : महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र करूर में रेल समपार लालापेट, करूर टाउन और करूर बाई पास–तीन सड़क उपरिपुलों के निर्माण हेतु शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया था। दो वर्ष बीत जाने के बाद भी इनमें से दो–लालापेट और करूर टाउन–पर काम शुरू नहीं हुआ है। करूर राजमार्ग–7 का काम भी आगे नहीं बढ़ रहा है। सरकार को बार–बार अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई की गई प्रतीत नहीं होती है। वाहन यातायात दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है। यात्रियों को रेलवे फाटक बंद हो जाने पर एक घंटे से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। चूंकि, करूर एक बड़ा व्यापारिक और आयात–निर्यात शहर है इसलिए रेल उपरिपुलों की सुविधा न होने की वजह से बहुत से व्यापारी लोग कष्ट झेल रहे हैं। रेलवे फाटक बंद होने के दौरान स्कूली बच्चों और मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या पर ध्यान दे और करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए उपरोक्त रेल उपरिपुलों का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित करे।

(दस) बिहार के पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना जिला का पालीगंज अनुंडल का दुल्हीन बाजार, पालीगंज और मसौड़ी प्रखंड उग्रवाद की चपेट में आ गया है। कारण–उद्योग विहीन इलाका है। इन जिलों के हजारों की संख्या में पढ़े–लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। इनके समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। खेतिहर मजदूर भी बेकार हैं। विवश और लाचार होकर ये लोग समाज की मुख्य धारा से कट रहे हैं और असामाजिक संगठनों के साथ जुड़ रहे हैं। कृषि की हालत भी ठीक नहीं है।

अतः श्रीमान के माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन जिलों में यथाशीघ्र छोटे–बड़े उद्योगों की स्थापना की जाए ताकि विवश और लाचार लोगों को रोजगार मिल सके और ये लोग समाज की मुख्य धारा में लौट सकें।

(ग्यारह) तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में फलों और सब्जियों के लिए और अधिक शीतागार बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि) : धर्मपुरी जिले के कृष्णागिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आम, अमरूद, अंगूर और अन्य फलों, हरी सब्जियों, इमली और फलों के उत्पादन की अत्यधिक संभावनाएं हैं। ये सब अपने–अपने मौसम में खूब पैदा होती हैं और उस मौसम के अलावा बहुत कम ही मिलती हैं। समुचित भंडारण सुविधाओं के अभाव में किसान और कृषि विपणन एजेंट अधिक समय तक कृषि उत्पादों का भंडारण नहीं कर पाते क्योंकि ये चीजें शीघ्र खराब हो जाती हैं। उत्पादन के मौसम में इनका भारी उत्पादन होता है और इन कृषि उत्पादों के मूल्यों में भारी गिरावट आ जाती है और किसानों, विपणनकर्त्ताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उत्पादन मौसम के अलावा इनका उत्पादन बहुत ही कम होता है और

इसके कारण मूल्य एकदम बढ़ जाते हैं और आम जनता इसका खामियाजा भुगतती है। इसलिए, सरकार से मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कृष्णागिरि में और अधिक शीतगृह बनाए जाएं ताकि किसानों, कृषि–विपणन एजेंसियों और आम जनता का हितसाधन किया जा सके।

(बारह) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा केरल में कुछ ग्राम पंचायतों को 'शहरी' श्रेणी में रखने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) प्राधिकारियों ने हाल में मनमाने ढंग से कतिपय ग्राम पंचायतों को शहरी श्रेणी में घोषित कर दिया है और द्विमासिक किराया रु. 220 से बढ़ाकर रु. 360 कर दिया है और निःशुल्क कालों की संख्या 250 से घटाकर 150 कर दी है। बीएसएनएल प्राधिकारियों द्वारा 'शहरी' मानी गई इन ग्राम पंचायतों में शहरी केन्द्रों जैसा न तो विकास है, न वैसे लाभ प्राप्त हैं। सभी प्रयोजनों के लिए ये पंचायती राज संस्थाओं के अधीन ही हैं, नगरपालिका अधिनियम के अधीन नहीं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बडागरा में अनेक पंचायतों को 'शहरी' मान लिया गया है और इस कारण लोग भारी नुकसान में हैं। इस नए वर्गीकरण का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इसी टेलीफोन एक्सचेंज की अन्य पंचायतों को 'ग्रामीण' ही बनाए रखा गया है। दूसरे, इस नए वर्गीकरण के बाद बीएसएनएल की सेवाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है। बीएसएनएल द्वारा किए गए इस वर्गीकरण के मापदंड को समझ पाना बहुत मुश्किल है। मेरा संचार मंत्री से अनुरोध है कि मामले की जांच करें और किराए को रु. 220/– करने और निःशुल्क कालों की संख्या 250 करने के लिए आवश्यक निदेश दें।

अपराह्न 2.23 बजे

[अनुवाद]

विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 15 लेंगे। प्रो. प्रमाणिक आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक (मथुरापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं, विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2001 पर अपने 29 नवम्बर के अधूरे भाषण को पूरा करता हूं।

महोदय, मैंने उस समय कहा था और अब भी कह रहा हूं कि विस्फोटक पदार्थ और विस्फोटक पदार्थों की विशेष श्रेणी को ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है। दी गई परिभाषा अधूरी और अनुचित है और सटीक नहीं है। अतः इसको सही प्रकार से और स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। कानून में सब कुछ सटीक, सारगर्भित और स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि इसके प्रभाव बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण होते हैं। अतः इसे ठीक प्रकार से परिभाषित किया जाना चाहिए।

अब, विस्फोटकों की विशेष श्रेणी जैसा कुछ भी नहीं है। विस्फोटक पदार्थ या तो पारम्परिक हैं या गैर–पारम्परिक। पारम्परिक विस्फोटक पदार्थों की चार श्रेणियां परिभाषित की गई हैं। प्रथम श्रेणी डायनामाइट जैसे पदार्थों की विस्फोट श्रेणी जिसे खानों और सुरंगों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। दूसरी श्रेणी लेडाजाइड और मर्करी फल्मीनेट जैसे प्राथमिक विस्फोटकों की है, जिनका उपयोग डेटोनेटरों के रूप में किया जा रहा है। तीसरी श्रेणी घातक विस्फोटकों की है जिन्हें यहां ऐसे पदार्थों की विशेष श्रेणी के रूप में रखा गया है। वस्तुतः ये आरडीएक्स, पीईटीएन, जैसे सैन्य विस्फोटक हैं।

बहुत से सैन्य विस्फोटक पदार्थ हैं। चौथी श्रेणी ब्लैक पाउडर नाइट्रो–सेल्यूलोज के साथ मिश्रित इथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल जैसे प्रोपेलेन्ट विस्फोटकों की है जिनका प्रयोग बैलेस्टिक मिसाइल या राकेटों को त्वरित गति देने के लिए किया जाता है। लेकिन यहां विस्फोटकों की विशेष श्रेणी निरर्थक है। इसे सही प्रकार से, वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए। इसे किसी की इच्छा से परिभाषित नहीं किया जा सकता। विज्ञान के क्षेत्र में इसका विशेष अर्थ है।

दूसरी बात यह है कि मैं गैर–परम्परागत विस्फोटक पदार्थों अर्थात् यूरेनियम–235 और प्लूटोनियम जैसे नाभिकीय पदार्थों को शामिल करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि छोटे परमाणु बम और ट्रैशकैन परमाणु बम आज की वास्तविकताएं हैं।

अपराह्न 2.26 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*)

इस नाभिकीय पदार्थ के 'सब–क्रिटिकल मास' को समुचित विन्यास और संपीडन के माध्यम से 'क्रिटिकल' अवस्था में लाया जा सकता है। यूरेनियम–235 या प्लूटोनियम की मात्र एक किलोग्राम मात्रा से 'डर्टी एटम बम' का सूटकेस बम या ट्रैशकैन

[प्रो. आर. आर. प्रमाणिक]

बम कहे जाने वाले छोटे परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार यह एक वास्तविकता है। एक किलोग्राम यूरेनियम–235 या प्लूटोनियम से बना एक बम 300 मीट्रिक टन टीएनटी के बराबर होता है। मैं जानता हूं कि ट्रैशकैन परमाणु बम एक विशेष किस्म का बम होता है। इसमें सिर्फ विस्फोटक भरना होता है। यदि परम्परागत बम धमाका होता है तो इसके रेडियो सक्रिय कणों से पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। इससे हमारे नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में तुरन्त प्रदूषण फैल जाएगा। बाद में, हजारों कैंसर से मरेंगे और विकिरण के कारण शहर से पूरी आबादी को बाहर निकालना होगा। यह बहुत ही खतरनाक विस्फोटक है। इसे भी यहां शामिल किया जाना चाहिए।

इस विधेयक में गैर–परम्परागत विस्फोटक पदार्थों को शामिल किया जाना चाहिए। इन पदार्थों की मात्र एक किलोग्राम मात्रा पूरे शहर को तबाह करने के लिए पर्याप्त है। इस बम को आसानी से बनाया जा सकता है। समाचार पत्रों में यह समाचार आया है कि तालिबान के पास सूटकेस एटम बम हैं। शायद, आपने समाचार पत्रों में यह समाचार देखा होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह एक वास्तविकता है।

एक और बात जिसके लिए मेरा प्रयास है, वह है मृत्युदंड को लागू न किया जाना। सभ्य लोगों का यह मत है कि मृत्युदंड समाप्त किया जाना चाहिए। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं। मैं फिर भी इस बात को कहूंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार केवल ईश्वर ही जीवन ले सकता है क्योंकि वही जीवनदाता है। हमें दूसरों के प्राण लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस बारे में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। आप एक कानून बना रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि साधारण विस्फोटकों से आपका क्या तात्पर्य है? विस्फोटकों की विशेष श्रेणी क्या है? मेरे लिए इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि इसे वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए। कोई विस्फोट होता है, जानमाल का कोई नुकसान नहीं होता है तब भी मृत्युदंड दिया जाता है। विस्फोटक के लिए आजीवन कारावास और विशेष विस्फोटक श्रेणी के लिए मृत्युदंड, यह बड़ी अजीब बात है। परिणाम एक जैसा होने पर भी दंड अलग–अलग हैं। यही मैंने आपको बताया था। यदि कोई आदमी कट्टे या रिवाल्वर से मारा जाता है, तो क्या अंतर है। परिणाम एक ही है कि आदमी मारा गया है। एक कट्टे से मारा जाता है तो दूसरा रिवाल्वर से; फिर दंड अलग–अलग क्यों? विस्फोट, विस्फोटक से होता है। यदि विस्फोट, विशेष श्रेणी के विस्फोटक से होता है तो आपके अनुसार इसकी सजा मृत्युदंड है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि मृत्युदंड के उपबंध को वापस लें। आप सश्रम आजीवन कारावास जैसा कड़ा दंड दें लेकिन मृत्युदंड नहीं। सभापति महोदय, इस संबंध में, मैं विधेयक लाने वाले माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि रोब्स स्पीयर का क्या हुआ। उन्होंने फ्रांस क्रांति के दौरान गिलोटिन शुरू किया और यही गिलोटिन उनके गले की हड्डी बन गया। इसलिए विधि–निर्माताओं को इतिहास नहीं भूलना चाहिए। मृत्यु दंड का प्रावधान लाए जाने से पहले बहुत सावधान रहना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

लगता है, समय कम है।

सभापति महोदय : आप एक–दो मिनट में समाप्त कर लें।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं। मैं गणित का छात्र हूं। मैं एक या दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूंगा।

सभापति महोदय, जब सैन्य विस्फोटकों की बात होती है तो 'विशेष श्रेणी के विस्फोटक' पद का प्रयोग निरर्थक हो जाता है। माननीय मंत्री जी इस बात को समझें या अपने सलाहकारों से परामर्श करें। सैन्य विस्फोटकों में टीएनटी, आरडीएक्स, साइक्लोट्रिमिथाइलीन, पीईटीएन, ट्राइनाइट्रोनाइट्रेमाइन, साइक्लोटोल, पेन्टोलाइट आदि आते हैं जो इस विधेयक में शामिल नहीं हैं। मैं इन सबका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि सैन्य विस्फोटकों में ऐसे कई पदार्थ हैं जो भीषण विस्फोटक हैं परन्तु विधेयक में इन सभी पदार्थों को शामिल नहीं किया गया है। तब क्या होगा जब इस विधेयक का अधिनियमन हो जाएगा और यह उन अन्य रसायनों और विस्फोटकों पर लागू किया जाएगा जो इसमें शामिल नहीं हैं? इसलिए, इसमें सैन्य विस्फोटकों के लिए भी प्रावधान होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

एंथ्रेक्स विस्फोटक नहीं है। यह जैविक अस्त्र है।

दुनिया–भर के वैज्ञानिकों के अनुसार ट्रैश एटम बम एक वास्तविकता है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं ताकि माननीय मंत्री जी इसे भी शामिल कर लें।

यहां एक प्रावधान किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट इस मामले में निर्णय करेगा। मेरा संशोधन है कि इसके स्थान पर प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट होना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट विकास गतिविधियों, आदि की देखदेख करता है। इसलिए, इसका

निर्णय प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट ही करे न कि द्वितीय श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट।

मैंने संशोधनों की सूचना दी है। यदि आपकी अनुमति होगी, तो संशोधन पेश करते समय मैं उन पर कुछ मिनट बोलूंगा।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : मैं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के उपबंधों में किए जा रहे संशोधनों का समर्थन करता हूं।

संशोधनकारी अधिनियम के मुख्य उपबंधों में बोलने से पूर्व मैं इस अधिनियम को बनाए जाने की आवश्यकता पर बोलना चाहूंगा। हम इसे 1884 के विस्फोटक अधिनियम से शुरू करें। प्रो. आर.आर. प्रमाणिक द्वारा उठाए गए मुद्दों की विस्फोटक अधिनियम की परिभाषा से पुष्टि हो जाएगी।

विस्फोटक अधिनियम, 1884 में, विस्फोटक पदार्थ की परिभाषा बारूद, टी.एन.टी. और पारा की कौंध आदि जैसा कि वह उल्लेख कर रहे थे, जिसका निर्माण विस्फोटक का व्यावहारिक प्रभाव अथवा आतिशबाजी का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है से पूरी हो जाती है। इससे हमें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की ओर आना पडता है।

मैं विस्फोटक अधिनियम का विस्तार से वर्णन नहीं कर रहा हूं। सैन्य हार्डवेयर और अन्य विस्फोटकों के बारे में श्री प्रमाणिक ने जो कुछ कहा है, वह विस्फोटक अधिनियम, 1984 में कवर हो जाता है। बंगाल के विभाजन के पश्चात् तत्कालीन सरकार ने जिन कठिनाइयों का सामना किया था, उनके परिणामस्वरूप विस्फोटक पदार्थ अधिनियम बनाया गया था। विस्फोटक बनाने के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ये वस्तुएं घातक हो सकती हैं।

ये वस्तुएं देखने में अहानिकर लग सकती हैं लेकिन यदि इन वस्तुओं को आपस में मिला दिया जाए तो वे आतिशबाजी का प्रभाव अथवा विस्फोटक प्रभाव पैदा कर सकती हैं। मैं नाइट्रोग्लिसरीन के उदाहरण देता हूं जिसका उपयोग किया जा रहा है; विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर नाइट्रोग्लिसरीन तैयार करने हेतु विचार किया जा रहा है।

महोदय, कुछ दिन पहले ही इटारसी में विस्फोट हुआ था। वहां तक नाइट्रो ग्लिसरीन तैयार करने की बात है तो पोटाश, कपूर, सल्फर और इस प्रकार की वस्तुओं से साधारणतया कोई समस्या नहीं हो सकती किन्तु जब संवदेनशील होने पर उनमें विस्फोट हो जाता है और ऐसे विस्फोट से उस क्षेत्र अथवा कुल मिलाकर उस समाज में रहने वाले लोगों में तबाही हो सकती है। इसीलिए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम उस समय बनाया गया और प्रौद्योगिकीय विकास और मानव जाति के परपीड़नशील आचरण और उसके बदले मिलने वाली खुशी जो कुछ लोगों को निर्दयता से मारने जैसे वे मक्खियां मार रहे हों, में मिलती है, जैसे कारणों के मद्देनजर ही बनाया गया था। इसीलिए समय-समय पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में संशोधन करने पड़े। इसी उद्देश्य से यह संशोधनकारी उपबंध आया है।

महोदय, मेरा प्रो. प्रमाणिक से मतभेद है जब उन्होंने यह बात कही कि मृत्युदंड नहीं होना चाहिए। क्या मैं यह कहूं कि व्यक्ति तो दुख भोगे किन्तु राष्ट्र को दुख न हो। वह मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए। जब भी आप इस प्रकार का उपबंध बनाने की बात सोच रहे हों तो यह जरूरी है कि यदि मृत्यु हो जाती है अथवा जिस व्यक्ति के कारण मृत्यु हो तो ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्ति को इस संसार से समाप्त कर देना चाहिए। जबकि हम न्यायशास्त्र के बारे में सोचें तो यही मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए। इसीलिए मेरा उनसे मतभेद है।

अब मैं एक अन्य उदाहरण देता हूं। उन्होंने ही टी.एन. टी. ट्रिनाइट्रोटोलुएन्स का उल्लेख किया है। यदि बैन्जीन और नाइट्रोजन को एक साथ मिला दिया जाता है तो ऐसा प्रतिपादन तैयार होता है जिससे टी.एन.टी बनता है। अब यह बात कि अलग-अलग तत्वों वाला प्रतिपादन अलग हो सकता है। प्रतिपादन तैयार करने में एक महान वैज्ञानिक कुछ अन्य चीजें बना सकता है जो टी.एन.टी. जैसे न लगें बल्कि किसी अन्य वस्तु की तरह लगें और समाज में तबाही मचा दें। इसीलिए इस बात की ओर संशोधनकारी उपबंध में इसका संकेत स्पष्ट रूप से किया गया है।

महोदय, मैं धारा 2(ख) और अंतिम वाक्य की ओर आप सबका ध्यान आकृष्ट करता हूं :

> "विस्फोट कारित और कोई अन्य पदार्थ और उसका योग जो केन्द्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित करे।"

अतः यह एक खत्म न होने वाली प्रक्रिया है जिसमें केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा यह कह सकती है कि वह किन तत्वों का योग है जिसका विस्फोट निर्धारित समय अथवा दी गई

[श्री अनादि साहू]

स्थिति में हो सकता है। अतः यह एक लचीला उपबंध है जिसे समझना कठिन नहीं है, उन्होंने परमाणु विखंडन और विलयन के बारे में इंगित किया है। चूंकि वह एक भौतिक वैज्ञानी हैं इसलिए मैं उन्हें यह बातें स्पष्ट नहीं कर सकता। किन्तु एक पुलिस अधिकारी होने के कारण मैं इस अधिनियम पर अमल करता हूं।

महोदय, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में कहा गया है :

> "परमाणु ऊर्जा से विलयन और विखंडन सहित किसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप परमाणु न्यूक्लीन से उत्सर्जित ऊर्जा अभिप्रेत है।"

विलयन विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में नहीं है; यह ऐसा विखंडन है जिस पर ध्यान दिया जा रहा है। यदि मेरा ज्ञान सही है जैसा कि मैंने कहा कि मैं भौतिक वैज्ञानिक नहीं हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : एक वैज्ञानिक और एक पुलिस अधिकारी में अंतर होता है। वह एक वैज्ञानिक हैं।

श्री अनादि साहू : महोदय, एक पुलिस अधिकारी होने के कारण मैं तथ्यों की वास्तविकता में नहीं जा रहा हूं। हमारे यहां एक परमाणु ऊर्जा अधिनियम है जिसमें दांडिक प्रावधान हैं। यदि यह आवश्यक है जैसा कि उन्होंने तालिबान की ओर इंगित किया है और हमें उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। यह विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की परिधि के अंतर्गत आ सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की परिधि में इन सब प्रावधानों को लाने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी।

महोदय, जहां तक विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक का संबंध है तो इसमें चरण हैं।

एक यह है कि विस्फोटक पदार्थ होने चाहिए; इसमें विशेष प्रकार के विस्फोटक पदार्थ होने चाहिए। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि प्रौद्योगिकीय विकास में तेजी से प्रगति हुई है। अनुसंधान विकास विस्फोटक (आर.डी.एक्स.) तात्कालिक विस्फोटक साधन (आई.ई.डी.) और और भी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनमें अत्यधिक सुनम्यता और विनाश होता है जिनका मैटल डिटेक्टरों, सूंघने वाले कुत्तों और स्वयं मनुष्यों द्वारा साधारणतया पता नहीं लगाया जा सकता। यह तरल पदार्थ की तरह दिखाई दे सकता है, जैसा कि आपने महाभारत में देखा है, मायादानव ने एक तालाब तैयार किया था जो ऐसा लगता था कि जैसे कुछ नहीं है बल्कि पत्थर है। यह इतना पारदर्शी था और कोई दूसरी वस्तु जो पारदर्शी लगती थी लेकिन वहां पत्थर था इसलिए उच्च तकनीकी प्रगति के कारण लोगों को गुमराह किया जा सकता है और यह प्रगति ऐसे लोगों द्वारा की गई है जो विनाश के बदले में मिलने वाले आनन्द द्वारा इस संसार का विनाश करना चाहेंगे।

जैसा मैंने पहले कहा--विस्फोटक दो प्रकार के होते हैं--एक तो विस्फोटक पदार्थ होता है और दूसरा विशेष श्रेणी का विस्फोटक पदार्थ होता है। जहां तक विस्फोटक पदार्थों का संबंध है इसमें कठोर व्यवस्थाओं की ओर इंगित नहीं किया गया है। किन्तु जहां तक विशेष श्रेणी के विस्फोटक पदार्थों का संबंध है तो वह दूसरी श्रेणी है, इसमें कठोर दंड का संकेत दिया गया है जिससे वर्तमान भारतीय समाज में अधिक विनाश हो रहा है अथवा विनाश का कारण बन रहा है।

मैं पोटो की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पोटो क्यों लाया गया है? यह इसलिए लाया गया है क्योंकि आतंकवादियों की गतिविधियां रोकना आवश्यक है और इन गतिविधियों को रोकने के लिए इस देश के सामान्य कानून पर्याप्त नहीं हैं। इसीलिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) अधिनियम और पोटो में यह अन्तर है कि पोटो समाप्त होने वाला कानून है जबकि यह एक सतत प्रक्रिया है जब तक इसमें संशोधन किया जाए। लेकिन मैं आपको सूचित करूं कि यह संशोधनकारी व्यवस्था पोटो से अधिक कठोर है।

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति ने अपने विचार-विमर्श में अति दूरगामी टिप्पणी की। यह भविष्य सूचक टिप्पणी है। यह पैरा 11.2 में है। इसमें कहा गया है :

> "समिति का विचार था कि सरकार सभी प्रकार के आतंकवादियों, ध्वंसात्मक गतिविधियों से निपटने के लिए व्यापक कानून बना सकती है जो मौजूदा हालात के अनुकूल हो।

इस समिति की अध्यक्षता माननीय श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा की गई और इसमें डा. रघुवंश प्रसाद सिंह सहित सभी दलों के सदस्य उपस्थित थे...*(व्यवधान)* गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति द्वारा यह टिप्पणी क्यों की गई? वह टिप्पणी इसलिए की गई क्योंकि मौजूदा उपबंध पर्याप्त नहीं हैं।...*(व्यवधान)* कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। कृपया टोका-टोकी मत कीजिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अनुशंसा कॉम्प्रीहेंसिव लॉ लाने के लिए है, ड्रैकोनियन लॉ लाने के लिए नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका नाम लिस्ट में है, जब मौका आएगा, तब आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू : महोदय, मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि मुझे अपना भाषण पूरा करने दिया जाए। उन्हें मेरे भाषण में बाधा नहीं डालना चाहिए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं तो गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति द्वारा की गई टिप्पणियों से उद्धरण दे रहा हूं। यह प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई थी और इस आधार पर राज्य सभा ने इस संशोधनकारी उपबंध को पहले ही पारित कर दिया है।

इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी कठोर उपबंधों की आवश्यकता है तो उन्हें लाया जाना चाहिए। अब पोटो यह सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है कि जो आतंकवादी विघ्न पैदा कर रहे हैं उन पर कार्यवाही की जाए और उन्हें उचित कार्यवाही के पश्चात् कारागार में डाला जाए। ये कदम कठोर नहीं हैं।

आप देखें कि विशेष प्रकार के विस्फोटकों के मामले में इस बात का स्पष्ट संकेत दिया गया है कि उसमें मौजूद दांडिक उपबंध क्या हैं। जिन उपबंधों का संकेत दिया गया है उनमें मृत्यु अथवा कठोर आजीवन कारावास हैं। इसीलिए विशेष प्रकार के विस्फोटक पदार्थों को बनाने से लोगों को रोकने के लिए कठोर कारावास आवश्यक है जबकि साधारण विस्फोटक पदार्थों के मामले में दस वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। इस बात का संकेत देने के लिए इसको ध्यान में रखा गया है कि लोगों को इन विस्फोटक पदार्थों, विशेष प्रकार के विस्फोटक पदार्थों का निर्माण करने से रोकने के लिए अवपीड़क उपाय अपनाना होगा।

मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी अधिनियम जिसमें पोटो भी शामिल है, में न्यूनतम दंड का उल्लेख होना चाहिए। पोटो में पांच वर्ष के न्यूनतम दंड की व्यवस्था की गई है। ऐसे लोगों जो अपनी इच्छा से, जैसा वे चाहते हैं, अपराध करने वाले लोगों के लिए निवारक के रूप में काम करना जरूरी है। यह अति आवश्यक है। लेकिन मुझे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री को सूचित करने में खेद हो रहा है कि खंड 4 और खंड 5 में बताए गए दांडिक उपबंध पर्याप्त नहीं हैं। उन दोनों खंडों में भी न्यूनतम दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए था। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा उद्देश्य यह देखना है कि जो लोग विस्फोटक पदार्थ बना रहे हैं जो लोग विशेष प्रकार के विस्फोटक पदार्थ बनाने का इरादा कर रहे हैं, और जिन लोगों के पास विशेष प्रकार के विस्फोटक पदार्थ तैयार करने के लिए प्रतिपादन तैयार करने के लिए प्रयोगशालाएं हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है।

कुछ वर्गों में यह भावना पनप सकती है कि वे जिनकी कोई विस्फोटक पदार्थ या विशेष श्रेणी के विस्फोटक पदार्थ बनाने की कोई मंशा नहीं है उन्हें भी दंडित किया जाएगा। नहीं, महोदय, यह सही नहीं है। मैं आपका ध्यान खंड 5 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें इस बात का संकेत किया गया है कि ऐसा पुख्ता संदेह होने पर ही किया जाएगा। इसका मतलब है, जानबूझकर किया जाना। अपराध विधिशास्त्र में, जानबूझकर किया जाना (मेन्सरिया) एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है। लेकिन, मैं सुझाव दूंगा कि जैसा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में प्रावधान है, अपने को निर्दोष साबित करने के लिए दोषी व्यक्ति पर ही सबूत देने का सारा भार छोड़ देना चाहिए। यहां इस अधिनियम में, केवल इस तरह की वस्तु रखना ही दंडनीय होना चाहिए जैसा कि जाली मुद्रा के मामले में होता है। यदि हम कोई ढील देंगे तो न्यायालय अपनी व्याख्या देगा और प्रक्रिया का पूरा उद्देश्य जिसके लिए इन संशोधित प्रावधानों को लागू किया गया है, बेकार हो जाएगा।

एक पुलिस कर्मी होने के नाते मैंने देखा है कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर अभियोग चलाने हेतु अनुमति लेने में कई वर्ष लग जाते हैं। अब यह नितांत आवश्यक हो गया है कि जिलाधीश को इस तरह की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत किया जाए। ऐसा इस संशोधित प्रावधान के द्वारा ही किया जा रहा है। यदि आप इसका अधिकार किसी न्यायिक प्राधिकारी को देते हैं तो किसी भी तरह के न्यायिक हस्तक्षेप होने की संभावना है और यह अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया होगा। मुझे ऐसा कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि न्यायपालिका वास्तविक स्थिति पर विचार नहीं करती। जिलाधीश एक उच्च अधिकारी होता है। यदि वह अभियोग चलाने की अनुमति देता है, तो यह कोई गलत नहीं है। कई ऐसे कानून हैं जिसके अंतर्गत जिलाधीश द्वारा अभियोग चलाने की अनुमति दी गई है। आयुध अधिनियम की धारा 25 का ही उदाहरण लीजिए। राज्य सरकारें शक्तियों को प्रत्यायोजित कर देती हैं। जिलाधीश इन शक्तियों का इस्तेमाल बहुत ही सही तरीके से

[श्री अनादि साहू]

कर रहे हैं। यदि कभी शक्ति का उपयोग उचित तरीके से नहीं किया जाता है तो न्याय पाने के लिए कोई भी उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में जा सकता है। यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि जिलाधीश अनुमति देने वाला उचित प्राधिकारी नहीं है।

अपने तीस साल के पुलिस जीवन में मैंने कई उदाहरण देखे हैं जिसमें जिलाधीश ने आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग चलाने के लिए अपनी अनुमति देने से इन्कार कर दिया और अपने आदेश पत्र में कई कारणों की ओर संकेत किया। हमें ऐसे तरीके ढूंढ़ने चाहिए जिससे उन दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए शीघ्र कदम उठाया जाये जो कई समस्याएं खड़ी करते रहते हैं। लिट्टे (एल.टी.टी.ई.) का ही उदाहरण लीजिए, यह कई विनाश का कारण बना है, और जो दक्षिण में भी कई तरह के विनाश का कारण बना है; पूर्वोत्तर क्षेत्र को ही लीजिए, जहां कई आतंकवादी सक्रिय हैं; आई.एस.आई. के लोग कई तरह की गड़बड़ियां कर रहे हैं। लश्कर–ए–तैयबा, जैश–ए–मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़े आतंकवादियों को ही लीजिए जो निकृष्ट प्राणी हैं। मैं उन्हें ऐसा कहूंगा क्योंकि वे सैकड़ों लोगों को मारने के पूर्व पलक भी नहीं झपकाते। पिछले पांच वर्षों में करीब 5 हजार विस्फोट हो चुके हैं, और सैकड़ों और हजारों लोग मारे जा चुके हैं। यदि आपके पास कोई बहुत ही ठोस उपाय नहीं हैं, तो इन गतिविधियों से निपटना बहुत ही मुश्किल होगा।

इसलिए, आप देखेंगे कि पोटो और विस्फोटक पदार्थ संशोधन प्रावधानों को एक साथ पेश करना होगा और प्रशासन का हाथ मजबूत करना होगा।

यह केन्द्र सरकार का सवाल नहीं है और न ही किसी राज्य सरकार का। लोगों को पीड़ा नहीं झेलनी पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारत को जवाबदेही लेनी पड़ेगी कि जो जानबूझकर गलत कार्यों में लिप्त हैं उनके साथ सही और ठोस तरीके से निपटा जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जो सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, मूल रूप से वह सन् 1908 का है, जिस समय बड़ा अनुसंधान नहीं हुआ था। सदन में अब नया विस्फोटक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। नया अनुसंधान यह है कि आरडीएक्स पाउडर जैसा पदार्थ है, जो विध्वंस कर देता है। हमने देखा तो नहीं है, अखबारों में पढ़ा है कि कहीं एक किलो आरडीएक्स मिला और कहीं पांच किलो आरडीएक्स मिला। घटना घट गई, तो तहस–नहस कर दिया और लोगों की सम्पत्ति भी बर्बाद हो गई। विस्फोटक पदार्थ की डैफिनिशन के बारे में प्रो. प्रमाणिक जी ने बताया है। डैफिनिशन ऐसी होनी चाहिए, जिसको पढ़कर अनजान व्यक्ति भी समझ जाए कि क्या मतलब है। एक्सप्लोजिव्स सब्सटांस का डैफिनिशन है, पदार्थ एक्सप्लो–जिव्स सब्सटांस डैफिनिशन है। कोई कहे, आदमी की परिभाषा बताइए, तो बताए कि देखने में आदमी जान पड़े। यह परिभाषा भी कोई परिभाषा है। परिभाषा होनी चाहिए, ऐसा पदार्थ जो ठोस, द्रव्य या गैस हो, जिससे रियेक्शन हो और प्रैशर तथा ताप बहुत बढ़ जाए–कुछ इस तरह की परिभाषा विस्फोटक पदार्थ की होनी चाहिए। ऐसे तो गांवों में लड़का पटाखे छोड़ता है, वह भी विस्फोटक पदार्थ में आ जाएगा। दीवाली के त्यौहार पर हम लोग देश भर में देखते हैं कि पटाखे छोड़े जाते हैं और ऐसी स्थिति में यह सब पर अमल में आ जाएगा। ...*(व्यवधान)* विस्फोटक पदार्थ की परिभाषा ठीक होनी चाहिए, तब ही यह अच्छा कानून बनेगा। राज्य सभा में यह पास नहीं हो सका, इसलिए यह दोबारा लाया गया है। लेकिन दोबारा भी अधिकारी वही कह रहे हैं, जो पहले था, तो किसको पास करें। इसलिए पहली बात यह है कि इसकी परिभाषा दुरुस्त करवाई जाए।

दूसरे, इस विधेयक में प्रावधान है कि विस्फोटक पदार्थ रखने से उसको फांसी की सजा होगी। यह कड़ी सजा है। मान लीजिए, किसी भले आदमी के घर में कोई बदमाश यह पदार्थ रख देता है, वह बेचारा अनजान आदमी है, लेकिन जिसके यहां पदार्थ मिलेगा, वह तो मारा जाएगा। इसलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इस कानून के द्वारा किसी बेकसूर को सजा न हो। जुरिसप्रडेंस का सिद्धांत है–कोई कसूरवार बिना सजा के छूट जाए, उतना खराब नहीं है, जितना कि बेकसूर को सजा हो जाए।

यह ज्यूरिसप्रुडेंस का सिद्धांत है, जो कानून विधि विज्ञान कह रहे हैं। ऐसे मामले में ऐसा कड़ा कानून बनाया, जिसे कोई अंजान आदमी नहीं जान रहा है। ये लिख रहे हैं कि किसी के पास विस्फोटक पदार्थ पाए जाने से उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अगर कोई उसे फंसाने के लिए उसकी जेब में किसी चीज से भर कर रख दे और उसके बाद उसे पकड़

ले तो ये कहेंगे कि आपके पास से मिला है, आपको फांसी देंगे। इसलिए यह पूरा डिफाइन होना चाहिए। यह साबित हो जाए कि इन्होंने जान–बूझकर अपने पास रखा है तब इन्हें सजा के लिए कानून लागू करना चाहिए, अन्यथा गांव में किसान के खेत में जाकर कोई रख दे तो ये कहेंगे कि आपके खेत में मिला है, हम आपको पकड़ेंगे। वहां वे घास–फूस और भूसा रखते हैं, वहां कोई जाकर विस्फोटक पदार्थ रख देगा तो ये कहेंगे कि आपके भूसे में से मिला है और उसे पकड़ लेंगे। इसलिए इसमें स्पष्ट होना चाहिए कि इस तरह कोई प्लान करके उसे फंसाना चाहे तो उसे बरी होने की गुंजाइश होनी चाहिए, अन्यथा सब अपराधी लोग भले आदमी को फंसा देंगे, जिससे नाराजगी होगी, उसे फंसा देंगे। इसलिए इस कानून में सुधार की जरूरत है।

महोदय, यह विस्फोटक उस जमाने का है। ऑलफ्रेड नोबल साहब ने डायनामाइट निकाला। उन्होंने इसका आविष्कार किया, उससे जो आमदनी हुई उसी से दुनिया भर में नोबल पुरस्कार बंट रहा है। ये 1908 का कानून रखे हुए हैं। अब एटोमिक न्यूक्लियर विस्फोटक पदार्थ बन रहा है। जहां–तहां सुनते हैं और अखबारों में भी पढ़ते हैं, अपराधी लोगों ने कहीं–कहीं हासिल भी कर लिया। यूरेनियम, प्लुटोनियम, रेडियोधर्मी पदार्थ कोई ले लेता है, पता नहीं उस हालत में इन्होंने प्रावधान किया है या नहीं किया है। पोखरन में इन लोगों ने एटोमिक विस्फोट किया था। ये कैसे कानून बना रहे हैं, यह प्रावधान उसमें है या नहीं, उसमें देखा जाए। इन लोगों ने पोखरन में विस्फोट कराया, दुनिया में हंगामा कराया, ऐसे विस्फोटक पदार्थ वाले कानून का प्रावधान है या नहीं। सरकारी स्तर पर होगा तो उस केस में बरी नहीं होगा। हमने क्लाज़ पढ़ा है, उसमें नहीं है। ये क्या कानून बना रहे हैं। इस सारे कानून को ठीक से देखें, जो आधुनिक कन्वेंशनल विस्फोटक पदार्थ वाला कानून है और अभी जो माडर्न विस्फोटक पदार्थ वाला है, इन दोनों को डेफिनेशन में शामिल होना चाहिए। सरकार का जो एटोमिक प्रयोग है और पोखरन का एक्सपेरीमेंट है उससे ये बरी हो जाएं। ये जो कानून बना रहे हैं, इससे तो सब सरकार के लोग जेल में चले जाएंगे। यह फांसी का कड़ा कानून है। अभी जो न्यूक्लियर आधुनिक पदार्थ है, प्रमाणिक साहब कहते हैं कि इसमें एंथ्रेक्स वाला नहीं रहेगा, लेकिन वह कम खतरनाक है। गृह मंत्री जी घबरा गए, जब गृह मंत्रालय में वह चिट्ठी गई। उसमें पाउडर था, उसकी अब ये जांच करवा रहे हैं। विस्फोटक पदार्थ में प्रोफेसर साहब कहते हैं कि एंथ्रेक्स का पाउडर नहीं होगा, उसके लिए अलग से कोई कानून है। क्या इस पर दुनिया में कम हल्ला है। इसके कीटाणुओं से, इसे छूने से या देखने से बीमारी हो जाती है, इन सबका भी ख्याल होना चाहिए। जैसे–जैसे विकास हो रहा है उसमें इसका भी प्रावधान होना चाहिए। ऐसा कोई सख्त कानून न बने, जिससे बेकसूर लोग दंडित हो जाएं। यह इतना खतरनाक और कड़ा कानून बन रहा है, जो विध्वंस करने वाला है उस पर कार्यवाही करनी चाहिए।

वे कहते हैं कि यह पोटो से भी कड़ा कानून है। पोटो वाले में आतंकवाद के नाम पर पहले गृह मंत्री जी ने दावा किया है कि सबसे ज्यादा हमने आतंकवाद को ठंडा किया है और अब ये बिना पोटो के आतंकवाद को ठंडा कर रहे हैं। फिर पोटो कानून की क्या आवश्यकता है।...*(व्यवधान)* इसलिए ये जो कर रहे हैं हम नहीं होने देंगे, हम इसका डटकर विरोध करेंगे। अगर इसमें सुधार करेंगे तो हम इसका समर्थन करेंगे।

अपराह्न 3.00 बजे

(अनुवाद)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता, उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मैं विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं जिस पर राज्य सभा में चर्चा की गई, संशोधन हुआ और पारित किया गया।

आजकल, सारा राष्ट्र भयभीत, डरा हुआ और दहशत में है, क्योंकि कब और कहां विस्फोट हो जाएगा, कोई नहीं जानता। मैं अभी भी उस दिन को याद करता हूं जब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा कलकत्ता में थे। हम लोग राष्ट्रपति महोदय को कुछ ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवन गए, तब उन्होंने बताया कि मुम्बई में भयंकर विस्फोट हुआ जिसके कारण आम लोगों के जीवन एवं धन–सम्पत्ति के साथ–साथ पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की भी हानि हुई है। यह विस्फोट आर.डी.एक्स. से किया गया था। देश के लोग दरअसल आर. डी.एक्स. शब्द से मुम्बई में विस्फोट होने के बाद ही परिचित हुए।

इस विधेयक को पढ़ते समय मुझे समझ में आया कि इस विधेयक में कुछ विस्फोटक पदार्थों को शामिल करना जरूरी है जिसमें आर.डी.एक्स., उष्मीय रूप से संवदेनशील विस्फोटक, ट्राई, नाइट्रो टोल्यून, कम तापमान पर पिघलने वाले प्लास्टिक विस्फोटक और कुछ अन्य शामिल हैं। यह बहुत संशोधन वाला विधेयक नहीं है। आजीवन कारावास सहित कठोर दंड से संबंधित

[श्री सुदीप बंद्योपाध्याय]

प्रावधान भी हैं। कुछ राज्यों विशेषकर जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल हैं जहां कुछ गंभीर घटनाएं हुई हैं, और जिस पर हमें चिंता है। यह हमेशा देखा गया है कि वास्तविक रूप से ऐसे विस्फोटों में शामिल व्यक्ति के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। जो अपराधी अपने कार्य विस्फोटकों, डिटोनेटर्स या रिमोट कंट्रोल से करते हैं उन्हें किसी भी स्तर पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमने अपने देश में ऐसी कई घटनाएं देखी हैं। हमारे राज्य में एन.जे. पी. रेलवे स्टेशन पर एक विस्फोट हुआ था। इसे रिमोट कंट्रोल और डिटोनेटर्स से अंजाम दिया गया था।

जो न केवल आम व्यक्ति के जीवन एवं धन–सम्पत्ति के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए भी दोषी हैं, उनके साथ बहुत ही सख्ती से निपटना चाहिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि दंड को और बढ़ाकर आजीवन कारावास कर देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए। केन्द्र सरकार के स्थान पर जिलाधीश इस मुद्दे के नियंत्रण के लिए पूर्णरूपेण प्राधिकृत हैं। हमारे कुछ मित्रों ने इस बात का उल्लेख किया है कि इसे जिलाधीशों को सौंप देना चाहिए, जबकि अन्य लोगों ने सुझाव दिया कि जिलाधीश अपना कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। हमें आशंका है कि कई अवसरों पर राजनीतिक प्रयोजन से विपक्ष के राजनीतिक दल को हानि हो सकती है। इसका ऐसी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। मुझे संदेह है, जैसा कि श्री रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा उल्लेख किया गया, यदि कोई व्यक्ति सुरंग निर्माण कार्य के लिए लॉरी में डायनामाइट ले जा रहा हो तो क्या उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा?

कई बातें हैं, जिन पर चर्चा किया जाना बाकी है क्योंकि विस्फोटकों का उपयोग विकास कार्यों के लिए भी किया जाता है। इसलिए, हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। हम डायनामाइट का उपयोग विकास कार्यों के लिए करते हैं। इसलिए, वास्तव में किसे पकड़ा जाएगा? यदि कोई व्यक्ति कुछ विकास कार्यों के उद्देश्य से लॉरी में डायनामाइट ढो रहा हो और उसे सड़क पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या वह बच जाएगा? इसलिए, ऐसे मामलों में बहुत ही सही तरीके से प्रमाण–पत्र जारी किया जाना चाहिए।

महोदय, इसलिए विधेयक में कोई रुकावट नहीं है। आर. डी.एक्स. अभी नया–नया है। इसलिए, इस विधेयक में कई अन्य विस्फोटकों को शामिल किया गया है। कोई नहीं जानता, यदि पांच वर्ष बाद, पुनः कई अन्य नए विस्फोटक आ जाएं। अब, सभा में एंथेक्स पर चर्चा की जा रही है। आतंकवाद का खतरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है। इस देश के लोगों के दिमाग में भी ऐसे विचार घर कर गए हैं क्योंकि भारत आतंकवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित है। जम्मू और कश्मीर में, इस तरह के विस्फोटकों का उपयोग किया जा रहा है। दुबई और अन्य देशों से कई दुर्दांत अपराधी अपनी गतिविधि चला रहे हैं। विश्व के कई बदमाश और असामाजिक तत्व अपनी गतिविधियों को विदेश में रहकर अंजाम दे रहे हैं। वे आर.डी.एक्स. और अन्य प्रकार के विस्फोटक भेज रहे हैं।

इसलिए, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। हमें पूरा विश्वास है कि यह समयानुसार लाया गया विधेयक है लेकिन मंत्री महोदय को सावधान रहना चाहिए कि इसका दुरुपयोग न किया जाए और इन शक्तियों का उपयोग सही तरीके से किया जाए। जो इन प्रावधानों का उपयोग करेंगे, उनके दिमाग में विधेयक का उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि सरकार सख्त से सख्त शक्तियों के उपयोग के प्रति सचेत है ताकि इन बातों को रोका जा सके।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, आज हम लोग विस्फोटक पदार्थ विधेयक 1908 में और संशोधन करने संबंधी बिल पर चर्चा कर रहे हैं जो 1908 का बहुत पुराना कानून था। इस बीच में आदमी का दिमाग बदला और समाज का मिजाज बदला। विज्ञान ने तमाम खोजें की हैं। इससे तरह–तरह की चीजें पैदा हुईं। यह बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। उन्हीं के चलते इन चीजों का यहां जिक्र किया गया। विस्फोटक पदार्थों में आरडीएक्स, पीईटीएन, एचएमएक्स, टीएनटी, एलटीपीई, सीई ओसीटीओएल इत्यादि आते हैं।

यह बात सही है कि आरडीएक्स के लगभग पांच हजार विस्फोट देश में हुए। यह बात भी दुरुस्त है कि जानकारी और जांच परिणामों के मुताबिक श्री राजीव गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह की भी हत्या आरडीएक्स का प्रयोग करने से हुई। निश्चित रूप से यह एक गम्भीर मामला है। यह बात दुरुस्त है कि इसका निर्माण हमारे देश में नहीं होता है। इसका निर्माण बाहर होता है लेकिन जिस मुस्तैदी से इनके आगमन पर रोक लगनी चाहिए, उतनी मुस्तैदी से

सरकार उसे नहीं कर पाई। इन विस्फोटक पदार्थों का आना रुके, इसके लिए सरकार के पास जो तंत्र है, वह भी आधुनिक होना चाहिए।

बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या एक्स–रे मशीन भी डिटैक्ट नहीं कर पाते हैं। लिहाजा जानकारी हासिल करने के लिए कि विस्फोटक पदार्थ कहां से आ रहा है, कौन ला रहा है, उसकी जांच के तौर–तरीके आधुनिक होने चाहिए। मैं मोटे तौर पर कहना चाहता हूं कि एक तरह से आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इस कानून में संशोधन किया जा रहा है। माननीय गृह राज्य मंत्री को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब इस तरह के कानून में संशोधन किया जाता है या आतंकवाद के नाम पर इस तरह के कानून बनते हैं, तब देश में बड़े पैमाने पर कानून का दुरुपयोग किया जाता है। यदि टाडा जैसे कानून से सरकार सबक नहीं सीख सकती तो इससे बड़ी भूल और कोई नहीं हो सकती। हमारे देश में टाडा में लगभग 76 हजार मामले दर्ज हुए जिनमें सिर्फ 760 केसेज में ही इन लोगों पर चार्जेज प्रूव कर पाए और यह बता पाए कि वे टाडा कानून के तहत दोषी हैं।

सभापति महोदय, जहां तक इस कानून का सवाल है, वह तो ठीक है लेकिन इस कानून को लागू करने की नीयत ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जो कानून आप बना रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, इसका व्यावहारिक परिणाम क्या निकलेगा, मैं चाहूंगा कि आप विस्फोटक पदार्थ की परिभाषा ठीक ढंग से डिफाइन करें।

सभापति महोदय, हम शादी, जुलूस, जश्न में विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग दीवाली, मेले तथा तमाशों में भी किया जाता है। इस कानून की आड़ में कहीं गरीब आदमी बलि का बकरा न बन जाए, इस बात का हमें प्रयास करना चाहिए। कानून में संशोधन के जरिए मृत्यु या आजीवन कारावास की व्यवस्था की गई है। इसमें कारावास पर्याप्त है, मृत्युदंड की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, बिल के अंतिम पैरा 6 में कहा गया है कि सैक्शन–7 में जो शब्द 'केन्द्र सरकार' था, उसके स्थान पर 'डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट' रखा जाएगा। आपसे अपेक्षा यह की जाती है कि राज्य सरकार के चंगुल से आप इसे मुक्त रखें। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट राज्य सरकार का अधिकृत व्यक्ति होता है। मैं समझता हूं कि इसे लागू करने के लिए अगर कोई विश्वसनीय जांच एजेंसी को आप नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से इस कानून का दुरुपयोग होगा। इसलिए आप कोई कमेटी बनाइए न्यायिक मैजिस्ट्रेट की बात करें या कोई और तरीका निकालिए। मेरा कहना यह है कि इन सबके बावजूद आतंकवाद के नाम पर इस देश में जो कुछ हो रहा है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए, जो भी कानून हम बना रहे हैं, देखने में आया है कि उन कानूनों का निरंतर दुरुपयोग होता रहा है। मुझे आशंका है कि इस कानून का कहीं दुरुपयोग न हो, इसलिए इस कानून की एक विश्वसनीय संस्था के माध्यम से समीक्षा हो तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जो विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक लाए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह 1993 का पुराना एक्ट था। भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के कारण जो विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई थी, उससे निपटने के लिए माननीय मंत्री जी यह विधेयक लाए हैं। इसे सख्त बनाया जाना आवश्यक था और इसलिए भी आवश्यक था कि देश में आतंकवादियों ने करोड़ों रुपए की सम्पत्ति नष्ट कर दी और लाखों लोग इस विस्फोटक पदार्थ के कारण मारे गए। आतंकवादियों की चुनौतियों को समाप्त करने के लिए ही यह कानून लाया गया है।

सभापति महोदय, इस बिल के खंड–3 में एक व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। मेरा कहना है कि देश में आज जो स्थिति पैदा हो गई है और आतंकवाद का जिस प्रकार से हौवा पैदा हो गया है, सारे विश्व से वह आतंकवाद खत्म हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक कोशिश की है। इस प्रकार के विस्फोटक पदार्थ भारतवर्ष में नहीं बनाए जाते बल्कि ये पाकिस्तान में बनते हैं। पाकिस्तान की सीमा से राजस्थान और पंजाब में लाए जाते हैं और वहां से गुजरात और मुम्बई आदि स्थानों पर यह सामग्री पहुंच रही है। यदि रिवाल्वर हो, उसकी गोलियां हों, उन्हें मैटल डिटेक्टर से पकड़ा जा सकता है। लेकिन अब कैमिकल विस्फोटक पदार्थ आ गए हैं। उन्हें किसी भी प्रकार से मैटल डिटेक्टर से मालूम करना कठिन बात है। इसलिए मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी इस बिल को यहां देरी से लाए हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, इस बिल को उन्होंने यहां रखने का प्रयास किया है।

सभापति महोदय, आपको याद होगा कि वर्ष 1991 में हमारे देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या आर.डी.एक्स. के कारण हुई। पंजाब के मुख्य मंत्री श्री बेअन्त

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

सिंह का देहावसान इसी आर.डी.एक्स. के कारण हुआ। इस समय तक पांच हजार किलो आर.डी.एक्स. का प्रयोग राजस्थान में हो चुका है जिससे लगभग दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रोपर्टी का नुकसान हो चुका है और लगभग 1400 व्यक्तियों की जानें इस कारण चली गई हैं। मुम्बई में विस्फोट भी हुए वे इसी आर.डी.एक्स. के कारण हुए। इसका निर्माण पाकिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान इसे भारत और नेपाल में भेजता है। इसलिए इस बिल का लाना बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, आजकल एक और नई बीमारी एंथ्रेक्स चली है। एंथ्रेक्स एक प्रकार का पाउडर है, जिसे चिट्ठी वगैरह में डाल दिया जाता है, उसे एंथ्रेक्स कहा जाता है। इस पाउडर का रंग सफेद है, लाल है, काला है या पीला है, यह सुगन्धित है या क्या है, इन सब बातों को सरकार अभी नहीं जान पाई है। मेरे कहने का मतलब है कि इस संबंध में भी सरकार को विचार करना चाहिए और एंथ्रेक्स जैसी चीज को भी इस कानून के अंतर्गत लाने का प्रयास माननीय मंत्री जी करें तो वास्तव में बहुत सुन्दर बात होगी, अन्यथा यह कानून अधूरा रहेगा। एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो या अन्य स्थान हों, बहुत सी चीजों की जानकारी तो मैटल डिटेक्टर्स कर लेंगे, लेकिन इन चीजों की जानकारी उनके द्वारा नहीं हो सकती है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान, पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों के बार्डर एरियाज में जितनी चीजें पकड़ी जाती हैं, आखिरकार वे चीजें क्या हैं। उन चीजों का निर्यात भारतवर्ष में न हो, इस संबंध में माननीय मंत्री जी को ध्यान देना पड़ेगा।

इस विधेयक के माध्यम से यह संशोधन लाने की कोशिश की गई है कि जिन लोगों के पास ये चीजें मिलेंगी, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आपके इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और समर्थन करने के साथ-साथ यह आशा करता हूं कि इस बिल में जो कमियां रह गई हैं, उन सारी कमियों को दूर करने की तरफ भी आप ध्यान देंगे। इसके साथ ही मैं इस बिल का ह्रदय से समर्थन करता हूं। मैं आपको इसके लिए भी धन्यवाद दे रहा हूं कि यह बिल उस समय लाया गया है जबकि देश में आतंकवाद फैला हुआ है।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : सभापति महोदय, वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्य जैसे अधीर चौधरी, प्रो. आर. आर. प्रमाणिक, श्री अनादि साहू, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, श्री गिरधारी लाल भार्गव और श्री रामजीलाल सुमन ने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं।

पिछले दिनों, जम्मू-कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक विस्फोटक पदार्थों से विस्फोट की कई घटनाएं हुई हैं और इसका विस्तार पूर्वोत्तर क्षेत्रों तक भी हुआ है। इन बम विस्फोटों में कई लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग अपंग हो गए हैं और करोड़ों की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। अधिकांश आतंकवादियों का कार्य-क्षेत्र सिर्फ जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही नहीं है बल्कि देश के प्रायः सभी राज्यों में फैला हुआ है। वे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के साथ सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं और उनसे विस्फोटक पदार्थ हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा, वे देश जिनके भारत के साथ प्रतिकूल संबंध हैं वे इन आतंकवादियों का वित्त पोषण और समर्थन कर रहे हैं एवं उन्हें सीमा पार से इस देश में ला रहे हैं। वे अत्याधुनिक उपकरणों और विस्फोटक पदार्थों से लैस हैं। इस बढ़े हुए आपराधिक परिदृश्य में यह और भी अत्यावश्यक हो गया है कि देश में बढ़े हुए आपराधिक परिदृश्य से निपटने के लिए कठोर विधान बनाया जाए। वर्ष 1908 का अधिनियम, जो कि पहले से ही विद्यमान है, उसमें कोई स्पष्ट परिभाषा' नहीं है और परम्परागत विस्फोटकों और अधिक तबाही मचाने वाले अत्याधुनिक विस्फोटकों के बीच अंतर नहीं करता है। इस बदले परिदृश्य में, यह और भी आवश्यक हो गया है कि इस विशिष्ट सभा के समक्ष इस विधान को लाया जाए।

विधेयक पर गृह मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति में दिनांक 18-2-2000 को विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कई सुझाव दिए। सरकार द्वारा उन पर विचार किया गया। उनके सुझावों के साथ, इसे राज्य सभा में भेजा गया था और राज्य सभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया था। अब इसे इस विशिष्ट सभा के समक्ष लाया गया है। इस मुद्दे पर बोलने वाले सभी माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं।

सबसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि इस देश में कितना आरडीएक्स लाया गया और विस्फोटकों में प्रयोग किया गया। वे यह जानकारी चाहते थे। मेरे पास 1999 और 2000, दो वर्षों की जानकारी है। जहां तक उन्नत विस्फोटक उपकरणों का संबंध है, इन्हें वर्ष-दर-वर्ष उन्नत किया जा रहा है। पहले आतंकवादी और अलगाववादी चाहे वे पूर्वोत्तर के हों या कश्मीर के बारूदी सुरंगों में आई.ई.डी. को क्रियाशील करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, लेकिन अब वे रिमोट कंट्रोल से इन आई.ई.डी. को क्रियाशील कर रहे हैं।

वर्ष 1999 में, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से जब्त किया गया आर.डी.एक्स. 1,378.950 कि.ग्रा. था। वर्ष 2000 में 1,958.860 कि.ग्रा. आर.डी.एक्स. जब्त किया गया था। वर्ष 2001 में जून तक, 418.050 कि.ग्रा. आर. डी.एक्स. जब्त किया गया था। इस तरह देश में इतना अधिक आर.डी.एक्स. जब्त किया गया था।

जहां तक बम विस्फोटों का संबंध है, वर्ष 1999 में, विस्फोटों की कुल संख्या 3,22 थी। यहां आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक तथा पूर्वोत्तर सहित अनेक राज्य शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक 1881 विस्फोट हुए। जहां तक कामचलाऊ विस्फोटकों का संबंध है, प्रयोग में लाए गए विस्फोटकों की कुल संख्या 263 थी। सबसे अधिक विस्फोटक उपकरण जम्मू और कश्मीर में प्रयोग में लाए गए जिनकी संख्या 246 है।

वर्ष 2000 में इस देश में किए गए कुल बम विस्फोटों की संख्या 2198 थी। सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में बम विस्फोट किए गए, जिनकी संख्या 815 है।

जहां तक कामचलाऊ विस्फोटकों का संबंध है, आम नागरिकों और सैनिकों को मारने के लिए प्रयोग में लाए गए कुल विस्फोटकों की संख्या 2810 थी, जम्मू और कश्मीर में सबसे अधिक उपकरणों का प्रयोग किया गया, जिनकी संख्या 2584 है।

वर्ष 2001 में, जून तक बम विस्फोटों की कुल संख्या 485 थी। सबसे अधिक विस्फोट उत्तर प्रदेश में किए गए, जिनकी संख्या 285 है।

जून तक किए गए कुल बम विस्फोटों की संख्या 235 थी। जम्मू और कश्मीर में सबसे अधिक बम विस्फोट किए गए; जिनकी संख्या 233 है।

इस तरह, बम और कामचलाऊ विस्फोटकों का इस देश में अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है। स्थिति भी बहुत तनावपूर्ण है। माननीय सदस्य प्रो. आर.आर. प्रमाणिक ने इस विधेयक के संबंध में अनेक मुद्दे उठाए हैं। विभिन्न विस्फोटकों जिनका उन्होंने अपने भाषण में उल्लेख किया है, के बारे में सोचने के लिए उन्होंने मुझे एक सुझाव भी दिया था। उन्होंने सेना, ठेकेदारों और अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले अनेक विस्फोटक पदार्थों का उल्लेख किया है। उन्होंने परमाणु विस्फोटकों के बारे में भी बात की है। उन्होंने अनेक प्रश्न उठाए हैं और सुझाव दिया है कि यदि मेरे पास जानकारी नहीं है तो उसे मैं वरिष्ठ साथियों से या दीर्घा में उपस्थित अधिकारियों से प्राप्त कर सकता हूं। सौभाग्य से, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए अधिकांश प्रश्नों का श्री अनादि साहू जो एक उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी थे, द्वारा पहले ही उत्तर दे दिया गया है।

मेरा माननीय सदस्य से विनम्र निवेदन है कि इसका उत्तर पहले से ही विधेयक में है। माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा था कि अधिनियम की परिभाषा पर्याप्त नहीं है। उनका मुख्य प्रश्न यही था। वह सरकार से अनेक विस्फोटक पदार्थों को शामिल करने के लिए पूछ रहे थे। उन्होंने अनेक विस्फोटक पदार्थों का उल्लेख किया है।

इस अधिनियम में रिमोट कंट्रोल उपकरण जिनसे विस्फोट किए जाते हैं, को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विशेष श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। एक विशेष श्रेणी 2(क) को स्पष्ट परिभाषा के साथ यहां रखा गया है। इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजने के पश्चात् स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, यह सुझाव स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा दिया गया था जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अन्य चीजों में सजा को बढ़ाने के संबंध में धारा 3, 4, और 5 के संबंध में केवल शब्दों का हेरफेर है। आजीवन कारावास के स्थान पर 'कठोर' शब्द जोड़ा गया है। यह शब्दों का हेरफेर है।

महत्वपूर्ण बात विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विशेष श्रेणी का केवल वर्गीकरण है।

इस बात पर आते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा स्थायी समिति की सलाह लेने के पश्चात् किया गया है। "रिमोट कंट्रोल उपकरण जिससे विस्फोट किया जाता है" के पश्चात् एक परिवर्धन है। "रिमोट कंट्रोल उपकरण शब्द जिससे विस्फोट किया जाता है और अन्य कोई पदार्थ तथा इसका संयोजन, जिसे कोई सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को स्पष्ट कर सरकारी राज्य में अधिसूचित कर सकती है।" अतः यह सुझाव पर्याप्त है। आज, हम माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित विभिन्न विस्फोटक पदार्थों के बारे में तथा अनुसंधान और विकास विस्फोटक (आर.डी.एक्स.) पेटा एरिथिराइटील टेट्रा नाइट्रेट (पी. ई.टी.एन.) हाई मिल्टिंग एक्सप्लोसिव (एच.एम.एक्स.), ट्रिनी ट्रोल्यून (टी.एन.टी.) और लो टेम्परेचर प्लास्टिक एक्सप्लोसिज आदि के बारे में चर्चा कर सकते हैं। दुर्भाग्य से, कल हमें कुछ और विभिन्न विस्फोटकों के बारे में भी चर्चा करनी होगी।

[श्री सीएच. विद्यासागर राव]

हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए इस प्रावधान से सरकार को अथवा जांच प्राधिकारियों को सक्षम बनाने के लिए सुझाव दिया गया है। माननीय सदस्य द्वारा चाहे कोई भी मुद्दे सुझाए गए हों, यदि सरकार इन्हें आवश्यक समझेगी तो इन्हें शामिल किया जा सकता है। यदि सरकार ऐसा महसूस करती है तो निश्चित रूप से इन्हें शामिल किया जा सकता है। मुझे इसे परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे सभी विस्फोटक पदार्थों जो सारे देश और सारे विश्व में व्याप्त हैं को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः जब कभी ऐसा आवश्यक समझा जाएगा तब निश्चित रूप से, इसे शामिल किया जाएगा। स्थायी समिति द्वारा एक समर्थकारी प्रावधान का सुझाव दिया गया है। उसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इस समर्थकारी प्रावधान से माननीय सदस्य के लिए उत्तर उपलब्ध है।

सजा के संबंध में, धाराओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। धारा (3) में खंड 3, उपखंड (ख) में 'कठोर कारावास' शब्द जोड़े गए हैं। पहले इसमें केवल 'कारावास' शब्द ही था। समिति के सुझाव को स्वीकार करने के पश्चात् खंड 3, उपखंड (ख) में, 'कठोर' शब्द जोड़ा गया है। जहां तक परिभाषा का संबंध है, पारम्परिक और घातक हथियारों में स्पष्ट अंतर है और जिसका वर्णन किया गया है। धारा 4, उपखंड (क और ख) में इसका उल्लेख किया गया है।

> "...विस्फोटक पदार्थ रखने या किसी को मारने के लिए षड्यंत्र करने अथवा किसी को मारने का प्रयास करने के लिए दण्ड"...

इन अंतरों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इस प्रावधान में दंड का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। जब कोई अपराध किया जाता है, जब कोई व्यक्ति अपराध करने की सोचता है जिसमें स्पष्ट रूप से अंतर कर दिया गया है और तदनुसार शब्दावली को पुनः तैयार किया गया है। इसलिए इसमें कोई अस्पष्टता अथवा विरोधभास नहीं है, जहां तक विधेयक का संबंध है यह बिलकुल स्पष्ट है।

किसी विधेयक पर चर्चा करते समय हम मृत्युदंड पर चर्चा नहीं कर सकते अथवा उसे भारतीय दंड संहिता से हटा नहीं सकते हैं। मृत्युदंड को हटाने के लिए इस पर विभिन्न रूपों से निर्णय किया जाना है। इस समय हम मृत्युदंड के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं।

दूसरा मुद्दा उसी व्यक्ति को दी गई सजा थी। यह पूछा गया था कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अभियोजित और सजा कैसे दी जा सकती है। यह ठीक नहीं है। इन अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। बम विस्फोट करने का प्रयास करने, विस्फोटक रखने अथवा बम विस्फोट करने में लिप्त होने को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को लाठी से मारा जा सकता है, तो किसी व्यक्ति को रिवाल्वर से भी मारा जा सकता है, निश्चित रूप से अपराध की गंभीरता में परिवर्तन होता है, ऐसा इसलिए कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को रिवाल्वर से मारता है, उसे अभियोजित किया जाएगा। इसे शस्त्र अधिनियम के साथ भी पढ़ा जाता है। इसी तरह, यदि किसी व्यक्ति को विस्फोटक से मारा जाता है तो यह अलग चीज है। एक व्यक्ति जिसे दूसरे व्यक्ति द्वारा लाठी से मारा जाता है, अलग चीज है। यह नृःहत्या से भिन्न है। जब किसी व्यक्ति को विस्फोटक द्वारा मारा जाता है तो इसे इस अधिनियम के साथ पढ़ा जाता है। इसलिए, ऐसा इसलिए नहीं है कि यहां दो सजाएं हैं। निश्चित रूप से यह किए गए अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है।

माननीय श्री प्रमाणिक द्वारा उल्लिखित किए गए अधिकांश मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। माननीय सदस्य डायनामाइट्स, जिसका ठेकेदारों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, के बारे में निश्चित रूप से उल्लेख कर रहे हैं, इसी तरह, अन्य सभी चीजों का उल्लेख किया गया है। जहां तक अन्य पारम्परिक विस्फोटकों डायनामाइट्स जिनका ठेकेदारों, सेना द्वारा प्रयोग किया जाता है का संबंध है। इन सभी विस्फोटक पदार्थों को एक अलग अधिनियम, 1884 का अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों से निपटा जाता है। इसलिए उन्हें अभियोजित किया जा सकता है। उन विस्फोटकों जो इस प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते हैं, के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है। केवल उन्हीं घातक और अन्य विस्फोटकों जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है, को शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

आदरणीय संसद सदस्य ने एक्सप्लोसिव्ज में पटाखों से लेकर पोखरण तक को मेंशन किया और एंथ्रेक्स के बारे में भी मेंशन किया। एंथ्रेक्स एक्सप्लोसिव सब्सटेंस नहीं होता, इसलिए उसे इसमें इन्क्लूड करने का सवाल ही नहीं होता। पटाखों में जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है, उसके लिए सैपरेट एक्ट के तहत परमीशन देते हैं, तब वे एक्सप्लोसिव यूज करते हैं। उसमें अगर कुछ विस्फोट होता है, उससे अगर कोई मर

गया है तो एक्शन के साथ केसेज बुक करते हैं। इसका इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है, यह तो लीथल वैपंस के बारे में है। एंथ्रेक्स के बारे में तो मैंने बताया,

[अनुवाद]

इसलिए, मैं प्रो. प्रमाणिक से इन संशोधनों को वापस लेने का अनुरोध करता हूं। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह अधिनियम सुस्पष्ट है। देश के विकृत परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए यह और भी आवश्यक हो गया है। जब तक हम इस विधेयक को पारित नहीं कर देते तब तक अपराधियों और आतंकवादियों से निपटना बहुत कठिन होगा। इसलिए, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

(व्यवधान)

खंड 2 *1908 के अधिनियम संख्यांक 6 की धारा 2 से 5 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन*

सभापति महोदय : प्रो. प्रमाणिक, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक (मथुरापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 7 से 11 और पृष्ठ 2, पंक्ति 1 और 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए--

"(क) विस्फोटक पदार्थ के अंतर्गत (i) पारंपरिक जैसे ठोस, गैस अथवा तरल पदार्थ जो प्रवर्तित किए जाने पर अत्याधिक तीव्र स्वतः वहनीय उष्मा–उन्मोकी सम्मिश्रण के द्वारा अत्यधिक मात्रा में उष्मा और दबाव उत्पन्न करेगा; और (ii) गैर पारंपरिक जैसे नाभिकीय विस्फोट; क्रांतिक और उप–क्रांतिक शामिल समझे जाएंगे।" (1)

पृष्ठ 2, पंक्ति 10 में,–

"पदार्थ' के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए–

"जिसे भविष्य में विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थों की सूची में शामिल किया जा सकेगा।" (2)

...*(व्यवधान)* महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत करते समय भाषण की अनुमति नहीं है। आपने अपनी बात को विस्तार से स्पष्ट कर दिया है।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : मंत्री के भाषण के बाद, मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने अपना उत्तर दे दिया है। प्रो. प्रमाणिक और क्या स्पष्टीकरण चाहिए?

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : और क्या व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण चाहिए?

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : यदि आप मुझे बोलने की अनुमति दें तो मैं केवल दो या तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय : सदस्यों को अपने संशोधनों पर बोलने की अनुमति नहीं है।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : मैं संशोधन के संबंध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपने आधे घंटे तक विस्तार से बोला है।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : मंत्री के भाषण के पश्चात् ही मैं मंत्री से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : किसके पश्चात्?

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : चूंकि वह अभी बोले हैं अतः मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : वह उत्तर दे चुके हैं।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : मैं कुछ स्पष्टीकरण और सफाई चाहता हूं। कृपया मुझे अनुमति दें। केवल दो मिनट पर्याप्त हैं।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री द्वारा विधेयक को पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करने से पहले आप दो–तीन प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी नहीं।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : जी, ठीक है।

सभापति महोदय : आपको विधेयक के तीसरे चरण में बोलने की अनुमति दी जाएगी।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : धन्यवाद, महोदय।

सभापति महोदय : मैं अब प्रो. आर.आर. प्रमाणिक द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 1 और 2 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 *ऐसा विस्फोट कारित करने के लिए दंड जिससे जीवन या संपत्ति के खतरे में पड़ने की संभावना है*

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 12 में,–

"कोई व्यक्ति जो" के पश्चात् "जानते हुए, जान–बूझकर" अंतःस्थापित किया जाए। (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 15 और 16,--

"आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से" के स्थान पर "किसी भी भांति के कठोर कारावास से" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 19,–

"जीवन के" के पश्चात् "प्राणांतक" अंतःस्थापित किया जाए। (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 19,–

"संपत्ति को" के पश्चात् "भारी और" अंतःस्थापित किया जाए। (6)

सभापति महोदय : मैं अब प्रो. आर.आर. प्रमाणिक द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3, 4, 5 और 6 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 *विस्फोट कारित करने के प्रयत्न के लिए या जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के आशय से विस्फोटक बनाने या रखने के लिए दंड*

सभापति महोदय : प्रो. प्रमाणिक, क्या आप संशोधन सं. 7 और 8 प्रस्तुत कर रहे हैं?

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : महोदय, मैं अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 22,–

"कोई व्यक्ति जो" के पश्चात् "जानते हुए, जानबूझकर", अंतःस्थापित किया जाए। (7)

पृष्ठ 2, पंक्ति 36,–

"कठोर आजीवन कारावास से या" का लोप किया जाए। (8)

सभापति महोदय : मैं अब प्रो. आर.आर. प्रमाणिक द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 और 8 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 *संदिग्ध परिस्थिति में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिए दंड*

सभापति महोदय : प्रो. प्रमाणिक आपके संशोधन सं. 9, 10 और 11 हैं। क्या आप उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं?

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : महोदय, मैं अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 40,—

"युतियुक्त" के पश्चात् "और यथार्थ" अंतःस्थापित किया जाए। (9)

पृष्ठ 2, पंक्ति 42 और 43,—

"जब तक कि वह यह दर्शित नहीं कर देता कि उसने उसे विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाया या अपने पास या अपने नियंत्रणाधीन रखा है" का लोप किया जाए। (10)

पृष्ठ 3, पंक्ति 3,—

"कठोर आजीवन कारावास से या" का लोप किया जाए। (11)

सभापति महोदय : मैं अब प्रो. आर. आर. प्रमाणिक द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं 9, 10 और 11 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 *धारा 7 का संशोधन*

सभापति महोदय : प्रो. प्रमाणिक क्या आप संशोधन सं. 12 प्रस्तुत कर रहे हैं?

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 6,—

"जिला मजिस्ट्रेट" के स्थान पर "प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट" प्रतिस्थापित किया जाए। (12)

सभापति महोदय : मैं अब प्रो. आर. आर. प्रमाणिक द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अब, प्रो. आर. आर. प्रमाणिक।

प्रो. आर. आर प्रमाणिक : सभापति महोदय, मैंने अपारंपरिक विस्फोटकों अर्थात् नाभिकीय विस्फोटकों, यूरेनियम–235 और प्लूटोनियम का मुद्दा उठाया है। मैंने 'ट्रैस केन" बम, परमाणु बम तक सूटकेस बम की बात की हैं परंतु उस मुद्दे पर मंत्री की ओर से कोई उत्तर नहीं आया।

मैंने यह भी कहा था कि 'विस्फोटक पदार्थ' को उचित रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। विस्फोटक पदार्थ की विशेष श्रेणी की भी स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई है। इसलिए, दोनों में अंतर कहां है? मुझे इसका पता नहीं है। मंत्री ने

[प्रो. आर. आर. प्रमाणिक]

उत्तर नहीं दिया है। उत्तर देते हुए उन्होंने केवल आरडीएक्स के बारे में बताया कि इतने किलोग्राम, इतनी मौतें और केवल आरडीएक्स से ही इतने करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हुई। जान और माल की हानि का जिक्र करते हुए आरडीएक्स के अलावा और किसी विस्फोटक का जिक्र नहीं किया गया। इसलिए, उन्होंने उन सभी उच्च विस्फोटकों और सैन्य विस्फोटकों को शामिल कर लिया है जिनका जिक्र मैंने किया है। उत्तर देते हुए केवल आरडीएक्स का ही उल्लेख किया गया है।

अब, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मान लीजिए कि कोई विस्फोट होता है परंतु संपत्ति की कोई हानि नहीं होती है। सजा है आजीवन कारावास। जब विस्फोट विशेष प्रकार के विस्फोटकों से होता है तो सजा होती है मृत्युदंड। उसी संदर्भ में मैंने सभा में कहा था कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पाइपगन अथवा रिवाल्वर से होती है तो सजा वही होनी चाहिए। अपने उत्तर में उन्होंने कहा है कि "यदि किसी आदमी की डंडे से अथवा रिवाल्वर से हत्या होती है"। मैं माननीय मंत्री को सूचित करना चाहता हूं कि मैंने कभी डंडे का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा था कि "यदि किसी आदमी की पाइपगन अथवा किसी रिवाल्वर" से हत्या होती है तो क्या सजा अलग-अलग होगी। माननीय मंत्री ने डंडे की बात की है। इसलिए, अब समझदारी की बात है। मैं माननीय मंत्री से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि 'विस्फोट, मृत्यु नहीं, संपत्ति की कोई हानि नहीं—आजीवन कारावास' और विशेष श्रेणी के लिए, 'जान और माल की कोई हानि नहीं—मृत्यु दंड' में दो बातें क्यों हैं?

मैं माननीय मंत्री से 'पारंपरिक तथा अपारंपरिक' के संबंध में भी स्पष्टीकरण चाहता हूं। अपारंपरिक का तात्पर्य प्राणघातक नहीं है। अपारंपरिक का अर्थ है नाभिकीय। माननीय मंत्री ने 'ट्रेस कैन बम' के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : महोदय, साधारण परिस्थितियों में मृत्यु दंड की तुलना करने के लिए आर्म्स एक्ट के भीतर मैंने 'डंडे द्वारा मृत्यु' का जिक्र किया था।

अपने उत्तर में मैंने पहले ही विभिन्न विस्फोटक पदार्थों का उल्लेख किया है। माननीय सदस्य को वृहत जानकारी है और उन्हें कई विस्फोटकों के बारे में पता है जिन्हें इस उत्तर में अथवा विधेयक में भी शामिल नहीं किया जा सका है। मैंने केवल अनुसंधान तथा विकास विस्फोटकों का ही जिक्र नहीं किया है बल्कि पेंटा-इरेथ्रेटल, टेट्रा-नाइट्रेट, हाई-मिल्टिंग विस्फोटकों का भी जिक्र किया है...*(व्यवधान)*

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : *उन्होंने इसमें जान और माल* की हानि का कभी उल्लेख नहीं किया है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उन्हें पूरा करने दें।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : महोदय, रिकार्ड में यह है। मैंने कई विस्फोटकों के बारे में उल्लेख किया है जिनका विधेयक में जिक्र किया गया था।

जब यह विधेयक स्थायी समिति के पास भेजा गया था तो सभी माननीय सदस्यों ने इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। उन्होंने सरकार को एक अवसर दिया है और ऐसे उपबंध का भी प्रावधान सरकार के लिए किया है कि जब भी उसे कुछ नए विस्फोटक पदार्थों की उपलब्धि हो तो वह अधिसूचना के द्वारा उन्हें शामिल कर सकती है।

जिन विस्फोटक पदार्थों का माननीय सदस्य आज उल्लेख कर रहे हैं उन्हें भी आवश्यक समझे जाने पर शामिल किया जा सकता है।

सजा में भिन्नता होने के संबंध में, यदि किसी व्यक्ति की हत्या पारंपरिक विस्फोटक से की जाती है और यदि किसी व्यक्ति की आरडीएक्स से अथवा किसी दूर नियंत्रण द्वारा तात्कालिक विस्फोटक उपकरण को क्रियाशील करके हत्या की जाती है तो अपराध की गंभीरता या मंशा निश्चित रूप से भिन्न होती है। 'आजीवन कारावास' पहले से ही है...*(व्यवधान)*

महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

सभापति महोदय : कृपया इन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : जब कोई विस्फोट होता है, और जान-माल की कोई हानि नहीं होती है और व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तो क्या होगा? कृपया विधेयक का अध्ययन करें।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : महोदय, यदि दूर नियंत्रण से किसी विस्फोटक उपकरण को चलाया जाता है तो मृत्यु 100 प्रतिशत हो सकती है और कुछ और व्यक्ति अपंग हो सकते हैं। परंतु अपराध की समग्रता पर ध्यान दिया जाएगा।

सभापति महोदय : यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तो क्या होगा?

श्री सीएच. विद्यासागर राव : यह भिन्न बात है। इसका धारा 3(क) और (ख) तथा खंड 4(क) और (ख) में स्पष्ट रूप से भेद दिखाया गया है। किसी विस्फोटक रखने के मामले में सजा दस वर्ष है और दंड का भागीदार भी होगा। यह सजा आजीवन नहीं है बल्कि केवल दस वर्ष के लिए है... *(व्यवधान)*

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : महोदय, दोनों ही मामलों में जन–धन की कोई हानि नहीं है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : महोदय, यह बहुत स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति मारा जाता है और यदि किसी व्यक्ति के पास से विस्फोटक बरामद होते हैं अथवा जब विस्फोट करने की मंशा के साथ कोशिश की जाती है तो इसमें अंतर है।

सभापति महोदय : यदि किसी व्यक्ति के पास विस्फोटक पदार्थ पाए जाते हैं तो यह जानना चाहते हैं कि क्या मृत्यु दंड का प्रावधान है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : महोदय, उसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा। हम यहां किसी न्यायाधीश के ऊपर होकर अपनी राय नहीं दे सकते।

जहां तक अपराधों का संबंध है तो छड़ का प्रयोग करने की प्रणाली का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। आजीवन कारावास पहले से है। यह नयी बात नहीं है। पुराने अधिनियम में आजीवन कारावास विद्यमान है। यह सश्रम है और मृत्यु दंड की सजा को जोड़ा गया है और कुछ भी नहीं है। अतः ये सभी खंड बहुत स्पष्ट हैं। इनका कभी दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। बहुत सारी संभावनाएं हैं। दुरुपयोग के प्रश्न पर पहले ही स्थायी समिति में विचार–विमर्श किया गया है और स्थायी समिति की राय लेने के पश्चात् इन्हें शामिल किया गया है और ये संशोधन किए गए हैं।

सभापति महोदय : प्रो. प्रमाणिक आपने अपनी बात कह दी है और उन्होंने भी इसका उत्तर दे दिया है।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि मंत्री द्वारा इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। मैं पढ़ रहा हूं। कि...*(व्यवधान)*

श्री सीएच. विद्यासागर राव : सभापति महोदय, आपने मुझसे दंड के बारे में प्रश्न पूछकर बड़ी कृपा की। यदि किसी व्यक्ति ने इसे अपने पास रखा है तो उसके लिए मृत्यु दंड नहीं है...*(व्यवधान)*

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : मैं वह नहीं बता रहा हूं। मैं खंड 3 से पढ़ता हूं :

"कोई व्यक्ति जो विधिविरुद्धतया और विद्वेषतया–

(क) किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या किसी संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना है, वह, चाहे क्षति किसी व्यक्ति या किसी संपत्ति को वस्तुतः हुई हो अथवा नहीं, आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा,

(ख) किसी विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या किसी संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना है, वह, चाहे क्षति किसी व्यक्ति या किसी संपत्ति की वस्तुतः हुई हो अथवा नहीं, मृत्यु से दंडित किया जाएगा..."...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : मंशा महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्यवाही...*(व्यवधान)*

श्री सीएच. विद्यासागर राव : मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय सदस्य खंड 4(क) और (ख) से पढ़ रहे हैं, जहां मृत्यु दंड है ही नहीं...*(व्यवधान)*

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : मैंने खंड 3 पढ़ा है, खंड 4 नहीं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। उन्हें स्पष्टीकरण देने दें।

प्रो. आर. आर प्रमाणिक : महोदय, यह मेरी बात को गलत उद्धृत कर रहे हैं। मैंने खंड 3(क) और (ख) पढ़ा है, खंड 4 नहीं...*(व्यवधान)*

श्री सीएच. विद्यासागर राव : खंड 3 में मृत्यु दंड का उल्लेख किया गया है। खंड 4 में, यदि कोई व्यक्ति प्रयास

[श्री सीएच. विद्यासागर राव]

करने के लिए आरडीएक्स अथवा विस्फोटक पदार्थ रखता है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री सीएच. विद्यासागर राव : महोदय, मैंने माननीय सभापति के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दे दिया है कि आरडीएक्स अथवा प्राण–घातक विस्फोटक रखने मात्र से मृत्यु दंड नहीं होता। विधेयक में यह नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, इन्होंने इसे स्पष्ट कर दिया है।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : महोदय, इसका उत्तर नहीं दिया गया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.48 बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2001-2002

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1998-99

सभापति महोदय : अब सभा अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2001–02 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1998–99 पर संयुक्त चर्चा प्रारम्भ करेगी जिसके लिए कार्य मंत्रणा समिति द्वारा दो घंटे का समय आवंटित किया गया है।

मुझे इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा का क्षेत्र अनुपूरक अनुदानों से संबंधित मदों तक सीमित है।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के संबंध में सदस्यों को अतिरिक्त व्यय पर टिप्पणी करने की छूट है। उसके पश्चात् सामान्य चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है।

मैं उम्मीद करता हूं कि सदस्य संयुक्त चर्चा में भाग लेते हुए उपर्युक्त मानदंडों को ध्यान में रखेंगे ताकि सभा निर्धारित समय में चर्चा पूरी कर सके।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य–सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांगों के शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य–सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशि से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं–मांग संख्या 14 और 16."

"कि कार्य–सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांगों के शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य–सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशि से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं–मांग संख्या 5, 6, 8 और 13."

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2001–2002 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग की संख्या	माग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान की मांग की राशि (रु.)
1	2	3
14	निधियों में विनियोग	400,00,00,000
16	परिसंपत्तियां–खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	1898,00,05,000
	रेलवे निधियां	1400,00,00,000
	जोड़	3698,00,20,000

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1998–99 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग की संख्या	माग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अतिरिक्त अनुदान की मांग की राशि (रु.)
1	2	3
5	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	8,39,12,168
6	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	23,91,08,557
8	परिचालन व्यय–चल स्टाक और उपस्कर	1,00,27,165
13	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा–निवृत्ति लाभ	315,39,64,774
	जोड़	348,70,12,664

सभापति महोदय : अब, श्री शीश राम ओला–उपस्थित नहीं

श्री के. पी. सिंह देव–उपस्थित नहीं

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह–उपस्थित नहीं

श्री प्रियरंजन दासमुंशी–उपस्थित नहीं

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल–उपस्थित नहीं

प्रो. ए. के. प्रेमाजम

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : चूंकि वह आ गए हैं इसलिए वह बोल सकते हैं।

सभापति महोदय : मैंने पहले ही प्रो. प्रेमाजम का नाम पुकारा है। जब मैंने उनका नाम पुकारा था, तो वह वहां नहीं थे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : मैंने हमेशा महिलाओं का आदर किया है और उन्हें पहले अवसर मिलना चाहिए।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : आदरणीय सभापति महोदय, आपने रेलवे की वर्ष 2001–2002 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों और मांगी गयी अतिक्ति मांगों पर बोलने का जो अवसर मुझे प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। निःसन्देह, हमें सभापति महोदय ने यह चेतावनी दी थी कि हमें स्वयं को उन विशिष्ट मदों तक ही सीमित रहना चाहिए जिन पर ये अनुपूरक मांगें की गयी हैं। लेकिन फिर महोदय, प्रति वर्ष अनुपूरक अनुदानों की मांगें करना एक नैत्यिक कार्य है। अनुपूरक अनुदानों की मांगों की अति लघु सीमाओं तक स्वयं को सीमित रखना बहुत कठिन कार्य है। मैं आशा करता हूं कि यदि मैं सभापति महोदय के निर्देशों का अतिक्रमण करूंगा तो आप मुझे क्षमा कर देंगे।

मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि रेलवे एक नेटवर्क अथवा रक्त वाहिकाएं है जो देश में राष्ट्रीय एकता प्रक्रिया को पूरा करता है। यह सदैव ऐसा ही करता रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इसी के साथ–साथ मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि जब विनियोग किया जाता है, आवंटन किया जाता है उस समय बड़ी सरलता से हम यह भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय एकता प्रक्रिया निभाने में इसकी अति महत्वपूर्ण भूमिका है। अब, इस वर्ष, माननीय मंत्री जी द्वारा रेल बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और यह एक प्रशंसनीय कार्य है, अर्थात् जिस चीज का मैं यहां उल्लेख कर रहा हूं वह है–विशेष रेल सुरक्षा कोष जो कि व्यपगत न होने वाला भी है।

हमें यह समझना होगा कि छः वित्तीय वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए 17,000 करोड़ रुपये प्राप्त करने होंगे। इस चालू वित्त वर्ष में, इस वर्ष अपेक्षित धनराशि 1,400 करोड़ रुपये है। इसमें से 1000 करोड़ रुपया वित्त मंत्रालय से आना है और 400 करोड़ रुपये अधिभार के माध्यम से एकत्र किया जाना है। निःसन्देह रविवार को जब वित्त मंत्री जी अर्थव्यवस्था का विश्व मंच–भारतीय अध्याय पर यहां दिल्ली में जब बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत आशावादी ढंग में कहा था कि जो भी करने की इच्छा अथवा अपेक्षा की गयी है उसे पूरा किया जाएगा और आने वाले दशकों में अर्थव्यवस्था का रूप बहुत उज्ज्वल होगा। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह कहा गया है कि इस विशेष रेल सुरक्षा कोष का 1000 करोड़ रुपया वित्त मंत्रालय से आएगा लेकिन जब हम तथ्यों पर दृष्टि डालते हैं तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एक बहुत निराशाजनक तस्वीर पेश करती नजर आती है। इसीलिए मैं

[प्रो. ए. के. प्रेमाजम]

नहीं जानता कि कैसे वित्त मंत्रालय से 1000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।

जब इस कोष का नाम ही 'विशेष रेल सुरक्षा कोष' है तो मैं रेल मंत्रालय और सरकार से यह आशा करता हूं कि वह इस धनराशि को सुरक्षा उपायों पर खर्च करें।

मेरे प्रश्न के लिखित उत्तर में, इस धनराशि का अलग–अलग ब्यौरा दिया गया था। यह इस प्रकार है–मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए 45 प्रतिशत, पुलों के लिए दस प्रतिशत, सिग्नल और दूरसंचार कार्यों के लिए 18 प्रतिशत, रोलिंग स्टॉक के लिए 20 प्रतिशत और सुरक्षा बढ़ाने संबंधी कार्यों के लिए सात प्रतिशत।

जहां तक भारतीय रेलवे का संबंध है, सुरक्षा स्थिति और सुरक्षा चिंताओं से संबंधित बड़ी–बड़ी दुर्घटनाएं बार–बार हो रही हैं। यहां, मैं यह आशा करता हूं कि यह अप्रासंगिक न होगा यदि मैं इस बात का उल्लेख करूं कि 22 जून को कडलुण्डि में एक बड़ी रेल त्रासदी हुई, जब कडलुण्डि पुल के कारण 52 बेकसूर लोगों की जानें गयी थीं।

इस संबंध में मैं न्यायमूर्ति खन्ना सुरक्षा समिति द्वारा दो भागों में प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहूंगा जो इस महान् सभा में प्रस्तुत की जा चुकी है। उसमें सुरक्षा चिंताओं, रेल विभाग के अनुभवों और सुरक्षा उपायों का ब्यौरा दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह है रेल लाइनों पर बहुत से पुल ऐसे हैं जो एक शदी पुराने हैं। कडलुण्डि पुल भी उनमें से एक था। इस त्रासदी से पहले ही न्यायमूर्ति खन्ना सुरक्षा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी थी। इसके बावजूद कडलुण्डि त्रासदी हो गयी। बात यह है कि हमारा प्रस्ताव विशेष रेल सुरक्षा कोष का है लेकिन कितनी जल्दी इसे वास्तव में बनाया जाएगा और रेल विभाग द्वारा जान और माल की सुरक्षा के लिए कितनी जल्दी ठोस और सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे?

इस संबंध में एक अन्य मुद्दा जिस पर मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा वह यह है कि इस धनराशि को विभिन्न राज्यों के बीच कैसे बांटा जाएगा। मैं ऐसे राज्य से हूं जहां हमारी दशकों से उपेक्षा होती रही है। मैं यह नहीं कहता कि यही सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। यह बात नहीं है लेकिन केरल के सभी क्षेत्रों की उपेक्षा की गयी है। हम यह महसूस करते हैं कि–मुझे इस शब्द का उपयोग करने में दुःख हो रहा है–आवंटन के समय भेदभाव किया गया था। इसीलिए, मैं उस मानदंड को जानना चाहूंगा जिसके माध्यम से इस विशेष रेल सुरक्षा कोष की राशि को विभिन्न राज्यों के बीच बांटा जाएगा।

इस कोष को वस्तुतः यात्रियों से एकत्रित अधिभार से एकत्र किया गया है। एक प्रश्न का मुझे दिए गए उत्तर में, दरें दी गई हैं। समयाभाव के कारण मैं ब्यौरा देना नहीं चाहता ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। गणपूर्ति ही नहीं है। सत्ता पक्ष की ओर से भी कोई नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रेल मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, अन्य राज्य मंत्री भी यहां उपस्थित हैं।

श्री राशिद अलवी : केवल रेल मंत्री जी यहां हैं और राज्य मंत्री भी यहां हैं लेकिन गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : क्या आप गणपूर्ति की मांग कर रहे हैं?

श्री राशिद अलवी : जी हां, मैं गणपूर्ति की मांग कर रहा हूं।

सभापति महोदय : ठीक है, आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। कृपया गणपूर्ति घंटी बजने दें।

अपराह्न 3.59 बजे

(गणपूर्ति के लिए घंटी बजायी गयी।)

अपराह्न 4.02 बजे

सभापति महोदय : अब, गणपूर्ति है। प्रो. ए. के. प्रेमाजम अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : महोदय, प्रत्येक टिकट पर अलग–अलग दरों से अधिभार लगाया जाता है। हम उस मानदंड को जानना चाहेंगे जिससे आप यह धनराशि विभिन्न राज्यों में बांटेंगे।

महोदय, खन्ना सुरक्षा समिति की रिपोर्ट के अनुसार, केरल में बहुत से पुल एक सदी से भी पुराने हैं। इस संबंध में मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि कडलुण्डि पुल त्रासदी ने 52 लोगों की जान ली। त्रासदी हुए पांच महीने से भी ज्यादा बीत गए हैं लेकिन अभी तक मुआवजे का केवल

एक दावा निपटाया गया है। रेल विभाग द्वारा अभी अड़सठ मामलों का निपटान किया जाना है। यह रेल अधिकारियों का बहुत गैर–जिम्मेदाराना रवैया है। निःसन्देह, एर्णाकुलम स्थित रेल दावा न्यायाधिकरण को ही रेल विभाग के मुआवजों का निपटान करना है लेकिन न्यायाधिकरण का गठन उस उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसीलिए, उन्हें अब तक इस दावे का निपटान कर देना चाहिए था। वे इस बात को अवश्य सुनिश्चित करें कि इसका निपटान यथाशीघ्र किया जाए।

महोदय, विभिन्न परियोजनाओं के मामले में, देश के विभिन्न भागों में, यहां तक कि आवंटित धनराशि का समय पर उपयोग नहीं किया जाता है। इस संबंध में प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहूंगा।

अपराह्न 4.05 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*)

यह समझा जाता है कि केरल को आवंटित की गयी लगभग 80 करोड़ रुपए की राशि जमा कर दी गयी और किसी अन्य राज्य को दे दी गयी। मैं उस राज्य के नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह कैसे किया जाता है। जब रेल विभाग के अधिकारियों द्वारा आवंटन किया जाता है, फील्ड स्तर पर यह रेल अधिकारियों और प्राधिकारियों का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग हो और परियोजना पूरी की जाए। लेकिन जब केरल राज्य की बात आती है तो किसी न किसी तरह से वे धनराशि जमा कर देते हैं और फिर वे समय पर परियोजना का कार्य पूरा नहीं करते। जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र बडागरा का संबंध है मेरा यही अनुभव है। कोरोड में एक सड़क उपरिपुल निर्माणाधीन है। राष्ट्रीय राजमार्ग का सड़क संरेखण कार्य 75 प्रतिशत से भी अधिक भाग पूरा कर लिया गया है। लेकिन रेलवे का 10 प्रतिशत भाग अर्थात् पुल भाग के कार्य को अभी पूरा नहीं किया गया है। अपने काम को कार्यान्वित करने का रेलवे का यह तरीका है। मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। अधिकारियों द्वारा इस कार्य में लगे ठेकेदारों अथवा एजेंसियों को कार्य समय पर पूरा करने के कठोर निर्देश देने चाहिए। प्रायः, होता यह है कि ठेकेदारों को दिए गए समय को और बढ़ा दिया जाता है और फिर अनुमानित लागत में वृद्धि भी हो जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि वह कृपया इस बात का ध्यान रखें और यह सुनिश्चित करें कि कार्य को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाए। वस्तुतः राज्य सरकार का इस बात से कोई लेना–देना नहीं है और निधि का आवंटन और कार्य–निष्पादन–ये उत्तरदायित्व रेल विभाग के हैं।

इस संबंध में, मैं यहां उपस्थित दोनों माननीय मंत्रियों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। रेल बजट 2002–2003 की तैयारी अब आरंभ हो जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से केरल राज्य के संसद सदस्यों की बैठक बुलाने और समस्याओं पर विचार–विमर्श करने का अनुरोध करूंगा। मैं उनमें से कई का उल्लेख पहले ही कर चुका हूं। इसी प्रकार अगले रेल बजट के दौरान अन्य परियोजनाओं पर भी चर्चा की जा सकती है। इससे राज्य और रेल अधिकारियों को समय पर परियोजनाएं पूरा करने में सहायता मिलेगी और संबंधित अधिकारियों को यह जानने में भी सहायता मिलेगी कि संबंधित राज्यों की वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं। ऐसा अन्य राज्यों के बारे में भी किया जा सकता है।

जहां तक कोंकण रेल परियोजना का संबंध है, जब कोंकण रेल परियोजना तैयार की गयी थी तो हम सभी बहुत खुश थे। हम सभी केरल के लोगों ने अपना पूरा सहयोग दिया कि समय पर कार्य पूरा कर लिया जाए। लेकिन अब हम निराश हैं क्योंकि दोहरीकरण प्रक्रिया से ही कोंकण रेल परियोजना के लाभ केरल को प्राप्त हो सकेंगे। इस कार्य को हमने जैसे सोचा था वैसे नहीं किया जा रहा है। यह बहुत धीमी गति से चल रहा है। यद्यपि धन है, तो भी कार्य बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, दूसरी लाइन के पुल को अभी तक नहीं बनाया गया है यद्यपि इस कार्य को दो वर्ष पहले आरंभ किया गया था। केरल में इस तरीके से कार्य हो रहा है। यदि इसकी गति तीव्र न की गयी तो कोंकण रेल परियोजना के लाभ केरल के लोगों को प्राप्त नहीं हो सकेंगे।

मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि दरअसल दक्षिण रेलवे के प्राधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, बडगरा और तेल्लिचेरी में स्टेशनों के नए भवन बनाए गए, किन्तु उन्हें बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया है। भवनों को अन्य सुविधाओं से जोड़ना नए भवनों के निर्माण कार्य का ही भाग है, किन्तु दक्षिण रेलवे के प्राधिकारियों ने यह काम पूरा नहीं किया है। हाल ही में प्रेस में विस्तृत खबरें छपी हैं कि काम पूरा नहीं किया जा रहा है। दरअसल जो लिखा गया था वह यह था कि माननीय मंत्री जी ने नए स्टेशन भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान बड़े–बड़े वादे किए थे।

[प्रो. ए. के. प्रेमाजम]

मंत्री जी ने इन रेलवे स्टेशनों पर जिन सुविधाओं को मुहैया कराने के वादे किए थे वे मुहैया नहीं कराई गई हैं। मंत्री जी के अत्यंत व्यस्त रहने के कारण शायद उन्हें इन सभी बातों की विस्तार से जानकारी न हो। ऐसे में यह जिम्मेदारी रेलवे प्राधिकारियों की बनती है। दक्षिण रेलवे के प्राधिकारियों को देखना चाहिए कि ये वादे पूरे किए गए हैं या नहीं। ये अब तक पूरे नहीं हुए हैं। यही स्थिति तेल्लिचेरी रेलवे स्टेशन की भी है। पुराना माही रेलवे स्टेशन का भवन ढह चुका है, फिर भी वहां नए भवन का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है। यहां उतरने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए कोई प्रतीक्षालय नहीं है। यहां तक कि उस स्टेशन पर शौचालय की भी सुविधा नहीं है। ऐसे स्टेशनों पर उतरने वाली महिला यात्रियों और बच्चों की परेशानी की आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसी स्थिति इस कार्य को पूरा कराने वाले अधिकारियों के गैर–जिम्मेदाराना रवैये के कारण हुई है। मैं इसे माननीय मंत्री की जानकारी में लाना चाहता हूं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इन कमियों को पूरा किया जाए।

दूसरी बात यह है कि कुछ स्टेशनों पर जहां पार्सल–बुकिंग की व्यवस्था थी, उसे अचानक बंद कर दिया गया। उदाहरण के लिए, मेरे संसदीय क्षेत्र के पयोलि स्टेशन पर पार्सल सेवा के जरिए ढेर सारा काम हो रहा था, लेकिन अचानक वहां यह सेवा बंद कर दी गई। इससे आम लोगों के सामने, विशेषकर उन किसानों के सामने जो अपने कृषि उत्पादों को रेलवे से भेजते हैं या मंगाते हैं, ढेर सारी असुविधाएं खड़ी हो गई हैं। मैंने तो केवल एक ही स्टेशन का उल्लेख किया है, जबकि इस तरह की समस्याओं से जूझने वाले अन्य कई स्टेशन भी होंगे।

दरअसल, इन सभी चीजों की कमी रेलवे प्राधिकारियों के कारण ही होती है। मैं इन्हें माननीय मंत्रीगण की जानकारी में लाया हूं ताकि इनमें सुधार हो सके और रेल सेवा को और अधिक कारगर बनाया जा सके। विशेष रेल सुरक्षा कोष बनाने के लिए यात्रियों से अब अधिभार भी लिया जा रहा है। इसलिए स्वाभाविक है कि जनता यात्री सुविधाओं और रेल सेवाओं में कम से कम कुछ तो सुधार की आशा करेगी। आखिरकार रेलवे कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान मात्र नहीं है। यह तो आम जनता की सेवा और व्यावसायिक उद्देश्य दोनों ही के लिए चलाई जाती है। इसलिए, जब प्रभार बढ़ाया गया है, या दरों में वृद्धि की गई है या अधिभार लगाया गया है तो सेवाओं में सुधार होना ही चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप सब विषयों पर बोलते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जब मैं उधर था, तब आप मेरा करिश्मा देखा करते थे। अब रघुवंश जी ने उस तरफ मेरा स्थान ले लिया है। वे मेरे भी गुरु हो गए हैं।

माननीय सभापति जी, यहां दोनों मंत्री विराजमान हैं। इनसे मेरा निवेदन है और बार–बार निवेदन है कि अब की बार मेरी बात को निश्चित रूप से गंभीरता से लेकर, जनजीवन की समस्याओं को लेकर, रेलवे के लाभ पर वह विचार करेंगे।

आज हर व्यक्ति जो जयपुर शहर से आगरा जाना चाहता है, उसे सवाई माधोपुर 150 किलोमीटर की दूरी पार करके आगरा जाना पड़ता है जिसमें पैसा और समय बरबाद होता है और आदमी को काफी कठिनाई होती है। मेरा निवेदन है कि इससे केन्द्रीय सरकार और रेलवे विभाग को बराबर नुकसान हो रहा है। जयपुर शहर का ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है–आगरा–बांदीकुई। इस प्रोजेक्ट को राजस्थान में जोड़ा जाना नितांत आवश्यक है। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि 10 करोड़ रुपया जो इसमें आप दे देते हैं, उसमें केवल तनख्वाह भी नहीं चुक पाती है और वह अनावश्यक खर्च कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जहां पर पुल बन रहे थे, वे पुल बन गए हैं और अन्य सड़कों का जो काम होना था, मिट्टी का काम होना था, वह पूरा हो गया है। यदि भारत सरकार 150 करोड़ रुपए जो उसके लिए चाहिए, अच्छा अमाउंट अगर एक बार नहीं लगाएगी तो हर साल इस प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ती जाएगी। अगर यह प्रोजेक्ट इन दोनों मंत्रियों के शासनकाल में पूरा नहीं होगा तो लोगों को बहुत दुःख होगा।

श्री मुशर्रफ भी इसलिए वहां नहीं गए कि जयपुर ट्रेन में बैठकर कैसे जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आगरा–बांदीकुई वाले ट्रैक को प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए। इससे रेलवे को लाभ होगा, जनता को लाभ होगा, पैसे कम खर्च होंगे और लोगों को कम समय लगेगा। यह राजस्थान की सबसे मोटी मांग है।

रेलवे का जोनल ऑफिस जयपुर शहर में खुलेगा। देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा रेलवे जोन का उद्घाटन करने गए थे, गणपतिनगर के रेलवे का एक प्रकार का ट्रैक है, वहां उद्घाटन करने गए। उस समय भी मैंने श्री देवेगौड़ा से कहा था कि आप किसलिए उद्घाटन करने आए हैं, केवल शिलान्यास के फट्टे का उद्घाटन करने आए हैं या रेलवे जोन का उद्घाटन करने आए हैं। आज तक वहां रेलवे जोन नहीं बना। वह आखिरकार खटाई में पड़ गया है, अब पता नहीं वह बनेगा या नहीं बनेगा। चूंकि मैं सत्तारूढ़ पार्टी में हूं, इसलिए आन्दोलन नहीं कर सकता। मंत्री जी, मैं आपसे बार–बार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इस पर विचार करें। आगरा–बांदीकुई वाले ट्रैक का श्री कलमाडी जी और श्री नीतीश कुमार उद्घाटन कर आए। यह कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। मैं समझता हूं कि कमी आ रही है। इसलिए आगरा–बांदीकुई ट्रैक को पूरा करें और जोनल ऑफिस को पूरा करने का जो विचार श्री देवेगौड़ा ने सोचा था, उसे बनाएं ताकि राजस्थान के लोगों को काम का अवसर मिले और लोग वहां भर्ती हो सकें, यह मेरी दूसरी प्रार्थना है।

मेरी तीसरी प्रार्थना है जब आप जयपुर शहर में पधारे थे तो मैंने आपका स्वागत किया था। जयपुर शहर के सत्कार के आधार पर मैंने आपको फेंटा भी पहनाया था। उस फेंटे की लाज रखने के लिए आपने फिलहाल एक आसाम की ट्रेन चलाई है। वह एक दिन जाती है और उसके कारण उसको ट्रैक मिल गया। इसलिए जयपुर शहर में आसाम जाने वाले लोगों के लिए, जैसे आपने वचन भी दिया था, आम जनता के सामने कहा था कि इस बजट में आसाम वाली गाड़ी जोड़ दी जाएगी, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आसाम वाले ट्रैक को भी वापिस चालू करें ताकि लोग जयपुर से आसाम जा सकें। वहां के लोग बहुत दुखी हैं, वे कहते हैं कि रेलवे विभाग ने क्या किया है। मैं कहता हूं कि भारत सरकार धीरे–धीरे आपके काम कर रही है। इतनी रेलगाड़ियां चल गईं। यदि आप आसाम के लिए गाड़ी चला देंगे तो मैं आपका बहुत गुणगान करूंगा। चंडीगढ़, मैसूर वाली गाड़ी जो दिल्ली में खड़ी रहती है, यदि उसे जोड़ दें तो मैं समझता हूं कि ठीक प्रकार का काम होगा। इसी प्रकार रेलवे ब्रिज का आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

फुलेरा जो राजस्थान का बहुत बड़ा रेलवे का सेंटर था, जहां बड़ी–बड़ी गाड़ियां जाती और आती थीं। आज फुलेरा जंक्शन बर्बाद हो गया, ठेले वाले, खोमचे वाले सब बर्बाद हो गए। वहां कोई गाड़ी नहीं रुकती। इसलिए वहां जो गाड़ियां जाती थीं, वे ठहरें ताकि फुलेरा का विकास हो सके, वहां के लोगों का जनजीवन ठीक हो सके।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं दोनों रेल मंत्रियों से प्रार्थना करता हूं कि मेरी वाजिब मांगों पर निश्चित रूप से ध्यान दें। वे आज कहेंगे तो बजट सत्र में निश्चित रूप से मांग पूरी करेंगे। श्री नीतीश कुमार और श्री राजगोपाल, दोनों से मेरी प्रार्थना है। मैं ज्ञापन देते–देते थक गया हूं। मैं आपकी पार्टी का व्यक्ति हूं इसलिए मुझ पर दया करें।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) जिन पर साथ–साथ चर्चा हो रही है, का समर्थन करना चाहता हूं।

जहां तक मैं समझता हूं, मैं अपना अनुरोध करने से पहले मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से तकनीकी कारण हैं जिसकी वजह से वर्ष 1998–99 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें पहले नहीं लाई जा सकीं और उन्हें अब लाया जा रहा है। आमतौर पर और जैसा कि मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति तभी आई जब इसके पीछे कोई कारण रहा हो।

साल के अंत में बजट के प्रत्येक मौके पर विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त राशि की मांग करना रेलवे के प्रत्येक विभाग की नियमित प्रक्रिया है; और इसमें नया कुछ भी नहीं है। इसलिए, हम किसी शीर्ष के मद में इस अतिरिक्त अनुदान की सत्यता पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं।

मैं नीति से संबंधित कुछ बातें कहना चाहूंगा। रेल मंत्री संसद के अगले सत्र में रेल बजट प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे ये सुझाव इस संदर्भ में और लोगों के दिमाग में व्याप्त सभी तरह की आशंकाओं को दूर करने में काम आएंगे।

पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह सार्वजनिक क्षेत्र में देश भर में हो रही विनिवेश प्रक्रिया के बारे में है। आशंका है कि इसकी गाज कहीं रेल मंत्रालय पर भी न गिरे। यह भी आशंका है कि सरकार के कतिपय दिशा–निर्देशों से इसके वर्कशॉप, सर्विस ऑपरेशन और फ्रेट टर्मिनल में निजीकरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की पहल न हो जाए। भगवान के लिए रेलवे से मैं यह अपील करना चाहूंगा कि वह इस गलतफहमी

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

में कभी न रहे कि निजीकरण से किसी हद तक रेलवे को गति मिल पाएगी।

मैं रेलकर्मियों, कामगारों और अधिकारियों की योग्यता का सम्मान करता हूं और उसमें मेरा विश्वास है। विश्व के अन्य राष्ट्रों की तुलना में इस विशाल राष्ट्र में रेलवे का सबसे बड़ा आपरेशन नेटवर्क है। इसलिए इसे इस समय इस देश में चल रही निजीकरण की प्रक्रिया का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन हां, इसे गति प्रदान करने और तकनीकी संवर्द्धन के लिए विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया जा सकता है। रेल लाइनों को बिछाने में भी विदेशी निदेशकों की मदद ली जा सकती है। किन्तु मूलतः ऑपरेशन का कार्य हमेशा रेल मंत्रालय के हाथ में ही होना चाहिए और यह पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। मेरा पहला अनुरोध यही है जिसे मैं रेल मंत्रालय से करना चाहता हूं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह रेलवे द्वारा जाने वाले माल के बारे में है। मालों की ढुलाई और इससे होने वाली आमदनी से रेलवे की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलती है। मेरे विचार में और यहां तक कि स्थायी समिति का भी स्पष्ट विचार है कि माल ढुलाई और फ्रेट टर्मिनल का हम जितना आधुनिकीकरण करेंगे उतनी ही अधिक हम सड़क मार्ग की अपेक्षा रेल मार्ग से माल की ढुलाई कर सकेंगे। इस संदर्भ में, भारत सरकार को रेल मंत्रालय के माध्यम से गंभीर पहल करनी चाहिए कि रेलवे से अधिक से अधिक माल की उसके गंतव्य स्थान तक कम से कम समय में ढुलाई कैसे की जाए। मालों का संदर्भ यहां अन्य उपभोक्ता सामग्री से है न कि कोयला, इस्पात, तांबा और सीमेन्ट जैसी चीजों से क्योंकि ये सब रेलवे के बल्क फ्रेट हैं। रैकों को कहां लाया ले जाया जा रहा है, इसकी कब बुकिंग हुई और यह कब तक पहुंच सकेगा इन सबका पता लगाने आदि की सुविधा प्रदान कर सभी संभव तरीकों से ग्राहकों का ख्याल रखा जाना चाहिए। तभी रेलवे के क्षेत्र में पूरे देश में क्रांति आएगी। इसके लिए रेलवे को माल की ढुलाई का आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण करना होगा और फिलहाल उपलब्ध फ्रेट केन्द्रों की अपेक्षा और अधिक केन्द्र बनाए जाने चाहिए थे।

मैं नहीं जानता कि रेलवे एक डिवीजन में केवल एक या दो फ्रेट केन्द्र रखने पर क्यों जोर देती रही है। रेलवे थोड़ा इससे आगे क्यों नहीं बढ़ती है? यदि यह रेलवे के क्षेत्राधिकार में संभव नहीं है, तो वह कुछ स्थानीय निजी ऑपरेटरों से संपर्क कर सकती है और उन्हें थोड़े बहुत अधिकार दे सकती है जैसा कि ऐसे प्रयोग यूरोप के अन्य भागों में किए जा रहे हैं। वह यह कह सकती है कि यदि वे रेलवे के लिए माल की उगाही करते हैं तो रेलवे उन्हें कुछ कमीशन आदि दे सकती है। इस तरह वह निजी ट्रक ऑपरेटरों और अन्य ऑपरेटरों से ढेर सारे माल की उगाही कर सकती है। यह है दूसरा सुझाव जो माल की ढुलाई के बारे में है।

तीसरा है सुरक्षा के बारे में। मैं उनके विचार से सहमत हूं। मैंने रेल मंत्री को कभी दोषी नहीं ठहराया, चाहे वे किसी भी सरकार के रेल मंत्री क्यों न हों। मैंने रेलवे के अधिकारियों को भी कभी दोषी नहीं ठहराया। मैं इस बात को गहराई से महसूस करता हूं कि हमें इस मंत्रालय को अधिक महत्व वाला मंत्रालय बनाना चाहिए। इसे रक्षा मंत्रालय के समतुल्य नहीं, तो कम से कम इसके बाद का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। हमें रेल मंत्रालय को सर्वाधिक महत्व वाला मंत्रालय बनाना चाहिए और इसे कम से कम दो अगली योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता देनी चाहिए। दो योजनाओं या 10 वर्षों की बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसका कारण है भारत की बढ़ती आबादी, गत 15 वर्षों में शुरू की गई शहरीकरण की प्रक्रिया और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में रेलवे का बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए जरूरी सहायता। रेलवे को संसाधन जुटाने के लिए उसके अपने हालात पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि वह इसके लिए कोशिश करती है और हमें भी उसे प्रोत्साहन देना होगा। किन्तु संसद को रेलवे के सुरक्षा संबंधी कार्यों में संवर्द्धन हेतु रेल मंत्रालय को एकजुट समर्थन के लिए आगे आना चाहिए। सरकार की बजटीय सहायता से पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। रेलवे को इस बात की भी सलाह दी जा सकती है कि वह अपने निजी संसाधन से अपनी व्यवस्था करें।

हम इसकी तुलना अपनी सरकार और जनता दल की सरकार से करते रहे हैं। जब कभी रेल मंत्री ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था के लिए धन की मांग की तो हम लोग अगल–बगल झांकने लगे हैं। मेरा मानना है कि सुरक्षा के मामले में खन्ना समिति ने जो सिफारिश की है, उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। हालांकि नई समस्याओं के कारण इसे और भी गति प्रदान की जानी चाहिए। इससे दसवीं योजना के लिए आधार तैयार होगा। संभव है, अगले बजट में पूरी सभा रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले उपायों का समर्थन करेगी और कुल मिलाकर रेलवे को धनाभाव के मामले में कोई समझौता

नहीं हो सकता। यदि रक्षा विभाग से धनाभाव को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता तो रेलवे के सुरक्षा प्रबंध को लेकर धनाभाव पर कोई समझौता कैसे किया जा सकता है? मैं इस तर्क को नहीं समझ पाता। मैं आशा करता हूं कि इस मामले में हमारे तेज–तर्रार, गंभीर और ईमानदार रेल मंत्री इसके लिए विश्वास जमा सकेंगे और संसद भी पार्टी भेदभाव से ऊपर उठकर उनके अगले बजट को जब वे सभा में उसे पेश करेंगे, समर्थन सुनिश्चित करेगी।

अब मैं मेट्रो प्रणाली पर आता हूं। बंगलौर में सिलिकॉन वैली है। सिकंदराबाद और हैदराबाद इलेक्ट्रानिक शहर हैं। इसकी सहायता से भविष्य में जो आर्थिक गतिविधि भारत में पैदा होगी उसके लिए सरकार दिल्ली और कलकत्ता से परे भी क्यों नहीं सोचती? मेरा कहना है कि चेन्नई, बंगलौर और हैदराबाद तीन महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। हमें अब मेट्रो सिटी कनेक्शनों और जिससे मेट्रो प्रणाली के अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का सृजन होगा। इस प्रकार की आर्थिक गतिविधि की योजना बना लेनी चाहिए। इसलिए कृपया भविष्य के अपने प्रस्तावों में इस बारे में ध्यान रखें। मैं इस बात से सहमत हूं कि इसके लिए धन की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, अब मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर आता हूं जिनसे बिहारवासी होने के नाते आप भी वाकिफ हैं। आजकल ईमानदार आपरेटरों को रेल विभाग की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता। इस पर माफिया का नियंत्रण है। देश भर में माफिया रेल विभाग की संपत्ति को लूट रहा है। रेल विभाग के अंदर और बाहर, दोनों जगह गिरोह हैं। जब मैं हावड़ा का प्रतिनिधित्व करता था तो मैं पूछा करता था कि माफिया का राज क्यों है और कानून का राज क्यों नहीं है? निविदा प्रक्रिया में उन्हें भी भाग लेने दें और सबसे कम बोली देने वाले को अवसर दें। रेल विभाग तकनीकी मूल्यांकन करे और सबसे कम बोली देने वाले को अवसर दिया जाना चाहिए। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। कई बार ये लोग सभा के किसी भी दल के राजनेताओं और राजनीतिक दलों का संरक्षण पा लेते हैं। चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, कटिहार या पूर्णिया डिवीजन हो, जो कुछ होने वाला है उसका निर्णय माफिया ही करता है। यदि उनकी बात न सुनी जाए तो मंडल रेल प्रबंधक भी डरते हैं। उन्हें रेल विभाग के नियंत्रण में नहीं बल्कि माफिया की धमकियों में काम करना पड़ता है। क्या आप रेल विभाग में पारदर्शी निविदा प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं करा सकते? आप स्थानीय पुलिस अधीक्षक से बात करें, एक दिन निश्चित कर लें और उनके कार्यालय में मिलें। वहां केवल रेल विभाग के अधिकारी, कर्मचारी ही होंगे, कोई गुंडा नहीं होगा। लेकिन, ऐसा कभी नहीं किया गया है। मेरा कहना है कि यदि श्री नीतीश कुमार देश भर में रेल विभाग की निविदा प्रक्रिया से माफिया का नियंत्रण समाप्त करने में सक्षम होते हैं तो मैं समझूंगा कि आपने क्रांति कर दी है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप इस पर गंभीरता से विचार करें। माफिया अपनी हराम की कमाई से स्थानीय राजनीति पर छा जाता है, चुनावों में गड़बड़ी करता है, गुंडों की सहायता से बूथों पर कब्जा करता है और इस सबसे नाम बदनाम होता है रेल विभाग का। वे तांबे की तार, रेलवे स्लीपरों, शायिकाओं, वातानुकूलकों और यहां तक कि रोलिंग स्टॉक तक पर कब्जा जमा लेते हैं। वे सब कुछ हथिया लेते हैं। हावड़ा का बजरंग बली बाजार इन सब चीजों के लिए कुख्यात है।

मैं एक घटना का वर्णन करना चाहता हूं। मैंने इस घटना को स्थायी समिति को भी बताया था। मैं एक पंडाल में काली पूजा करने गया। माफिया के लोगों ने उस पूजा का आयोजन किया था। जब मैं वहां गया तो पाया कि यह वातानुकूलित पंडाल था और सभी वातानुकूलकों पर भारतीय रेल का लेबल लगा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि यह कैसे संभव होता है?

[हिन्दी]

ऐसा होता है। यहां कोई कुछ नहीं बोलेगा।

[अनुवाद]

इनमें से कुछ बाजार में बेचे भी जाते हैं। रेल विभाग में यह सब हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि श्री नीतीश कुमार इन सब चीजों की संज्ञेयता लेंगे।

मैं खेलों के बारे में कुछ बातें कहूंगा। देश में खेलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए मुझे रेल विभाग पर गर्व है। ओलम्पिक निकाय या खेल संघों के रूप में ओलम्पिक अभियान जो नहीं कर पाया, वह रेल विभाग ने पचास, साठ और सत्तर के दशक में भारतीय खेलों को ख्याति दिलाई; चाहे वह खेल फुटबाल हो, कबड्डी हो, वालीबाल हो या कोई और। हाल ही में, रेल विभाग की महिला खिलाड़ियों ने वालीबाल और बास्केटबाल में अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं एशियाई खेलों के प्रथम गोल दागने वाले पी.के. बनर्जी, मेवालाल जैसे कुछ नाम ले सकता हूं। सभी रेल विभाग के हैं।

दुर्भाग्यवश, रेल विभाग ने गत 15 वर्षों में खेलों के प्रति जो उदासीनता अपनाई है, उसका कारण मैं नहीं जानता। विभाग

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

ने पी.टी. ऊषा को भी प्रोत्साहित नहीं किया। विभिन्न शाखाओं में खिलाड़ी भर्ती कार्यक्रम को प्रोत्साहित नहीं किया। आपको पूरी प्रणाली में बड़े परिवर्तन लाने होंगे। आप किसी ऐरे–गैरे, नत्थू खैरे को नहीं बल्कि ऐसे अधिकारी को लाएं जो खेलों के प्रति प्रतिबद्ध हो, चाहे इसके लिए नियमों में संशोधन ही क्यों न करना पड़े। यह अधिकारी कोई ऐसा खिलाड़ी हो सकता है, जो संन्यास ले चुका हो। आप उसे सलाहकार के रूप में नियुक्त करें और अपने खेल क्षेत्र को सुदृढ़ बनाएं और देश को कुछ योगदान करें। वे आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगते, केवल रेल विभाग का संरक्षण चाहते हैं। मैं संग्राम मुखर्जी नामक एक युवक को जानता हूं, वह हमारे देश का भविष्य है। लेकिन उसे रेल विभाग में बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है। यदि रेल विभाग व्यापक अपील करे और देश के खेल विस्तार कार्यक्रम को प्रोत्साहित करे तो यह देश की मदद कर सकता है। महोदय, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विभाग के पास जबरदस्त बुनियादी ढांचा है। मेरे दस विशेषज्ञों में से आज छह रेल विभाग के हैं। कपूरथला परियोजना के गुरदेव सिंह ने आश्चर्यजनक कार्य किया है।

महोदय, वे सब लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि 15 या 20 वर्ष पहले रेल विभाग से उन्हें जो समर्थन मिला करता था, वह अब नहीं मिलता। अतः कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपकी नीतिगत और आगामी बजट घोषणा में खेलों को गति मिले। हम आपके कक्ष में आकर अपने व्यापक मत से आपको अवगत करा सकते हैं। अन्यथा, आप सभी खेल संघों को चाय पर आमंत्रित करिए और उनसे पूछिए कि उन्हें रेल विभाग से किस प्रकार की सहायता चाहिए, ताकि खेल तंत्र के माध्यम से अधिक व्यक्तियों को भर्ती किया जा सके।

महोदय, कटिहार–जोगवानी अमान–परिवर्तन परियोजना को सीसीईए से स्वीकृति दिलाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अभी हाल ही में इसका शुभारम्भ किया गया था। उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया था। लेकिन, भारत से बाहर होने के कारण मैं इसमें शामिल नहीं हो पाया था। महोदय, मैं कुमारी ममता बनर्जी का भी शुक्रगुजार हूं। जब वह रेल मंत्री थीं तो मैं उन्हें यह तर्क प्रस्तुत करता था कि बंगाल के उत्तरी भाग में एक आंदोलन चल रहा है। इस क्षेत्र में भूटान में प्रशिक्षित असम के आतंकवादी, नेपाल से आए आतंकवादी और अन्य आतंकवादी कार्यरत हैं। आप जानते हैं कि नक्सलवादी उत्तरी बंगाल के हैं। नक्सलवादी आन्दोलन वहीं शुरू हुआ था। मेरी आशंका है कि अब माओवादी भी नेपाल की सीमा से आ रहे हैं। सेना नेपाल में इनको बाहर निकाल रही है। यह बहुत ही संवदेनशील क्षेत्र है। यहां लोग शांतिप्रिय हैं। गत कई वर्षों से उत्तरी बंगाल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और मुस्लिम समुदाय के लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। मैं यह नहीं कहता कि हम जिम्मेवार नहीं हैं। हम भी जब सरकार में थे तो इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे पाए थे। श्री गनीखान चौधरी ने सबसे पहले उनके मुद्दे को उठाया था। बाद में जब कुमारी ममता बनर्जी मंत्री बनीं तो उन्होंने एकलाखी–बलुरघाट परियोजना, जो आंशिक रूप से पूरी हो चुकी है, के लिए कुछ धन प्रदान किया। मैं इस क्षेत्र के कुछ ऐसे स्टेशनों का नाम ले सकता हूं जो अनुसूचित जाति क्षेत्र में पड़ते हैं। सही है या गलत, मैं इस जिले के एक भाग और उस नए जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसमें मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों पर अनुसूचित जातियों के लोगों ने एक जातीय आन्दोलन शुरू किया था। वे कलकत्ता से नहीं जुड़ सके हैं। उन्हें मालदा से बस द्वारा जाना पड़ता है। वे बड़ी लाइन के माध्यम से कलकत्ता या दिल्ली या कहीं से भी नहीं जुड़ सके हैं। उन्हें कटिहार या बरसोई जाना पड़ता है। कुमारी ममता बनर्जी ने सभा में इस बात को माना और कहा कि बरसोई राधिकापुर, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं के रास्ते मैटेरियल मोडीफिकेशन प्रोग्राम द्वारा कटिहार–जोगबानी परियोजना को बड़ी लाइन में बदलेंगी। इस क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों और बांग्लादेश के विस्थापितों की आबादी है। आज तक बांग्लादेश से आने वाले लोग इसी क्षेत्र में शरण लेते हैं। श्री आडवाणी ने सुबह उत्तर देते समय भी यही कहा था।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने और पूरी परियोजना को सीसीए से स्वीकृति दिलाने के लिए मैं माननीय मंत्री श्री नीतीश कुमार का धन्यवाद करता हूं। इससे मैटेरियल मोडीफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। श्री नीतीश कुमार से मेरा अनुरोध है कि मैटेरियल मोडीफिकेशन प्रक्रिया चलाते समय पहले चरण में बरसोई–राधिकापुर को उच्च प्राथमिकता देने की बात ध्यान में रखें क्योंकि यह बड़ा उजाड़ क्षेत्र है जहां किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं है और दूसरे चरण में कटिहार–बरसोई को प्राथमिकता दें। कोई छोटा रास्ता नहीं है। इस परियोजना को यदि दो चरणों में आप पूरा कर लेते हैं तो इस क्षेत्र के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कोलकाता, दिल्ली और शेष भारत के साथ जुड़ने से बड़ी राहत मिलेगी।

माननीय रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह रेलवे बोर्ड, डिवीजनल और जोनल प्रबंधकों को सलाह दें कि जब

जनप्रतिनिधित्व जनता की समस्याओं से संबंधित मुद्दे लेकर उनके पास आएं तो वे उन पर सुनवाई करें। मैं, कोई ठेका प्राप्त करने आदि जैसे वैयक्तिक मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं। प्रत्येक रेल अधिकारी को इस बात की व्यावहारिक समझ होती है कि किस रेल मार्ग पर व्यापार की स्थिति सुदृढ़ हो रही है। पूरे उत्तरी मालदा में समसी ही एक ऐसा व्यापारिक केन्द्र है जहां जूट और अन्य व्यापार चल रहा है। इस स्थान पर कोई फ्लाई ओवर या सड़क उपरिपुल नहीं है। उत्तरी मालदा को कोलकाता से जोड़ने वाली एकमात्र रेलगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस है। यह सोचकर कि छोटी सी बात के लिए रेल मंत्री महोदय के पास मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं मंडल रेल प्रबंधक और महाप्रबंधक से बार-बार यह अनुरोध करता रहा हूं कि कंचनजंगा एक्सप्रेस को समसी में रोका जाए, चाहे यह विश्राम दो मिनट का ही हो। जैसा कि मैं कह चुका हूं यह यहां का सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। श्री गनी खान चौधरी और मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते इन अधिकारियों से अनुरोध करते रहे हैं। लेकिन, न जाने क्यों इन्हें कटिहार डिवीजन के इस महत्वपूर्ण केन्द्र पर दो मिनट का विश्राम देना सुविधाजनक नहीं लग रहा।

मैं दो मुद्दे और रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे प्रिय साथी श्री सैयद शहनवाज हुसैन यहां बैठे हुए हैं। वह मुझसे आशा लगाए बैठे हैं कि उनकी बात मैं कहूं क्योंकि मंत्री होने के कारण वह नहीं बोल सकते। वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पड़ोस के हैं। मैं उनके निर्वाचन क्षेत्र को पार करके अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचता हूं। यदि बिहार मुझे रोकने लगे तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र नहीं पहुंच सकता। इसलिए, मुझे बिहार के लिए कुछ कहना है।

किशनगंज ऐसा स्थान है, जहां पर राजधानी एक्सप्रेस को विश्राम देना बहुत ही आवश्यक और अपेक्षित है। ऐसा मेरे या सैयद शहनवाज हुसैन के कारण नहीं है। यह बिहार और बंगाल दोनों में कामकाज करने के लिए एक सांझा स्थान है। सैयद शहनवाज हुसैन सरकार में होने के कारण भाग्यशाली हैं कि उन्होंने किशनगंज के लिए सड़क उपरिपुल परियोजना स्वीकृत करा ली है, लेकिन मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं। विपक्ष में होने के कारण मैं डालखोला की सड़क उपरिपुल परियोजना को स्वीकृति नहीं दिला सका हूं। पूर्णिया से संपर्क के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने सभा में एक बार नहीं बल्कि कई बार एक उदाहरण दिया है कि दर्जनों गर्भवती महिलाओं की इस मार्ग पर ही प्रसूति हो जाती है क्योंकि यदि चार या पांच रेलगाड़ियां एक के बाद एक आ जाएं तो सड़क यातायात घंटों तक बंद रहता है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़) : दासमुंशी जी, आप अभी विपक्ष में आए हैं, पहले सत्ता में थे। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : चीखलीया जी, आप इसमें पोलिटिक्स क्यों लाती हैं, आप इसमें पोलिटिक्स मत लाइए। हम रेल में पोलिटिक्स नहीं कह रहे हैं, बाद में कहेंगे।...*(व्यवधान)* हमने तो कहा है कि हम सत्ता में थे। आप पोलिटिक्स की बात मत कीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इन सुझावों पर ध्यान दें। संसद के सत्र के बाद वह पधारें और राधिकापुर-बरसोई परियोजना का श्रीगणेश करें। मैं यह भी आशा करता हूं कि नीतिगत मामलों पर मैंने जो सुझाव रखे हैं उन पर भी विचार किया जाएगा और समुचित कार्रवाई होगी।

श्री कालवा श्रीनिवासुलु (अनन्तपुर) : सभापति महोदय, मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं विशेषकर अपने राज्य आंध्र प्रदेश की आवश्यकताओं पर चर्चा करूंगा। मेरे राज्य से मांग की गई है कि मुदखेड़ और निजामाबाद के बीच आमान परिवर्तन के लिए तीस करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाए। वर्ष 2001-02 के बजट में इस परियोजना के लिए 19.97 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो अपर्याप्त है।

आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा फलकनुमा से उम्दानगर तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण हेतु अनुरोध किया गया था। यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। मौजूदा एकल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। रेलवे मंत्री द्वारा शीघ्र ही इस परियोजना को स्वीकृति दी जानी चाहिए।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हैदराबाद से राजस्थान तक और उससे आगे आबू रोड के रास्ते सीधी लाइन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया था ताकि धार्मिक स्थल, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आने वाले लोगों के लिए सीधी सेवा उपलब्ध हो जाए।

[श्री कालवा श्रीनिवासुलु]

एशियाई विकास बैंक के ऋण की सहायता से काकीनाड़ा पत्तन का विकास वर्ष 1996 में डीप वाटर पत्तन के रूप में किया गया था। इस पत्तन का उपयोग कम हो रहा है। इसमें एक बड़ी बाधा डीप वाटर पत्तन तक रेलवे लाइन का न होना है। काकीनाड़ा में डीप वाटर पत्तन तक रेलवे लाइन बिछाना सीमेंट कोयला जैसे मार्गों और कंटेनर मार्गों को भी बड़ी मात्रा में आकृष्ट करेगा। इससे न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि दक्षिण मध्य प्रदेश, पूर्वी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को भी मदद मिलेगी। भारत सरकार से डीप वाटर पत्तन तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है। इस अनुरोध को कृपया स्वीकार किया जाए।

मैं माननीय रेल मंत्री के ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूं। रायल सीमा क्षेत्र में गुंटाकल रेलवे मंडल है। यह दक्षिण केन्द्रीय रेलवे में सर्वाधिक लोकप्रिय मंडल है। इस मंडल में लोग अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हॉस्पेट से चैन्नै पत्तन को बड़ी मात्रा में लौह अयस्क पहुंचाया जा रहा है। इसलिए गुंटाकल–हॉस्पेट और गुंटाकल रेनिगुंटा के बीच दोहरीकरण आवश्यक है। यह इस क्षेत्र की काफी समय से लंबित मांग है। उस लाइन का विद्युतीकरण आवश्यक है। तत्पश्चात धर्मावरम से पकाला खंड के बीच मीटर लाइन का बड़ी लाइन में भी आमान परिवर्तन किया जाना चाहिए।

अनन्तपुर से कोची तक सीधी रेल सुविधा होनी चाहिए। कोंकण रेलवे से पूर्व अनन्तपुर, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, होते हुए मुम्बई और केरल के बीच दस रेलगाड़ियां थीं। कोंकण रेलवे के अस्तित्व में आ जाने के बाद सभी रेलगाड़ियों को उन्हीं लाइनों पर डाल दिया गया है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि कुर्ला से कोयम्बटूर तक चलने वाली गाड़ी नं. 1013 और 1014 को कोचीन तक बढ़ाया जाए।

अनन्तपुर रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे उपरिपुल के निर्माण हेतु स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में दी गई थी। मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि बिना किसी विलम्ब के इस परियोजना में निर्माण शुरू करने के लिए आवश्यक अनुदेश तत्काल जारी करें।

इसी प्रकार हिन्दुपुर–लेपाक्षी मार्ग को जोड़ने वाले हिन्दुपुर रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे अंडर ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। नेल्लौर जिले में वेंकटेश्वरपुरम में रेलवे उपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता है। यह परियोजना भी काफी समय से लंबित है। इस परियोजना को कम से कम अगले रेलवे बजट में शामिल किया जाना चाहिए।

रेलवे स्टेशनों विशेषकर गुंटाकल मंडल में सफाई की जांच की जानी चाहिए। सवारी गाड़ियों में सुधार करने की आवश्यकता है। रेलवे प्राधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक ध्यान देना चाहिए।

मैं वर्ष 2001–02 के लिए रेलवे के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का समर्थन कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने रेलवे अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर हो रही चर्चा में बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। आज माननीय नीतीश कुमार जी रेलवे सेफ्टी के लिए ये अनुपूरक मांगें लेकर आए हैं और सम्भवतः जब पिछले दिनों रेल बजट प्रस्तुत हुआ था तब रेल बजट बनाने वाले लोगों को बजट का सही अनुमान नहीं था, जिसके कारण आज उन्हें ये सप्लीमेंटरी डिमांड्स लानी पड़ीं। आप सेफ्टी कार्यों के लिए ये सप्लीमेंटरी डिमांड्स लाए हैं। इसके लिए आपको बधाई। सुरक्षात्मक उपायों की कमी से जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके लेकर पिछले दिनों आपको रेल मंत्री पद से त्याग पत्र भी देना पड़ा था। अभी जो मांगें रखी गई हैं उसमें प्लान एक्सपेंडिचर न होकर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। आपको इस पर ध्यान देना होगा। सरकार को गैर विकास कार्यों से बचना होगा। विकास कार्यों पर यदि बल देंगे तो निश्चित तौर पर ज्यादा लाभ इस विभाग को मिलेगा। आपने 17 हजार करोड़ रुपए का अधिभार लगाकर सेफ्टी फंड के रूप में जुटाने का प्रयास किया। हम जानना चाहेंगे कि उस 17 हजार करोड़ रुपए का आप क्या कर रहे हैं? आप उससे कौन–कौन से सेफ्टी के कार्य करने जा रहे हैं?

आपको धन का आवंटन निश्चित तौर पर कम होता है। लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से रेलवे का बजट आवंटन कम है। कम बजट में जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, उन्हें दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखें। जो अत्यंत पिछड़े क्षेत्र हैं, उन्हें वरीयता के क्रम में लेना चाहिए। आपने जहां से राजनीति प्रारंभ की, वहां आपके नेता डा. राम मनोहर लोहिया समाज के अति पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात करते थे। आज भी आपके मन में पिछड़े क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों के उत्थान की भावना निश्चित तौर पर होगी। इसलिए अति पिछड़े क्षेत्रों के विकास के मानक पर पूरा ध्यान देने का प्रयास करें।

आज भी भारतीय रेल की तुलना दुनिया के अन्य देशों

की रेलों से की जाती है। उसमें हम निश्चित तौर पर भारतीय रेल के साथ न्याय नहीं कर पाते। दुनिया में आज भारतीय रेल सबसे ज्यादा लोगों को ले जाने का काम करती है। इसमें सुरक्षा के साथ–साथ सफाई पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करते हैं उन्हें अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। वहां सफाई की थोड़ी बहुत अच्छी सुविधा है लेकिन स्लीपर कोचेस और जनरल डिब्बों में सफाई की दुर्दशा है। उस पर ध्यान देना चाहिए। सफाई न होने से लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है।

आप इस बात से निश्चित तौर पर परिचित होंगे कि रेलवे स्टेशनों पर कूड़े और गंदगी का अंबार लगा रहता है। उससे मुक्ति दिलानी चाहिए। गोरखपुर, आनन्दनगर, गोंडा और आनन्दनगर नौतनवा लूप लाइन महत्वपूर्ण लूप लाइन है। यह मार्ग बौद्ध सर्किट को जोड़ने का काम करता है। इसी मार्ग से होकर गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बनी के लिए लोग नेपाल जाते हैं। रेल मार्ग से होकर लोग गौतम बुद्ध के अन्य पौराणिक स्थलों के दर्शन करने और उनकी राजधानी कपिल–वस्तु के दर्शन करने जाते हैं। बहराइच श्रावस्ती तक की यात्रा वे लोग करते हैं। इसलिए निवेदन है कि गोरखपुर, आनन्दनगर, गोंडा और आनन्दनगर नौतनवा लूप लाइन का आमान परिवर्तन प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र प्रारंभ कराने का प्रयास करें। आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं लेकिन इसमें गति तेज लावें। यह आमान परिवर्तन उस क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। महाराजगंज जनपद का सृजन हुए 12 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन अभी तक महाराजगंज जनपद मुख्यालय रेल लाइन से नहीं जुड़ा है। हमारी मांग है कि महाराजगंज जनपद मुख्यालय को आनन्दनगर से महाराजगंज और महाराजगंज से सिसवा तक नई रेल लाइन देकर पूरा करवाने का काम करें। जब तक उसे रेल लाइन से जोड़ा नहीं जाता है तब तक महाराजगंज जनपद मुख्यालय पर एक रेलवे टिकट काउंटर खोलने की कृपा करें जिससे उस जनपद मुख्यालय को आरक्षण और रेल टिकट की सुविधा प्राप्त हो सके। खासतौर पर पूर्वोत्तर रेलवे में जो ठेका पद्धति है, उस पर माफिया लोगों का बड़ा वर्चस्व है। वह बिहार तक प्रभावित होता है। उन माफिया लोगों के जाल को तोडने के लिए आप पूरी ताकत लगाने का काम करें और माफिया लोगों के चंगुल से पूर्वोत्तर रेलवे को बचाने का प्रयास करें।

सभापति महोदय, जयपुर–उदयपुर मीटर गेज लाइन है। ये दोनों देश के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं। मेरा निवेदन है कि मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलने की आवश्यकता है। संभवतः टोकन मनी भी रिलीज हो चुकी है लेकिन आमान परिवर्तन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जयपुर–उदयपुर को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करें।

सभापति महोदय, रेल विभाग में सबसे कमजोर वर्ग कुली है। मैं कुलियों की दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यदि कुलियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित कर दिया जाएगा तो विभाग की कृपा होगी। नई दिल्ली स्टेशन पर कुलियों के लिए बनाए गए विश्रामालय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जितनी कुलियों की संख्या है, विश्रामालय के लिए जगह की कमी है। आप प्रथम तथा द्वितीय तल बनाकर उनकी समस्या का निदान कर सकते हैं। विश्रामालय में मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी की जाएं।

सभापति महोदय, नई दिल्ली से बरौनी जाने के लिए वैशाली एक्सप्रेस एक अच्छी ट्रेन है लेकिन उसकी भोजनयान में काम कर रहे वैंडर्स 20–25 साल से कमीशन बेसिस पर काम कर रहे हैं जिन्हें 20–25 प्रतिशत कमीशन मिलता है। अगर उनकी हालत पूछिए तो मालूम होगा कि 7–8 सौ रुपए महीना मिलता है जबकि दूसरी ट्रेनों में वैंडर्स को रेलवे कर्मचारी के रूप में नियमित कर दिया गया है। फिर वैशाली एक्सप्रेस में कार्यरत वैंडरों के लिए दुहरा मानदंड क्यों निर्धारित किया गया है? मेरी गुजारिश है कि उन वैंडर्स की संख्या 60–70 से ज्यादा नहीं है, उन्हें भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियमित करने की कृपा करें।

सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गोरखपुर से नई दिल्ली के लिए गोरखनाथ धाम एक्सप्रेस गाड़ी चलाई है। यह सप्ताह में दो दिन चलती है। हमारा आग्रह है कि इसे सप्ताह में चार दिन चलाया जाए। साथ ही इसके समय में परिवर्तन किया जाए और नई दिल्ली प्रातः 9 बजे पहुंच जाए ताकि उस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, रेल मंत्री ने राजस्थान और बिहार की सप्लीमेंटरी डिमांड्स ली है लेकिन उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया गया है। पिछले रेल बजट में भी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गई थी। हम चाहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के लिए उपेक्षा न हो।

श्री शिवाजी माने (हिंगोली) : सभापति महोदय, आपने मुझे रेल बजट की अनुपूरक मांगों पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। यातायात व्यवस्था में रेलवे का

[श्री शिवाजी माने]

मुकाबला नहीं किया जा सकता है। रेलवे का बहुत बड़ा महत्व इस यातायात व्यवस्था में है। मैं मंत्री जी का ध्यान मराठवाड़ा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। यदि देश का विकास रेल के द्वारा होता है तो इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी लेकिन मराठवाड़ा क्षेत्र के साथ अन्याय किया गया है। शायद माननीय मंत्री जी इस स्थिति से अवगत हैं। गत दो महीने पहले वहां एक आन्दोलन हुआ था और जब मैं कल–परसों वहां गया तो जनता आन्दोलन करने की तैयारी में है। हम बार–बार माननीय मंत्री जी से इस समस्या के बारे में मिले हैं। मेरे ख्याल से टी.डी.पी. के सारे सांसद और मराठवाड़ा क्षेत्र के सांसद मिले हैं। मुदखेड–आदिलाबाद और मुदखेड–निजामाबाद गेज परिवर्तन के लिए माननीय मंत्री जी को जानकारी दी है और इस समस्या के बारे में अवगत कराया है।

दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो यूनीगेज पालिसी 1992 में बनी थी, उस समय लगभग छः हजार किलोमीटर का पूरे देश में लक्ष्य तय किया गया था। उसमें से 485 किलोमीटर सिर्फ मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए था, यह उस क्षेत्र के लिए बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है। जो 485 किलोमीटर गेज का लक्ष्य तय हुआ था, उसमें से 162 किलोमीटर काम उस क्षेत्र में हुआ है और लगभग 167 किलोमीटर मुडखेड़–आदिलाबाद का काम अभी बाकी है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह रेल मार्ग मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, आप इस मार्ग के लिए कैसे भी करके धन की व्यवस्था करें। एक अन्य मार्ग जो मराठवाड़ा क्षेत्र में मुडखेड़–निजामाबाद है, उसका काम वहां शुरू हुआ है, लेकिन उसके लिए जो धनराशि चाहिए, उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस मार्ग के लिए भी धन की व्यवस्था करने की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, पूर्णा–खंडवा मार्ग को पिछले बजट में सैंक्शन मिली है। यह मार्ग मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले बजट में इस मार्ग के लिए केवल दस करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि इतनी कम धनराशि में इस मार्ग पर कुछ भी काम नहीं हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से विनती करता हूं इस मार्ग को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था होनी चाहिए। मुम्बई से नांदेड़ जो गेज परिवर्तन का काम पूरा हुआ है, उसमें केवल दो फास्ट ट्रेनें चलती हैं। चूंकि मुम्बई महाराष्ट्र की राजधानी है और महाराष्ट्र से मराठवाड़ा क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा संपर्क है और वहां जाने के लिए एक ही ट्रेन है। मैं मंत्री जी से विनती करता हूं कि नांदेड़ से मुम्बई तक जाने के लिए एक नई ट्रेन की व्यवस्था यदि आप कर देंगे तो यह मराठवाड़ा रीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं तथा अन्य सांसद इस समस्या से आपको अवगत कराने के लिए मिल चुके हैं। हमें आशा है कि आप हमारी उपरोक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार अवश्य करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : महोदय, आज 4 दिसम्बर, 2001 का दिन एआईएडीएमके के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस है। मेरी नेता माननीय अम्मा को सभी मामलों में बरी कर दिया गया है जो उन पर डीएमके नेताओं और सुब्रहमण्यम स्वामी द्वारा झूठे ढंग से लगाए गए थे...*(व्यवधान)*

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर) : इसका संबंध किसी भी तरह से रेलवे बजट से नहीं है...*(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा : जो मैं कहना चाहती हूं जरूर कहूंगी ...*(व्यवधान)* मैं एआईएडीएमके की ओर से बोलने के लिए खड़ी हुई हूं और मैं अनुपूरक अनुदान मांगों का समर्थन करती हूं। योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की है जिसमें उसने कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं उसके कुछ वाक्य ही पढ़ूंगी–मौजूदा परियोजनाओं के पूरा करने पर अधिक जोर दिया गया है और चल रही सभी परियोजनाओं के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्राथमिकता तय की जाएगी ताकि इन परियोजनाओं पर संसाधनों का थोड़ा–थोड़ा उपयोग न हो।

मैं माननीय मंत्री को बताना चाहती हूं कि सेलम–करूर नई रेल लाइन के उद्घाटन समारोह के दौरान माननीय मंत्री द्वारा तथ्यतः यह आश्वासन दिया गया था कि यह परियोजना तीन वर्ष में पूरी हो जाएगी। तीन वर्ष बीत चुके हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस परियोजना में अब तक हुई धीमी प्रगति की बात माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहती हूं। इसकी कुल लागत 229 करोड़ रुपए है जिनमें से 44.20 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मेरे ध्यान में यह बात लाई गई है कि यह विलम्ब भूमि अधिग्रहण के कारण हुआ है। मैं माननीय मंत्री को सुझाव देना चाहूंगी कि यदि यह स्थिति है तो हम राज्य स्तरीय निगरानी समिति बना सकते हैं जिसमें राज्य के

राजस्व मंत्री, राजस्व सचिव और संबंधित रेलवे मंडल के महाप्रबंधक शामिल हों।

अपराह्न 5.00 बजे

व्यापक प्रगति लाने के उद्देश्य से इस समिति में रेलवे के निर्माण निगम के प्रतिनिधि और संबंधित राज्य के मुख्य सचिव भी शामिल होने चाहिए। कठिनाइयों को मिल-बांटकर हल किया जा सकता है। हम समस्याओं का पता लगा सकते हैं। उदाहरणार्थ, भूमि अधिग्रहण हेतु पांच वर्ष से अधिक समय लगता है। तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम एक समिति बनाएं जो चल रही परियोजनाओं की प्रगति के बारे में राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रासीपुरम और नमक्कल स्टेशनों पर धन की कमी के कारण स्टेशन भवनों संबंधी कार्य शुरू नहीं किया गया है। मेरा माननीय मंत्री से और अधिक धनराशि आवंटित करने का अनुरोध है ताकि स्टेशन भवनों को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जा सके।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चल रही एक अन्य परियोजना करूर से सेलम तक बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के बारे में है। इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी पचास प्रतिशत है और पचास प्रतिशत राज्य सरकार देती है। योजना के दूसरे भाग के लिए लागत के पचास प्रतिशत अर्थात सतत्तर करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी गई है। लेकिन भारत सरकार ने अब तक अपने हिस्से की धनराशि नहीं दी है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि करूर-सेलम परियोजना को पूरा करने के लिए और अधिक धनराशि आवंटित करें क्योंकि यह वृद्वाचलम-कुड्डालोर और ऊटी को जोड़ती है। यह रेल लाइन वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक है।

मैं संकरीदुर्ग में शौचालय, जलापूर्ति में सुधार और प्रतीक्षालयों जैसी यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने संबंधी बातें भी माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहती हूं। वहां एक पुराना भवन पहले से है। इसकी मरम्मत की जा सकती है और इस प्रयोजनार्थ इसका उपयोग किया जा सकता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना है। आज सुबह माननीय संसद सदस्य श्री चिन्नासामी ने लालपेट, करूर टाउन और करूर रेलवे समपारों पर तीन पैदल उपरिपुलों का निर्माण करने का मुद्दा उठाया। इस प्रयोजनार्थ और अधिक धनराशि आवंटित की जा सकती है।

आल इंडिया फेडरेशन ऑफ साइंटिफिक एण्ड टैक्निकल एसोसिएशन की ओर से देहरादून से दक्षिण भारत तक सीधी रेलगाड़ी चलाने का अनुरोध भी किया गया है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। यह चर्चा भी महत्वपूर्ण है, विभाग भी महत्वपूर्ण है और जो आवश्यकता है वह भी महत्वपूर्ण है।

सभापति जी, जब मैं रेल विभाग की अनुदानों की अनुपूरक मांगें देख रहा था तो मुझे एक स्वर्गीय मित्र का नीति वाक्य याद आया। मुझे लगता है कि जो भी बजट बनता है, चाहे वह रेल का बने या सामान्य बजट बने, ये शब्द उसमें कारगर रूप से प्रयोग में आ सकते हैं-'किसी व्यक्ति या समाज की आधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो उसकी मुश्किलें दोगुनी हो जाती हैं।'

अपराह्न 5.04 बजे

(श्री पी. एच. पांडियन *पीठासीन हुए*)

मुझे लगता है कि देश के आजाद होने के बाद जो रेल बजट में अनुदान मांगें या अतिरिक्त मांगों का बोझ हमारे ऊपर आया है, उस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए।

जब मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला है, मैं सोचता हूं कि रेल विभाग का शायद यह तीसरा युग है। पहला युग वह था जब अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार इस देश में रेल लाइनें बिछाईं। उनकी अपनी आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं थीं और उसी आधार पर उन्होंने इस तंत्र को बढ़ाया। जब देश आजाद हुआ, उसके बाद जिन्होंने लंबे समय तक इस देश पर राज किया या सरकार चलाई, लोकशाही में उनकी अपनी प्राथमिकताएं थीं और मुझे लगता है कि जो प्रभाव की राजनीति होती है, उस राजनीति के कारण रेल लाइनों का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वह नहीं हो सका।

बजट तो आएगा लेकिन उसके पूर्व की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं वह प्रभाव की राजनीति फिर से बजट पर प्रभावी न हो जाए। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मैं देख रहा था,

[श्री प्रहलाद सिंह पटेल]

आमान परिवर्तन के लिए सरकार की जो प्राथमिकता होनी चाहिए, वह मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ती। मैं जब आमान परिवर्तन की बात करता हूं, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है जो नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित है। गौंदिया से जबलपुर तक के आमान परिवर्तन की बात आज से नहीं बरसों से चल रही है, हिंसक आन्दोलन हुए हैं। अनेक लोगों ने प्रतिनिधित्व किए लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति मेरे सामने है, उसमें जब मैं देखता हूं तो वह परियोजना पहले दो चरणों में थी, आज तीन चरणों में कर दी गई है। गौंदिया से बालाघाट पहला चरण, बालाघाट से नैनपुर दूसरा चरण और नैनपुर से जबलपुर तीसरा चरण है। विभाग कहता है कि दो चरणों का पूरी तरह सर्वे हो गया, उसकी रिपोर्ट बन गई है लेकिन तीसरे चरण में जबलपुर तक अभी सर्वेक्षण कार्य ही पूरा नहीं हुआ है। मैं समझ नहीं पाता कि जो परियोजना गौंदिया से जबलपुर तक की है, अगर उसका सर्वेक्षण ही पूरा न हो तो वह काम कैसे पूरा होगा, उसे परियोजना कैसे मान लिया गया। मुझे इस बात पर बेहद आश्चर्य है और दुख भी है। मुझे लगता है कि यदि कोई प्राथमिकता है तो उसे सदन के सामने स्पष्ट करना चाहिए। उसके अनेक कारण हो सकते हैं जैसे आर्थिक, तकनीकी कारण हो सकते हैं लेकिन वे कारण प्रत्यक्ष होने चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं भी इस प्रकार की चर्चा नहीं होती। छत्तीसगढ़ के लोगों ने मिलकर कई बार रेल मंत्रालय में चर्चाएं कीं। जब आदरणीय ममता जी रेल मंत्री थीं तो हम गए थे। उन्होंने कहा कि वह योजना फ्रीज हो गई है अब उसे डीफ्रीज कर रहे हैं। उसमें माननीय प्रधान मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया था। ये जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, उनसे लगता है कि राजनीति का जो प्रभाव का क्षेत्र है, वह हमारे बजट और कार्यप्रणाली पर भारी पड़ता है। इसलिए मैंने अपने भाषण के प्रारंभ में कहा है कि यह रेल मंत्रालय का तीसरा युग है, यह गुलामी के भारत का, अंग्रेजों की प्राथमिकता का काल नहीं है। वे लोग जो पचास सालों में अधिकांश समय केन्द्र पर राज करते रहे, नीतियां बनाते रहे, उनका काल नहीं है। उनकी प्राथमिकताओं पर तो हमारा पूरी तरह मतभेद है। विकास हुआ है लेकिन वह या तो आबादी के घनत्व की तरफ हुआ है या फिर ऐसी जगह हुआ है जहां लोगों ने माइन्स और मिनरल्स निकालने के लिए किया है। मुझे लगता है कि जो उपेक्षित क्षेत्र हैं, उन्हें अब न्याय मिलेगा। मैं यह बात कहता हूं कि चाहे क्षेत्र पिछड़े हों या व्यक्ति पिछड़े हों, उन्हें कहीं न कहीं इस बात का लाभ मिलना चाहिए।

मैं रेल मंत्री जी को कुछ सुझाव जरूर देना चाहता हूं। वे जिस विभाग में भी गए हैं, उन्होंने हमेशा एक नीति बनाकर कड़े कदम उठाने के प्रयास किए। उन्होंने सुरक्षा के संबंध में जो प्रयास किए हैं, जो आर्थिक संरक्षण की बात की है, इससे पहले शायद कभी इतनी ताकत के साथ इस बात की पहल नहीं की गई। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में सड़क मार्गों की स्थिति खराब होने के बावजूद भी केन्द्र सरकार ने पहली बार एक नीति बनाई कि दूरियां घटाने के लिए, आवागमन की सुलभता के लिए क्रॉस सबवे बनाने की बात की। क्या रेल मंत्रालय आज आजाद भारत में तमाम विसंगतियों के बाद भी ऐसा कोई मार्ग नहीं बना सकता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी को घटा सके? यदि आप मानचित्र देखेंगे तो मध्य प्रदेश का इतना बड़ा भूभाग जो सागर, जबलपुर, भोपाल, रीवा संभागों को जोड़ता है। इतना खाली भूगोल, नार्थ–ईस्ट के हिस्से को छोड़कर, शायद हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा लगता है कि अंग्रेज हमारे देश में जो लाइनें खींच गए हैं, शायद उनसे हम कभी निजात नहीं पाएंगे।

मैं चाहूंगा कि दूरी घटाने की दृष्टि से इस देश में रेलवे क्रॉस बने। ऐसी योजना पर यदि नीतीश जी के रहते कोई विचार हो सकता है, बजट दूर है, बजट के पहले की चर्चा में इस पर कोई सफल प्रयास प्रारंभ हो, ऐसी मेरी अपेक्षा है। रेलवे जोन, जिसका प्रश्न सदन में उठा था, उसका सैद्धांतिक जवाब नीतीश जी ने दिया था। लेकिन जबलपुर एक ऐसा क्षेत्र है, भूगोल की दृष्टि से जबलपुर के पास हिन्दुस्तान का केन्द्र बिन्दु है लेकिन हम सीधे कभी जबलपुर नहीं पहुंच सकते। अगर हम रेलगाड़ी से जाते हैं तो पहले बीना में इंजन बदलेगा, फिर कटनी में बदलेगा, उसके बाद जबलपुर पहुंचेंगे।...*(व्यवधान)*

हमारा बालाघाट का जिला है। दक्षिण–पूर्व रेल जो ब्रॉडगेज है, उसका डिवीजन अलग है और हमारे वाले का डिवीजन अलग है। अगर हम प्रतिनिधि भेजते हैं तो वह बड़ी लाइन में पहुंच जाता है जिसका हमें कोई लाभ नहीं मिलता।

जिन जिलों में छोटी लाइनें हैं, वहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जैसे बालाघाट है, सिवनी है। ये जिले न तो मेन ट्रैक पर हैं और न हमें आरक्षण की सुविधा प्राप्त है। दूसरी तरफ जब भी गौंदिया से बालाघाट का मार्ग अवरुद्ध होगा, उन छोटी लाइनों पर अगर एक बार इंजन बिगड़ गया तो फिर मानकर चलिए कि नागपुर में जाकर ही ठीक होगा, उसकी सुविधा हमें नहीं मिल सकती, इसलिए मैं चाहूंगा कि इन डिवीजन केन्द्रों पर भी हमें आरक्षण की कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिलनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपकी पार्टी का आवंटित समय समाप्त हो गया है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : लिस्ट में हमारा पहला नाम था। मैं अभी प्रारंभ ही कर रहा हूं, हमारी पार्टी का समय है।...*(व्यवधान)* मुझे लगता है कि उतना समय मैंने नहीं लिया, जितना समय हमारी पार्टी का है। मैं दो–तीन मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। हम लोगों को सांसद निधि के लिए पत्र समपार के मिलते हैं, जहां पर चौकीदार नहीं हैं, जहां अनुरक्षण की बात आती है, इस संबंध में मैंने कम से कम छः पत्र वहां के डी.आर.एम. को लिखे, लेकिन उनका जवाब आज तक नहीं आया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपके दल की सूची के अनुसार, आपके दल से 13 वक्ता हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मुझे तो इनीशिएट करना था, लेकिन मैं गलती से दूसरे नम्बर पर हूं। इस पर भी मुझे लगता है कि मंत्री जी ध्यान देंगे और जो दूरी घटाने के लिए आप प्रयास करेंगे, उसके बारे में मैं आप पर विश्वास करता हूं। मैं फिर जोर देकर कहूंगा कि गोंदिया से जबलपुर तक के आमान परिवर्तन की बात, जिसका पहले चरण में 2003 तक काम पूरा होने का लक्ष्य तय हुआ है, वह समय सीमा के भीतर पूरा होगा। आपके प्रवास के बगैर उस विसंगति को समाप्त करना कठिन है, क्योंकि सर्वेक्षण पूरा न होने से परियोजना पर सदैव संदेह पैदा होता रहता है और लोगों को गलत ढंग से राजनीति करने का अवसर मिलता है। ऐसी राजनीति की 10–5 किलो की अखबारों की कतरनें हम आपके पास भेज सकते हैं, जो अनावश्यक रूप से प्रधानमंत्री के पुतले दहन के रूप में, रेल विभाग के पुतले दहन के रूप में तमाम प्रकार की राजनीति होती है, जिसका कोई औचित्य नहीं है।

ऐसा कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं और पुनः रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस कार्ययोजना को सफलता मिलेगी। इस शुभकामना के साथ बहुत–बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सी. के. जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : सभापति महोदय, आज मुझे चर्चा सुनकर प्रसन्नता हो रही है। इससे देश के समग्र विकास में जन–प्रतिनिधियों की गतिशील भावना का पता चलता है जिनमें वे रुचि लेते हैं और मांगों के बारे में चर्चा में भाग लेते हैं और भाषणों को सुनते हुए मुझे उस अनुभव की याद आ रही है जिसको मैंने कार्यकाल के दौरान महसूस किया था।

आज मैं समझता हूं कि रेल मंत्री भाग्यशाली हैं क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व मैंने साधारण व्यक्ति की भांति किया था। अब एक अभियांत्रिकी स्नातक रेल मंत्री हैं जो मुझसे बेहतर समस्याओं को समझते हैं। मुझे रेलवे की क्षमता और चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए उनकी योग्यता की प्रशंसा करनी चाहिए। यदि उन्हें उचित समर्थन और प्रोत्साहन दिया जाए तो वे अच्छा कार्य कर सकते हैं। रेलवे की योग्यता, कार्य कुशलता और क्षमता के बारे में मेरी यही राय है।

महोदय, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि जैसा कि आपने ठीक ही अवलोकन किया है कि अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं। हमारी पार्टी की ओर से हमारे मुख्य सचेतक पहले ही बोल चुके हैं। इसका कोई विकल्प नहीं है और सदन को किसी समय पर भी किसी रेल मंत्री का समर्थन करना होगा, अन्यथा देश की जीवन रेखा काम नहीं कर सकती।

महोदय, मैं अपने मित्र को कुछ सुझाव दे रहा हूं। मैं समझता हूं उन्हें इरादा कर लेना चाहिए और प्रधानमंत्री, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति और योजना आयोग, समूचे देश, भारत सरकार और योजना आयोग को ईंधन की बचत की दृष्टि से देखना होगा।

आज जिस प्रकार का ईंधन हम सड़कों पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसे देखते हुए मैं नहीं जानता कि कितनी मात्रा में हम ईंधन का आयात कर रहे हैं और इस आयात पर हम कितना खर्च कर रहे हैं। इसीलिए एकल–आमान नीति, जिसे रेलवे ने ही राष्ट्र को दिया है, पर विचार करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आमान परिवर्तन के लिए आप भी लगातार मांग बनी हुई है।

दूसरे, मुझे विश्वास है रेलवे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां से रोजी और रोटी कमाई जाती है, ढुलाई और यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। यदि इसमें कोई कठिनाई आती

[श्री सी. के. जाफर शरीफ]

है तो मैं समझता हूं कि योजना आयोग और सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ढुलाई सड़क मार्ग से न हो बल्कि यह रेल द्वारा हो ताकि रेलवे राजस्व सृजित करने में समर्थ हो।

तीसरे, जब श्री प्रियरंजन दास बोल रहे थे तो उन्होंने मेट्रो रेल के बारे में कहा। इस समय मैं भूमिगत रेल को बनाए रखने के लिए कोलकाता के लोगों को बधाई देता हूं। भूमिगत रेल के लिए जिस प्रकार का विनिवेश हुआ है और जिस प्रकार की देखभाल तथा लगाव उनका है वह अद्वितीय है। भूमिगत रेलवे का सपना देखना एक कठिन मसक्कत हो सकता है। मुझे ऐसा बताया गया है कि कोंकण रेल निगम ने मेट्रो रेल की नई अवधारणा तैयार की है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी और रेलवे बोर्ड को इसकी वित्तीय व्यवहार्यता और इस प्रणाली की अपनी व्यवहार्यता की भी जांच करनी चाहिए। यदि यह अच्छा है तो मैं समझता हूं कि हमें इसे शुरू करने में सक्षम होना चाहिए; हमें इसे अपनाने में समर्थ होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण देश में मेट्रो शहरों में भीड़भाड़ बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में यातायात की आवश्यकता को पूरा करने की समस्या है।

मैं महत्वपूर्ण क्षेत्र के यातायात के बारे में कह चुका हूं जो माल ढुलाई पर केन्द्रित है और जो रेलवे की रोजी और रोटी है। जहां तक यात्री यातायात का संबंध है, उसके लिए और अधिक रेलगाड़ियों और रेलवे लाइनों तथा अन्य अनेक चीजों की सामान्य मांग बनी रहती है। मैं स्वयं महसूस करता हूं कि यह रेलवे की प्राथमिकता है और यहां यह मांग हमेशा बढ़ती जा रही है। जब मैं उस तरफ बैठा था तब मेरे मित्र नीतीश कुमार इस तरफ बैठते थे। अब वह दूसरी तरफ बैठे हैं। वह बहुत विनोदप्रिय हुआ करते थे और उन्होंने इस विनोद को अब तक बनाए रखा है। इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।

जहां तक यात्री यातायात का संबंध है, मैं समझता हूं कभी-कभी सरकार ने लोकप्रिय दृष्टिकोण अपनाया है और आपने दूसरी श्रेणी के साधारण यात्रियों से प्रभार नहीं वसूला। लेकिन आप भूल गए कि आपका अधिकांश यातायात उसी श्रेणी से आ रहा है। प्रथम श्रेणी, दूसरी श्रेणी, टू-टीयर वातानुकूलित और थ्री-टीयर वातानुकूलित में यातायात बहुत कम है। जब लोग रेलवे को पैसा अदा करते हैं तो वे सिर्फ यात्रा के लिए ही पैसा अदा नहीं करते हैं। वे देश के विकास के लिए भी पैसा अदा करते हैं। इसके बारे में लोगों को बताने के लिए हम में साहस और हिम्मत होनी चाहिए। यदि वे इसे यह मानें कि वे विकास के लिए पैसा अदा नहीं करते, बल्कि केवल अपनी यात्रा के लिए अदा करते हैं तो यह भावना सही नहीं है। यहीं से रेलवे को धन प्राप्त होता है इसलिए, दूसरी श्रेणी में, सबसे अधिक यातायात होता है। मैं आपसे दूसरी श्रेणी के किराए को बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि प्रत्येक साधारण आम आदमी और प्रत्येक व्यक्ति इसे समझता है। वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी एक कप चाय, अपना नाश्ता अथवा लंच त्याग सकता है। हम बोलते हैं और सभी बोलते हैं और विकास के लिए मांग करते हैं लेकिन धन कहां से आएगा? हमें साहस रखना चाहिए। खाली लोकप्रियता हासिल करने के लिए हमें यह कहकर धन की मांग नहीं करनी चाहिए कि इसका भुगतान कोई और करेगा। यह नहीं होगा।

मैं समझता हूं कि हम इसके बारे में सोचने के लिए समर्थ होंगे।

जब हमने एक समान आमान नीति पर विचार किया तो अनेक मीटर लाइन कार्यशालाएं समस्याओं का सामना कर रही थीं। सौभाग्य से, हम इसे बनाए रखने में समर्थ हैं चाहे यह अजमेर कार्यशाला हो अथवा हुबली कार्यशाला या कोई अन्य स्थान की कार्यशाला।

मैं समझता हूं कि कार्य भार ज्यादा नहीं है और जनशक्ति को नुकसान हो रहा है। मैं जनशक्ति को रखने की वकालत नहीं कर रहा हूं हालांकि हम जनसंख्या में वृद्धि और गरीबी में वृद्धि से बेरोजगारी पर ध्यान देने के लिए बाध्य हैं। फिर भी, पर्याप्त कार्यभार दिया जाना होगा। जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि चल स्टाक और अन्य चीजों के रखरखाव के लिए इस प्रणाली में बहुत कमी है। यदि पर्याप्त कार्यभार सुनिश्चित किया जाए तो इन शिकायतों को दूर किया जा सकता है।

जहां तक सुरक्षा पहलू का संबंध है, इस पर बल दिया गया है। मुझे विश्वास है कि इससे समझौता नहीं किया जाएगा। जहां तक नवीकरण और बदलाई का संबंध है किसी भी रेल मंत्री ने कभी कोई समझौता नहीं किया है। यह धनराशि की कमी का प्रश्न नहीं है। मेरी समझ से सुरक्षा उपायों के संबंध में निवेश स्तर में किसी ने कभी कोई कमी नहीं की है। मुझे खुशी है कि नए सिरे से बल जिसकी आवश्यकता है दिया गया है। सभी आकांक्षाओं को पूरा करना और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना बहुत मुश्किल है। फिर भी अब सुरक्षा पहल पर बल दिया गया है।

रेलवे बोर्ड को कामकाजी वर्ग, विशेषकर रेल इंजन ड्राइवरों पर पड़ने वाले दबाव पर ध्यान देना होगा और यह देखना होगा कि क्या उन्हें पर्याप्त विश्राम अवधि मिलती है। उन्हें यह देखना होगा कि क्या वे विशेषकर, विपरीत परिस्थितियों में उचित रूप से कार्य कर पाएंगे। कभी–कभार काम के अत्यधिक बोझ से भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

मैं नहीं जानता कि विद्युतीकरण के संबंध में हम क्या कर रहे हैं। यदि हमें दुर्घटना से बचना है, ईंधन बचाने का लक्ष्य प्राप्त करना है और अपने पर्यावरण तथा प्रदूषण का ध्यान रखना है तो मैं समझता हूं रेल यातायात सबसे अच्छा है। भारत सरकार और योजना आयोग को यह ध्यान देना चाहिए कि सड़क मार्ग का उपयोग करने वालों को रेल मार्ग का उपयोग करने हेतु कैसे प्रेरित किया जाए?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने समन्वयन के बारे में कतिपय बातें सुझाई हैं। मैं समझता हूं कंटेनर निगम अच्छा कार्य कर रहा है। इसी तरह, महत्वपूर्ण क्षेत्र का ट्रेफिक ज्यादातर सरकारी ट्रेफिक है, इसलिए जहां तक डिलीवरी किए जाने तक समन्वय का संबंध है, यहां कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

मैं नहीं समझता कि मुझे अपना भाषण अपने राज्य के बारे में कुछ बोले बिना समाप्त करना चाहिए। यहां लोगों की यह राय है कि मैंने अपने राज्य के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन अभी भी कुछ परियोजनाएं जिन्हें मैं शुरू नहीं करा सका था, बाकी हैं। उनमें से एक, जो मैंने शुरू की थी वह येलाहंका–बांगरयेर रेल लाइन थी। मैं इसे केवल चिक्काबल्लापुर तक ही पूरी करा सका। मैं इसे कोलार तक पूरा नहीं करा सका। यदि चिक्काबल्लापुर–कोलार खंड भी पूरा हो जाए तो यह परियोजना पूरी हो जाएगी।

दूसरी परियोजना अंदरूनी कर्नाटक में बीजापुर–गडग रेल लाइन है। मैं समझता हूं कि और भी अनेक रेल लाइन हैं लेकिन मैं उन सभी का उल्लेख करना नहीं चाहता हूं। मैं भी उनकी जगह पहले रह चुका हूं, मैं इस सूची में और ज्यादा जोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं रेल मंत्री की समस्याओं और दबावों को जानता हूं। बीजापुर–गडग रेल लाइन अंदरूनी कर्नाटक में है और कर्नाटक को महाराष्ट्र में मुम्बई से जोड़ेगी।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कार्यभार सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। दक्षिण–मध्य रेलवे में एक कार्यशाला हुबली कार्यशाला है। माननीय मंत्री जी कृपया यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यशाला को पर्याप्त कार्यभार दिया जाए ताकि निष्क्रिय जनशक्ति का बिना किसी छटनी के उपयोग किया जा सके। श्रम शक्ति को कार्य करते रहना चाहिए।

महोदय, मैं सभा का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। मुझे विश्वास है जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, महत्वपूर्ण क्षेत्र का ट्रेफिक महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण ईंधन की बचत है जिसे योजना आयोग और आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के ध्यान में रखना है अर्थात् रेल सैक्टर को सभा के सभी पक्षों, भारत सरकार से और योजना आयोग से भी समर्थन मिलना चाहिए।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि) : सभापति महोदय, चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, वास्तव में यह कहना मेरा विशेषाधिकार है कि वर्तमान सभापति महोदय उस समय भी सभापति महोदय थे जब गत वर्ष मैं बोला था। मुझे आशा है कि सभापति महोदय मेरा भाषण समाप्त होने से पहले मुझे रोकेंगे नहीं।

महोदय, मैं कह सकता हूं कि आज तमिलनाडु के लिए काला दिवस है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वी. वेत्रिसेलवन आपको रेलवे के बारे में बात करनी चाहिए और किसी चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तमिलनाडु में लोग आनंद विभोर हैं। मैं उस शब्द को कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल सकता हूं। तमिलनाडु में चारों ओर खुशहाली है।

श्री वी. वेत्रिसेलवन : महोदय, अपनी पार्टी डी.एम.के. की ओर से रेल मंत्रालय की अनुपूरक अनुदानों की मांगों के समर्थन में मुझे तीसरी बार बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, वर्तमान माननीय रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जो राजग सरकार में दूसरी बार मंत्री बने हैं को बधाई देने का भी मेरा विशेषाधिकार है।

महोदय, उन लोगों के लिए जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और जिनकी आमदनी 400 रुपए मासिक से भी कम है से सीजन टिकट के लिए 15 रुपए वसूले जा रहे

[श्री वी. वेत्रिसेलवन]

हैं। इसके लिए निर्धन लोग माननीय रेल मंत्री को दुआएं दे रहे हैं। ऐसा करने में, मैं भी उनके साथ हूं। तथापि, इस धनराशि को 15 से 25 रुपए बढ़ा दिया गया है। माननीय रेल मंत्री ने तहसीलदार से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने और फिर इस पर संसद सदस्य के हस्ताक्षर कराने के निदेश दिए हैं। यह सब चीज करना निर्धन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से इस पहलू पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, गत वर्ष, जब मैं अनुपूरक मांगों पर बोला था तो मैंने गोल्डन रॉक वर्कशॉप के बारे में उल्लेख किया था। इस वर्कशॉप के महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं है। यह दक्षिण रेलवे की प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित वर्कशॉप है। मैं कार्यशाला की बढ़ती आवश्यकताओं की ओर माननीय मंत्री से पुनः अनुरोध करता हूं।

महोदय, जहां तक इंटेग्रल कोच फैक्ट्री का संबंध है, यह भारतीय रेल के लिए गर्व की बात है। यह देश के लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है। पूरे विश्व में रेल डिब्बों के निर्माण की मांग बढ़ रही है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से 'इंटेग्रल कोच फैक्ट्री' के शीघ्र आधुनिकीकरण और विस्तार किए जाने का अनुरोध करता हूं ताकि यह रेल डिब्बों के निर्माण कर विश्वस्तरीय मांग को पूरा कर सके और देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सके।

अब मैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर आता हूं। गत वर्ष अधिकांश ग्दस्यों ने परती भूमि का उल्लेख किया था। रेलवे के पास अनेक स्थानों पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध परती भूमि बेकार पड़ी है। मेरे विशिष्ट मित्र श्री के.एच. मुनियप्पा ने इसके बारे में गत वर्ष उल्लेख किया था। इस बारे में पुनः उल्लेख करना मेरा सौभाग्य है। सच तो यह है कि कई लाख एकड़ परती भूमि उपलब्ध है। इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। वास्तव में, इस परती भूमि की रेलवे को कोई आवश्यकता नहीं है। सभी जानते हैं कि पंचायतों, नगरपालिकाओं और सरकार को विद्यालय, अस्पताल, बाजार, खेल के मैदान आदि के लिए कई एकड़ जमीन की आवश्यकता है। पंचायत और नगरपालिका इस भूमि को खरीदने के इच्छुक हैं। इसलिए, इस भूमि को उन्हें बेचा जा सकता है।

तमिलनाडु में, अभी भी कई प्रमुख लाइनें मीटर लाइन हैं। मेरा माननीय मंत्री से सविनय निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके उन सभी लाइनों को बड़ी लाइन में बदल दिया जाए। वर्ष 1998–99 के दौरान इसके लिए 199 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। वर्ष 1999–2000 के दौरान 206.14 करोड़ रुपए, वर्ष 2000–01 के दौरान 225.6 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। यह तमिलनाडु के लिए बहुत ही कम है। मैं माननीय मंत्री से तमिलनाडु के लिए और अधिक धनराशि आवंटित किए जाने का अनुरोध करता हूं।

अब मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करता हूं। जहां तक नागरकोइल जंक्शन का संबंध है, नागरकोइल जंक्शन के विकास कार्य के लिए अप्रैल, 1999 में 4.72 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। यह राशि कैट वाक के साथ पीट लाइन और शंटिंग नेक के निर्माण के लिए है। इस कार्य को अभी शुरू ही किया जाना है, जबकि इसके लिए टेंडर दिसंबर, 1999 में ही जारी किया गया था।

मैं यहां बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के लोगों की कुछ मांगें हैं। उन्होंने मुम्बई होते हुए नागरकोइल और कोयम्बटूर के बीच रात्रि सेवा की मांग की है। तूतीकोरीन–बंगलोर एक्सप्रेस से जोड़ने हेतु तूतीकोरीन और तिरुनेलवेली के बीच चलने वाली सवारी गाड़ी का विस्तार नागरकोइल तक किया जा सकता है। चेन्नई और नागरकोइल के बीच चलने वाली विशेष रेल गाड़ी को दैनिक किया जा सकता है।

यहां मैं एक और बात रखना चाहता हूं। दक्षिण रेलवे सबरीमलाई तीर्थ के कारण और शीतकालीन सत्र की भीड़ से निपटने के लिए करीब 600 विशेष रेलगाड़ी आरम्भ करने वाली है। फिर भी, इन सभी रेलगाड़ियों के भर जाने की संभावना है। इसलिए, इन मौजूद रेल गाड़ियों के अलावा, रेलवे को राज्यों की सभी राजधानियों, मुख्य रूप से मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली आदि के लिए विशेष रूप से शुक्रवार और शनिवार के दिन और अधिक ट्रेन आरम्भ करने पर विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री वेत्रिसेलवन, आपको सिर्फ तीन मिनट का समय दिया गया है। मैंने आपको आठ मिनट का समय दिया 5 मिनट अधिक। कृपया समाप्त करें।

श्री वी. वेत्रिसेलवन : महोदय, मैं अभी–अभी अपने चुनाव क्षेत्र से आया हूं। कृपया मुझे एक–दो मिनट का और समय दिया जाए।

श्री कोडीकुनील सुरेश (अड्डूर) : महोदय, उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ कह दिया।

सभापति महोदय : हां, उन्होंने तूतीकोरीन और तिरुनेलवेली का उल्लेख किया।

श्री वी. वेत्रिसेलवन : महोदय, मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा। माननीय रेल मंत्री यहां हैं। यह मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों का सपना है...*(व्यवधान)* महोदय, कृपया मुझे एक–दो मिनट का और समय दें। मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा, मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों का सपना है कि कृष्णागिरि होते हुए जोलारपेट और होसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाए।

महोदय, इस संबंध में दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक और मंत्री को कई पत्र लिखे। उन्होंने मुझे आश्वस्त करते हुए पत्र लिखा कि इस क्षेत्र के लिए प्राथमिक अभियंत्रण–सह–यातायात सर्वेक्षण दिसंबर, 2000 तक पूरा कर लिया जाएगा। अभी तक हमारे क्षेत्र में इस परियोजना को शुरू नहीं किया गया। मैं माननीय रेल मंत्री से अपने चुनाव क्षेत्र के लिए नई रेल लाइन बिछाने पर विचार करने का निवेदन करूंगा।

कृष्णागिरि धर्मपुरी जिले का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक कार्यकलाप का स्थान है। कृष्णागिरि दो राज्यों–आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से घिरा हुआ है। भारत के विभिन्न स्थानों से हजारों लोग कृष्णागिरि आते हैं और यहां से देश के अन्य भाग में लोग जाते हैं। कृष्णागिरि का मुख्य व्यापार नारियल, मूंगफली, वस्त्र, आम, खाद्यान्न आदि हैं। लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार को कृष्णागिरि में आरक्षण काउंटर खोलना चाहिए। इससे कृष्णागिरि और आस–पास के क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी।

सभापति महोदय, एक बार फिर, बोलने का यह अवसर देने के लिए और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

श्री दलित इजिलमलाई (तिरुचिरापल्ली) : महोदय, क्या आप मेरे विशिष्ट मित्र द्वारा अभी व्यक्त किए गए सुझावों से सम्बद्ध होने की अनुमति देंगे?

सभापति महोदय, अभी मेरे विशिष्ट मित्र ने जो विचार व्यक्त किया, वह तमिलनाडु के लोगों द्वारा ऐसा सोचा जाना आम है। तमिलनाडु का प्रत्येक सदस्य इस विचार से अवश्य सहमत होंगे क्योंकि सामान्य रूप से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और विशेष रूप से रेल मंत्रालय लंबे अरसे से कई शिकायतें हैं। जैसा कि हमारे मित्र कह रहे थे, डलहौजी के समय ही मीटर लाइन बिछाई गई थी और उन्हें अब तक भी नहीं हटाया गया है। मुझे यह बात नहीं समझ में आती कि यह दशकों से क्यों जारी है। इसके लिए मैं वर्तमान मंत्री को दोषी नहीं ठहराता। मेरे चुनाव क्षेत्र तिरुचिरापल्ली में रेल मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे आई.सी.एफ. और अन्य कार्यशालाओं में 9,000 कर्मचारी कार्यरत हैं।

सभापति महोदय : आपने अपना नाम नहीं दिया है और इसलिए, आप इस तरह से नहीं बोल सकते। जो उन्होंने कहा, आप अपने आपको उससे मात्र संबद्ध ही करना चाहते हैं।

श्री दलित इजिलमलाई : उन्होंने जो कहा, मैं उससे अपने आपको संबद्ध करता हूं।

सभापति महोदय : अब मामला समाप्त हो गया।

श्री दलित इजिलमलाई : सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु में आम सोच यह है कि हमें महत्व नहीं दिया जा रहा है या तमिलनाडु को किनारे कर दिया गया है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से कई वर्षों से लंबित परियोजनाओं को स्वीकृत करने का निवेदन करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, भगवान महावीर की 2600वीं जयंती शानदार ढंग से मनाई जा रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 100 करोड़ रुपया उसमें खर्च करेंगे। भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था तथा भगवान महावीर की जन्मभूमि, महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि और डेमोक्रेसी की जन्मभूमि वैशाली है। दुनिया में जब डेमोक्रेसी नहीं थी तब वैशाली में डेमोक्रेसी थी, वैशाली उस वक्त रिपब्लिक था। वैशाली एक ऐतिहासिक स्थल है। माननीय मंत्री जी ने ऐलान किया था कि वैशाली को रेलवे लाइन से जोड़ेंगे और बुद्ध सर्किट को पूरा करेंगे। पूर्व में रेलवे मंत्री माननीय राम विलास पासवान जी ने वहां एक सर्वेक्षण का शिलान्यास किया था। अब 3 दिसम्बर को सर्वेक्षण दुबारा होना था ऐसी सूचना चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने दी है। हमने 8–9 बार सवाल उठाया है कि हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, साहबगंज, केसरिया से सुगौली को नयी रेल लाइन से जोड़ा जाए। उसका सर्वे हो रहा है लेकिन लोग कहते हैं–

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

[अनुवाद]

जहां चाह है, वहां रेलवे है, और जहां चाह नहीं है, वहां मात्र सर्वेक्षण ही कराया जाता है।

[हिन्दी]

अब हम नहीं जानते कि विल कब होगी, कब रेलवे आएगी? हमें लगता है कि इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम इस मामले को आठ–नौ बार उठा चुके हैं। हमारे ऊपर जनता का इतना भारी दबाव है कि आपको यह काम करना होगा। उनकी ऐतिहासिक पुकार है। वह आपको देना पड़ेगा वरना वे लोग मंत्री जी के दरवाजे पर धरना देने वाले हैं।

हमारे यहां मोतीपुर एक मशहूर स्थान है। वहां छोटी–मोटी रेलवे टिकट की बुकिंग होती है। चकिया से ज्यादा बुकिंग होती है। वहां के लोगों की मांग है कि बंद्रा एक्सप्रेस और जन सेवा एक्सप्रेस जो दो गाड़ियां चलती हैं, मोतीपुर में रुकती नहीं हैं, उन्हें वहां रोका जाए। वहां के रेल यात्री संघ और लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए तुरन्त जन सेवा और बंद्रा एक्सप्रेस को रोकने का प्रबन्ध किया जाए। आप इस बारे में जल्दी आदेश दें।

हाजीपुर जहां मैं रहता हूं, वहां नेशनल हाई–वे में ओवर ब्रिज बना लेकिन इससे केवल छपरा जाने में फायदा होगा। वहां दिग्घी गुमटी और एकारा गुमटी है। हाजीपुर और मुजफ्फरपुर जो लोग जाते हैं तो दोनों जगह के लोग मांग करते हैं कि जहां कहीं भी नेशनल हाई–वे रेल को पार कर रही है, वहां ओवर ब्रिज होना चाहिए। इसकी सरकार ने एक नीति बनाई है। उसमें कहा है कि आधी राशि केन्द्र सरकार देगी और आधी राज्य सरकार देगी। आप इस नीति को बदलिए। सारा खर्चा केन्द्र सरकार करे और जहां कहीं भी नेशनल हाई–वे रेल को पार कर रही है, वहां ओवर ब्रिज बनाना चाहिए। हम हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जाते हैं और फिर मुजफ्फरपुर से छपरा जाने के लिए नेशनल हाई–वे को पार करना पड़ता है। वहां ओवर ब्रिज बनाना चाहिए क्योंकि गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है।

तिरुनेलवेली तमिलनाडु का एक निर्वाचन क्षेत्र है जहां से पांडियन साहब को लोगों ने जिताया था। उन्होंने लोक सभा में सवाल उठाया था कि वहां तूतीकोरिन के गेट नम्बर 3 पर ओवर ब्रिज बन रहा है लेकिन उसका काम शिथिल है। बजट में उसका प्रावधान हो गया है लेकिन काम शुरू क्यों नहीं हो रहा है? वहां काम शुरू होना चाहिए। वह एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहां मिर्च की खेती होती है। वहां ओवर ब्रिज बनना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : रघुवंश जी, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : पटना सेतु बनाना आपने मंजूर किया था लेकिन हम उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वहां काम प्रारंभ होगा। हाजीपुर जोनल हमारे एरिया में है। उसका प्रधान मंत्री जी ने उद्घाटन किया था। उस समय मैं वहां मौजूद था लेकिन वहां काम शुरू नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है। क्या पैसा देखते हुए इसकी मंजूरी नहीं होती है? शिलान्यास होने के बाद भो काम नहीं हो रहा है। इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए।

अखिलेश सिंह जी ने कुलियों के बारे में सवाल उठाया। कुली लोगों का सामान ढोने का काम करते हैं। जब हम पटना जाते हैं तो सभी कुली हमें घेर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए कुछ करिए। यदि वे ज्यादा सामान ढोएंगे तो उन्हें अच्छी आमदनी होगी। वहां ठेकेदारी प्रथा चल रही है। पार्सल में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना चाहिए।

आज रेलवे सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके लिए बजट में वृद्धि हो। इसके लिए लोक सभा में जनमत तैयार हो जिससे पर्याप्त धनराशि का प्रावधान हो सके। आज बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। पिछली बार 380 करोड़ रुपया मिला था।

उस हिसाब से बिहार को 380 करोड़ रुपया मिलना चाहिए जबकि मात्र 40 करोड़ रुपया मिला है। बिहार के प्रोजेक्ट्स पूरे होने चाहिए। बिहार से सारी रेलगाड़ियां निकलकर बंगाल की तरफ जाती हैं, इसलिए बंगाल के प्रोजेक्ट्स भी पूरे होंगे। उनके पूरा न होने से बहुत बड़ा झंझट पैदा हो सकता है। रेल सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए। गुवाहाटी जाने वाली राजधानी पटना में रात को 2 बजे आती है, जिससे भारी असुविधा होती है। मेरा आग्रह है कि समय परिवर्तन के साथ–साथ हर दिन राजधानी चलनी चाहिए।

एक राजधानी मुजफ्फरपुर से चलायी जानी चाहिए, ऐसी मांग वहां के लोगों ने की है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री

जी इन सारी बातों का जवाब देंगे। यदि जवाब संभव नहीं हुआ तो जो सवाल हमने उठाए हैं, उनका समाधान लिखकर हमें दे दें। जो सवाल श्री दासमुंशी ने उठाए हैं, उनमें रेलवे की ठेकेदारी डॉन लोग प्रयोग कर रहे हैं। क्रिमिनल्स का बोलबाला हो गया है। उन पर सख्ती की जा सकती है अन्यथा वे सारी रेल व्यवस्था को खराब कर देंगे। अगर इन बातों की तरफ रेल मंत्रालय ने ध्यान नहीं दिया तो धरना होगा और रेल मंत्री झंझट में पड़ जाएंगे।

सभापति महोदय, भगवान महावीर और बुद्ध तथा लिच्छवी से संबंधित सब जगहों को रेल से जोड़ना चाहिए। इन लोगों ने इतिहास का निर्माण किया। आप भी इतिहास का निर्माण करें। आप जानते हैं कि दुनिया भर से टूरिस्ट्स वहां आते हैं। वहां अभी हाल ही में भगवान बुद्ध का एक बड़ा स्तूप मिला है। टूरिस्ट्स को उस स्थान से जाने के लिए रेल लाइन की आवश्यकता है। जनता ने भी इसकी मांग की है। यदि यह लाइन पूरी नहीं हुई तो धरना होगा, लड़ना होगा और फिर मरना भी होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अरूण कुमार (जहानाबाद) : सभापति महोदय, आज रेल की सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर चर्चा हो रही है। हम ही नहीं, सारा देश और सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि रेल राष्ट्र की धरोहर है और विकास से लेकर सामाजिक व्यवस्था के सारे आयामों को रेल प्रभावित करती है।

सभापति महोदय, मैं रेलों में हुई प्रगति के लिए माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं। खासकर आम लोगों के जीवन और रक्षा से जुड़े हुए जो सवाल हैं, सरकार ने सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उनके लिए विशेष तौर पर बधाई देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, रेल बजट की सप्लीमेंटरी डिमांड्स में जितनी राशि की डिमांड की गई है, वह बहुत ही कम है। निश्चित तौर पर रेलवे के जिस विस्तार और जितने विकास की तैयारी हमें करनी है, उसके लिए यह राशि कम है। जिन कार्यों को रेल मंत्रालय ने हाथ में लिया है और जिनके कुशल नेतृत्व में यह प्रबंधन है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। अब मैं कुछ सवालों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

गया–पटना बहुत महत्वपूर्ण रेल लाइन है। इस लाइन का दोहरीकरण करना, उस क्षेत्र की जनता के लाभ की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि रेलवे के दोनों मुख्य मार्गों हावड़ा–दिल्ली और हावड़ा–पटना–दिल्ली को जोड़ने वाला यह सबसे शार्टेस्ट रूट है। दोनों मुख्य मार्गों पर यदि कोई व्यवधान होता है तो इस ट्रैक का प्रयोग किया जाता है। इसके दोहरीकरण का कार्य शुरू हुआ है। यदि इसे गया की ओर से आरंभ किया जाए, जिस तरह पटना की ओर से इसके दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, उसी तरह से गया की तरफ से चलाया जाए तो शीघ्र उसे कार्य रूप में परिणित किया जा सकता है और इससे रेलवे को बहुत फायदा होगा। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में, उस दिशा में, गया की ओर से इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय, हमें कई महत्वपूर्ण ट्रेन्स दी गई हैं जिनमें एक सद्भावना एक्सप्रेस है, जो उत्तर प्रदेश से बिहार और खासकर हरिद्वार जाने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अभी यह ट्रेन केवल एक दिन चलती है, इसे सप्ताह में कम से कम तीन दिन चलाया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोगों को हमारे यहां आने–जाने में सुविधा हो और उनसे हमारा सीधा संपर्क स्थापित हो सके।

मैं कहना चाहता हूं कि गया धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान है और बोधगया अंतर्राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र है। गया के प्लेटफार्म के विकास और कोचेज के लिए अभी पिट्स का प्रबंधन किया गया है। सप्लीमेंटरी डिमांड्स में उसके लिए भी उपबंध किया गया है। गया जंक्शन इतना महत्वपूर्ण है कि वहां प्रति वर्ष लाखों विदेशी यात्री आते हैं। इसलिए हमें उसके विकास का बहुआयामी स्वरूप तय करना चाहिए और राजगीर से बोधगया को जोड़ना चाहिए। जिस तरह राजगीर–पटना से जुड़ गया है, उसी तरह से गया–बोधगया–राजगीर को जोड़ना चाहिए, ताकि जैन, बौद्ध और विष्णुपद जो देश के दूसरे हिस्सों से लोग आते हैं और खासतौर पर पितृपक्ष के मेले के अवसर पर लाखों–लाख लोग वहां धार्मिक दृष्टिकोण से आते हैं, वे चाहते हैं कि इन महत्वपूर्ण जगहों को भी वे देखें। इसलिए गया का विकास करना, रेलवे के विकास और पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि गया–बोधगया–राजगीर को सीधे तौर पर जोड़ने का प्रबंध किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सेफ्टी मैजर्स के लिए सरकार ने जो एक कठोर और

[श्री अरूण कुमार]

बड़ा सार्थक कदम उठाया है, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, हमें भाषण नहीं देना है, हम सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि रेल मंत्री जी ने जिन योजनाओं को स्वीकृति दे दी है, उन पर ज्यादा पैसा आवंटित करें ताकि वे योजनाएं पूरी हो जाएं।

हमारे यहां मिसरिख–महाराजगंज नई रेल लाइन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उसे पूरा करा दें। 23 तारीख को इन्होंने मिसरिख जाना है जहां जनता होटल का शिलान्यास करना है। वह बोर्ड में आ गया है। आप बोर्ड से आदेश निकलवा दें कि वहां जल्दी होटल बन जाए। मिसरिख में एक यार्ड भी बनवा दें। पहले भी हमने इस बारे में पत्र लिखा है। मुझे भाषण नहीं देना है, सिर्फ काम की बातें बताकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : सभापति जी, दासमुंशी जी ने कहा है कि रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं–इससे आप आर.एस.एस. के चंगुल में ही फंसेंगे। आप ऐसा नहीं होने देंगे, इसका मुझे यकीन है। मैं कुछ चंद बातें ही आपके सामने रखूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि अनुदान संबंधी मांगों पर अपनी राय व्यक्त करें और सामान्य चीजों पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री भान सिंह भौरा : सभापति जी, भटिंडा नॉर्दर्न रेलवेज का सबसे बड़ा जंक्शन है। वहां 6 लाइनें जुड़ी हुई हैं और उस पर सिर्फ दो कंप्यूटरीकृत रिजर्वेशन सेंटर हैं जिन पर बहुत भीड़ रहती है। मैंने लिखकर निवेदन किया है कि वहां एक और रिजर्वेशन केन्द्र खोल दीजिए। एक ओवर ब्रिज भी वहां बन रहा है जिस पर 7 करोड़ रुपया लगना है। अभी आपने सिर्फ 10 लाख रुपया रखा है जबकि वहां के एक मंत्री हर रोज कहते रहते हैं कि हम पुल बनाएंगे और ब्रिज बनाएंगे। उसकी पोजीशन क्या है। स्टेट गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया है, यह बात आप बताएं। मैं चाहूंगा कि उस ब्रिज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए।

मेरे इलाके में मानसा डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है जहां हमने अंडर ब्रिज की मांग की थी। आपने कहा कि वह नहीं बन सकता। मैं चाहता हूं कि फिर उसे देखिए कि क्या वहां अंडर ब्रिज बन सकता है। एक डबल लाइन 2000 में राजपुरा से भटिंडा तक सैंक्शन हुई थी लेकिन वह अभी तक क्यों नहीं शुरू हुई–मंत्री जी बताएं। जाखल से भटिंडा तक डबल लाइन करने का मामला अभी बीच में ही पड़ा है। उसे भी नहीं पूरा किया गया। उसके संबंध में, मैंने कई बार लिखा है। अनेक संसद सदस्यों ने कई बार लिखा है कि कम से कम फिरोजपुर, भटिंडा और गंगानगर के लिए कोई शताब्दी ट्रेन चला दीजिए लेकिन आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे यहां से सात–आठ मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट आते हैं–यदि एक शताब्दी चला दें तो उन सबको फायदा होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब इन डिमांड्ज की तरफ भी ध्यान दें।

आपको पता है कि दमदमा साहब सिखों का बहुत बड़ा तीर्थ है, जहां गुरु गोविन्द सिंह जी ठहरे थे। वहां जाने के लिए, एक रोड बनाने हेतु मैंने निवेदन किया है। लुधियाना से दमदमा साहब को जाना हो तो बाइपास बनता है भटिंडा का। मैंने आपको लिखा कि वहां एक फाटक बनवा दीजिए। फाटक बनने के बाद 50 किलोमीटर का फर्क पड़ता है लोगों को जाने के लिए। मैडम ममता बनर्जी ने उसको परवानगी दे दी थी लेकिन आपने लिखा है कि यह फाटक नहीं बन सकता। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उस फाटक को बनाने की मंजूरी दे दीजिए क्योंकि भटिंडा से दमदमा साहब तक जाने के लिए 50 किलोमीटर का फर्क पड़ता है और लुधियाना की तरफ लोग आते हैं।

अपराह्न 5.59 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए)*

इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन सब मांगों की तरफ ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इन पर ध्यान देंगे।

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : सभापति जी, मैं रेलवे की अनुपूरक मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस बजट में सुरक्षा के लिए जो 17000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। इससे रेलवे की सुरक्षा में ज्यादा बल मिलेगा।

सायं 6.00 बजे

रेलवे का बजट, देश भर में जैसी रेलवे की मांग है, सबसे सस्ती सवारी रेल की है और हर आदमी अपने क्षेत्र में रेल की मांग करता है। उस मांग के हिसाब से रेल का बजट बहुत कम है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। मैं अपने क्षेत्र की मेन बात बताना चाहूंगा कि वह लूपलाइन मीटरगेज में परिवर्तित होने के लिए दस साल से लगा हुआ है। पहले हुआ था कि यूनीगेज सिस्टम होगा, एक ही गेट कर दिया जाएगा। फिर वह स्कीम बीच में ड्रॉप हो गई। उससे यह फायदा था कि एक ही तरह के इंजन, गाड़ियां और डिब्बे बनते थे और वही जिस चाहे लाइन में इस्तेमाल हो जाते थे। अब एक तरफ मीटरगेज है, आगे ब्रॉडगेज है। वहां से हमारा क्षेत्र सिद्धार्थनगर जनपद, गोंडा लूपलाइन में स्थित है जिसके कारण लोग वहां से लखनऊ तक भी सीधे नहीं आ सकते। यह बहुत बड़ी विडंबना है। उस क्षेत्र का पूरा विकास रुका पड़ा है। इसलिए आमान परिवर्तन जो बहुत पहले से चल रहा है, 1997–98 बजट में प्लानिंग कमीशन से उसकी स्वीकृति भी आ गई है। जैसे प्रधान मंत्री जी ने पिछले चुनाव में लोक सभा के बलरामपुर में इस लाइन को शीघ्र शुरू कराने की बात कही थी, उसे शीघ्र शुरू करवाया जाए जिससे वहां से सीधे ट्रेन लखनऊ, दिल्ली हर जगह के लिए आने लगे और सामान जैसे कोयला, सीमेंट, खाद सीधे पहुंच जाए, उसे ट्रकों से न ले जाना पड़े। यह नेपाल सीमा से लगा हुआ है। नेपाल से सैकड़ों बसें उधर से आती हैं। इस लाइन के आमान परिवर्तन से बुद्ध परपज में भी फायदा मिलेगा। बुद्ध यात्री जो दूसरे देशों से आते हैं, वे सीधे उस क्षेत्र में पहुंच सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए मुद्दों को नोट करने के लिए कोई भी रेल मंत्री यहां उपस्थित नहीं है।

सभापति महोदय : एक कैबीनेट मंत्री यहां बैठे हैं। आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री के. एच. मुनियप्पा : यहां तक कि संसदीय कार्य मंत्री भी यहां उपस्थित नहीं हैं...*(व्यवधान)* महोदय, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या सरकार का काम करने का यही तरीका है?

श्री के. एच. मुनियप्पा : कोई भी रेल मंत्री यहां उपस्थित नहीं है। मैं कैसे बोल सकता हूं? मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों को कौन नोट करेगा?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : मैं यहां उठाए जा रहे मुद्दों को नोट करने के लिए बैठा हुआ हूं।

श्री के. एच. मुनियप्पा : रेलवे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात सुरक्षा से संबंधित नीति है। हम संसद सदस्यों को पार्टी पर विचार किए बिना रेलवे के बारे में अनुपूरक बजट का समर्थन करना पड़ता है।

रेलवे किसी भी देश की प्रमुख जीवन रेखा होती है। हम सबको इसके विकास का समर्थन करना चाहिए लेकिन सरकार को समुचित बजट प्रस्ताव लाने होंगे। एक ही योजना में जरूरतमंद लोगों का कार्य करना संभव नहीं है। इसलिए इस संबंध में सरकार को कम से कम दो योजनाएं लानी चाहिए। लंबित आमान–परिवर्तन का कार्य, चाहे वह बड़ी लाइन को छोटी लाइन में बदलने का कार्य हो अथवा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य हो, उसे पूरा किया जाना चाहिए। सरकार को प्रत्येक आमान परिवर्तन पर दस वर्ष लगाने चाहिए। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस कार्य को एक निश्चत समय सीमा में पूरा किया जाए।

हमें रेल बजट पर विशेष जोर देना होगा। मैं समझता हूं कि पूरा सदन इस मुद्दे पर मेरा समर्थन करेगा।

मैं रेल मंत्री के ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि वरिष्ठ मंत्री श्री शरद यादव मेरी बातों को नोट कर रहे हैं और वह मेरी समस्याओं पर ध्यान देंगे।

महोदय, बंगलूर–हासन–मंगलौर परियोजना के दोहरीकरण का कार्य पूरा करना होगा। बंगलूर–जोलारपेट परियोजना के दोहरीकरण के शेष कार्य को पूरा किया जाने की जरूरत है। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। मरिकुप्पम–विशनाथन परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। इस परियोजना को पूरा किया जाए। जैसा कि श्री जाफर शरीफ ने उल्लेख किया है कर्नाटक की लंबित पड़ी बीजापुर–गडक परियोजना, रिंग रेलवे परियोजना पर कार्य शुरू किया जाए।

[श्री के. एच. मुनियप्पा]

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ परियोजनाओं में आधा कार्य पूरा हुआ है। ऐसी एक परियोजना येलाहंका–बांगरपेट आमान–परिवर्तन परियोजना है जो मेदनापल्ली और तिरुपति के बीच एक लिंक है, लंबित है। आमान–परिवर्तन का यह कार्य 150 किमी. तक की एक पट्टी में किया जाना है। रेलवे ने 80 किमी. से अधिक किमी. तक कार्य पूरा कर लिया है और इस परियोजना पर 80 करोड़ रुपए से अधिक रुपए खर्च किए हैं। यदि आप 70 किमी. के शेष कार्य को पूरा नहीं करते हैं तो जो धनराशि इस परियोजना पर पहले ही खर्च की गई है, बेकार चली जाएगी। मैंने इस संबंध में श्री नीतीश कुमार को एक अभ्यावेदन दिया है। यदि रेलवे यह परियोजना पूरी कर लेती है तो यह मुनाफा कमाने वाला मार्ग साबित होगा। यह तिरुपति और कोलकाता के बीच भी एक लिंक है। इससे पूर्वी भाग और देश का तटवर्ती क्षेत्र भी जुड़ जाएगा। पिछली बार भी मैंने नीतीश कुमार से इस परियोजना को पूरा करने का अनुरोध किया था। यह सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। मैंने माननीय मंत्री को दो बार अभ्यावेदन किया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि आप यह परियोजना पूरी करते हैं तो तीन राज्यों, नामतः तमिलनाडु के धर्मपुर जिले, कर्नाटक के कोलार जिले और आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पचास लाख से अधिक लोग इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस परियोजना पर ध्यान देंगे।

महोदय, पूर्व रेल मंत्री ने हुबली कार्यशाला और अन्य बातों का उल्लेख किया था। अतः मैं उन बातों को दोहराकर सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं मंत्री जी से कर्नाटक में पिछले पांच वर्षों से लंबित सभी परियोजनाओं को पूरा करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, हमें सदन का समय बढ़ाना होगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम मंत्री जी के उत्तर पूरा होने तक समय बढ़ा सकते हैं।

सभापति महोदय : सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया जाता है।

***श्री पी. डी. एलानगोवन (धर्मपुरी)** : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने रेल मंत्रालय की अनुपूरक अनुदान मांगों पर इस चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान किया है। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत और समर्थन करते हुए पट्टालि मक्कलकाची की ओर से अपने विचार रखना चाहता हूं।

मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान तमिलनाडु की लंबित परियोजनाओं की ओर दिलाना चाहूंगा जिनके लिए धनराशि निर्धारित की गई है लेकिन परियोजनाओं को शुरू करने और उन्हें पूरा करने के लिए धनराशि जारी नहीं की गई है।

सभापति महोदय : एक मिनट। हमें सदन का समय बढ़ाना होगा। क्या हम इसकी अविध एक घंटा बढ़ा दें? तो फिर सदन का समय सात बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

***श्री पी. डी. एलानगोवन** : मैं मन की शक्ति पर विश्वास करने वाले तथा योग्य श्री नीतीश कुमार को रेलवे के कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं जिसमें जिन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि रेल किराए में वृद्धि किए बिना ही रेल को चलाना जनता के लिए यात्रा का एक सुरक्षित साधन है। रेलवे ने यात्रियों में सुरक्षा की भावना पैदा की है। ऐसे समय में जब तमिलनाडु की सरकार ने बस किराए में अत्यधिक वृद्धि की थी तो रेलवे फिर भी जनता की सेवा में किफायती यात्रा तथा सुरक्षित यात्रा का साधन बनी रही थी। हम केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ध्यान की सराहना करते हैं। मैं इसे कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल कराना चाहूंगा कि लोग रेलवे के कार्यनिष्पादन की सराहना करते हैं। साथ ही मैं कुछ रेल परियोजनाओं जिनके लिए पहले से ही धनराशि निर्धारित की गई है; को पूरा न करने के बारे में बताए बिना नहीं रह सकता। मैं माननीय केन्द्रीय रेल मंत्री से इन परियोजनाओं पर ध्यान देने और इन लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हम जिस जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं की ओर से हमारे द्वारा रेलवे के अधिकारियों और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को दिए जाने वाले अभ्यावेदनों पर या तो उनके उत्तर निराशाजनक होते हैं या फिर शून्य होते हैं अथवा उपेक्षापूर्ण होते हैं। लोगों के पत्रों अथवा याचिकाओं का उत्तर दिया जाना चाहिए और मैं माननीय मंत्री से इसकी जांच करने का अनुरोध करूंगा। इस पर तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मैंने माननीय रेल मंत्री को अपने लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र धर्मपुरी की कुछ समस्याओं के बारे में अनेक अवसरों पर लिखा है, जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि अधिकतर प्रार्थनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया है और उनमें अनेक समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है और वे अधूरी हैं।

धर्मपुरी और मोरप्पुर के बीच जो पुरानी रेल लाइन है वहां एक वर्ष के भीतर इस संबंध में आवश्यक सर्वेक्षण पूरा कर बड़ी लाइन पुनः बिछाई जाए।

दक्षिण और पश्चिम को जोड़ने वाली रेल लाइनें बांगरपेट और जोलारपेट से होकर गुजरती हैं। सेलम और बेंगलूर के बीच चलने वाली रेल गाड़ियां बांगरपेट और जोलारपेट होते हुए जाती हैं। आमान–परिवर्तन और सेलम और बेंगलूर के बीच बड़ी लाइन बिछाए जाने के बाद भी इन गन्तव्य स्थलों के बीच रेल गाड़ियों को अभी भी 150 किमी. का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है जिसमें यात्रा के लिए तीन और घंटे का समय लगता है। मैं रेल मंत्री से लोगों का समय और पैसा बचाने के लिए इसकी जांच कराने का अनुरोध करता हूं। परिवर्तित मार्गों पर और अधिक रेलगाड़ियां चलाने से रेलवे और यात्रियों को बहुत लाभ होगा।

सेलम लगभग तमिलनाडु के बीच में स्थित एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। लेकिन अब यह पालघाट मंडल के अंतर्गत आता है। सेलम नगर के महत्व पर विचार करते हुए रेल मंत्रालय पालघाट मंडल से सेलम को अलग कर सकता है ताकि इसमें एक समान परिवर्तन किया जा सके और इसे तमिलनाडु के अन्य नगरों के साथ उपयुक्त रेल मार्ग से जोड़ा जा सके। चूंकि सेलम तमिलनाडु के लगभग सभी प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए रेलवे एक नया रेलवे मंडल बनाने पर विचार कर सकती है जिसका मुख्यालय सेलम हो।

मेट्टूर एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और औद्योगिक नगर है। मेट्टूर में यात्री रेल यातायात और मालगाड़ियों की आवाजाही को अब बंद कर दिया गया है। मेरा रेलवे विभाग से अनुरोध है कि वहां रेल सेवा पुनः शुरू की जाए।

मैं रेल मंत्री से सभी लंबित परियोजनाओं पर ध्यान देने और चालू वर्ष के दौरान उन्हें पूरा करने का अनुरोध करता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र जिनमें समाज के विभिन्न वर्गों के गरीब लोग भी शामिल हैं, के सभी लोगों को बड़े पैमाने पर लाभान्वित करने के उद्देश्य से रेलवे मोरापुर होते हुए सेलम और बेंगलूर के बीच एक और यात्री गाड़ी चला सकती है।

मोरापुर और धर्मपुरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों का विस्तार और प्लेटफार्मों की छत बनाने का कार्य शुरू किया जाए क्योंकि ये मांगें काफी समय से लंबित चल रही हैं। छात्र, कार्यालय जाने वाले लोग और आम जनता जिनमें वृद्ध व्यक्ति भी शामिल हैं, रेलवे के ऋणी होंगे यदि उन्हें वर्षा से बचाने के लिए रेलवे स्टेशन प्लेटफार्मों की छत बना दी जाए। धर्मपुरी रेलवे स्टेशन के दोनों किनारों पर पैदल पार पुल (ओवर ब्रिज) बन जाने से उन लोगों को अत्यधिक लाभ होगा। बड़ी संख्या में रेल यात्रियों और प्रतिदिन आने–जाने वाले लोगों द्वारा इन जरूरतों को महसूस किया जा रहा है।

जब धर्मपुरी जिले के लिए रेल आरक्षण कोटा की बात आती है, तो यह आरक्षण मोरापुर में एक रेलगाड़ी में दो सीटों के लिए ही उपलब्ध रहता है। जनसंख्या और मांग में वृद्धि पर विचार करते हुए रेलवे मोरापुर के लिए कोटा बढ़ाते हुए सीटों की संख्या भी बढ़ा सकती है। मैंने इन मांगों के बारे में कई बार रेलवे को लिखा है। मैं अपनी कुछ लिखित मांगें सदन के समक्ष भी रख रहा हूं।

इसके साथ ही मैं वर्ष 2001–02 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के लिए रेल मंत्रालय द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता, उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं रेल मंत्रालय की वर्ष 1998–99 की अतिरिक्त अनुदान मांगों और वर्ष 2001–2002 की अनुपूरक अनुदान मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हूं। मंत्री महोदय ने मुख्यतः अतिरिक्त अनुदान मांगों के लिए मांग संख्या 5, 6, 8 और 13 के माध्यम से रु. 348.70 करोड़ के आवंटन की स्वीकृति मांगी है।

70.33 करोड़ रु. का प्रभारित व्यय है। ये अनुदान संख्या 3, 4, 9, 11 और 16 के तहत है। जहां तक अतिरिक्त व्यय का संबंध है, मेरे विचार से मांग संख्या 13 से भविष्य निधि, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए धन प्रदान किया जाता है और अतिरिक्त व्यय 3842.71 करोड़ रु. के अंतिम अनुदान का 8.21 प्रतिशत बैठता है। यह व्यय पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन और मांग संख्या 5, 6, और 8 में उल्लिखित अन्य व्ययों का भुगतान करने के कारण हुआ और इसे संख्या 3, 4, 9, 11 और 16 के अधीन खातों से प्रभारित किया गया जिन पर हम सामान्यतया बजट में चर्चा

[श्री सुदीप बंद्योपाध्याय]

नहीं करते। मैं इस बात को समझता हूं और माननीय रेल मंत्री द्वारा की गई घोषणा का समर्थन करता हूं।

जहां तक अनुपूरक मांगों का संबंध है, स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि 1.12.2001 से लगाया गया सुरक्षा प्रभार से चालू वर्ष में 400 करोड़ रु. अतिरिक्त प्राप्त होने की आशा है और इस पूरी राशि को विशेष रेल सुरक्षा निधि में रखा जाएगा। हमने अनेक अवसरों पर देखा है कि सुरक्षा निधि का अन्यत्र उपयोग कर लिया जाता है। हम मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहते हैं कि सुरक्षा निधि का उपयोग सुरक्षा उपायों के लिए ही किया जाएगा और सुरक्षा प्रयोजनों के लिए जो भी आवंटन किया जाए उसका उपयोग अन्यत्र नहीं किया जाएगा। इसका कारण यह है कि रेल यात्री शोर मचाते हैं कि रेल यात्राओं के दौरान सुरक्षा होनी चाहिए और हमें यह जानकारी मिलनी चाहिए कि इस निधि का समुचित उपयोग हो रहा है। इस धन का दुर्विनियोजन नहीं होना चाहिए।

गत वर्ष, जब रेल विभाग की अनुदान मांगें सभा में रखी गई थीं तो समय की कमी के कारण इन पर चर्चा नहीं हो पाई थी और समय-सीमा रखी गई थी कि चर्चा सायं 7.00 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। इस प्रकार बहुत से माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सका। अब मेरी भरसक कोशिश होगी कि अतिरिक्त व्यय संबंधी अनुदान मांगों पर ध्यान केंद्रित हो सके। मैं माननीय मंत्री से एक या दो प्रश्न ही पूछूंगा ताकि मुझे उत्तर पाने के अवसर मिल सकें।

पिछले बजट में कई प्रस्तावों की घोषणा की गई थी किंतु इन पर चर्चा नहीं हो सकी थी और अंततः ये बिना चर्चा के ही पारित हो गए थे। मैं, माननीय मंत्री से आश्वासन चाहता हूं कि पूर्व रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी द्वारा सभा में घोषित प्रस्तावों, विशेषतः पश्चिम बंगाल के लिए घोषित प्रस्तावों का समय के साथ-साथ कार्यान्वयन होगा। श्री पी. आर. दासमुंशी ने बालुरघाट-एकलाखी का उल्लेख किया था। इसके अलावा, मैं एक बहुत ही लाभप्रद मार्ग दिघा-तमलुक मार्ग का उल्लेख करना चाहता हूं। इस मार्ग का क्या भविष्य है, यह माननीय रेल मंत्री अच्छी तरह जानते हैं। मैं धारिया से टॉलीगंज तक मीटरगेज परियोजना, माझेरहाट तक सर्कुलर रेल और पश्चिम बंगाल के लोगों की लंबे समय से लंबित बीडीआर परियोजना का भी उल्लेख करना चाहता हूं।

कई अवसरों पर अनेक सदस्यों ने हम पर यह आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के लिए अनेक परियोजनाएं और प्रस्ताव रखे गए हैं। माननीय रेल मंत्री बिहार के पूर्वी क्षेत्र के हैं। आजादी के बाद भी, पूर्वी क्षेत्र, क्षेत्रीय असंतुलन की वजह से बहुत पीड़ित रहा है। अतः इस जोन के लिए नई परियोजनाओं हेतु अधिक आवंटन किया जाना चाहिए और यह निगरानी रखी जानी चाहिए कि जिन परियोजनाओं की घोषणा की गई है उनका समय के साथ उचित कार्यान्वयन हो।

मैं माननीय मंत्री से कुछ और आश्वासन चाहता हूं क्योंकि प्राप्त समाचारों के अनुसार पश्चिम बंगाल के संबंध में घोषित परियोजना के लिए समुचित वित्त उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और इस कारण इन परियोजनाओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सभापति महोदय, आप भी पश्चिम बंगाल से हैं और आपको भी इन परियोजनाओं के संबंध में जानने की रुचि होगी। मैं इन खबरों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन मैं मंत्री महोदय से एक आश्वासन चाहता हूं ताकि राज्य के लोगों तक यह संदेश पहुंच जाए जो मंत्री महोदय के आश्वासन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक साथी ने 15 रु. मूल्य के मासिक रियायती पास की बात की है। संसद सदस्यों को गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लिए 15 रु. के मासिक रियायती पास जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। हाल के परिपत्र ने संसद सदस्यों की इस शक्ति को पूरी तरह से छीन लिया है। संसद सदस्यों को प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस पास के लाभभोगियों को एसडीओ या बीडीओ या तहसीलदार से प्रमाण पत्र लेने के लिए कहा जा रहा है। सामान्यतया, संसद सदस्यों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती जिससे वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के जन सामान्य को सीधे लाभ पहुंचा सकें। यही एक तरीका था जिससे लोग सीधे संसद सदस्य से संपर्क कर सकते थे और मासिक पास जारी करवा सकते थे। आजकल इन प्रमाण पत्रों की अनुमति नहीं है और इन्हें वापिस किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय इस बारे में चिंतित हैं या इसे लागू करने के लिए उनकी सहमति ली गई थी या नहीं? यदि उनकी सहमति के बिना ऐसा किया गया है तो मुझे आशा है कि वह प्राधिकारियों को संसद सदस्यों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों को स्वीकार करने संबंधी आवश्यक अनुदेश जारी करेंगे और इस आधार पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को 15 रु. मूल्य के मासिक पास जारी करेंगे।

इस महत्वपूर्ण समय पर मैं सुरक्षा संबंधी उपायों की आवश्यकता से पूर्णतः सहमत हूं। माननीय मंत्री कहा करते

थे कि जहां तक सुरक्षा उपायों का संबंध है वह रेलवे में 'दोष रहित' प्रणाली चाहते हैं। उन्होंने कई अवसरों पर अपनी यह इच्छा व्यक्त की है कि रेल सुरक्षा 'दोष रहित' होनी चाहिए और सुरक्षा प्रणाली को सुचारु रूप से चलाया जाना चाहिए।

मेरा दूसरा प्रश्न विनिवेश से संबंधित है। विभिन्न सरकारी उपक्रमों में विनिवेश किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय रेल के अधीनस्थ सरकारी उपक्रम लाभ अर्जित कर रहे हैं या उन पर भी विनिवेश का खतरा मंडरा रहा है। यदि ऐसा है तो अनुपूरक अनुदान मांगों की आवश्यकता क्या है? मैं लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सदस्य हूं। कई प्रतिष्ठित सरकारी उपक्रमों को विनिवेश के लिए चुना गया है और उनमें महत्वपूर्ण भागीदार सामने आ रहे हैं। ये भागीदार बहुत ही अच्छे और संगठित सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि निधियों की कमी है। यदि रेल विभाग के अधीनस्थ सरकारी उपक्रमों में ऐसा कोई खतरा है तो मंत्री महोदय को मेरा सुझाव है कि आप अनुपूरक अनुदान मांगों में कुछ और अधिक निधियों की मांग करते तो सभी सदस्य एकमत से उनका समर्थन करते।

अतः मैं माननीय मंत्री से पश्चिम बंगाल संबंधी प्रस्तावों के बारे में एक आश्वासन चाहता हूं। मैंने शुरू में ही कहा है कि सुरक्षा निधियों का उपयोग केवल सुरक्षा प्रयोजनों के लिए ही किया जाना चाहिए। इस संबंध में मंत्री महोदय से मैं आश्वासन चाहता हूं।

श्री के. पी. सिंहदेव (ढेंकानाल) : धन्यवाद सभापति महोदय, आप रेल संबंधी स्थायी समिति के सभापति भी थे।

मैं वर्ष 2001 की अनुपूरक अनुदान मांगों और अतिरिक्त अनुदान मांगों का स्वागत करता हूं। प्रथमतः इससे हमें सभा को विश्वास में लेने और अपनी कुछ समस्याओं और कठिनाइयों को मंत्री महोदय की जानकारी में लाने का अवसर मिला है। दूसरे, इस अनुपूरक अनुदान मांग विशेष में यह उल्लेख किया गया है कि इसके लिए वर्ष 2001–2002 के दौरान कतिपय कार्यों को 'बिना बारी' के पूरा करने हेतु संसद का अनुमोदन अपेक्षित है।

'बिना बारी' पद के प्रयोग ने सभा में काफी हो–हल्ला हुआ था। यह रेल के संबंध में नहीं बल्कि गैस, पेट्रोल पम्प, आदि जैसी अन्य चीजों के लिए प्रयुक्त होता है। अब माननीय मंत्री जी हमें...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : यह गैस, पेट्रोल पम्प आदि के 'बिना बारी' आवंटन जैसा 'बिना बारी' आवंटन नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह अलग किस्म का 'बिना बारी' का आवंटन है।

श्री के. पी. सिंहदेव : मुझे इसकी जानकारी है। इसीलिए मैंने इस पर स्पष्टीकरण दिया है। मैं मानता हूं कि ऐसे मामले होते हैं जिनमें 'बिना बारी' आवंटन का औचित्य होता है इसलिए हर चीज को ईर्ष्या की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।

अनुपूरक मांगें स्वागत योग्य हैं क्योंकि रेल राजस्व से 400 करोड़ रु. सुरक्षा निधि में जा रहा है। अन्य एक हजार करोड़ रुपये वित्त मंत्रालय से आ रहे हैं। यह स्वागत योग्य कदम हैं फिर भी, मैं अपने साथी श्री सुदीप बंद्योपाध्याय की इस भावना को दुहराना चाहता हूं कि निधियों का अन्यत्र प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं इस पर कुछ समय बाद बोलूंगा। यदि ऐसा होता है तो यह संसद का मजाक उड़ाने जैसा होगा।

महोदय, आप रेल संबंधी स्थायी समिति में सभापति हैं और मैं भी उसका सदस्य हूं। लगभग पांच वर्ष पहले भी आपने इस मुद्दे को उठाया था। जब संसद से रेलवे के प्रस्तावों की स्वीकृति और अनुमोदन के लिए कहा गया था तो इन्हें क्रियान्वित किया जाना चाहिए। रेलवे को प्रगति का अग्रदूत कहा गया है। यह आम लोगों का परिवहन का साधन है। यह पर्यावरण अनुकूल है। इसमें स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन होता है। टिकाऊ परिसंपत्तियां सृजित की जाती हैं। इसलिए जहां तक रेलवे या रक्षा विभाग की समस्याओं का सवाल है, तो संसद ने इनकी मांगों को कभी भी स्वीकार करने से इंकार नहीं किया। ऐसा पहले भी हुआ है जब संसद ने दो परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। मुझे याद है कि महाराष्ट्र में एक परियोजना थी। किसी प्रस्ताव को संसद में अनुमोदन के लिए लाने से पहले इसे एक्सटेंडिड रेलवे बोर्ड योजना आयोग और मंत्रिमंडल को भेजा जाता है। उस पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तभी यह संसद में आता है। फिर, हम अनुमोदन करते हैं। बजट पर चर्चा के दौरान और विभिन्न मंचों पर हमें इन मुद्दों को उठाने का मौका मिलता है। परामर्शदात्री समिति की अनौपचारिक बैठक होती है। माननीय मंत्री जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। जोनल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति भी है जिसके हम दोनों सदस्य हैं। महाप्रबंधक इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसलिए, ऐसे कई मंच हैं जहां हम इन मुद्दों पर चर्चा करते

[श्री के. पी. सिंहदेव]

हैं। फिर अचानक हमें बताया जाता है कि संसद द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का फिर से मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका कारण है कि हमारी वित्तीय प्रणाली धीमी है। सर्वाधिक लाभप्रद रेल लाइनों में से एक अंगुल–धुबरी–सुखिंदा रोड–हरिदासपुर–पारादीप लाइन की वर्ष 1996 में अंदरूनी स्रोत से जुटाए गए राजस्व की दर 29.37 प्रतिशत थी। इसे तीन वर्षों में पूरा हो जाना चाहिए था। इससे आय भी प्राप्त होने लगती। किंतु रेलवे बोर्ड द्वारा दो या पांच करोड़ रुपए की राशि रेल बजट से अलग रखी गई है। 20 करोड़ रुपए की धनराशि बोल्ट (बिल्ड, ऑपरेट, लीज और ट्रांसफर) से आवंटित की गई। बोल्ट प्रणाली भारत में ठीक से कभी काम कर ही नहीं पाई है। केवल इस वर्ष हमने रेल के मुख्य बजट में पांच करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। उसमें से तीन करोड़ की धनराशि दक्षिण–पूर्व रेलवे की उसी अंगुल–धुबरी–सुखिंदा रोड–हरिदासपुर–पारादीप परियोजना से कोंकण रेलवे को दे दी गई है। इसलिए, मैं श्री बंद्योपाध्याय की बात से सहमत हूं कि धनराशि को इस तरह विस्थापित कर संसद का मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि संसद इसे योजनात्मक अनुदान के रूप में अनुमोदित करती है। मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री जी इस बात से अवगत होंगे क्योंकि ऐसा रेलवे बोर्ड के स्तर पर किया गया होगा। मैं समझता हूं कि यह विश्व में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है। श्री जाफर शरीफ एक बार रेल मंत्री थे। तालचेर–सम्बलपुर रेल लाइन के संबंध में श्रेणी 'ग' और 'घ' के पदों की मंजूरी करवाने में मुझे पांच वर्ष लग गए। मुझे आपके पास आना पड़ा। आप याचिका संबंधी समिति के सभापति हैं। श्री जाफर शरीफ, श्री के. सी. लंका, कुमारी ममता बनर्जी के आश्वासनों के बावजूद भी यह स्थिति है। जब तक हमें रेलवे बोर्ड से उस तरह के पत्र नहीं मिलते, जिस तरह के कोरापुट–रायगढ़ लाइन के मामले में मिले थे, तब तक यह नहीं हो सकता। माननीय मंत्री जी अपने संसदीय सहयोगियों से कुछ भी कह सकते हैं। हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं इस विषय को सभा पर छोड़ता हूं कि यह संसद का मजाक है या नहीं।

29 अगस्त को परामर्शदात्री समिति की पिछली अनौपचारिक बैठक में मुझे पूर्वतटीय जोन के रेल मुख्यालयों को शीघ्र बनाए जाने, इसके लिए विशिष्ट तिथि निर्धारित किए जाने और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किए जाने जैसे कुछ मुद्दों को उठाने का मौका मिला। यह उनसे पूर्ववर्ती पूर्व रेल मंत्री श्री रामविलास पासवान द्वारा बनाए जाने वाले आठ नए रेलवे जोनों में सबसे पहला था। किंतु, वहां से महाप्रबंधक को हटाया जा रहा है। उसका महत्व छोटा किया जा रहा है। चिकित्सकों और चिकित्सा अधीक्षकों को दूसरी जगह पदस्थापित किया जा रहा है। सिगनल उपकरण और सिगनल प्रमुख (विद्युत चालित) को क्रमशः सिकन्दराबाद और कोलकाता भेजा जा रहा है। इस तरह इस जोन का दर्जा घटाया जा रहा है। यदि अर्थव्यवस्था के कानून को देखें तो यहां घटती हुई आय का कानून लग रहा है। किंतु, यहां तो रेलवे महान है। बजट में पूर्वतटीय रेलवे को वर्ष 1996–97 के लिए 1.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वर्ष 1997–98 के लिए 4.05 करोड़ रुपए; 1998–99 के लिए 2.93 करोड़ रुपए; 1999–2000 के लिए 0.60 करोड़ रुपए; 2000–2001 के लिए 0.30 करोड़ रुपए और 2001–02 के लिए 0.05 करोड़ रुपए के साथ–साथ 0.05 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई। यदि धनराशि का आवंटन इस तरह किया गया तो संभव है कि पूर्वतटीय रेलवे का कार्य पूरे होने में 100 या 200 वर्ष भी लग जाएं। इससे लागत भार बढ़ेगा और समय भी निकलता चला जाएगा। फिर इसका पुनः मूल्यांकन कर संसद का मजाक बनेगा।

उड़ीसा बुद्धिजीवी मोर्चा (उड़ीसा इंटिलेक्चुअल फोरम) की बात कर मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। कुछ ऐसी बातें हैं जो माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाई गई हैं। मैं उन्हें यह सुझाव देना चाहता हूं कि यही बातें रेलवे बोर्ड की जानकारी में भी विचारार्थ लाई जानी चाहिए।

यही सवाल ढेंकानाल और अंगुल से भी जुड़ा हुआ है–मेरे छोटे से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दो मुख्यालय हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों का विकास तेजी से हो रहा है क्योंकि ये राऊरकेला या जर्मनी के रुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहे हैं जहां हमारे पास एनटीपीसी, नाल्को जैसे ताप विद्युत संयंत्र की दो या तीन परियोजनाएं, गुरु जल संयंत्र, संश्लेषित संयंत्र, चीनी मिलें आदि हैं। किंतु, क्या पैदल उपरिपुल, शयनशाला, विश्रामगृह, उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय, अम्ब्रेला शेड प्लेटफार्म नं. 2 और 3 पर पेयजल की आपूर्ति, कम्प्यूटरीकृत टिकट आरक्षण काउंटर आरक्षण का कोटा कुछ और बढ़ाए जाने जैसी चीजों को संसद में उठाया जाना चाहिए। ये सब संसद में बहस होने योग्य नहीं हैं। किंतु दुर्भाग्यवश हमें इन्हें लाने पड़ते हैं क्योंकि हमारे अंगुल और ढेंकानाल संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुठाराघात होता रहा है।

अगले दिन, मैं रेलवे के एक अधिकारी के पास गया और उन्हें दिखाया कि कैसे एक महिला यात्री अपने बच्चों सहित प्रतीक्षालय में पशुओं, कुत्तों और बिल्लियों के बीच ठहरी हुई है। बहरहाल, मुझे आशा है कि इन सब चीजों में सुधार

होगा क्योंकि मुझे श्री नीतीश कुमार में पूरा विश्वास है। वे जिस विभाग में गए, उसमें उन्होंने जान फूंक दी, चाहे वे कृषि मंत्री रहे हों या वाणिज्य मंत्री या रेल मंत्री। किंतु, मंत्रियों का विभाग जल्दी–जल्दी बदले जाने से मेरा मानना है कि ये परियोजनाएं भी अपनी पटरी से उतर गई हैं।

ढेंकानाल–अंगुल इस समय दिल्ली और कुर्ला से सीधी रेल सेवा से जुड़े हुए हैं। किंतु, अंगुल के जिला की राजधानी होने और वहां की आबादी एक लाख से ऊपर होने के बावजूद भी वहां रेल का ठहराव नहीं है। मुझे मेम्बर (यातायात) से जाकर मिलना पड़ता है। सौभाग्य से वे अंगुल को शामिल करने पर सहमत हो गए हैं। अब वहां से दिल्ली और कुर्ला तक सीधी रेल सेवा है किंतु हावड़ा तक नहीं है। अंगुल वही जगह है जिसके बारे में डी.एल. रॉय ने लिखा था, "धन धान्ये पुष्पे भरा..." हम सांस्कृतिक रूप से बंगाल से कई अर्थों में जुड़े हुए हैं। वहां से चेन्नई और बंगलौर तक कोई सीधी रेल सेवा नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही मेरा मानना है कि माननीय मंत्री जी कृपया इस विषय पर विचार करेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं–वह है अखिल भारतीय रेल लेखा कर्मचारी संघ।

वे लोग वेतन असमानताओं को दूर करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल, उनकी उच्च जवाबदेही होती है और उच्च योग्यताएं भी हैं। वे सीएसएस कर्मचारियों के समतुल्य हैं। किंतु पांचवें वेतन आयोग ने असमानता पैदा कर दी है। वे लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह मामला मंत्री समूह और रेलवे बोर्ड के पास पड़ा है। मुझे आशा है कि इसमें कुछ न कुछ किया जाना चाहिए।

बरगढ़–पदमपुर–पिकेमाल–लखना–रायपुर रेल लिंक का प्रौद्योगिकी आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है। इससे झारसुगुडा–रायपुर रेल लिंक पर यातायात के भारी दबाव में कमी आएगी। साथ ही यह लिंक चूना पत्थर, ग्रेफाइट, कोयला और बॉक्साइट के खनन क्षेत्रों को भी जोड़ सकेगा।

अंत में जो मुझे कहना है वह यह कि यहां शंकराचार्य जैसे अनेक समाज सुधारक भी हैं। पहले इन लोगों को रियायती पास दिए जाते थे। किंतु अब इन्हें समाप्त कर दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इन्हें फिर से बहाल किया जाए।

आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया, इसलिए मेरा धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा) : माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह काफी पिछड़ा क्षेत्र है और वह उत्तर–बिहार में कोसी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। माननीय रेल मंत्री बिहार से आते हैं, उनको निश्चित रूप से यह चिंता है कि पिछड़े इलाकों में जल्द से जल्द रेल लाइन के विकास का कार्य हो। मैं इस बात को मानता हूं कि वे इस बारे में चिंतित हैं, लेकिन उनकी चिंता से मेरी परेशानी दूर नहीं हो रही है। हमारे क्षेत्र में 1996 में मानसी से फारविसगंज आमान परिवर्तन के कार्य की स्वीकृति हुई थी और उस काम को दिसंबर, 98 तक पूरा करना था। लेकिन उसके पहले चरण में मानसी से सहरसा 43 किलोमीटर में कार्य शुरू भी किया गया, मिट्टी का कार्य लगभग पूरा हो गया, कुछ काम बचा है लेकिन सबसे मुख्य समस्या उस रेल लाइन में जो तीन–चार पुल बनने हैं, उस काम की शुरूआत अब तक नहीं हुई है। माननीय मंत्री जी ने भी कई अवसर पर कहा था कि 2000 तक इस रेल लाइन के आमान परिवर्तन का काम कर देंगे, लेकिन जो उसमें बड़े–बड़े पुल बनने वाले हैं, उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। पुल संख्या 43–44–45–47 और 51 अभी बने नहीं हैं, बनने की बात दूर उनका कार्य भी शुरू नहीं किया गया है। इस पुल की निविदा चार बार निकाली गई लेकिन उसे फाइनल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि विभाग के लोग कहते हैं कि निर्धारित दर से अधिक दर ठेकेदारों ने कोट की है।

मैं मंत्री जी के विचार में यह बात लाना चाहता हूं कि जिस पुल की निविदा की दर अधिक होती है उसे फाइनल नहीं किया जाता। क्या मंत्री जी इसका अध्ययन कराना चाहते हैं कि जो पुल 1997 में शुरू किए गए थे–पुल नम्बर 51, जिस पर नौ करोड़ रुपया खर्च होना था लेकिन उस पुल की लागत अब 15 करोड़ से अधिक हो गई? शेड्यूल रेट से अधिक दर ठेकेदारों को उस समय दी होती और उसे मान लिया जाता तो अत्यधिक राशि का भार जो अब पड़ने जा रहा है, उस राशि की बचत निश्चित रूप से हो जाती। उसी रेल खंड में पुल संख्या 43 है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, उसकी निविदा 1997 में फाइनल कर दी गई। जब–जब मैंने पत्र लिखा तो जवाब में आया कि काम शुरू कर दिया गया है। इसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उसकी लागत उस समय मात्र दस लाख थी। हमें जानकारी मिली है कि वह लागत बढ़कर 25 लाख हो गई है। क्या मंत्री जी

[श्री दिनेश चन्द्र यादव]

ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहेंगे, जो निविदा फाइनल हो गई वह कार्य उन्होंने शुरू करके पूरा क्यों नहीं करवाया? 43 किलोमीटर की दूरी हम साढ़े चार घंटे में पूरी करते हैं। उस रेल खंड पर जितने भी पुल हैं, छोटी रेल लाइन के गाड़ी चलने के लिए भी सभी आउटडेटेड हो गए।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होगा, जैसा हिन्दुस्तान में उस रेल लाइन में है। 1987 के भूकम्प में, पुल संख्या 47 का पाया क्रेक हो गया लेकिन कलम्पू से बांधकर उस पर रेलगाड़ी चलाई जा रही है। कहा जाता है कि यह सुरक्षित है लेकिन उस रेल खंड पर जो यात्री चलते हैं, उनका जीवन भगवान भरोसे चल रहा है। वहां कभी भी दुर्घटना हो सकती है। मुझे जानकारी मिली है कि जब इन पुलों के लिए चार बार निविदा हुई तो कहा गया कि यह कार्य इरकान को दिया गया है लेकिन जब-जब इस सवाल को उठाया गया और पत्र लिखा तो भी यही कहा जाता रहा कि इरकान शीघ्र कार्य पूरा करेगा लेकिन वह अभी तक कार्य शुरू ही नहीं हुआ तो पूरा क्या होगा।

हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित रहता है और साल में 3-4 महीने ही वहां काम हो सकता है। हमारे धैर्य की सीमा खत्म हो रही है क्योंकि जिस योजना की स्वीकृति 1997 में हुई थी, आज 2001-02 आने वाला है, अभी पुल का काम शुरू ही नहीं हुआ है। इसी प्रकार पुल नं. 50 के बारे में कहा गया कि उसके बगल में फुटपाथ बनेगा क्योंकि बड़े-बड़े पुल में फुटपाथ नहीं देने से यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार मवेशी और राहगीर कट जाते हैं। इसलिए इन पुलों में फुटपाथ बनना जरूरी है।

सभापति महोदय, आपने घंटी बजा दी। मैं जनता दल (यू) की तरफ से बोलने वाला अकेला व्यक्ति हूं, मुझे कुछ ज्यादा टाइम दिया जाए।

सभापति महोदय, सहरसा से मधेपुरा आमान परिवर्तन 21 किलोमीटर स्वीकृत हुआ है। इसका कार्य शुरू किया जाना चाहिए। हमारे संसदीय क्षेत्र में सुपौल-मधेपुरा जिला मुख्यालय है। हमने मंत्री जी से आग्रह किया है और उन्होंने निर्देश भी दिया है कि इस स्टेशन पर आरक्षण कम्प्यूटर लगाया जाए। मैं चाहता हूं कि वह स्वयं चलकर इसका शुभारम्भ करवा दें। सहरसा इलाके का रेल सर्किट कोर्ट खगड़िया में चलता है जो 7 जिलों का क्षेत्र पड़ता है। मुझे जानकारी मिली है कि सहरसा में सर्किट कोर्ट के लिए हाई कोर्ट, पटना ने यह निर्णय किया है राज्य सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी और वह सर्किट कोर्ट सहरसा में नहीं चल सका है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि खगड़िया जिला मुख्यालय है, इसलिए राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव वहां दिया जाए। खगड़िया से फारबिसगंज पूर्णिया कोर्ट और समस्तीपुर की तरफ रेल लाइन चलती है और वहां राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव नहीं होने से उन क्षेत्रों के लोगों को कठिनाई होती है, इसलिए राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव खगड़िया में होना चाहिए। हाटे बजारे एक गाड़ी कटिहार से सियालदाह तक चलती थी, जिसे बढ़ाकर बरौनी तक किया गया था लेकिन उसे बंद कर दिया गया है उसे फिर से बरौनी तक चलाया जाए।

सहरसा कमिश्नरी मुख्यालय हो जाने से शहर की आबादी अत्यधिक हो गई है। हमने निवेदन किया है कि सहरसा से पुरवा कारू खिरहरी में हाल्ट होना चाहिए जो सहरसा-पूर्णिया कोर्ट रेल खंड में पड़ता है, इसलिए कारू खिरहर हाल्ट की स्थापना कराई जाए। सहरसा और चुकती ढाला पर आर.ओ. बी. के निर्माण की स्वीकृति हुई थी। उसका टेंडर भी हो गया है लेकिन एक साल हो जाने के बावजूद, निर्माण कार्य शुरू नहीं हो रहा है। इसको शुरू कराया जाए। निर्मली से भपटियाही जो रेल लाइन चल रही थी और कोसी नदी में ध्वस्त हो गई, उसका सर्वेक्षण कार्य भी कराया गया। यह रेल लाइन 40 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। यह कोई नई रेल लाइन नहीं है, अंग्रेजों ने बनाई थी, उसी का पुनर्निर्माण कराया जाना चाहिए। राघोपुर स्टेशन हमारे संसदीय क्षेत्र में है, जहां से प्रतिमाह रेल विभाग को 13.5 लाख रुपए की आमदनी होती है। वहां रिटायरिंग रूम की आवश्यकता है। इसलिए वहां रेल विभाग रिटायरिंग रूम बनाए।

कोपड़िया से बिहारीगंज नई रेल लाइन का सर्वेक्षण कराया गया है उसकी स्वीकृति दी जाए और मानसी, फारबिसगंज, सहरसा-कटिहार रेल खंड पर जो खराब डिब्बे चलते हैं, उनके स्थान पर अच्छे डिब्बों की व्यवस्था कराई जाए। हाजीपुर जोनल ऑफिस को पुनः पूर्णरूपेण कार्यान्वित कराया जाए। महोदय, जी.एल. एक्सप्रेस का ठहराव कोपड़िया स्टेशन पर है, लेकिन वहां पार्सल बुकिंग की सुविधा नहीं है, वहां से मछली आदि बाहर भेजनी पड़ती है। इसलिए कोपड़िया स्टेशन पर जी.एल. एक्सप्रेस में पार्सल बुकिंग की सुविधा दिलाई जाए।

सभापति महोदय, मैं अंत में कहना चाहता हूं कि सरायगढ़ स्टेशन पर सर्विस रोड पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, वहां सर्विस रोड बनाई जाए और थरमिटा स्टेशन के पूरब में रेल का क्षतिग्रस्त पुल है, उस पुल का पुनर्निर्माण कराने की व्यवस्था की जाए। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि वे उपरोक्त समस्त बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी. गंगा रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए मुझे समय दिया, इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं तेलंगाना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह एक पिछड़ा क्षेत्र है। मुदखेड-निजामाबाद लाइन के आमान परिवर्तन के लिए हम रेल मंत्री से पिछले तीन सालों से अनुरोध कर रहे हैं। गत तीन बजटों में इसके लिए केवल 45 करोड़ की धनराशि दी गई जबकि अब हमें 40 करोड़ रुपए की और आवश्यकता है। मैं इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं कि रेल मंत्री भी इस पर विचार कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू ने भी इस पिछड़े क्षेत्र के लिए 60 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित किए जाने का आग्रह किया है।

मेरा दूसरा सवाल लम्बी अवधि से लंबित पड़ी पेद्दापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद रेल लाइन के बारे में है। यह 60 वर्षों से लंबित पड़ी हुई है। हालांकि तत्कालीन प्रधान मंत्री ने इस परियोजना को 1992 में शुरू कराया था। आज तक पेद्दापल्ली-करीमनगर लाइन पर लगभग 55 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। केवल 35 किलोमीटर लाइन का ही निर्माण हो सका है। अभी 142 किलोमीटर लाइन का निर्माण कार्य लंबित पड़ा हुआ है।

करीमनगर-निजामाबाद रेल लाइन की आधारशिला 14.2.2001 को रेल राज्य मंत्री श्री ओ. राजागोपाल ने रखी थी और इसके लिए उन्होंने बजट में धन आवंटित करने का आश्वासन दिया था। किंतु, आश्चर्य की बात है कि गत वर्ष बजट में 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और इसे घटाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया। मैं नहीं जानता कि रेल मंत्रालय में ऐसा क्या हो गया। मैंने इस संबंध में एक पत्र भी लिखा था।

तीसरी बात कि फलकनुमा से उम्दानगर तक रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार-मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू-की ओर से भी अनुरोध किया गया था। मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू ने इस संबंध में एक पत्र भी लिखा था। यह परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिए।

अंत में, आदिलाबाद से मुदखेड तक आमान परिवर्तन का काम धीमी गति से चल रहा था और पहले इस प्रस्ताव को 'बोल्ट' के अंतर्गत रखा गया था। अब 'बोल्ट' प्रणाली समाप्त कर दी गई है। मैं आशा करता हूं कि पूरक बजट में इसके लिए कुछ प्रावधान किए जाएंगे और नागपुर से आदिलाबाद तक एक सवारी गाड़ी चलाई जाएगी। बड़ी लाइन का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इसलिए, इस नई सवारी गाड़ी की जरूरत है।

अतः मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि मुदखेड-निजामाबाद और जंकमपेट-बोधन रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य के प्रथम चरण का काम पूरा करने और करीमनगर-निजामाबाद नई बड़ी लाइन के द्वितीय चरण के काम के लिए अधिक से अधिक धन मुहैया कराया जाए।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय रेल मंत्री जी अनुपूरक बजट लाए हैं जिससे कि रेलवे की अनुपूरक मांगें पूरी की जा सकें लेकिन 400 करोड़ रुपए के इस अनुपूरक बजट में दिखाई पड़ रहा है कि नॉन प्लान एक्सपेंडीचर ज्यादा है। मेरा कहना है और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब सरकार आर्थिक सुधारों की ओर बढ़ रही है तो प्रशासनिक सुधार सुनिश्चित करते हुए अधिकारियों की डायरेक्ट अकांटेबिलिटी सुनिश्चित करते हुए जो वर्क परफॉरमेन्स है, उस पर भी गौर करने का कष्ट करें।

मैं पहले भी एक बार सदन में कह चुका हूं कि पूरी व्यवस्था का भूमंडलीकरण हो रहा है। ऐसे में पश्चिमी यूरोप को सीधे दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए रेलवे का एक कंप्रिहेन्सिव प्रोजेक्ट मंत्री जी को कंसीव करना चाहिए और मुझे लगता है कि इससे नयी संभावनाएं उत्पन्न होंगी। सेफ्टी के लिए एक फंड बनाया गया है। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं कि सेफ्टी फंड में इस बात का भी ख्याल रखें कि अनमैंड क्रॉसिंग पर जो दुर्घटनाएं होती हैं, उस पर कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता। उनमें भी कंपनसेशन देने का

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

प्रावधान आप रखें। अभी मेरे क्षेत्र में दो महीने पहले अनमेंड रेलवे क्रॉसिंग पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 25 लोग मर गए थे। उनमें किसी को भी कहीं से पैसा नहीं मिला। वे पूरे के पूरे परिवार बरबाद हो गए हैं। रेलवे की बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी मदद करे।

मेरे क्षेत्र में गेज कनवर्शन का मामला बरेली से लखनऊ के बीच में चल रहा है। मेरा संसदीय क्षेत्र नेपाल की तराई में स्थित है और इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र को स्पेशल एक्सपोर्ट जोन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। अगर गेज परिवर्तन कराने की मेहरबानी करेंगे तो इस क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हो सकेंगे।

शाहजहांपुर से गोला होते हुए भारत–नेपाल की सीमा क्षेत्र तिगुनिया तक का एक प्रपोजल सर्वे किया हुआ था जिस पर कार्य करने की आवश्यकता है। अभी तक उस पर कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। मंत्री जी से अनुरोध है कि इस कार्य को भी प्राथमिकता के स्तर पर लेने का प्रयास करें। मेरे संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी में नगर में एक फ्लाई ओवर बनाने की जरूरत है क्योंकि रेलवे डायरेक्ट नगर के बीच में से गुजरती है और दिन भर में सब मिलाकर चार–पांच घंटे रास्ता बंद रहता है। आपसे अनुरोध है कि प्राथमिकता के स्तर पर इस फ्लाई ओवर का काम पूरा करने की कृपा करें।

लखीमपुर में सदर का जो स्टेशन है वहां पर एक दूसरे प्लेटफॉर्म की सख्त जरूरत है दक्षिण दिशा में जिससे रास्ता बंद होने की स्थिति में लोगों को ट्रेन पकड़ने में सुविधा हो सके। एक ट्रेन की जरूरत है जो लखनऊ से बरेली के बीच में चले और सुबह चलकर दोपहर तक वहां पहुंच जाए। लखीमपुर खीरी जनपद में दुधवा नेशनल पार्क बड़ा महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बन गया है और उसके लिए पैकेज भी चलाया गया है। मैंने पहले भी कहा था कि वहां पर यात्री निवास बनाने की मेहरबानी करें।

मेरे संसदीय क्षेत्र में एक शारदा नदी है जिस पर रेलवे का एक पुल बना है जो जर्जर हो चुका है। आज भी उस पर रेलवे ट्रेफिक भारी रूप से चलता है। मेरा अनुरोध है कि शीघ्र ही उसके पुनर्निर्माण की व्यवस्था करा दें।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि एक तरफ आपके यहां खर्च बढ़ रहे हैं और संसाधनों का सदुपयोग पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है और दूसरी तरफ जो वेंडर्स हैं, उनके टर्नओवर पर आपने 12 प्रतिशत की ड्यूटी लगा दी है जो नया टैरिफ आप बना रहे हैं। टर्नओवर पर टैक्स एक तरह से सेल्स टैक्स होता है और एक ही कमोडिटी पर दो बार टैक्स नहीं लगाया जा सकता। आप इस पर विचार करें। माननीय हाई कोर्ट राजस्थान द्वारा इस पर जजमेंट दिया गया है। इसलिए जो आपकी पॉलिसी है कि गरीब और छोटे वेंडर्स हैं, उनके टर्नओवर पर 12 प्रतिशत चार्ज लगा रहे हैं, शुल्क देने के लिए उनको बाध्य कर रहे हैं और पिछले तीन वर्षों से जो आपने प्लान किया है कि आप रियेलाइज करेंगे एरियर्स को, यह बहुत अन्यायपूर्ण कदम है। मुझे आशा है कि आप इस पर गौर करेंगे। जो केटरिंग कार्पोरेशन आपने बनाया है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उसमें जो छोटे वेंडर्स हैं, उनके इंटरस्ट को नेगलेक्ट न करें। तकरीबन 10000 छोटे वेंडर्स इससे बरबाद हो जाएंगे। हम केवल एक बात कहना चाहते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं रेलवे के, उसके प्रॉपर युटिलाइजेशन के लिए आप कोई कमीशन बनाकर कम से कम असेसमेंट करें। मैंने पता लगाया है कि वही प्रोजेक्ट आपके यहां 15 करोड़ रुपए के बने हैं और वही प्रोजेक्ट 4 करोड़ रुपए से एकम्प्लिश हो गए हैं।

मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गुंजाइश ऐसी है, आप इस बात को वर्कआउट करें कि संसाधनों का कहीं मिसयूज न हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे रेलवे की अनुदान की पूरक मांगों पर बोलने का अवसर दिया। मैं दो–तीन प्वाइंट्स पर बात करूंगा। मेरा संसदीय क्षेत्र बनासकांठा जो गुजरात में है, उसका मुख्यालय महत्वपूर्ण है। पालनपुर से सामख्याली मीटरगेज से ब्राडगेज में परिवर्तन करने की बात पिछले तीन सालों से, हर बार बजट में उसकी बात होती है। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें गुजरात सरकार पैसा देने वाली है, कांडला पोर्ट ट्रस्ट देने वाली है, रेलवे मंत्रालय 33 प्रतिशत देने वाली है, राज्य सरकार 16.5 प्रतिशत देने वाली है, कांडला पोर्ट ट्रस्ट 30 प्रतिशत देने वाली है, अदाड़ी एक्सपोर्ट 15 प्रतिशत देने वाली है और इफको 5.5 प्रतिशत देने वाली है। इतना हिस्सा दूसरे लोग देने वाले हैं लेकिन फिर भी अभी तक मंत्रालय से उसका काम चालू करने के लिए बहुत कम राशि दी गई है। उसका महत्व इसलिए है कि उससे न केवल गुजरात को फायदा है बल्कि रेलवे मंत्रालय को भी फायदा

है—दो बंदरगाह कांडला और मुंद्रा—सीधे दिल्ली से ज्वाइंट होंगे। वह बहुत महत्वपूर्ण है कि कांडला से जो माल आएगा, वह उत्तर भारत में भी आएगा जिससे रेल मंत्रालय का काम भी चलेगा।

गुजरात में गेज परिवर्तन के लिए जो पंद्रह रेलवे लाइनें दी हैं, उनमें से सात लाइनों का काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि वह काम जल्दी से शुरू करवाएं। पालनपुर से औखा—देहरादून जो उत्तरांचल एक्सप्रेस रेल मंत्रालय ने अभी चलाई है, उसके लिए में उनको धन्यवाद देता हूं। औखा—देहरादून जो रेलगाड़ी चलती है, उसमें एक तरफ द्वारका आता है और दूसरी तरफ हरिद्वार आता है। गुजरात का हर आदमी एक बार द्वारका जाता है और एक बार हरिद्वार जाता है। उनके लिए जो गाड़ी चलाई है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन वह पालनपुर में समय से पहले आती है, पन्द्रह मिनट पहले आती है। यदि उसका स्टाप दो मिनट के लिए भी दिया जाए तो केवल गुजरात की प्रजा ही नहीं, बगल वाले साबरकांठा का क्षेत्र, राजस्थान के लोग भी उधर से ही ट्रेन में जाते हैं, उनको भी लाभ होगा। मैं आग्रह करता हूं कि उसका स्टाप वहां देना चाहिए।

छोटा—उदयपुर और प्रतापनगर की रेलवे लाइन नैरोगेज थी जिसे पुलिया की वजह से बंद किया गया था। रेलवे ने पुलिया बना दी है लेकिन फिर भी वह रेलवे लाइन चालू नहीं की गई है। एक फ्लाइंट रेलवे ओवरब्रिज का है। मैंने तीन करोड़ रुपए में से दो करोड़ रुपए दिए हैं लेकिन फिर भी रेलवे मंत्रालय काम चालू नहीं करती और कहती है कि पूरा पैसा भरो। तीन साल से हमारा पैसा यूज कर रहे हैं। मैं रेलवे मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि उस काम को जल्दी करवाया जाए। धन्यवाद।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं रेलवे की पूरक मांगों पर अपने विचार रखूंगा। मंत्री महोदय की कठिनाई है लेकिन कठिनाई होते हुए भी यदि मन में कुछ करने की बात हो तो वह कठिनाई दूर हो जाती है। पिछले बजट में महाराष्ट्र को कुछ नहीं दिया—न नई रेल, न एक गज की नई पटरी, कुछ नहीं दिया। यह ठीक नहीं है। रेलवे को 105 वर्ष हो गए हैं। उस वक्त रेल के यातायात कम थे, रेलवे के गेट कम थे लेकिन अब यातायात बढ़ गया है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा रेल गेट देना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि एक कुसमारी गांव है। वहां के लोगों की मांग है, 105 वर्ष से पहले वह रास्ता था, लोगों ने बहुत मांग की, झगड़ा किया लेकिन वह काम नहीं होता।

सायं 7.00 बजे

मेरी प्रार्थना है कि वहां रेलवे गेट बनाना चाहिए। मनमाड एक राष्ट्रीय शाला है। पिछले 105 वर्ष में वहां स्कूल बहुत बढ़ गया है। वहां नजदीक में ही रेलवे की जमीन है। उन्होंने इसकी मांग की है, उनकी यह मांग पूरी कर दी जाए। मनमाड 50 हजार की आबादी का बड़ा शहर है, मालेगांव तो महानगर—पालिका बन गई है, धूले महानगरपालिका बन गई है, नरनाड़ा भी नगरपालिका है, लेकिन इतने बड़े—बड़े शहर होते हुए भी, रेलवे लाइन का सर्वे होते हुए भी अभी तक रेल मंत्रियों ने इस पर विचार नहीं किया है। मेरी प्रार्थना है कि आप पुणे नासिक रोड नई रेलवे लाइन बिछाने का प्रयास करें। नासिक में 2003 में कुम्भ का मेला होने वाला है, जैसे इलाहाबाद में यहां बड़ा मेला होता है, वहां भी ऐसा ही मेला होता है। वहां उरड़ा में रेलवे स्टेशन बनाने की मेरी मांग है। रेलवे स्टेशनों को भी सुधारने की जरूरत है।

मध्य रेलवे में 50 प्रतिशत डीजल इंजन हैं, इनको छोड़ देना जरूरी है और इलेक्ट्रिक इंजन चलाना जरूरी है। जहां—जहां अभी डीजल इंजन हैं, भारत में सब जगह वहां इलेक्ट्रिक इंजन लगाना चाहिए। रेलवे पुलिस की एक एजेंसी होनी चाहिए। कहीं कुछ और कहीं कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए और रेलवे की ही एजेंसी होनी चाहिए तो ठीक होगा।

रेलवे में क्लास टू अधिकारियों की डायरेक्ट भर्ती होती है, दूसरे लोगों का और उनका काम तो एक ही होता है, लेकिन उनकी तनख्वाह में बहुत फर्क होता है। डायरेक्ट भर्ती वालों को प्रमोशन जल्दी मिलता है, रेलवे के हित में यह पद्धति बंद करना जरूरी है। यह मेरी प्रार्थना है।

सभापति महोदय : सदन का समय एक्सटेंड करना है, पहले हमने इसे सात बजे तक किया था।

[अनुवाद]

सभा का समय माननीय मंत्री के जवाब देने तक बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे रेलवे की 1998—99 की अतिरिक्त

[श्री ब्रह्मानन्द मंडल]

अनुदान मांगों और 2001–2002 की पूरक अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया। इन मांगों का मैं समर्थन करता हूं।

मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को रखना चाहता हूं। ये समस्याएं लागतार 25–26 वर्षों से बनी हुई हैं। हमारे क्षेत्र में क्यूल और कजरा के बीच 13 किलोमीटर की सिंगल लाइन है, इकहरी लाइन है। जमालपुर से कजरा तक दोहरी लाइन है। मैं बार–बार इस सवाल को उठाता हूं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि रेलवे ने ऐसा क्यों किया, जबकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अब सीतारामपुरा से मुगलसराय तक रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है। वही लूपलाइन क्यूल तक आती है और 13 किलोमीटर तक की दूरी का दोहरीकरण नहीं हुआ है। सभापति जी, जब आप संसदीय स्थाई समिति के सभापति थे, आपने 1996–97 में रिपोर्ट दी थी कि साहबगंज से क्यूल तक विद्युतीकरण होना चाहिए, लेकिन अभी तक उसकी कोई चर्चा तक नहीं हुई।

सभापति महोदय : अभी तक नहीं हुई।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : पता नहीं रेलवे मंत्री जी ने या रेलवे अधिकारियों ने उसे देखा है या नहीं। मुझे याद है कि यह उस रिपोर्ट में सिफारिश थी कि इसका विद्युतीकरण होना चाहिए। उस इलाके में भागलपुर और क्यूल खंड हैं, वहां की जनता की अर्से से मांग रही है कि श्रमजीवी एक्सप्रेस जो पटना से चलती है, मगध–बिक्रमशिला एक्सप्रेस जो पटना से चलती है, इन दोनों गाड़ियों को भागलपुर से चलाया जाना चाहिए। लेकिन वर्षों पुरानी यह मांग भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। हमारे यहां धरहड़ा में बिक्रमशिला एक्सप्रेस का ठहराव नहीं है। उसके लिए हमने मंत्री जी को कई बार पत्र लिखा, लेकिन अभी तक उसका वहां ठहराव नहीं हुआ है।

जमालपुर कारखाना एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। 1998–99 के बजट में मंत्री जी ने उसके पुनर्निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। लेकिन उसके काम की गति काफी धीमी है। पैसा खर्च हो रहा है या नहीं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता। वहां पहले 20,000 मजदूर थे, जो अब आठ हजार ही रह गए हैं।

मैंने मांग की थी कि मुंगेर और जुमई जो जिला मुख्यालय है, वहां सिटी काउंटर होना चाहिए, जिससे वहां के लोग देश के बड़े–बड़े शहरों का टिकट खरीद सकें। यह बहुत छोटा सा काम है, लेकिन आज तक नहीं हो सका। मुंगेर में गंगा के ऊपर पुल के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं, 1997–98 के पूरक बजट में जिक्र आया था। नीतीश जी मंत्री बने तो इन्होंने 1998–99 में सर्वेक्षण की बात की थी और शिलान्यास किया था। लेकिन उस पर काम की गति इतनी धीमी है कि अभी तक वह केबिनेट की आर्थिक समिति में भी नहीं जा पाया है। योजना आयोग से उसकी स्वीकृति लेनी थी, विस्तारित बोर्ड में भी ले जाना था। अगर सर्वेक्षण में ही तीन–चार बरस लग जाएं, तो यह पुल पता नहीं कब बनेगा। शायद 25–50 साल में बनेगा। अगर यही गति काम करने की रही तो विकास के काम जो निश्चित अवधि में होने चाहिए, वे नहीं हो पाएंगे तो ज्यों–ज्यों समय बढ़ता जाएगा, ज्यों–त्यों लागत भी बढ़ती जाएगी। जब लागत बढ़ती है, तो उसका बहुत सारा हिस्सा भ्रष्टाचार में चला जाता है। इस कारण लागत बढ़ना भी भ्रष्टाचार का हिस्सा है।

मैं अंतिम बात रेल यात्रियों की सुविधा के बारे में कहना चाहता हूं। मंत्री जी इस पर बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिक्रमशिला और ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस के आप बैडरोल देख लें।

सभापति महोदय : जब आप चेयरमैन थे, तब क्यों नहीं किया?

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : मैंने तब बहुत रिपोर्ट दी थी, उसमें से कितनी लागू हुईं, मैं नहीं कहना चाहता।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : लेकिन उसको आप देख लीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन के भाषण को छोड़कर कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन अंतिम वक्ता हैं। श्री राधाकृष्णन के बाद माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए सभापति महोदय आपका धन्यवाद।

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कृपया केवल दो मिनट का समय लीजिएगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं यथासंभव संक्षेप में बोलने का प्रयास करूंगा।

मांगा गया अतिरिक्त अनुदान संभावित व्यय को पूरा करने के लिए है न कि किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए। सामान्यतया रेलवे बोर्ड द्वारा इस व्यय का अनुमान लगाया जाना आसान होगा। यह अतिरेक व्यय पेंशन, रूपांतरित पेंशन, मृत्यु–सब–सेवानिवृत्ति उपदान और भविष्य निधि जैसे भुगतान पर हुआ/ये रोजमर्रा के व्यय हैं और इन्हें रेलवे बजट के प्रस्तुतीकरण के समय लाया जा सकता था। यह अप्रत्याशित व्यय नहीं है। इस प्रकार अतिरेक अनुदान का कोई औचित्य नहीं है। यह एक बात है।

तो फिर, यथार्थ क्या है? यथार्थ यह है कि रेलवे वर्करों को नौकरी से निकाला जाता है। निजीकरण निम्न स्तर पर आ चुका है। रेलवे में कार्यरत मजदूरों को नौकरी से बाहर निकाला जाता है। यही सच्चाई है। लगभग दशकों से कार्यरत सभी कर्मचारियों को निकालकर सभी कार्य निजी ठेकेदारों को ठेके पर दिए जाते हैं। यही सच्चाई है। रेल मंत्रालय अतिरेक अनुदान चाहता है। किस लिए? यह कर्मचारियों को निकालने के लिए नहीं है? रेलवे के मजदूरों को कुछ दिए बिना रोजगार से निकाला जाता है। वे कहां जाएं। वे लंबे समय से रेलवे में काम कर रहे थे। लगभग सभी महत्वपूर्ण कार्यों को ठेके पर दिया जाता है। यह सत्य है। इसलिए हमें परिवर्तन करना चाहिए।

दूसरे, उन्होंने रेल टिकट किराया में वृद्धि की है। ऐसा किस लिए? रेल सुरक्षा हेतु कोष उपलब्ध कराने के लिए उसमें वृद्धि की गई थी। अब वे यह प्रस्ताव कर रहे हैं कि इसका अन्यत्र उपयोग किया जाए। यह न केवल संविधान के विरुद्ध है बल्कि लोगों की इच्छा के विरुद्ध भी है। हमने लोगों को एक सत्यनिष्ठ शपथ दी है कि लोगों को सुरक्षा देने के लिए अतिरेक धनराशि एकत्रित की जा रही है। लोगों को किसी प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध कराए बिना किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जा रहा है। इसका कोई औचित्य नहीं है।

अब दिक्कत क्या है? डिब्बे पुराने हो चुके हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय : यह आपका अंतिम मुद्दा है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मानसून के दौरान दक्षिण रेलवे के रेल डिब्बों में यात्रा करना बहुत ही कठिन होगा क्योंकि वर्षा जल डिब्बों के अंदर आ जाएगा।

मेरे मित्र श्री राजगोपाल ने रेलवे में व्यक्तिगत रूप से रुचि ली है और मैं उन्हें अपनी पूरी शुभकामनाएं देता हूं। सच्चाई यह है कि ज्यादातर पुल सैकड़ों साल पुराने हैं। हमने कडालुंडि में एक विनाशलीला झेली। मैं प्रार्थना करता हूं कि कडालुंडि जैसा रेल विनाश फिर न हो। ऐसा कोई रेल विनाश आगे नहीं होना चाहिए जिससे कि निर्दोष यात्रियों की जान जाए। इन यात्रियों को ले जाने वाली रेलगाड़ियों को सैकड़ों वर्ष पुराने रेल–पुलों के ऊपर से गुजारा जा रहा है। यह प्रमाणित हो गया है कि उन रेल पुलों के स्थान पर तत्काल प्रभाव से नये पुल बनाए जाने हैं। मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार भी इन सब बातों से निपटने में श्री राजगोपाल की भी सहायता करेंगे।

सभापति महोदय : दोनों ही मंत्री इसे सम्मिलित रूप से करेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन : उन्हें कम से कम केरल में सैकड़ों वर्ष पुराने पुलों के स्थान पर नये पुल बनाए जाने के मामले में मिलकर कार्य करना चाहिए।

सभापति महोदय : न केवल केरल में पुराने पुलों के स्थान पर नये पुल बनाए जाने की आवश्यकता है बल्कि पूरे देश में पुराने पुलों के स्थान पर नये पुल बनाए जाने की आवश्यकता है। आप केवल केरल की ही बात क्यों कह रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन : पूरे भारत में पुराने पुलों के स्थान पर नये पुल बनाए जाने चाहिए।

दूसरा कारक यह है कि दोहरीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए। कोंकण रेलवे हकीकत नहीं है।

यदि इसे यथार्थ बनाया जाना है तो आपको दोहरीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

सभापति महोदय : ठीक है। श्री राधाकृष्णन जी, कृपया अब बैठ जाइए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, एर्नाकुलम से वाया कोट्टायम की रेल पटरी के दोहरीकरण को तत्काल पूरा किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी अब जवाब देंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़) : सभापति जी, मैं राजस्थान के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : सभापति महोदय, मैं कोडरमा के बारे में कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कोडरमा के बारे में तो हो गया है। आप बजट पर बोलिएगा।...*(व्यवधान)*

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : महोदय, पांच वर्ष हो गए हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मिनिस्टर महोदय को अपना कागज दे दीजिए। मंत्री जी आप गिरिडीह–कोडरमा के बारे में जवाब दे दीजिएगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : महोदय, मैं राजस्थान के बारे में कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। बोलने से क्या होगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार जो कुछ कह रहे हैं उसके अलावा कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने सप्लीमेंट्री डिमांड्स फार ग्रांट्स और डिमांड्स फार एक्सेस ग्रांट्स, दोनों पर चर्चा में हिस्सा लिया।

महोदय, कुछ मानीय सदस्यों ने डिमांड्स फार एक्सेस ग्रांट्स, 1998–99 के बारे में कहा कि यह इतनी देर से क्यों आया है। सदन इस बात से अवगत है कि इसकी एक प्रक्रिया है। कम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल आफ इंडिया की पहले रिपोर्ट आती है, फिर पब्लिक एकाउंट्स कमेटी में चर्चा होती है और उनकी रिकमेंडेशंस सदन में आती है। हाउस में रिकमेंडेशंस आने के बाद एक्सेस ग्रांट्स के लिए सदन में आते हैं। इस संबंध में पीएसी की रिपोर्ट जुलाई, 2001 को यहां रखी गई थी और अगले सैशन में इसको रेगुलराइज करने के लिए लाया गया है, ताकि इसको नियमित किया जा सके। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि पैसा ज्यादा खर्च क्यों हो गया? इस संबंध में आंकड़े सदन को बता दिए गए हैं, मुख्यतः अधिक खर्चा 348 करोड़ रुपए का हुआ है, जिसका मेजर-हिस्सा 315 करोड़ रुपए के करीब है। पांचवें वेतन आयोग के चलते, पेंशन लायबिलिटी, डिमांड संख्या 13, प्रोविडेंट फंड और पेंशन तथा रिटायरमेंट बैनिफिट्स से संबंधित है। बाकी छोटी राशियां हैं–रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटिव पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरिज एंड वैगंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट–यह परिपाटी है। जब भी कभी एक्सेस किसी साल में खर्च हो जाता है तो प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे रेगुलराइज करने के लिए सरकार आती है। इसमें देरी नहीं हुई है। जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स फॉर डिमांड्स हम लोगों ने यहां रखी हैं, इसकी कुछ खासियत है। वैसे आमतौर पर सप्लीमेंट्री डिमांड्स आती हैं, हम लोग सदन से टोकन ग्रांट्स मांगते हैं, इस बीच में जो भी वर्क आउट ऑफ टर्न सेंक्शन किए जाते हैं, जो बहुत जरूरी होते हैं वैसे कार्यों के लिए टोकन अमाउंट ग्रांट ली जाती हैं और बाकी जो पैसा सदन ने पहले स्वीकृत किया होता है, उसी से री–एप्रोप्रिएशन के जरिए काम किया जाता है, लेकिन इस बार के सप्लीमेंट्री डिमांड्स में कुछ खास बातें हैं। पहली बार स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड का गठन किया गया और इसके जरिए जो भी रिन्यूवल है, जो बकाया है–जैसे रेल की पटरी है, पुराने या कमजोर पड़े डिस्ट्रेस्ड ब्रिजेज हैं, सिगनल गियर्स का रिप्लेसमेंट है, पुराने डिब्बे, वैगंस, पुराने लोकोमोटिव्स हैं, उनकी रिप्लेसमेंट और इसके अलावा सेफ्टी को और बेहतर बनाने के लिए कुछ आइटम्स हैं–सरकार ने फैसला किया कि इन सब चीजों के लिए एक स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड बनाया जाए।

सायं 7.22 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

आपको मालूम होगा कि जस्टिस एच.आर. खन्ना की अध्यक्षता में रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी बनी थी, जिन्होंने अपनी

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रिपोर्ट दे दी थी। उसमें उन्होंने यह कहा था कि रेलवे में जो रिन्यूवल समय पर होना चाहिए, वह नहीं हो रहा। उन्होंने एक अप्रैल, 1999 के हिसाब से आंकड़े अपनी रिपोर्ट में दिए थे कि 15 हजार करोड़ रुपए की जरूरत रिन्यूवल के काम के लिए पड़ेगी। हम लोगों ने जब एक साल के बाद आंकड़े लिए और हर तरह से विचार किया तो यह महसूस किया कि अभी इसके लिए 17 हजार करोड़ रुपए की जरूरत होगी। हमने इस मामले को वित्त मंत्री जी के साथ उठाया। माननीय प्रधान मंत्री जी ने वक्त दिया और एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें जब सारी स्थिति रखी गई तो प्रधान मंत्री जी ने कहा कि इसे जरूर किया जाना चाहिए और सिद्धांत रूप से जुलाई के प्रथम सप्ताह में सहमति हो गई। उसके बाद यह मसला था कि पैसा कहां से आए। उसमें कई बातें हुई थीं। अंततोगत्वा दो बातें तय हुईं कि 17 हजार करोड़ रुपए का रेलवे सेफ्टी फंड बने। इसमें रेलवे को भी अपनी तरफ से कुछ पैसा देना चाहिए और भारत सरकार भी पैसा लगाए। सारे विचार–विमर्श के बाद 17 हजार करोड़ रुपए में से मोटे तौर पर तय हुआ कि पांच हजार करोड़ रुपए रेलवे की तरफ से आएगा। उसके लिए यात्रियों पर सेफ्टी सरचार्ज लगाया जाएगा और 12 हजार करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। इन दोनों को मिलाकर छः साल के अंदर जो भी रिन्यूवल ओवरड्यू है, उसे समाप्त कर देंगे, जिसका हमने उल्लेख किया है—चाहे रेल की पटरी, डिस्ट्रेस्ड ब्रिजेज, सिगनल गियर्स, रोलिंग स्टॉक या सेफ्टी इनहेंसमेंट आइटम्स हों, इन सबको मिलाकर ऐसा तय हुआ। इस साल के जो छः महीने बचे थे, उसमें यह तय हुआ था कि एक अक्तूबर से सेफ्टी सरचार्ज लागू होगा। यह अंदाजा है कि इस छः महीने में 400 करोड़ रुपए सेफ्टी सरचार्ज के माध्यम से रेलवे के पास आएंगे और एक हजार करोड़ रुपए इस बार वित्त मंत्रालय की तरफ से हमें अतिरिक्त मिलेगा, कुल मिलाकर 1,400 करोड़ रुपए का व्यय स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड के जरिए किया जाएगा। इसके लिए शुरू में ही कहा था कि यह पैसा उन्हीं कामों में खर्च किया जाएगा, जिसके बारे में ये फंड क्रियेट किया गया था। यह पैसा कहीं डायवर्ट किया ही नहीं जा सकता। इसके बारे में केबिनेट ने निर्णय किया और उसी के हिसाब से आप देखेंगे। हमने कहा था कि एक ग्रीन बुक बनाएंगे। आप गौर करेंगे कि इस बजट की सप्लीमेंट्री डिमांड्स के साथ आपको एक पुस्तिका मिली होगी, उसमें इन सब चीजों का उल्लेख है। सेफ्टी से संबंधित जो आइटम्स हैं, उन्हीं का उसमें जिक्र किया गया और चूंकि इस साल उसमें से 1,400 करोड़ रुपए का उपबंध है, इसलिए उतना काम हम लोग करेंगे। यह स्पेशल रेलवे फंड के लिए है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मंत्री महोदय, क्या यह सत्य नहीं है कि रेलवे बोर्ड ने हाल में सुरक्षा कार्यों सहित सभी कार्यकलापों में 20 प्रतिशत तक व्यय में कमी करने हेतु एक परिपत्र जारी किया है? यदि ऐसा किया गया है, तो सुरक्षा कार्यकलाप भी बाधित होंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा 20 प्रतिशत की कमी करने के स्थायी आदेश सभी जोनल रेलवे को जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मैं इसी सवाल पर आ रहा था। जो इस साल का रेलवे बजट है उसमें आप देखेंगे तो हमारे ऊपर कोंकण रेलवे की लाइबिलिटी है। कोंकण रेलवे में रेल मंत्रालय और कुछ राज्य सरकारों ने इक्विटी दी थी और बाजार से ऋण लेकर कोंकण रेलवे का काम किया गया था और रेलवे ने उसकी गारंटी दी थी। उसके चलते उनके लिए रिडम्पशन या इंट्रेस्ट लाइबिलिटी ड्यू है, जिसको समय पर चुकता करना है। वह चुकाने के लिए रेलवे को उन्हें लौंग–टर्म या शोर्ट–टर्म लोन देना है। इस साल के बजट में कोंकण रेलवे के लिए 230 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी थी कि रेलवे इनको लौंग–टर्म लोन देगा। लेकिन इस साल उनकी जरूरत ज्यादा है। इस साल उनकी जरूरत 744 करोड़ रुपए की है, तो यह बीच का बाकी हिस्सा 514 करोड़ रुपया जो है वह हमारी वचनबद्धता है और जो हमें देना ही है क्योंकि उसके लिए आपने गारंटी दे रखी है। जो 514 करोड़ रुपया अतिरिक्त चाहिए, उस बारे में आपकी बात सही है कि प्रतिशत में फर्क हो सकता है। कोंकण के लिए 230 करोड़ रुपये दिए गए तथा और कुछ रुपए भी दिए जाने हैं। इस साल के वित्तीय वर्ष में 514 करोड़ अतिरिक्त रुपए कोंकण रेलवे को देने पड़ेंगे। इस हिसाब से यह प्लॉन है। उसमें उसका प्रभाव पड़ेगा और प्रभाव पड़ा भी है और कई जगहों पर आपने देखा होगा, उसके चलते हर रेलवे में और हर प्रोजेक्ट में यह मान करके कि इतना रुपया चाहिए, उसमें कटौती की गयी है। लेकिन जहां तक आपने सेफ्टी की बात कही है, सेफ्टी का उससे कोई संबंध नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : सिगनलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है?...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : मुझे वर्णन करने दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं सिगनलिंग के बारे में पूछ रहा हूं। कम करने के आदेश दे दिए गए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : कृपया मुझे बोलने दीजिए। मैं सब वर्णन करूंगा।

[हिन्दी]

तो जो भी हमारा प्लॉन आइटम है उसमें उसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन जो रेलवे सेफ्टी फंड है उससे उसका कोई संबंध नहीं है। यह पहले से ही सेफ्टी फंड है। जो पेट्रोल और डीजल पर सेस लगता है उसका एक हिस्सा रेलवे को मिलता है सेफ्टी वर्क के लिए। अनमेंड लैवल क्रॉसिंग को मैन करते हैं या जो बिजी लैवल क्रॉसिंग हैं उनके ऊपर रोड ओवर–ब्रिज या रोड अंडर–ब्रिज बनाते हैं उसमें सेफ्टी पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन बाकी जो हमारी योजना के खर्चे हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। कोंकण रेलवे की लाइबिलिटी को चुकाने के लिए उसका प्रभाव उतना भर पड़ा है। इसके अलावा इस साल का जो बजट था उसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि बोल्ट से पैसा आएगा, लेकिन बोल्ट से कोई पैसा नहीं आ रहा है। हमारे पास पहले से ही जो बोल्ट की स्कीम थी वह चल नहीं पा रही है। जैसे आगरा–बांदीकूई की बात हुई तो हमने पहले ही उसे बोल्ट से निकाला था। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के हमारे साथी मुदखेड़ लाइन की चर्चा करते हैं। उसमें बोल्ट के माध्यम से जो स्कीम होनी थी वह नहीं हुई। एक ही स्कीम चल रही थी और अंत में रेलवे ने फैसला किया है कि बोल्ट के माध्यम से काम नहीं हो रहा है। हम उसकी जांच–पड़ताल कर रहे हैं कि बोल्ट से निकालकर अपने रिसोर्सेज से करें। बोल्ट में जो कोई भी फाइनेंस करने वाला है उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है और उसमें कई कठिनाइयां हैं। बीओटी की अब अनुमति मिली है तो जो बोल्ट के नाम पर पैसा था चाहे रोलिंग स्टॉक के प्रोग्राम में था उसमें भी कोई बोल्ट में नहीं आया और अलग–अलग प्रोजेक्ट में भी आपने देखा होगा कि बोल्ट के मद में कुछ पैसे दर्शाए गए हैं। इसलिए बोल्ट में जो पैसा दिखाया गया है और जब वह पैसा नहीं आएगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही। कोंकण रेलवे के लिए हमारी अधिक देनदारी है।

जो बजट में प्रावधान है, सबसे अधिक देनदारियां हमारे ऊपर हैं। दूसरा, बोल्ट को जो दर्शाया गया था उस प्रकार के किसी बोल्ट से किसी धन का नहीं आना ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके चलते उस पर प्रभाव पड़ता है लेकिन मैं प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने जब इस सवाल को उठाया कि इससे हमारे प्लान पर बुरा असर पड़ेगा तब प्रधान मंत्री जी ने इकोनॉमिक मिनिस्ट्री की मीटिंग की। उसमें तय हुआ कि लास्ट माइल प्रोजेक्ट यानी जो जल्दी पूरे हो सकते हैं उन्हें जल्दी पूरा किया जाए। इसके लिए हम लोगों को पैसा मिला है। उसमें बोल्ट के चलते जो प्रभाव पड़ रहा था चाहे डबलिंग का हो या गेज कनवर्जन का हो, नई लाइन का हो, मोटे तौर पर कुल मिलाकर कुछ उस तरह से ऑफ सैट करने की कोशिश की गई। जो अब 898 करोड़ रुपया मिल रहा है इसके लिए अलग से एडिशनल बजटरी सपोर्ट मिल रहा है। इस बार के बजट में 1400 करोड़ रुपए स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड के लिए दिए गए। एडिशनल सपोर्ट 898 करोड रुपए का मिल रहा है।...*(व्यवधान)* 898 का जोड़ लीजिए। आप जानते हैं कि लगभग 3400–3500 करोड़ रुपए का बजटरी सपोर्ट पहले से है लेकिन एक हजार करोड़ रुपए के ऊपर कोई डिविडेंड लायबिल्टी नहीं है। स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड के लिए सरकार जो पैसा दे रही है, उसमें कोई डिविडेंड लायबिल्टी नहीं है लेकिन जो एडिशनल बजटरी सपोर्ट 898 करोड़ रुपए है यह प्रोजेक्ट्स के लिए मिल रहा है। इसके लिए हमें कहा गया था कि वे प्रोजेक्ट्स आईडेंटिफाई करके सबमिट किए जाएं। हमें उसके आधार पर यह पैसा मिला।

[अनुवाद]

श्री सी. के. जाफर शरीफ : रेल लाइन का व्यावसायिक उपयोग,

[हिन्दी]

इस पर विचार कीजिए।

[अनुवाद]

यह वह क्षेत्र है जहां से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे लाइन का अक्सर अतिक्रमण किया जाता है। यह एक ऐसी संपत्ति है जहां से आप धन प्राप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इधर–उधर से पैसा मांगा जिसका लोगों के ऊपर बोझ पड़ा।

[अनुवाद]

रेल लाइन का व्यावसायिक रूप से दोहन किया जाना वह क्षेत्र है जहां से आप और धन प्राप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : वह किया जा रहा है। सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में दो नई चीजें हैं। यह एडिशनल सपोर्ट उसके चलते मिला। दूसरा स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड है। इसके अलावा कुछ और आइटम्स हैं।

के. पी. सिंहदेव जी ने आउट ऑफ टर्न के बारे में कहा, इसकी इजाजत है। ऐसा हर साल होता है जैसे कोंकण रेलवे को दिया। उसे आज सैंक्शन कर रहे हैं। यह आउट ऑफ टर्न है। चूंकि रिडम्पशन के समय इंटरेस्ट लायबिल्टी का समय टाइम बाउंड है, वह आपको देना ही है, आपने गारंटी दी है, आपने कम्फर्ट लैटर दिया इसलिए ये सारी चीजें आउट ऑफ टर्न हैं जो छोटी–मोटी आइटम्स हैं। इस बीच में एक नई लाइन को मंजूरी मिली है जो कोडरमा और तिलैय्या के बीच है। वह कोल मूवमेंट के लिए रूट है। पावर मिनिस्ट्री ने लिखा था कि इसे तत्काल लाइन चाहिए। उसके हिसाब से उनकी सिफारिशों में इसका प्रावधान किया गया। उस रेल लाइन को मंजूरी मिली है। उसमें टोकन ग्रांट का इंतजाम किया गया है। कई ऐसी चीजें हैं जिनका हमने इसमें उल्लेख किया है और वह उसके लिए यहां आया है।

कुछ बातें और यहां कही गईं। जैसे कई सदस्यों ने प्राइवेटाइजेशन और डिसइनवेस्टमेंट की बात की और उस पर चिंता जाहिर की। जहां तक प्राइवेटाइजेशन की बात है निजी क्षेत्रों की भागीदारी रेलवे में हमेशा से रही है। किसी न किसी क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी रही है। केटरिंग में रही है, दूसरी चीजों में रही है। आज रोलिंग स्टॉक का प्रोग्राम है। हम वैगन प्क्योर करते हैं। वह प्राइवेट सेक्टर में है। कई क्षेत्र जिसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन पहले से है उसके बाद हमारी कोशिश थी कि प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करे। इसके लिए बोल्ट की स्कीम जाफर शरीफ जी के समय शुरू हुई थी। भले ही उसमें लोग आ नहीं पाए। अंततोगत्वा उसका सुधार करके बीओटी की बात हुई है। देखना है कि उसके लिए जो मांगा गया है, वह पूरा होता है या नहीं? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए उसका क्या रिस्पोंस आता है, देखना बाकी है लेकन हमारी तरफ से प्रयास है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करे। कुछ जगहों में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो रहा है। खासतौर पर पोर्ट का जैसे अडानी पोर्ट और पीपावां पोर्ट का हुआ। उसमें इन लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। कई राज्य सरकारों ने इच्छा भी प्रकट की है कि रेलवे प्रोजेक्ट्स में ऐसे पार्टिसिपेशन हों। उनके साथ बातचीत चल रही है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन रेलवे में पहले से है लेकिन रेलवे एज सच को प्राइवेटाइजेशन का न मूव है और न मेरी समझ से यह संभव है।

जहां तक डिसइनवेस्टमेंट की बात है, रेल विभाग के पास वास्ट नेटवर्क है। इसके पहले भी अगर माननीय सदस्यों ने राकेश मोहन कमेटी की सिफारिशें देखी हों तो उन सिफारिशों पर हम लोगों ने खुले मन से चर्चा की है। रेलवे ने एक इंटरनल कमेटी बनाई है। उन सब बातों पर विचार करने के बाद उस बारे में उचित निर्णय होगा लेकिन फिलहाल हम लोगों के बीच में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है कि कोई मेजर डिसइनवेस्टमेंट कॉनकोर में पहले हुआ हो। कुछ शेयर कॉनकोर में किया गया था। ऐसे में रेलवे के पास कोई बात सोचने या ध्यान देने लायक प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। इसके बारे में डिसइनवेस्टमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से प्रयत्न चलता रहता है और रेलवे की बातों के बारे में रेलवे द्वारा उनका जवाब दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मार्डनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की बात है, आप जानते हैं कि फ्रेट आपरेशन सिस्टम, इनफॉर्मेशन सिस्टम अपने देश में एक समय से लागू किया जा रहा था। मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि उसका पहला फेज जून, 2001 में पूरा हो गया है। फ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम का दूसरा फेज टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम मार्च 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद ट्रेस कर सकते हैं कि कोई वैगन कहां है। इसके चलते हमारा कस्टमर फ्रेंडली होगा और हमारे आपरेशन में सुविधा होगी। इस बीच में यह प्रयत्न किया जाता है कि जब लाइन कैपेसिटी की बात होती है, उसके लिए फ्रेट ट्रेन को रोककर पैसेंजर ट्रेन, मेल–एक्सप्रेस ट्रेन को प्राथमिकता मिलती है। नतीजा यह होता है कि फ्रेट ट्रेन्स अपनी डैस्टिनेशन तक पहुंचने में ज्यादा समय लेती हैं। हाल ही में यह समय घट गया है लेकिन प्रयत्न है कि देश में मालगाड़ियां चलाई जाएं। इसके लिए सफल परीक्षण हुआ है और अब देश में मालगाड़ी 100 कि.मी. की स्पीड से चलाई जाएंगी। इससे लाइन कैपेसिटी की समस्या खत्म हो जाएगी तथा प्रायरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर देखा जाए तो, एक्सप्रेस ट्रेन 75 कि.मी. की गति से चल

[श्री नीतीश कुमार]

पा रही है। अगर हम 100 कि.मी. प्रति घंटा की गति से ट्रेन चलाना शुरू कर दें तो उस हालत में प्रथम फेज में प्राथमिकता देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका नतीजा यह होगा कि हम फ्रेट ट्रेन्स का ज्यादा से ज्यादा तेजी से मूवमेंट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम ज्यादा से ज्यादा मेल–एक्सप्रेस ट्रेन्स चला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां माफिया की बात की गई। यह बात सही है और मैंने एक प्रश्न के उत्तर में दूसरे सदन में कहा था कि स्क्रैप डिस्पोजल में काफी लीकेज हैं। हमने इसके लिए एक फैसला लिया है और विजिलेंस ने कुछ लोगों को पकड़ा भी है। यह मालूम हुआ है कि वे–ब्रिजेज के बाहर या डिपो से जब उठान होता है, तो वे उसे बाहर रखे जाते हैं या उन्हें फिर उसी नाम से उसका टोल होता है, वेमेंट होता है। यह फैसला लिया गया है कि लगभग 50 डिपुओं से जहां से स्क्रैप उठाया जाता है, सबमें इलेक्ट्रिकल ब्रिज लगाया जाए। इसके अलावा हमारा रूल है कि जो ट्रैक मैटीरियल है, जब उसे रिप्लेस करते हैं तो एक किनारे से उसे हटा देते हैं और बाद में स्टैकिंग होती है। इसका अपना एक अकाउंटल सिस्टम है, लेकिन निर्णय लिया गया है कि डिवीजनल स्तर पर सेंट्रेलाइज्ड कम्प्यूटराइज्ड अकांउटल सिस्टम होगा। हमने एक कमेटी भी इस उद्देश्य के लिए बनाई है जिसमें हमारे सिक्यूरिटी के लोग हैं। आर.पी.एफ. इंजीनियर्स और अन्य सोर्स के लोग उसमें हैं ताकि वे पता लगा सकें कि इस सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। यह काम चल रहा है लेकिन यह बात भी सही है कि माफिया आपरेशन भी अपनी जगह पर है।

माननीय सदस्यों ने माफिया टेंडर के बारे में कहा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हम सब लोग इस धरातल पर जीते हैं। हम लोगों को सूचना मिलती रहती है और ऐसी घटनाओं की जानकारी हो जाती है। समाचार–पत्रों में खबरें छपती रहती हैं। हम लोगों को सार्वजनिक जीवन में होने के कारण हर किसी की जानकारी मिलती है। सवाल यह पैदा होता है कि इसे कैसे दूर किया जाए। माननीय सदस्यों ने एक सुझाव दिया है कि राज्य सरकार से बात करके अगर रेलवे के टेंडर के लिए उनकी पुलिस या उनका एडमिनिस्ट्रेशन हैड क्वार्टर से उस टेंडर को टालने के लिए कोई सिस्टम बनाए और वह पापर सिक्यूरिटी दे या राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरा मन बना ले तो माफिया आपरेट नहीं कर सकता।

इसे हैंडल करने के लिए रेलवे के पास कोई ताकत नहीं है। यह लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मसला है। रेलवे प्रशासन के पास कौन सी ताकत है, किस कानून के तहत उन्हें अधिकार मिला हुआ है। वह अधिक से अधिक एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं कि टेंडर पेपर कहां मिलेगा, कोई टेंडर कहां डालेगा, इसके लिए एक से अधिक जगहों पर इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा का इंतजाम कैसे कर सकते हैं। यह अंततोगत्वा राज्य सरकारों को ही करना पड़ेगा। अब रघुवंश बाबू चले गए हैं, हम उन्हीं से कहने वाले थे कि यह माफिया ऑपरेशन है, इसे दुरुस्त करने में आप एक सहायक की भूमिका अदा करिए।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : राज्य सरकारों का अपना माफिया है...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : रघुवंश बाबू बोलकर चले गए हैं। यह सही है कि विभिन्न जगहों पर माफिया है और ऐसा नहीं है कि वह आइडेंटीफाइड नहीं है। ऐसा हर जगह नहीं है, कुछ जगहों पर यह सघन तौर पर है, जिसे लोग जानते हैं। इसमें सबके सहयोग की जरूरत है। इसके लिए हम श्री प्रियरंजन दासमुंशी, श्री बसुदेव आचार्य जी से कहेंगे, और हमारे बिहार के साथी यहां हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के और नॉर्थ–ईस्टर्न रेलवे से संबंधित जो भी लोग हैं, जिन सदस्यों को इसमें पूरी दिलचस्पी और जानकारी है, हम एक साथ बैठकर एक रास्ता निकालें और माफिया ऑपरेशन को दूर करने के लिए हम लोगों को कैसे राज्य सरकारों के साथ पहल करनी है, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात क्षेत्रीय संतुलन की है। जहां तक संभव है, एक हद तक हमने जब गौर किया है लास्ट माइल प्रोजेक्ट के आधार पर जो अभी पैसे जहां–जहां पड़ सके हैं, उसके हिसाब से एक हद तक रीजनल बेलेंस क्रिएट हुआ है। हमारे साथी श्री बंद्योपाध्याय जी ने कुछ चिंता प्रकट की थी। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्लो डाउन नहीं किया जाएगा। जो प्रोजेक्ट्स अपनी गति से, जिस समय से चल रही हैं, हमारे समय में उन प्रोजेक्ट्स को और ज्यादा गति प्रदान की जाएगी और जो प्रोजेक्ट्स जल्दी कम्पलीट हो सकते हैं, इनके लिए हमने सरकार से बातचीत करके पैसा हासिल किया है और तेजी से हम प्रोजेक्ट्स को कम्पलीट करने की कोशिश करेंगे। कोई प्रोजेक्ट जिसके बारे में लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे स्लो डाउन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ पैसे की कटौती हुई है और उसका असर सारी प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन जो पैसा बजट में रखा गया था, वह पूरा खर्च होगा या नहीं?

श्री नीतीश कुमार : मैं आपको इतना ही आश्वस्त करूंगा कि मैं हर समय इस बात की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करूंगा कि जहां से वह काम होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ हम संपर्क में रहते हुए इस बात का निर्देश देते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट का पैसा जहां है, वहां खर्च करने की कोशिश हो। अब लैंड एक्वीजीशन को लेकर जिन प्रोजेक्ट्स में समस्या है वह एक अलग बात है, लेकिन जहां काम चालू है, उसमें स्लो डाउन करने का प्रश्न ही नहीं है। आप अपने मन से इस शंका को निकाल दें। एक–दो बातें कहकर मैं समाप्त करूंगा। इस बीच कुछ कदम उठाए गए हैं...*(व्यवधान)*

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : गिरिडीह–कोडरमा के बारे में बताइए, कुछ नहीं हुआ है।

श्री नीतीश कुमार : आप कोडरमा के हैं, कोडरमा और तिलैया की लाइन का काम हो गया है, अब आप खुशियां मनाइए। सब काम हो रहा है। अब आप झारखंड सरकार से मिलकर जमीन दिलवाने में तेजी कराइए। अभी कुछ एन–वॉयरनमेंट की समस्या हजारीबाग–कोडरमा प्रोजेक्ट में आई थी। एनवॉयरनमेंट का क्लियरेंस हमें अभी मिला है। कई चीजें ऐसी होती हैं, जिनके बारे में आप मिलकर, बैठकर जानकारी ले सकते हैं। जिन माननीय सदस्यों ने अपने–अपने इलाकों से संबंधित और देश हित में सवाल उठाए हैं, उन सबको जवाब जाएगा। इतने कम समय में एक–एक बात का जवाब देना संभव नहीं है।

इस बीच में हमने कुछ कदम उठाए हैं, ताकि रेलवे की एफीशिएन्सी बढ़ सके। स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड, जिसके बारे में हमने जिक्र किया, लास्ट माइल प्रोजेक्ट के आधार पर तेजी से इसका कम्पलीशन हो और इसमें अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया गया है। 60 आइटम ऐसे थे, जिनका प्रोक्योरमेंट रेलवे बोर्ड के लेवल पर होता था। हमने उसकी समीक्षा की और पाया कि बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जिन्हें यहां परचेज करने की जरूरत नहीं है। हम समझ सकते हैं कि जैसे रेल की या वैगन की खरीद इस तरह की बड़ी चीजों की खरीद यहां से हो तो बात समझ में आती है, लेकिन छोटे–छोटे टैक्सटाइल आइटम्स, बैटरी आदि कई ऐसी चीजों को हमने देखा और पाया कि उन्हें यहां परचेज करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे 60 में से 45 आइटम्स हमने रेलवेज को यहां से हैंडओवर कर दिए हैं। इस तरह 45 आइटम्स यहां से चले गए हैं और इन आइटम्स को वे अपने लेवल पर डिसाइड कर सके हैं। इसलिए जोनल रेलवे की फाइनेंशियल पावर्स को बढ़ा दिया गया है। उसे बढ़ाकर आठ करोड़ से 15 करोड़ कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड की जो 15 करोड़ की पावर्स थी उसे बढ़ाकर 22 करोड़ कर दिया गया है, ताकि डीसेंट्रलाइजेशन हो सके। अब चूंकि स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड है, सेफ्टी रिलेटिड आइटम्स हैं, इस पर तेजी से काम होना है। इसलिए उन्हें टेंडर जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा। फाइनेंशियल पावर्स को हमने वहां डीसेंट्रलाइज किया है। इसका बहुत अच्छा असर पड़ा है।

कई लोग जो पोस्ट का एलीमेंट ट्रांसफर करके आते थे, वर्कचार्ज पोस्ट है, वे यहां थे तो एक–दो फेज में काफी अधिकारी, चाहे रेलवे बोर्ड हो, चाहे जोनल रेलवे के मुख्यालय हों, वहां लोग बैठे हुए थे। किसी पर्टीकुलर प्रोजेक्ट पर उनकी तनख्वाह चार्ज हो रही थी। बहुत हद तक उसे दूर किया गया है दो फेज चलाकर, ताकि लोग अपनी–अपनी जगहों पर जाएं, रेलवे बोर्ड और मुख्यालय में, जबकि उनकी तनख्वाहें चार्ज हो रही हैं किसी प्रोजेक्ट में–उसे दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। इस बीच में जो कोंकण रेलवे ने एंटी कॉलिशन डिवाइस विकसित किया है, 15 अक्तूबर को कोंकण रेलवे के स्थापना दिवस पर वह राष्ट्र को समर्पित हुआ। जैसा कि मूल बजट में इसका उल्लेख था, इसके लिए एक्सटेंडेड फील्ड ट्रायल में एन.एफ. रेलवे की बात थी लेकिन उसको नॉर्दर्न रेलवे के हिस्से में किया जा रहा है ताकि सुविधा हो जाए। एक्सटेंडेड फील्ड ट्रायल के बाद विचार है कि बड़े पैमाने पर इसको इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि हम टक्कर से बच सकें। मैंने खुद भी उस ट्रायल को जाकर देखा है जो बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट है। एक्सटेंडेड फील्ड ट्रायल के रिजल्ट अच्छे आएंगे और फिर उसे लागू करने में सहायता होगी। यह डिवाइस हर लोकोमोटिव में लगाना होगा, हर रेलवे स्टेशन पर लगाना होगा, जो सबसे रियर एंड की गार्ड कोच है, उस पर लगाना होगा। फिर हमें लगता है कि टक्कर बीते दिनों की बात हो जाएगी। निश्चित रूप से उसमें कुछ वर्ष लगेंगे क्योंकि पहले ट्रायल के नतीजे आने हैं। फिर एक नयी बात होगी कि सामने की टक्कर हो, पीछे से टक्कर हो, गाड़ी एक से दूसरे ट्रैक पर आ जाती है और कभी खन्ना टाइप एक्सीडेंट हो जाता है, तब उन सब चीजों से बचाव हो सकता है, यहां तक कि लैवल क्रासिंग पर भी कोई आएगा तो उससे भी बचाव होगा। यह सचमुच एक नया एचीवमेंट है और दुनिया में इसके पहले कहीं यह

[श्री नीतीश कुमार]

बात नहीं आई। सबसे पहले हमारे इंडियन सिस्टम में यह बात आई और कोंकण रेलवे ने इसको निकाला है, इसके लिए हम सब उनको साधुवाद देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कहने को बहुत बातें हो सकती हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : जो एम.पीज द्वारा सिगनेचर करके सैलेरी सर्टिफिकेट देने वाला मामला था, पास के लिए?

श्री नीतीश कुमार : कुछ विजिलेंस की कंप्लेंट्स आई थीं, जिसमें पूरे सिस्टम के मिसयूज की कहानी थी। उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। उसी के बाद फैसला किया गया कि किसी की भी इनकम को सर्टिफाइ करने का जो मसला है, उसमें सांसदों और विधायकों को कोई जानकारी नहीं है, जिससे हम किसी की इनकम को सर्टिफाइ करें। उसका अपना प्रोसीजर है। वह रेवेन्यू मैटर है जिसे रेवेन्यू ऑफिसर्स करते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर से वह सर्टिफिकेट लें और उसके बाद एम.पी. रेकमंड करे, इसमें एम.पी. की भी सुरक्षा है।

[अनुवाद]

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : तो फिर आप यह प्रमाण पत्र जारी करके और इसे राजस्व अधिकारियों को देकर किसी संसद सदस्य के अधिकार को रद्द कर सकते हैं।

श्री नीतीश कुमार : राजस्व अधिकारियों को क्यों? इसे राजस्व अधिकारियों पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

[हिन्दी]

रेवेन्यू ऑफिसर तो सार्टिफाइ करेंगे कि पर्टिकुलर लिमिट में इनकी इनकम है या नहीं।

[अनुवाद]

आप दो बातों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। किसी की आय को प्रमाणित करना हमारा काम नहीं है। कानून और नियमों के अंतर्गत यह कार्य सरकार के ही किसी व्यक्ति को सौंपा गया है। उसे वह कार्य करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप जो भी कहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि ऐसा अगर हो जाए तो क्या एम.पी. पर अनड्यू प्रेशर नहीं होगा। एम.पी. के पास आकर कोई कुछ कहे तो एम. पी. के लिए मना करना भी मुश्किल होता है। कोई गरीबी रेखा से नीचे है या नहीं, यह कहना एम.पी. के लिए मुश्किल है। इसलिए उनके पास यह सर्टिफिकेट है तो वह रेकमंड करेंगे और अपनी कांस्टीट्यूएंसी के लोगों का काम करेंगे,

[अनुवाद]

वह उसे पूरा कराएंगे।

[हिन्दी]

लेकिन इसके अलावा आप इसमें कोई और सुधार बताना चाहते हैं तो हम देखेंगे क्योंकि उसमें कई प्रकार की कंप्लेंट्स आई थीं और उसके आधार पर एक कंसिडर्ड व्यू लिया गया। लेकिन इसमें माननीय सदस्यों के मन में और कोई सुझाव हो तो बताएं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हम जो करते हैं वह यह है कि हम ग्राम पंचायतों से आय प्रमाणपत्र मांगते हैं। जब लोग हमारे पास उक्त प्रमाणपत्र लेकर आते हैं तो फिर हम अपने प्रमाणपत्र जारी करते हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : एक मूल प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या संसद सदस्य मासिक आय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है या नहीं। यह केवल रेलवे का ही प्रश्न नहीं है। रेलवे में संसद सदस्यों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, परंतु अन्य स्थानों पर इन्हें स्वीकार किया जा सकता है। परंतु मूल प्रश्न यह है कि, यदि यह निर्णय लिया जाता है कि संसद सदस्य मासिक आय प्रमाणपत्र जारी नहीं कर सकते हैं तो मैं इसे स्वीकार करूंगा।

परंतु कहीं इसे स्वीकार किया जाएगा और कहीं इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह प्रक्रिया नहीं हो सकती है। अध्यक्षपीठ से यह मार्गनिर्देशन किया जाना है कि क्या संसद सदस्य को मासिक आय प्रमाणपत्र जारी करने का प्राधिकार है या नहीं। रेल मंत्री यह कह रहे हैं कि संसद सदस्यों द्वारा मासिक आय प्रमाणपत्र जारी करना उचित नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह अनुमत्य है या नहीं?

श्री नीतीश कुमार : सुधारों के अध्यधीन इसका सत्यापन सरकारी स्रोतों से किया जा सकता है।

श्री सी. के. जाफर शरीफ : मैं नहीं सोचता हूं कि यह एक स्वस्थ परंपरा है। इसे राजस्व अधिकारी अथवा सरकारी एजेंसी को करने दें। संसद सदस्य इस परेशानी को क्यों लें? मैं यह सलाह नहीं दूंगा कि संसद सदस्यों को इस मामले में प्रमाणित करना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार : इसीलिए, हमने योजना में कुछ संशोधन किए हैं। मेरे विचार से सुधारों के अध्यधीन हम इसे जारी करने के पात्र नहीं हैं। फिर भी, मैं इसकी दुबारा जांच करूंगा कि क्या इस संबंध में राजस्व संहिता में कोई प्रावधान है कि क्या हम आय प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं या नहीं।

[हिन्दी]

जहां तक हमारी जानकारी है, ऐसा है। उसके आधार पर जो हमारे पास आया, वह हमने किया। उसमें डेजीगनेटेड रिवेन्यू ऑफिसर कहा गया। अगर रिवेन्यू पावर्स ग्राम पंचायत को भी है तो ग्राम पंचायत भी है।

[अनुवाद]

मैं नहीं जानता कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कौन अधिसूचित है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : गरीबी रेखा के प्रमाणपत्र के आधार पर देते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : इसमें गरीबी रेखा की सूची भी तैयार होती है, इस स्कीम में और मौडीफिकेशंस लाने हों तो उनके बारे में भी सोचा जा सकता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : हम यह प्रमाणित कर सकते हैं कि कोई सब्जी विक्रेता अथवा घरेलू नौकर है और आदि–आदि...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : मैं नहीं सोचता कि ऐसी कोई बात है। अंततः, आपको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उनकी आय को प्रमाणित करना है। अनावश्यक रूप से, हमारे द्वारा आय प्रमाणपत्र जारी करने की प्रत्याशा नहीं है। हो सकता है–मैं नहीं कहूंगा कि 'ऐसा होगा' कि कभी कोई हमारे बीच में से ही अपने आपको परेशानी में पाएगा। हमें यह बात दिमाग में रखनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : ग्राम पंचायत के पास लिस्ट रहती है। वे इशू कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : मैं सुझावों को सुनना चाहूंगा।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के जवाब को छोड़कर कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : मैं सुझाव सुनने के लिए तैयार हूं।

[हिन्दी]

इसलिए उसके बारे में जो भी सुझाव होगा क्योंकि कुछ शिकायतों के आधार पर जो लगा, उसमें मौडीफिकेशन किया गया।

[अनुवाद]

इतना ही नहीं है। हम माननीय सदस्यों के मूल्यवान सुझावों से इसमें और संशोधन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

इसलिए इसके बारे में मेरी समझ से जो भी बाकी चीजें बची होंगी, उनके बारे में हम कोशिश करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैंने रेलवे स्पोर्ट्स के बारे में कहा था।

श्री नीतीश कुमार : इसके बारे में हम व्यक्तिगत रूप से पूरी समीक्षा करेंगे क्योंकि पहले ही हम लोगों ने एक निर्णय

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री नीतीश कुमार]

लिया था, रेलवे स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा नाम है और भारत से स्पोर्ट्स में सबसे ऊंचा स्थान अगर हम कहें तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्पोर्ट्स के हर क्षेत्र में, जिन-जिन में रेलवे पार्टीसिपेट करती है, रेलवे मैन का योगदान है। इसे ध्यान में रखते हुए ही पहले जब यह रेलवे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड कहलाता था, उसे हमने बदलकर रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड किया था। इसके बाद उसमें हमने तय किया था कि नेशनल और इंटरनेशनल में जो गोल्ड मैडलिस्ट हैं, उनको रेलवे की तरफ से जॉब ऑफर की जाए और बाकी लोगों के लिए एक मैरिट टैस्ट होगा, उसके आधार पर सलेक्शन होगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अगर कहीं कोई त्रुटि आ रही है तो हम आपके इस सुझाव को स्वीकार करते हैं कि माननीय सदस्यों में जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : स्पोर्ट्स फैडरेशन को बुलाइए।

श्री नीतीश कुमार : स्पोर्ट्स फैडरेशन को तो आप बुला लेंगे लेकिन माननीय सदस्यों में से जो दिलचस्पी रखने वाले हैं, वे लोग एक साथ बैठकर कोई बात सजेस्ट कर दें और यदि उसके बाद कोई बात बचे तो स्पोर्ट्स फैडरेशन, स्पोर्ट्स फैडरेशन में आजकल कौन जा रहा है, बताइए, आजकल स्पोर्ट्स फैडरेशन में आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तब जा रहे हैं। कई लोग हैं जिनका दूर-दूर तक स्पोर्ट्स से मतलब नहीं है, वे लोग आजकल स्पोर्ट्स फैडरेशन के अध्यक्ष बन रहे हैं। फिर किस स्पोर्ट्स फैडरेशन को बुलाया जाए, जिनका खेल से कोई मतलब नहीं रहा है? मैं किसी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां माननीय सदस्य वाकई स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप बिहार के मसले को दुनिया का मसला मत समझिए।

श्री नीतीश कुमार : हमने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने किसी पर कटाक्ष भी नहीं किया है। हम तो कह रहे हैं कि आप लोग ही सुझाव दीजिए और उसको बढ़िया बनाइए। हम इस पर विचार करेंगे कि स्पोर्ट्स परसन का रिक्रूटमेंट रेलवे में और बेहतर ढंग से कैसे हो सके, स्पोर्ट्स परसन के रिक्रूटमेंट को कम करने का कहां सवाल है। वह तो एक बहुत बड़ा काम होता है, जो रेलवे की तरफ से होता है और वे अपने स्पोर्ट्स के अलावा रेलवे का भी काम करते हैं। सब चीजों के बारे में जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाले माननीय सदस्य हैं, उनसे हम इसमें विचार-विमर्श करना चाहेंगे और विचार-विमर्श करके और बेहतर क्या करना है, उसके बारे में हम गौर करेंगे।

जिन माननीय सदस्यों के सवाल छूट गए हैं, जिनके अलग-अलग प्रोजेक्ट्स, अलग-अलग समस्याओं के बारे में सवाल हैं, उनको हम लिखित उत्तर भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम सदन से दरख्वास्त करेंगे कि इन मांगों को मंजूर किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं-मांग संख्या 14 और 16"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांगों के शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं-मांग संख्या 5, 6, 8 और 13"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.58 बजे

[अनुवाद]

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक 2001*

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2001-02 की सेवाओं के लिए

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 4.12.2001 में प्रकाशित।

भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2001–02 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय प्रस्ताव को विचारार्थ रखेंगे।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2001–02 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2001–02 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड–वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

रात्रि 8.00 बजे

श्री नीतीश कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राशि 8.01 बजे

[अनुवाद]

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक 2001*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 17 ग पर विचार करेगी। श्री नीतीश कुमार विधेयक को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करेंगे।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए रेलवे के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियाँ उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए रेलवे के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खंड 2, दिनांक 4.12.2001 में प्रकाशित।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए रेलवे के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए रेलवे के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड–वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल, 5 दिसम्बर, 2001 को पूर्वाह्न 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 5 दिसम्बर, 2001/ 14 अग्रहायण, 1923(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

पी० एल० एस० — 48/21/11/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्ग
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।